

आजादीके रोड़े

लेखक—

श्री राम मनोहर सिंह

[सहायकी संपादक—'विद्यमित्र']

सम्पादक—

हजारीप्रसाद द्विवेदी

प्रकाशक—

गिरिजाशङ्कर वर्मा

अभिनव भारती ग्रन्थमाला

१७१-ए, हरिसन रोड,

कलकत्ता

प्रथम बार

अगस्त, १९४१

मूल्य १।।)

मुद्रक—

जेनरल प्रिण्टिङ्ग वर्क्स लिमिटेड

८२, पुराना चीनाबाजार स्ट्रीट,

कलकत्ता

सम्पादकीय वक्तव्य

नामसे ही स्पष्ट है कि इस पुस्तकका विषय भारतवर्षकी आजादी या स्वाधीनता नहीं है बल्कि उसके प्राप्त करनेके मार्गमें जो बातें विघ्न-स्वरूप हैं उनकी आलोचना करना है। परन्तु आजादीके रोड़ोंका ज्ञान प्राप्त करनेके पहले आजादीका स्वरूप समझना निहायत जरूरी है। लेखक महोदयने शुरूमें भारतवर्षीय जनसमूह और उनके ऐतिहासिक सम्बन्धका संक्षेपमें विवेचन कर लिया है और इसके बाद ही उन्होंने भीतरी और बाहरी विघ्नोंके विवेचनमें मनोनिवेश किया है। स्वर्गीय कविगुरु रवीन्द्रनाथने बहुत दिन पूर्व भारतीय स्वाधीनताके आदर्शके सम्बन्धमें एक कविता लिखी थी। स्वाधीनताके इससे उत्तम और साधु आदर्शकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस कवितामें उन्होंने बतलाया है कि “(हे भगवन्) भारतको ऐसा स्वर्ग बना दो जहां जोगोंका चित्त भय शून्य हो, मस्तक ऊँचा उठा हो, ज्ञान उन्मुक्त हो, जहां घरकी चहारदीवारी दिन-रात अपने ही आगनके नीचे पृथ्वीको टुकड़े कर छुद्र बनाकर न रखे, जहां वाक्य हृदयके फरनेसे उच्छ्वसित होते रहें, जहां कर्मधारा नाना प्रकारकी सफलताओंसे गुजरती हुई देश-विदेशमें और दिग्-दिगन्तमें बिना रोक-टोकके अविराम गतिसे बहती रहे, जहां तुच्छ आचारकी मरुमूमि विचारकी निर्मल धाराको आस न कर लेवे और उसके पौरुषको सौं टुकड़ोंमें विखिन्न न कर दे; जहां समस्त कर्म, समस्त विचार और समस्त आनन्दके नेता तुम स्वयं बने रहो—हे पिता अपने निर्दय हाथोंसे निष्ठुर आघात करके तुम इस भारतवर्षमें ऐसा ही स्वर्ग जगा दो !”—

चित्त येया भय शून्य, उच्च येया शिर,

ज्ञान येया मुक्त, येया गृहेर प्राचीर

आपन प्राङ्गण तले दिवस शर्वरी

वसुधारे राखे नाइ खण्ड क्षुद्र करि

येया वाक्य हृदयेर उत्समुख हते

उच्छ्वसिया उठे, येया निवारित छोते

देजे देजे दिशे दिशे कर्मधारा धाय

अजस्र सहस्रविध चरितार्थताय,

येया तुच्छ आचारेर मरु बालुराशि

विचारेर स्रोत पथे फेले नाइ ग्रासि,

पौरुषेरे करेनि शतधा, नित्य येया

तुमि सर्व कर्म चिन्ता ध्यानन्देर नेता,

निज हस्ते निर्दय आघात करि पित ।

भारतेरे सेइ स्वर्ग कर जागरित ॥

अगर विचार करके देखा जाय तो भारतवर्षमें इस प्रकारकी स्वाधीनता ले आनेके पहले हमें बहुत कुछ झाड़ पोंछ कर फेंक देना होगा । बहुत-सा बाह्याचारका जजाल और अकारण करोड़ोंके चित्तको भीत बनानेवाली और मस्तकको नीची करनेवाली व्यवस्थाको जड़से उखाड़ फेंकना होगा, उन सारी दीवारोंको ढहाकर बरबाद कर देना होगा जिन्होंने हमारे चित्तको संकीर्ण और अपारदर्शी बना रखा है, और सबके ऊपर हृदयसे विश्वास करना होगा कि सचमुच ही परम-पिता हमारे समस्त कर्मों, समग्र विचारों और सम्पूर्ण ध्यानन्दोंका सार हैं । जिस दिन हम यह सब करनेमें समर्थ होंगे उस दिन हमारी

स्वाधीनता स्वयं आ जायगी । हम जब विघाताके निष्ठुर आघातोका अर्थ समझने लगेंगे तो विदेशी शासनके अपमान और साम्प्रदायिक वैमनस्यके आघात वरदान मालूम होंगे । अपनी स्वाधीनताके मार्गमें हमने स्वयं दुर्व्यर्थ्य प्राचीरें खड़ी कर रखी हैं । हमारे भीतर दोष है, रंभ्र है और देशी विदेशी शासकोंने यदि उस रंभ्रका फायदा उठाया है तो अन्याय चाहे हो पर अस्वाभाविक नहीं है ।

पाठक देखेंगे कि इस पुस्तकके लेखक अपनी कमजोरियोंके प्रति उदासीन नहीं हैं । उन्होंने एक-एक करके उनकी परीक्षा की है । इस पुस्तकका प्रधान प्रतिपाद्य हिन्दू-मुसलमानोंका द्वन्द्व है । लेखकने इनकी प्रकृतिका विश्लेषण किया है और इस प्रकार आजादीके रोड़ों-का असली आगमन-मार्ग पहचाननेका प्रयत्न किया है । असली समस्या यही है । यद्यपि विदेशी सरकारके सामयिक मनोभावोका विश्लेषण करनेमें लेखकने अधिक परिश्रम किया है और उनके दोषों-को दिखानेके लिये बहुत-से प्रमाण संग्रह किये हैं पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि मूल समस्या हमारी अपनी बनाई हुई है । विदेशी सरकार 'सुयोग' पाकर उसे पुष्ट कर रही है । शायद स्वदेशी सरकार होती तो वह उसे मिटानेकी कोशिश करती । परन्तु विदेशी सरकार-को जितना भी दोष क्यों न दिया जाय वह एक नैतिक प्रतिवादके सिवा और कुछ नहीं है । हमारे लिये प्रधान विचार्य हैं कि हम अपनी ही रची हुई फंदीमें अधिकाधिक उलझते जा रहे हैं । हिन्दुओंकी वर्जनशील प्रकृतिके साथ मुसलमानोंकी ग्रहणशील प्रकृतिके सामं-जस्यकी हमने जितनी भी चेष्टा की है उतनी ही वह अधिकाधिक स्पष्ट और विकट होती गई है । समस्याका समाधान बाहरकी ओर

नहीं है, भीतरकी ओर है। पर बाहरकी ओर सदा टकराते रहनेसे हमारी सर्जनात्मक बुद्धि भी भोथी होती जा रही है। स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ ठाकुर महाशयने इसीलिये एक बार कहा था कि—“अपनी शत्रुता बुद्धिको दिन-रात केवल बाहरकी ओर तत्पर रखकर उत्तेजनाकी अभिमें अपनी समस्त संचित शक्तिकी आहुति मत दो। अपनी इन तनी हुई भवों वाले मुखमण्डलको उधरसे हटा ले आओ। आपाढ़के महीनेमें आकाशका मेघ जिस प्रकार धारासार वृष्टिसे तापशुष्क तृपातुर मिट्टी पर उतर आता है उसी प्रकार देशकी समस्त जातियों और सर्व मानवके बीच उतर आओ। नाना प्रकारकी सर्वतोमुखी मगलचेष्टके बड़े जालसे सारे स्वदेशको बाध डालो, कर्मक्षेत्रको सर्वत्र फैला दो। उसे इतना उदार और इतना विस्तीर्ण कर दो कि देशके ऊँच-नीच, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी उस विशाल कर्मक्षेत्रमें समवेत होकर हृदयके साथ हृदयको, कार्यके साथ कार्यको सम्मिलित कर सकें।” देशके सभी विचारशील महापुरुष यही कह रहे हैं और महात्मा गांधी अपनी सम्पूर्णा शक्ति लगाकर इसी ओर लगनेका इशारा करते हैं।

परन्तु परमपिताका विधान इतना सहज नहीं है। भारतवर्षने हजारों पुश्त तक लाखों नर-नारियोंको अकारण नीच समझा है, अब भी उसका मोह दूर नहीं हुआ है,—यह महान् पाप एक रवीन्द्रनाथ और एक महात्मा गांधीके प्रायश्चित्तोंसे धुलता नहीं दिखता। तपस्याकी अभि जलती है और दूसरी ओरसे कूटनीतिकी वाढ़ उसे घो-पोछकर ले भागती है। हमारे एक प्रयत्नके जवाबमें विघाताके दस अयत्न तैयार हैं। यही सबूत है कि पाप बड़ा है, उसका प्रायश्चित्त भी बड़ा

होना चाहिये । बहुत बलिदानोंसे सिद्धि मिलेगी । ब्राह्मण ग्रन्थोंमें कथा है कि एक ब्राह्मणने गायत्री देवीकी सिद्धिके लिये अमोघ यज्ञ किया पर वह निष्फल गया । ब्राह्मणने इक्कीस बार असफल यज्ञ किये । अन्तमें जब निराश हो चला तो गायत्री देवी आविर्भूत हुई । बोली, वह देखो तुम्हारे इक्कीस पापोंकी इक्कीस चितायें जल रही हैं । तुम्हें अन्तिम सफलता नहीं मिली थी क्योंकि तुम्हारे पाप क्षय नहीं हुए थे, पर देख लो कोई भी यज्ञ विफल नहीं गया । भारतीय स्वाधीनताकी देवी भी कुछ अन्तिम पापक्षयकी प्रतीक्षा-सी कर रही हैं । साधु प्रयत्न व्यर्थ नहीं गये हैं । वे और भी होने चाहिये । तभी कविका स्वप्न सफल होगा और भारतवर्षमें वह स्वर्ग जाण्टत होगा जिसकी चर्चा की जा चुकी है ।

इस पुस्तकके पाठकको मालूम होगा कि स्वाधीनताके अग्रिकुण्ड-को बहा ले जानेके लिये कितने विघ्न हैं—भीतरके और बाहरके । विद्वान लेखकने कोई बात बिना प्रमाणाके नहीं कही है और आशा है कि पाठक इसे पढ़नेके बाद अपनी कमजोरियोंको अधिक ध्यानसे विचार करेंगे और ठंडे दिलसे सोच सकेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिये ।

पुस्तकमें प्रूफ-रीडिंगकी कुछ अवांछनीय मूलें मिलेंगी जिसके लिये मैं अपनी ओरसे क्षमा प्रार्थी हूँ । पाठकोंकी सुविधाके लिये अन्तमें शुद्धि-पत्र जोड़ दिया गया है ।

हिन्दीभवन, शान्तिनिकेतन

१६-८-४१

}

—हजारीप्रसाद द्विवेदी

प्रस्तावना

वर्तमान हिन्दुस्तान राष्ट्रीय चेतना और साम्प्रदायिक-कलह—दो आपसमें टकरानेवाली और परस्पर विरोधी भावनाओंका अखाड़ा हो रहा है। एक ओर तो वे प्रगतिशील ताकतें हैं जो देशको आर्थिक एवं राजनीतिक गुलामीसे छुटकारा दिलाने और सर्वोत्तमसुखी राष्ट्रीय उन्नति करनेके लिये दुनियाके एक महान शक्तिशाली शासनसे अहिंसात्मक संघर्ष करनेमें व्यस्त हैं और दूसरी ओर वे प्रगतिविरोधी शक्तियां हैं जो तथाकथित धार्मिक अधिकारोंके नामपर सङ्कुचित साम्प्रदायिक विद्वेषकी आगलगाने और आपसमें सिर्फुड़ौल करानेपर उतारू हैं। बदनसीब हिन्दुस्तानकी तरफ दुनियाकी आजाद कौमों नफरतके साथ देखतीं और आंख फेर लेती हैं। दरअसल मे भारत आज सिर्फ दो ही दल हैं—पहला प्रगतिशील और दूसरा प्रगतिविरोधी। ये कई अवांछनीय जुनोंमें बिल्वे हुए हैं और दिखावेके लिये अलग-अलग नामसे अपने मकसदको पूरा करनेमें लगे हुए हैं।

प्रस्तुत पुस्तकमें आमतौरपर उन सारी अडचनोंका जिक्र मिलेगा जो हमारे स्वातंत्र्य-संग्राममें बाधाएं डाल रही हैं—हमारी आजादीकी राहमें रोड़े अटका रही हैं। किन्तु पुस्तकमें खासतौरसे साम्प्रदायिक मसलेपर और उसमें उत्पन्न होनेवाली अन्य समस्याओंपर ही यथासम्भव सविस्तार विचार किया गया है, यहुमत और अल्पमतकी पंचीदगिया दिखायी गयी हैं। कहीं-कहीं इसके ऐतिहासिक पहलूका भी उल्लेख किया गया है। भारतके राष्ट्रीय आन्दोलनसे दिलचस्पी रखनेवाले अनेक विदेशी विचारकोंका भी यही मत है कि भारतीय स्वाधीनताके मार्गमें साम्प्रदायिक भगडेका भ्रष्टा-वात ही सबसे बड़ी एवं विनाशकारी बाधा है। मेरी रायमें साम्प्रदायिक एकताको सुदृढ़ बनानेका उद्देश्य महज एक दलका दूसरे दलके प्रति उदारता

दिखानेसे ही हासिल न होगा। अब यह व्यापक प्रश्न तो शीघ्रताके साथ स्थायी तौरपर तभी हल होगा जब उठारता, अौचित्य एवं न्यायमें समन्वय होगा।

वगालमें 'सविनय कानून भग-आन्दोलन' के दिनोंमें और उसके बाद भी हिन्दू और मुस्लिम जनसमूहके निकट सम्पर्कमें जानेका मुझे मौका मिला। वगालकी कई जेलोंमें रहकर भी हिन्दुओं और मुसलमानोंकी मनो-वैज्ञानिक अवस्था और कांप्रोसके हिन्दू तथा मुसलमान कार्यकर्ताओंके धार्मिक एवं सामाजिक संस्कारोंका अध्ययन करनेका भी मुझे सुअवसर मिला था। इन्हीं दिनों मेने यह महसूस किया कि साधारण कोटिके राष्ट्रीय कार्यकर्ताओंमें अभी वह सौजन्य और सद्भावना नहीं पैदा हुई है जो राष्ट्रीयताको व्यापक तथा शक्तिशाली बनानेके लिये अपरिहार्य है।

सन् १९२१ का असहयोग आन्दोलन और सन् २४ के भयकर साम्प्रदायिक दंगे, सन् ३० का पूर्ण स्वाधीनताके लिये चलाया गया भद्र अवज्ञा आन्दोलन और सन् ३१ में दगोंकी शृङ्खला, सन् ३२ का सत्याग्रह और सन् ३४ में मजहवी जोशका ताण्डव और आज सन् ४१ की राष्ट्रीय चेतना तथा जगह-जगह दगोंसे होनेवाले नरमेघ, दरबस हमें सोचनेके लिये मजबूर कर देते हैं कि क्या अभागे हिन्दुस्तानके स्वाधीनता-संग्राम तथा साम्प्रदायिक दगोंमें कोई घनिष्ठता है? हिन्दू और मुसलमान एक जमानेसे पास पास, निकट पड़ोसीकी तरह रहते आये हैं। मगर उन्नीसवीं शताब्दी तक ऐसे किसी नरमेघका प्रमाण नहीं मिलता, जैसे इधर आयेदिन धर्म और मजहबके नामपर हुआ करते हैं। अंग्रेज इतिहासकारोंने जहां औरग-जेबके जुलूमोंका जिक्र किया है वहां साम्प्रदायिक दगोंकी कहीं चर्चा भी नहीं की। लेकिन बीसवीं सदीमें सम्य कही जानेवाली जातियोंके निकट सम्पर्कमें आनेके बाद हम 'असभ्यों' का दुर्भाग्य कि कुछ सीख न सके और वकौल मि० एमरी—'हमें अंग्रेजोंका शुक्रगुजार होना चाहिये जिन्होंने हमारे देशमें ऐसी शांति और व्यवस्था कायम की ?'

हिन्दुओं और मुसलमानोंको लड़ानेवाले अधिकतर धनिकवर्ग और मध्यवर्गके लोग ही हैं। अगर इन वर्गोंके नीचे उतरके देखा जाय उन किसानों और मजदूरोंकी ओर, जहां रोटियोंकी हाय-हाय मची रहती है, जिन्हें रोज कुआं खोदकर पानी निकालना पड़ता है तो वहां हमें साम्प्रदायिक कलहके जहरीले बीज देखनेको नहीं मिलते। किसान और मजदूर, चाहे हिन्दू हो अथवा मुसलमान, उसकी समस्याएँ और कठिनाइयाँ एक-सी हैं। उसके ऊपर कर्जका बोझ है, चाहे वह काबुलीका कर्ज हो या किसी सेठका। इनकी समस्याएँ साम्प्रदायिकतासे कोसों दूर-सर्वथा आर्थिक हैं। ऊपरके वर्गोंकी समस्याएँ भी आर्थिक और राजनीतिक ही हैं लेकिन उनकी सिद्धिके लिये साम्प्रदायिकताका आवरण डाला जाता है।

यह पुस्तक इन्हीं सारी हलचलों और दर्दिले दृश्योंको देखकर और उनसे प्रभावित एवं प्रेरित होकर लिखी गयी है। जहांतक मुझसे हो सका है, मैंने पक्षपात-शून्य होकर इसे लिखनेकी भरसक चेष्टा की है और तदनुकूल आवश्यक अवतरण भी दिये हैं। लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूँ कि राजनीतिक आन्दोलन और स्वाधीनताके सर्घर्पमय युगमें पक्षपात-शून्य होनेका दावा करना कोरी हिमाकत और प्रवचना है। हिन्दुस्तानके और कई छोटे-बड़े राजनीतिक दलोंके मुकाबले, जो विशुद्ध राजनीतिक होनेका दावा नहीं कर सकते, सबसे बड़े और प्रभावशाली राजनीतिक संगठन कांग्रेसका मैंने जोर-दार समर्थन किया है। मेरा दृष्टिकोण सर्वथा औचित्यपूर्ण है, यह मैं नहीं कहता। आलोचनाएँ मुझे अभीष्ट हैं लेकिन उन्हें रचनात्मक होना चाहिये, ध्वसात्मक नहीं। पुस्तकमें प्रकट किये गये विचार कुछ लोगोंको पसन्द आयेंगे और कुछ लोगोंको नापसन्द। लेकिन मैं बड़े अदबके साथ अर्ज करूँगा कि अपनी नापसन्दगीके बावजूद भी आप इसे पढ़ तो जरूर जाय और फिर लेखककी गलतियोंपर अपना कोमल-कडोर, जैसी भी हो, निष्पक्ष राय जाहिर करे। सच कहता हूँ, मुझे इससे बेहद खुशी होगी।

हिन्दीमें इस तरहकी, राजनीतिक विषयोंपर लिखी गयीं पुस्तकोंका

अभाव-सा है। मुझे आशा है कि यह पुस्तक इस दिशामें कुछ पुर्ति कर सकेगी। दयालु पाठकोंने यदि इसे अपनाया तो आगे चलकर शायद मैं और कुछ लिखनेकी चेष्टा करू। इसे लिखनेमें अनेक पुस्तकों तथा हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू और बंगलाके मासिक, साप्ताहिक तथा दैनिक पत्रोंसे भी सहायता ली गई है। अतएव, इनके लेखकों और प्रकाशकोंका भी मैं शुक्र-गुजार हूँ।

‘विश्वमित्र’ कार्यालय,
नोबल-चेम्ब्रेस फोर्ट, बम्बई
१३, अगस्त-४१

}

विनम्र—
राम मनोहर सिंह

पूज्य बाबू जी

स्वर्गीय ठाकुर भगवान बरूशसिंह को
जिनकी अब केवल धुंधली
स्मृति ही शेष रह
गयी है।

—मनोहर

विषय-सूची

सम्पादकीय वक्तव्य	
प्रस्तावना	
१—प्रबल जीवन शक्ति	१-६
२—हिन्दू और मुसलमान	७-१३
३—अलगावकी भावना	१४-१७
४—यह विष वृक्ष !	१८-२३
५—विभाजन और शासन !	२४-३६
६—अल्पमत बनाम बहुमत	३७-५७
७—साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व	५८-७५
८—पाकिस्तानका मसला	५६-९४
९—हिन्दुओंकी अपेक्षा-नीति	९५-१२२
१०—कांग्रेस विरोधी ताकतें	१२३-१४२
११—हमारी उलम्हान	१४३-१६०
१२—आजादीकी राह पर	१६१-१७१



आज़ादीके रोड़े

१

प्रबल जीवन-शक्ति

भारतवर्षका इतिहास, अगर सच कहा जाय तो, निरन्तर होनेवाले विदेशी आक्रमणोंका तूफानी-इतिहास है। आज जो जाति भारतवर्षको अपनी मातृ-भूमि, पितृभूमि और धर्मभूमि कहनेका दावा करती है, यानी आर्य जाति— वह भी तो भारतवर्षमें बाहरसेही 'आकर आबाद हुई है और यहाकी आदिम जाति कोल-मिल्लों तथा द्रविणोंको पराजित कर, उन पर अपनी सांस्कृतिक-प्रभुता स्थापित कर उनके अस्तित्वको मिटा दिया है। आर्योंके पहले इस देशमें बसने वाली आदिम जातिकी सभ्यता एव सस्कृति आज अधकारमें लुप्त है। आर्योंने उस जातिको अपनेमें इस तरह मिला लिया है कि आर्योंसे भिन्न उनका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं रह गया है। कुछ इतिहासकारोंका कहना है कि आर्यजाति हिन्दुस्तानमें ईस्वी सन्से दो हजार वर्ष पूर्व आई थी।

किन्तु मोहेन-जो-दड़ो तथा हरप्पाकी खुदाइयोंसे यह प्रमाणित होता है कि ईस्वी सनसे ३२५० वर्ष पहले भी भारतवर्षमें एक सभ्य जाति आबाद थी और कला-कौशलकी दृष्टिसे वह काफी उन्नतिशील थी। आर्योंके बाद दृणों, शकों, यूनानियों, मुसलमानों और यूरोपियनोंके आक्रमण, जल एव थल मार्गसे हिन्दुस्तान पर हुए और बीच-बीचमें और भी अनेक छोटे-मोटे हमले इस देशपर निरन्तर होते ही रहे। इसीलिये तो हम भारतवर्षके इतिहासको

• शृङ्खलावद्ध आक्रमणोंका इतिहास कहते हैं।

भारतवर्षकी भौगोलिक एव सामाजिक नवीनताएँ सर्वथा स्पष्ट हैं। यदि ये नवीनताएँ न होतीं तो इस देशका इतिहास भी इतना तूफानी न हुआ होता। हिन्दुस्तान शायद कभी भी एक स्रष्टवद्ध राजनीतिक राष्ट्र नहीं रहा। हिन्दुओंकी राष्ट्रीय एकताका आधार हमेशासे ही धर्म रहा है। राजनीतिक राष्ट्रीयताका विकास होना तो अभी हालसे आरम्भ हुआ है, खासतौरसे यूरोपियनोंके निकट सम्पर्कमें आनेसे। लेकिन आज भी हिन्दुस्तानकी राष्ट्रीयताकी नब्ज राजनीतिकी अपेक्षा धर्ममें ही अधिक गतिशील पाई जाती है। हिन्दू जनसमूहने तो राजनीतिमें कभी विशेष दिलचस्पी ली ही नहीं। किन्तु हरेक हिन्दू बच्चेको सस्कृतका यह अमर वाक्य आज भी याद है कि—“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी!” यानी माता और मातृभूमि स्वर्गसे भी अधिक श्रेष्ठ है। २० सौ मील लम्बे और १९ सौ मील चौड़े, इतने बड़े विस्तृत देशमें हिन्दुओंकी सार्वभौमिकता और उनके कृत्रिय विचारों एव आदर्शोंके विस्तारको देखकर विदेशियोंको उलम्बनमें पड़ जाना पड़ता है। हिन्दुस्तान विद्यामें शायद ससारके सब देशोंसे पिछड़ा हुआ है और इस देशकी ८० फीसदी जनता शहरोंमें नहीं, बल्कि देहातोंमें आबाद है। आधुनिक यातायातके साधनोंका अभाव भी कम नहीं है। फिर भी पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तसे लेकर

आसाम तक और हिमालयसे लेकर कुमारी अन्तरीप तक हिन्दुओंके धार्मिक आदर्शोंमें बहुत-सी समानताये पायी जाती हैं। यही हिन्दुओंकी धार्मिक राष्ट्रीयता (Religious Nationalism) है जो बड़े-बड़े प्रचण्ड उत्कापातों और तूफानोंके बावजूद भी अक्षुण्ण है।

राजनीतिक राष्ट्रीयताका जामा तो हिन्दुस्तान अब पहन रहा है और इसे एक शक्तिशाली राजनीतिक राष्ट्र बनानेकी प्रचल चेष्टायें की जा रही हैं ; जिसके मार्गमें सकीर्ण साम्प्रदायिकता पहाड़ बनकर खड़ी है। सांस्कृतिक एकताके होते हुए भी हिन्दुस्तान सदैव टुकड़ोंमें बटा रहा और यही कारण है कि विदेशी आक्रमणकारियोंके मार्गको कभी सगठित होकर रोका नहीं गया। अगर ऐश्वर्यलोलुप आक्रमणकारियोंका मुकाबला इस देशके लोगोंने संगठित होकर किया होता तो इस देशकी तवारीख कुछ दूसरे ही ढंगसे लिखी गई होती। लेकिन हिन्दुओंमें जहा विदेशी हमलेका संघबद्ध होकर विरोध करनेका दुःखद अभाव रहा है, वहीं उनकी एक अपनी विशेषता भी रही है—उपेक्षा। विदेशियोंने भौतिक भारत पर शासन किया, अपनी राजसत्ता कायम की ; मगर आध्यात्मिक भारतवर्ष पर शासन करनेमें वे कभी भी सफल नहीं हुए। विदेशियोंके प्रति भारतवासियोंकी उपेक्षापूर्ण दृढ़ताने सदा उनका साथ दिया। विजेता आये और तलवारके धल पर शासन करने लगे। वे न्यूनाधिक समय तक भारतवासियों पर राजनीतिक शासन करते रहे। परन्तु यह एक अचरजकी बात है कि उनका शासन कभी सतहके नीचे तक नहीं पहुँचा, भारतीयोंकी पुरस्ता सस्कृतिमें वे कभी कोई मौलिक परिवर्तन नहीं कर सके। अकबर जैसे एक-दो शासकोंने हिन्दुस्तानकी सभ्यता एवं सस्कृतिमें बुनियादी तबदीली करनेकी कोशिश भी की, मगर वे कामयाब नहीं हुए। यूनानी आये और लूट तथा कत्लआम करके वापस चले गये। हुए

और शक आये और यहींपर बस गये और आर्योंने उन्हें अपना लिया । भारतवर्षकी आत्मापर उनका बहुत कम असर पड़ा । अरबके रेगिस्तानसे उठे हुए इस्लामके जिस प्रचण्ड बवण्डरने मिस्र, फारस, टर्की और अफ्रीका तथा यूरोपके कुछ हिस्सोंको एकही चोटमें सोलह आने जीत लिया और वहाके लोगोंसे अपना सिक्का तथा रुतवा मनवा लिया वही इस्लाम भारतवर्षपर लग-भग आठ सदियोंतक शासन करके भी, उसे चार आनेसे अधिक प्रभावित न कर सका । भारतवासियोंकी इसी जीवन शक्तिको अनुलक्ष करके लार्ड मेस्टनने 'नेशनहुड फार इण्डिया' नामक अपनी पुस्तकमें लिखा है—“X X X the ordeal of the continued Muslim invasion was such as probably no other religion in the world but Hinduism would have survived” अर्थात्—“सिलसिलेवार मुस्लिम आक्रमणकी अभि-परीक्षामें हिन्दू-धर्मके सिवा शायद ससारका और कोई दूसरा धर्म अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता था ।”

मुसलमानोंने काफी लम्बे असें तक हिन्दुस्तानपर हुकूमत की मगर भारत-वासियोंका धर्म, उनका ठोस सामाजिक सङ्गठन, वेवभूषा और रस्म-रिवाज वही रहा । उसमें कोई उल्लेखनीय फर्क नहीं आया । जातिका बाहरी ल्वास तो बदल गया, इसमें शक नहीं मगर उसकी रूहानी पोशाकमें कोई भारी रद्दोबदल नहीं हुआ । यही वजह है कि विजेता आये और चले गये किन्तु भारतवासी उसी अनस्थायी जीवित रहे और जब योद्धा-सा मौका मिला, ऊपरी दवाव कुछ हल्ला हुआ तो उनके शाश्वत जागरणमें देर न लगी । इस देशके लोगोंमें कुछ ऐसी हठीली जीवन-शक्ति है कि वह कुम्भमयकी चोटों, भस्मवातके प्रचण्ड झोंकों और नैतिक जुल्मके धपेड़ोंको सदियोंतक पदांशत करके भी जिन्दा रहती आई है—कमी मरी नहीं । 'Eternal vigilance is the price of

liberty,' यानी 'शाश्वत जागरण स्वतन्त्रताका मूल्य है।' अगर यह दुनियाकी किसी जातिके लिये सच है तो वह हिन्दुस्तानकी हिन्दू जाति है। भारतवासियोंकी इस प्रबल जीवन-शक्तिको देखकर ही एक विदेशी कवि कहा उठा था .—

"The East bowed low before the West—

In patient deep disdain ;

She let the legions thunder past—

And plunged into thought again !"

“पूरब यानी भारतवर्ष, विदेशसे आये हुए तूफानके सामने नतमस्तक हो जाता है , किन्तु उसके मस्तक झुकानेमे धैर्य एव गहरी उपेक्षाका भाव सञ्चित रहता है। तूफानी लड़कर सिर परसे गुजर जाती है और वह फिर अपने ध्यानमें लीन हो जाता है।”

जो देश लगभग एक हजार वर्षके आक्रमणों और विदेशी हुकूमतोंके बाद भी अपने पुराने रूपमें फिरसे जागृत हो सकता है उसमें कोई विशेष जीवन-शक्ति अवश्य होनी चाहिये। जिस देशकी आत्मा—स्त्रिट—इतने विकराल आघातोंको सहकर भी मरी नहीं उसमें कोई खासियत जरूर है। तभी तो महाकवि इकबालने बड़े नाजके साथ गाया है कि—‘कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहा हमारा।’ भारतने आज जागरणकी करवट ली है और सिर उठाया है तो फिर उसी पुराने ठाटमे, वही सादगी और वही भारतीयता—विलकुल बेजोड़ ! न तो इस्लामकी तलवार ही भारतकी आत्माको कुचल सकी और न ईसाइयतकी कूटनीति ही इसे रौंद सकी। आज हिन्दू और मुस्लिम सस्कृतिके मेलसे, पश्चिमी पोशाक पहनकर जो एक नयी राष्ट्रीयता पैदा हो रही है वह तलवार और प्रचारका

असर नहीं है। वह भारतका एक ऐतिहासिक एव स्वाभाविक विकास है।

इतने प्रचण्ड आक्रमणोंके बाद, अगर कोई दूसरी सस्कृति हुई होती तो उसका आज कहीं पता न चलता। 'यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गये जहासे, लेकिन अभी है बाकी नामोनिशा हमारा !' भारतीय सस्कृतिमें यह खूबी है कि वह झुकती तो जल्द है मगर टूटती नहीं। एक लचीली (Elastic) वस्तुकी तरह—ठीक स्वरके मानिन्द, ऊपरी बोझसे और खींचातानीसे वह दब तो जाती है, सकुचित हो जाती है और कभी फ़ैल भी जाती है मगर दबाव हटते ही वह अपने मौलिक रूपमें आ जाती है। जो भी विदेशी हिन्दुस्तानमें आये उन्हें बड़ी कोमल किन्तु कराल सस्कृतिसे वास्ता पड़ा। हिन्दू सस्कृतिका मूल सिद्धान्त है—'जिओ और जीवित रहने दो !'

२

हिन्दू और मुसलमान

इस बातपर तो संसारके सभी इतिहासकार एक मत हैं कि हिन्दुस्तानमें सर्व प्रथम हिन्दू जाति आई और उसने देशका अपना बतन बनाया। हिन्दू अपनी सभ्यता, सस्कृति एवं फिलासफीके लिये सारे संसारमें बहुत पहलेसे ही प्रसिद्ध हैं। अंग्रेजीमें तो यह एक कहावत-सी हो गयी है कि— 'जहां पश्चिमी तत्त्वज्ञानका अन्त हो जाता है वहासे पूरबी तत्त्वज्ञानकी शुरुआत होती है।' हिन्दुस्तानकी सभ्यता एवं सस्कृति तथा हिन्दुओंकी उदारता, सहन-शीलता एवं उनके 'बौद्धिक विकास (Intellectual development) की तो उन प्राचीन यात्रियोंने मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है जिन्हें पुराने जमानेमें, जो भारतका सुनहला युग था, इस देशका भ्रमण करनेका अवसर मिला था। चूआन चांग नामक महान चीनी यात्रीने लिखा है कि— "हिन्दुस्तान ऐसे पवित्र एवं ज्ञान-सम्पन्न आदिमियोंका देश है जो लोगोंको अच्छीसे अच्छी शिक्षा देकर उनके अज्ञानान्धकारको दूर करते हैं। जिस तरह चांद बिना किसी भेदभावके संसारको अपनी स्निग्ध-ज्योत्स्ना प्रदान करता है उसी तरह भारतके विद्वान समूचे विश्वके लोगोंको शिक्षा देनेके लिये तत्पर रहते हैं।

इसीलिये तो भारतवर्षको 'इन्दु' कहा जाता है। हिन्दुस्तानको चाद इसलिये कहा जाता है कि वह दुनियाके दूसरे देशोंसे कहीं अधिक महान और विरिष्ठ है। जिस तरह रात्रिके समय नीलाकाशके प्रशस्त अचलपर हीरकरण्डसे जगमगाते हुए नक्षत्रोंमें चन्द्रमा सबसे बड़ा नक्षत्र जान पड़ता है उसी तरह भारतवर्ष भी ससारके अनेक देशोंमें सबसे महान है।" अतएव, यह सिद्ध है कि हिन्दुस्तान चन्द्रमाकी तरह सिग्ध एव शांत देश है अथवा कमी रहा है।

इन्डलकिपतीने हिन्दुस्तानकी वावत अबू मशहर नामक अरबके एक मशहूर आलिमकी राय उद्धृतकी है जो ८८५ मे हिन्दुस्तानकी यात्रा करने आये थे। अबू मशहरने यहासे वापस जानेपर यह मत प्रकट किया था कि— "हिन्दुस्तानके राजे फिलासफर होते हैं, क्योंकि विज्ञानसे वे बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। दुनियाके तमाम देश हिन्दुस्तानियोंको ज्ञानका पोषक, न्यायका स्रोत और नेकीका नमूना समझते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान चूकि हमारे देशसे बहुत बूर है इसलिये हिन्दुस्तानियोंकी वावत हमारी जानकारी बहुत सुख्तसर है।"

हिन्दू बड़े धर्मभीरु होते हैं और उनकी धार्मिकता जग जाहिर है। जो उनके धर्मको छेड़ता है उससे वे नफरत करते हैं। लेकिन हिन्दू धर्मकी उदारता उसकी सबसे बड़ी खूबी है। अपने धार्मिक मामलोंमें छेड़-छाड़ करनेवालोंकी ज्यादतीको भी वे धर्दास्त कर लेते हैं किन्तु उपेक्षाजनित भावसे। हिन्दुओंके यद्यपि अनेक देवता और अनेक धर्मशास्त्र हैं मगर किसी देवताकी पूजा किये बिना और किसी धर्मशास्त्रको माने बिना भी एक हिन्दू, हिन्दू रह सकता है। हिन्दू धर्मकी गोदमें आस्तिक और नास्तिकके लिये समान अधिकार एव समान स्थान प्राप्त है। हिन्दू धर्म मूर्तिपूजामे भी विश्वास करता है और नहीं भी करता। हिन्दू धर्म ईश्वरकी एकता और अनेकता दोनों मानता है।

पूर्णताको प्राप्त हो जानेपर हिन्दू धर्मके अनुसार ईश्वर और व्यक्तिमें कोई अन्तर नहीं रह जाता। दोनों मिलकर एक हो जाते हैं—अहमद्वय।

अब हम मुसलमानोंके इस्लाम धर्मपर आते हैं। जो लोग इस्लामको बल प्रयोगका सबसे बड़ा हिमायती कहते हैं वे गल्ती करते हैं। इस्लाम दान्तिका उपायक है। इस्लामके द्वाब्दिक अर्थ हैं—(१) शान्ति (२) शान्ति प्राप्त करनेका पथ प्रदर्शक और (३) अधीनता। यह 'अधीनता' शब्द किसी व्यक्ति विशेषकी अधीनता स्वीकार करनेका योक्तक नहीं है बल्कि इस अधीनताका अर्थ है—ईश्वरकी इच्छाके सामने आत्म-समर्पण कर देना, अल्लाह के रथर अपनी हस्तीको मिटा देना। इस्लाम अपने मुरीदोंको सबकु देता है कि वह शान्तिसे रहें और सबसे सुहृद्व्यत करें। शरियतके अनुसार 'मुसलमानोंके लिये ऐसी चन्द हिदायतें हैं जिनका पालन हरेक मुसलमानके लिये लाजिमी है। इस्लामके पाच स्तम्भ हैं—(१) अल्लाहमें और उम्मे दूत पैगम्बर मोहम्मदमें यकीन करना (२) नमाज पढ़ना (३) रोजा रखना (४) गरीबों और अपाहिजोंको दान देना तथा (५) हज करना। इस्लामके हरेक अनुयायीको इसका पालन करना अनिवार्य है।

जो लोग यह कहते हैं कि इस्लाम गैरमुसलमानोंके साथ दया दिखाना जानता ही नहीं और मुसलमानोंके सिवा सबको अपनी तलवारके घाट उतार देता है उन्हें हजरत अबू बकरकी इन नसीहतोंपर गौर करना चाहिये। सीरियापर आक्रमण करते समय जैदके लड़के ओ' सामाको हजरत अबू बकरने यह नसीहत दी थी कि—“जङ्गके मैदानमें जब तुम अपने दुश्मनोंका मुकाबला करना तो अपनेको सच्चा और बफादार मुसलमान साबित करनेसे न चूकना। अगर खुदा तुम्हें फतह हासिल करे तो उस फतहयाबीका नाजायज फायदा न उठाना। जो लोग शिकस्त खाकर तुम्हारे सामने झुक जाय उनका खून तेरी तल-

वारमे न लगने पाये । अपने दुश्मनोंके बच्चों, औरतों और बूढ़ोंको छूना तक नहीं, उनपर रहम करना । दुश्मनकी जमीनसे कूच करते समय खजूर और अन्य फल देनेवाले दरख्तोंको काटना नहीं, जमीनकी पैदावारको बर्बाद न करना, आबादी को फूँकना नहीं और दुश्मनके भण्डारोंसे उतना ही सामान लेना जितनेकी तुम्हें जरूरत हो । आवश्यकतासे अधिक बर्बादी न होने पाये । जो लोग कैद हो जाय या तुम्हारी शरणमें आ जाय उनके साथ दया दिखाना, जिस तरह कि तुन अल्लाकी दया व हुआ चाहते हो । दुश्मनके साथकी जानेवाली सन्धियों और शर्तोंमें कोई दगा, फरेब या मक्कारी न करना । तुम्हारा आचरण और तुम्हारी शर्तें विलकुल साफ हों । अपने अहदपर हमेशा कायम रहना । साधु, सन्यासी, तपस्वी और वैरागीको कभी परेशान न करना—उनके घरों और पूजा-पाठ करनेकी जगहोंको नष्ट न करना ।”

ऊपरकी नसीहतोंसे साफ जाहिर है कि इस्लाम बेगुनाहोंपर जुल्म ढानेकी सलाह नहीं देता । इस्लामकी तलवार हमेशा उसीके खिलाफ उठी है जिसने उससे टकर लिया है । हजरत मोहम्मदने अपने सिपहसालार खलीदको कहा था कि— ‘औरतों और मजदूरोंको कभी न मारना ।’ लेकिन तवारीखके पन्ने इस बातके गवाह हैं कि इस्लामकी इन सारी हिदायतोंके बावजूद भी दूसरे देशों और दूसरी जातियोंपर मुस्लिम सिपहसालारों और विजेताओंने कैसे-कैसे जुल्म ढाये हैं और किस प्रकार गैरमुसलमानोंको काफिर कह कर उनके खूनसे अपनी तलवारोकी प्यास बुझायी है—उनके रक्तसे अपना हाथ रगा है । मगर यह बात केवल मुसलमान विजेताओंके सम्बन्धमें ही सच नहीं है, ससारके सभी देशों एव मजहबोंके विजेताओंने विजितोंपर अत्याचार किये हैं । हिन्दू जाति और ईसाई जातिके इतिहासमें भी ऐसे उदाहरणोंकी कमी नहीं है । निर्फ रग बदल दिया गया है । किसी जातिने मजहबके नामपर रक्तपात किया

है, किसीने राज्य विस्तार और ऐश्वर्यलिप्साके नामपर खूनकी होली खेली है।

दुनियाके सभी धर्मोंके दुनियादी उसूल प्रायः एक-से हैं। प्रत्येक धर्मके मौलिक सिद्धान्तोंमें समानता पाई जाती है। लेकिन उसूलोंको अमली जामा पहनाना आसान नहीं है। ससारकी विजयोन्मत्त जातियोंने अपनी जातिके धार्मिक उसूलोंको ठुकरा कर ही आक्रमण किया है और घरातलको अपने तथा दूसरेके रक्तसे लाल कर दिया है और फिर इन आक्रमणोंको धर्म, मजहब तथा आदर्शका जामा पहनाकर पाक-साफ बननेका दावा भी किया गया है। धर्म और मजहबके नाम पर ससारमें अनेक लड़ाई-झगड़े, रक्तपात और हत्याकाण्ड किये गये हैं और आज भी किये जा रहे हैं। ससारका वायुमण्डल झूठे धर्म और मजहबके कुत्सित पचड़ोंसे अगर मुक्त होता तो समाजका दृश्य ही कुछ और हुआ होता। मुसलमानोंने धर्मके नाम पर अनेक युद्ध किये हैं, इसमें शक नहीं। मगर इसी धर्म और सम्प्रदायके नाम पर हिन्दुस्तानमें, विदेशी आक्रमणोंके पूर्व, शैव, वैष्णव, बौद्ध और ब्राह्मणोंमें जो रोमाञ्चकारी हत्याकाण्ड हुए हैं उन्हें भी तो मुलाया नहीं जा सकता। यदि हम इतिहासके पन्नों पर नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि जो यूरोप और अमेरिका आज अपनेको सभ्य कहनेका दम भरते हैं और हिन्दुस्तानमें आये दिन होनेवाले साम्प्रदायिक दंगोंके कारण हिन्दुस्तानियोंको आजादीके अयोग्य करार देते हैं उनके ही देशोंमें धर्म और मजहबके नाम पर कितने भीषण नरसंहार हुए हैं। यहा हम सिर्फ एक इङ्गलैण्डका उदाहरण देंगे। सन् १५५५ ई० में, जबकि इङ्गलैण्ड पर मेरीका शासन था, उस समय टेम्स नदीके निर्मल जलके स्थान पर रक्तकी उदधि धारा प्रवाहित हो चली थी। मेरी 'कैथोलिक' थी—वह ईसाई धर्मके पुराने उसूलों और आदर्शोंको माननेवाली थी; इसलिये परिवर्तनवादी 'प्रोटेस्टेण्टों' को धर्मद्रोही समझती थी। बस फिर क्या था।

लथर, राजसे, फेरार, क्रैनमर, वैटियर तथा रिडले आदि जितने भी देशके प्रमुख प्रोटेस्टेण्ट महात्मा थे, उन्हें मेरीने धधकती हुई अग्निमें घास-फूसकी तरह झोंकवा दिया। वे निर्दोष, निरपराध महात्मा भभकती हुई लम्पट लपटोंमें जलकर राख होगये, मेरी खड़ी मुस्कुराती रही। मजहबकी रक्षा करनेवाली महारानी मेरीके इन अत्याचारोंके कारण इ गलैण्डमे तीसवर्षीय और शतवर्षीय युद्ध हुए थे और निरन्तर सौ वर्षोंतक इ गलैण्डमे तलवारें चमकती रही थीं।

हिन्दुस्तान पर मुसलमानोंका पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिमने ७११ ई० में सिंध पर किया। उसने मजहबका जोश देकर अपनी पल्टन तैयार की थी और उसका मकसद हिन्दुस्तानमें लूट-पाट करना था। मुस्लिम सौदागरों और यात्रियोंकी जवानी वह भारतके धन-वैभवका किस्ता सुन चुका था। उसने ब्राह्मणोंको, जिन्हें हिन्दुओंमें धर्मगुरुका पद प्राप्त है, कत्ल किया और मंदिरों तथा देवाल्योंको तोड़कर उनमें आग लगा दी। इसके बाद महमूद गजनी, मुहम्मद गोरी और जितने भी अन्य आक्रमणकारी हिन्दुस्तानमें आये सबोंने मनचाही लूट-पाटकी तथा हिन्दुओंके धार्मिक स्थानोंको नष्ट-भ्रष्ट किया। इन मुस्लिम आक्रमणकारियोंका उद्देश्य हिन्दुस्तानमें बसकर शासन करना नहीं था। इनका उद्देश्य तो लूट-पाट करना और मालामाल होकर लौट जाना था। अलाउद्दीन खिलजी शायद पहला मुसलमान था, जिसने समूचे हिन्दुस्तान पर विजय पानेका अभियान आरम्भ किया। उसने दक्षिण भारतपर हमला किया। इसके बाद तुगलक राजवंशका शासन कायम हुआ और फिरोजशाहने हिन्दुओंको मुसलमान बनानेका जोरदार प्रयास किया। उसने यह फरमान निकाला कि जो हिन्दू इस्लाम-धर्म कबूल करेगा उसे जजिया करसे मुक्त कर दिया जायगा। अभी तक ब्राह्मणोंसे जजिया कर नहीं लिया जाता था। फिरोजशाहने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया और ऐसा करने में

उसका यह विश्वास काम कर रहा था कि चूँकि हिन्दूधर्मकी कुछी ब्राह्मणोंके हाथोंमें है इसलिये ब्राह्मणों पर अगर दबाव पड़ेगा तो इस्लामके विस्तारमें आसानी होगी। १५२६ में मुगल साम्राज्यकी नींव पड़ी और अकबरने उसे शक्तिशाली बनाया। अकबरकी नीति हिन्दुओंसे मिल-जुलकर शासन करनेकी रही। उसने व्यक्तिगत धार्मिक मामलोंमें हस्तक्षेप नहीं किया। उसकी यह नीति बड़ी कारगर साबित हुई। उसमें धार्मिक सहिष्णुता थी और वह सब धर्मोंका आदर करता था। उसके पुत्र जहांगीर और पोते शाहजहाने भी अकबरकी ही नीति अख्तियार की और उनका शासनकाल अपेक्षाकृत अमन-चैनसे बीता। मगर औरङ्गजेबने, जो अपनी धार्मिक कट्टरता और हठधर्मी (Bigotry) के लिये मशहूर था, मुगल साम्राज्यकी पुष्ता नींवको हिला दिया और उसकी हिन्दू विरोधी नीतिके कारण ही मुगल साम्राज्यका क्षय हो गया। उसने अपने दुराचरण और धार्मिक उन्मादसे हिन्दुओंको क्षुब्ध कर दिया। शिवाजीने हिन्दू विद्रोहका झण्डा उठाया और औरङ्गजेबको परेशान कर दिया। शिवाजीने हिन्दुओंमें मुस्लिम शासनके खिलाफ एक नया जागरण पैदा किया और दक्षिण भारतमें मराठा राज्यतक कायम कर दिया। मुगल साम्राज्य ध्वस हो चला।

अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि—थोड़ेसे मुसलमानोंने इतने बड़े देशपर हमला करके किस तरह विजय प्राप्त कर ली? उत्तर स्पष्ट है। भारतीय समान अनेक टुकड़ोंमें विभक्त था। सगठन और सहयोगका अभाव था। छोटे-छोटे हिन्दू राजे आपसमें डाह और ईर्ष्याकी ज्वालामें जल-भुन रहे थे। उधर सघन आक्रमणकारियोंमें यह जोश भरा गया था कि वे काफ़िरोंपर हमला कर रहे हैं जो कि उनका धर्म है। इस धार्मिक उन्मादसे उन्हें और भी बल मिला। संक्षेपमें उनकी विजयका यही रहस्य है।

३

अलगावकी भावना



हिन्दुस्तानमें मुसलमानोंकी जनसख्या लगभग नौ करोड़ है। ससारके किसी भी एक देशमें मुसलमानोंकी सख्या इतनी नहीं है जितनी अकेले हिन्दुस्तानमें है। टर्की, अरब और फारसमें मिलाकर जितने मुसलमान बसते हैं उससे अकेले बंगालमें उनकी सख्या ज्यादा है। यद्यपि हिन्दुस्तानके प्रत्येक भागमें मुसलमान आबाद हैं मगर पंजाब, बंगाल, सिंध और सीमाप्रान्तमें वे बहुसख्यामें हैं। भारतीय रियासतोंमें हिन्दुओंकी सख्या अधिक है। किन्तु यह एक बड़ी दिलचस्प बात है कि काश्मीर, जो कि एक मुस्लिम प्रधान रियासत है वहाका शासक हिन्दू है और निजाम हैदराबादका शासक मुसलमान हैं, जबकि वहा हिन्दू बहुसख्यामें हैं।

सामाजिक दृष्टिसे हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच बड़ी चौड़ी खाई है। दोनों जातियोंकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बिल्कुल भिन्न है। बहुत लम्बे असें तक हिन्दुओं तथा मुसलमानोंका अपना स्वतन्त्र इतिहास रहा है—ऐसा ज्वलत इतिहास जिस पर दोनों कौमोंको स्वाभाविक गर्व है। हिन्दुस्तानके धरातल पर दोनों जातिया मिलीं और दोनोंने अपने इतिहासकी परिभाषा

अलग-अलग दृष्टिकोणसे की। ऐतिहासिक समन्वयकी चेष्टा कभी नहीं की गई। दोनों जातियोंके साम्प्रदायिक नेताओं एव विचारकोंने, दोनों जातियोंके मेलसे भारतीय राष्ट्रीयताका भवन निर्माण करनेकी कोशिश भी कभी नहीं की। दोनों जातियोंको हमेशा अलग रखा गया जिससे पड़ोसी होते हुए भी बन्धुत्वकी भावनाका विकास नहीं हो पाया। शहरों और कस्बोंमें रहनेवाले हिन्दू तथा मुसलमान अपने अलग मुहल्ले बनाकर रहते हैं। कामकाजके समय बाजारों, सड़कों और कारखानोंमें दोनों जातियोंके लोग मिलकर काम तो करते हैं मगर छुट्टीके समय अपने-अपने मुहल्लोंको लौट जाते हैं, जहा वे एक तरहकी ऐसी राहत महसूस करते हैं जैसे गैरोंके सम्पर्कसे हटकर अपने आदमियोंके बीच पहुंच गये हों। इस प्रश्न पर 'पोलिटिकल इण्डिया' नामक पुस्तकमें सर थियोडोर मोरीसनने लिखा है कि—

"The Hindus and Muslims who inhabit one village, one town, or even one district belong to two separate nations, more distinct and farther asunder than two European nations. France and Germany are to Europeans, the standard example of enemy nations, and yet a young Frenchman may go to Germany for business or study, he may take up his residence with a German family, share their meals and go with them to the same place of worship × × × No Muslim can live on such terms in a Hindu family."

अर्थात्—'हिन्दू और मुसलमान, जो एक गाव या एक शहर या एक निल्लेमें आबाद होते हैं—उनमें, दो यूरोपियन देशोंके लोगोंकी अपेक्षा अधिक अलगाव होता है और आत्मिक या मानसिक दृष्टिसे तो वे एक दूसरेसे बहुत दूर होते हैं। यूरोपियनोंके लिये फ्रांस और जर्मनीका स्तवा दो शत्रु देशोंका-सा

है। फिर भी एक तरुण फ्रेंचमैन कारोबार अथवा अध्ययनके लिये जर्मनी जा सकता है, एक जर्मन परिवारके साथ रह सकता, स्नानपानमें उनके साथ शामिल हो सकता और उनके साथ एक ही पूजापाठके स्थानपर जाकर पूजापाठ कर सकता है। मगर एक मुसलमान किसी एक हिन्दू परिवारके साथ इस तरह नहीं रह सकता। सर मोरीसनकी इन बातोंमें, हमें मानना पड़ता है, सचाईका काफी अंश है। लेकिन इसकी एक वजह भी है। प्रायः समस्त यूरोपियन देशोंका धर्म और उनकी सस्कृति एक है। राजनीतिक मतभेदोंके होते हुए भी उनमें धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता पायी जाती है। उन लोगोंमें रोटी-बेटीका सम्बन्ध है। लेकिन एक दृष्टी या मुसलमान या जापानी अथवा हिन्दूके साथ यूरोपके लोग उतनीही एकता एवं आजादीके साथ नहीं रह सकते जिस तरह एक फ्रेंच-तरुण एक जर्मन परिवारमें जाकर रहता और खाता-पीता है। यूरोपवालोंमें रगभेदकी बीमारी कम नहीं है। अमेरिकामें हन्चियोंकी जो दुर्गति की जाती है वह किसीसे छिपी नहीं है और यूरोपमें यहूदियोंके साथ जो बर्ताव होता है उसे देख-सुनकर मानवता भी सिहर उठती है। फिर भी भारतके हिन्दुओं और मुसलमानोंके धारोंमें सर थियोडोर मोरीसनने जो राय जाहिर की है उसे अफसोसके साथ माननेसे हम इन्कार नहीं कर सकते।

हिन्दुस्तानके एक प्रमुख मुसलमान सर अब्दुरहीमने भी इस अन्तरको बड़े स्पष्ट शब्दोंमें रखा है। उनका कहना है कि—

“Any of us Indian Muslims travelling, for instance, in Afghanistan, Persia and Central Asia among Chinese Muslims, Arabs and Turks, would at once be made at home and would not find any thing to which we are not accustomed. On the

contrary, in India we find ourselves in all social matters total aliens when we cross the streets and enter that part of the town where our Hindu fellow townsmen live." यानी— कोई भी भारतीय मुसलमान, मिसालके लिये, जब अफगानिस्तान, फारस और मध्य-एशियामें चीनी मुसलमानों, अरबों और तुर्कोंके बीच भ्रमण करता है तो उसे कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जिसका अभ्यस्त वह न हो, और फौरन वह महसूस करने लगता है मानो अपने गाँव-घरमें हो। लेकिन इसके ठीक विपरीत हिन्दुस्तानमें, जब हम सड़कें पार करके शहरके उस मोहल्लेमें दाखिल होते हैं जहाँ हमारे हिन्दू नगरवासी निवास करते हैं तो हम अपनेको समस्त सामाजिक मामलोंमें बिल्कुल विदेशी पाते हैं।" जो बात सर रहीमने मुसलमानोंके लिये कही है वही बात हिन्दुओंके लिये भी है। एक हिन्दू भी मुस्लिम मोहल्लेमें अपनेको विदेशी पाता है और मुसलमान तो हिन्दूके हाथ का पानी भी पी लेता है मगर हिन्दू मुसलमानके हाथका पानी तक नहीं पीता। स्टेशनों पर हिन्दू और मुस्लिम पानी तथा हिन्दू और मुस्लिम चायकी आवाज सुनकर किस हिन्दुस्तानीको डुरा न होगा। आजका शिक्षित-वर्ग दोनों कौमोंके बीच पैदा की गयी इस खाई को पाटनेके लिये व्याकुल है। दरअसल, हमारी प्रगतिके मार्गमें यह अन्तर बड़ा बाधक हो रहा है। हमारी राष्ट्रीयताके मार्गमें इन अन्तरोंसे बहुत बड़ी अड़चनें पैदा हो रही हैं जिसे हिन्दुस्तानकी भलाई चाहनेवाला प्रत्येक समझदार हिन्दू और मुसलमान दिलसे महसूस करता है। बहुत सी साम्प्रदायिक तनातनी तो अशिक्षित हिन्दुओं और अपढ मुसलमानोंकी इन नासमन्तियोंके कारण हैं।

४

यह विष वृत्त ।

भारत वर्षकी स्वाधीनता चाहनेवालोंको आज 'जिस विकट साम्प्रदायिक समस्याका सामना करना पड़ रहा है यह एक आधुनिक समस्या है। इसका जन्म अभी हालमें ही हुआ है। हिन्दू, मुसलमान, बुद्ध, जैन, पारसी, सिख और ईसाई इस देशमें सदियोंसे आबाद हैं। जबसे यहाके धरातलपर इन सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति एव सृजन हुआ है तबसे ही इस देशमें तथाकथित धार्मिक एव जातीय विभेद जारी हैं। किन्तु, इन विभेदोंके बावजूदभी भारत-वासियोंके सामने कभी ऐसी जटिल समस्या उत्पन्न नहीं हुई है जैसी कि आज उपस्थित है। शामिल उद्देश्य (Common object) के कार्यमें प्राय सभी सम्प्रदायोंके भारतवासी सदैव सहयोग करते रहें हैं। यूरोप तथा अमेरिकाके बहुत पहले हिन्दुस्तानके लोगोंने धार्मिक सहिष्णुताकी समझदारीको महसूस किया था। हिन्दू धर्म तो सहिष्णुताका मूर्तिमान स्वरूप है और यही वजह है कि हिन्दू जाति अभी तक जीवित है। भारतके अन्य सम्प्रदायोंमें यदि कोई कुटिल अदृश्य शक्ति उन्हें जबरन उकसाये नहीं तो, सहनशीलताकी भाव काफी मौजूद है। आज साम्प्रदायिकताका, अकिस्यतका खौफनाक

जान हमारे सामने अट्टहास कर रहा है इसका कारण एक वह अदृश्य शक्ति है जो अपने लाभके लिये हमें बेवकूफ बनाकर कठपुतलीकी तरह नचा रही है और हम विला समझे वृक्ष, व्यक्तिगत एवं जातिगत स्वार्थीके सुच्छ नाम पर ससारके सामने अपनी नफरत भरी नासमझीका भद्दा इजहार दे रहे हैं। अगर हम भारतके अतीत पर निगाह डालें तो हमें मालूम होगा कि भौर्य एवं शुभ साम्राज्यके जमानेमें, जिसे हम भारतका सुनहला-युग कह सकते हैं, धार्मिक एवं जातीय मतभेदोंका कहीं नामोनिशान नहीं था हालांकि विभिन्न सम्प्रदाय उस समय भी मौजूद थे।

सापेक्षिक भारतीय राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय संगठनका विचार भी नया है। ऐतिहासिक दृष्टिसे यह सच है कि हिन्दुस्तान जैसे एक विशाल देशको एक राजसत्ताके अधीन करनेकी चेष्टायें की गयी थीं। परन्तु उन चेष्टाओं एवं प्रयासोंके मूलमें साम्राज्यवादी भावना काम कर रही थी। देशके विभिन्न भागों को जीतकर एक राजसत्ताके अधीन करनेके लिये व्यक्तिगत विजेताओंकी ओरसे ही ये बेअसर कोशिशें की गयी थीं। किसी भी देशका शासन सुचारु रूपसे संचालित नहीं किया जा सकता जब तक कोई एक दृढ केन्द्रीय सत्ता न हो। प्रायः सभी अंग्रेज राजनीतिज्ञों और विद्वानोंकी जवान व कलमसे हम यही कहते सुनते हैं कि भारतमें राष्ट्रीयताका बीजारोपण अंग्रेजोंने किया है जो कि भारतको ब्रिटिश शासनकी एक बहुत बड़ी देन (Gift) समझनी चाहिये। लेकिन जब हम अंग्रेजी सत्तनतके इस दावेपर गौर करते हैं तो हमें इसी नतीजेपर पहुँचना पड़ता है कि भारतमें राष्ट्रीय भावनाका विकास इस ख्यालसे नहीं किया गया कि इससे भारतीयोंको लाभ पहुँचे बल्कि इस मकसदसे किया गया कि समूचे भारतपर शासन करने और शान्ति एवं व्यवस्था कायम रख सकनेमें ब्रिटिश-सरकारकी कठिनाइया दूर हों—उसे

हुकूमत करनेमें मुद्दिकलोंका सामना न करना पड़े । यदि कांग्रेसका जन्म देनेमें भारतके वायसराय लार्ड डफरिन और कुछ उदारचेता अंग्रेज अफमरोंका हाथ था तो महज शासनकी सुविधा ही इसका कारण था । कांग्रेस अगर आज स्वराज्यका दावा कर रही है और समस्त भारतको एक राष्ट्रीयताके सूत्रमें बाधनेके लिये सचेष्ट और प्रयत्नशील है तो इसकी वजह अंग्रेजी सत्तनतकी उदारता नहीं है बल्कि ससारके विभिन्न देशोंमें स्वाधीनताके लिये किये गये संघर्षकी प्रतिक्रिया है । लार्ड डफरिनको जब यह मालूम हुआ कि कांग्रेसकी शक्ति ब्रिटिश शासनके लिये आगे चलकर खतरनाक साबित होगी तो फौरन कांग्रेसके प्रति अपना पहलेका रूप बदल दिया । लार्ड डफरिनने ही सर्वप्रथम हिन्दू-मुसलमानका सवाल खड़ा किया और दो राष्ट्रोंकी थ्योरीको जन्म दिया । उन्होंने अपनी एक जहरीली तक्रीरमें फरमाया था कि—“× × ×

But perhaps the most patent characteristic of our Indian cosmos is its division into two mighty political communities as distinct from each other as the poles asunder in their religious faith, their historical antecedents, their Social organization and their natural aptitudes, on the one hand the Hindus numbering 190 millions with their polytheistic beliefs, their temples adorned with images and idols, their veneration for the sacred cow, their elaborate caste distinctions and their habits of submission to successive conquerors—on the other hand, the Mohammedans, a nation of 50 millions with their monotheism, their iconoclastic fanaticism, their animal sacrifices, their social equality and their remembrance of the days when enthroned at Delhi they reigned supreme from the

Himalayas to cape Comorin" अर्थात्—“लेकिन हमारी भारतीय दुनियाका शायद सबसे स्पष्ट चरित्र उसकी दो शक्तिशाली राजनीतिक जातियों के विभाजनमें सन्निहित है। इन दोनों जातियोंके धार्मिक विश्वास, उनके पूर्वगत इतिहास, उनके सामाजिक संगठन और उनकी स्वामाविक योग्यतामें दो ध्रुवोंका सा अन्तर है। एक ओर १९० करोड़ हिन्दू हैं जो अनेक देवताओंमें विश्वास करते हैं, जो अपने मन्दिरोंको मूर्तियों और प्रतिमाओंसे सजाते हैं, जो गायको पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं जिनमें जबर्दस्त वर्णभेद है और जो क्रमानुगत विजेताओंकी अधीनता स्वीकार करनेके अभ्यस्त हैं। दूसरी तरफ ५ करोड़ मुसलमानोंकी एक राय है जो एक ईश्वरवादी हैं, जो मूर्तिनाशक हैं, जो पशु (गाय) की कुर्बानी करते हैं, जिनमें सामाजिक समानता है और जो उन गुजरे हुए दिनोंकी याद किया करते हैं जब वे दिल्ली के तख्त पर बैठ कर हिमालयसे कुमारी अन्तरीप तकका शासन करते थे— इतने बड़े देशके प्रधान शासक थे।” P220.

भारतकी दो प्रधान जातियों, हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच इस तरह का भेद डालकर लार्ड डफरिनने पहले-पहल इस देशकी उपजाऊ जमीनमें साम्प्रदायिकताका विषैला बीज डाला जिसे लार्ड मिण्टोने अपनी भेद नीतिसे सींचकर बढ़ा किया और अब ब्रिटेनके कूटनीतिज्ञ उसे हरा भरा रखकर उसकी छायामें शासनकी थकान मिटाया करते हैं—परेशानियोंसे राहत लेते हैं।

हमारे कहनेका मतलब यह है कि भारतको एक राष्ट्र बनानेकी कोशिश कभी किसीने नहीं की। भारतीय जनसमूहमें सन्निहित सहृदय होनेकी उत्कट भावना एवं शक्तिको विकसित करनेकी वास्तविक चेष्टा की ही नहीं गयी। मौर्य एवं शुभ साम्राज्य एवं मुगल साम्राज्यका विस्तार प्रायः समूचे भारतपर हो गया था मगर इन साम्राज्योंको भी भारतका एक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र

बनानेमें सफलता नहीं मिली । इसकी खास वजह यही है कि जिन आधारभूत सिद्धान्तोंपर राष्ट्रीयताकी आलीशान इमारत खड़ी की जाती है उन सिद्धान्तोंको यहा कभी एक स्वरसे स्वीकार ही नहीं किया गया और न इस आधारपर कभी कोशिश ही की गयी । मुगल साम्राज्यका पतन होते ही मराठोंने सिर उठया । एक तरफ मुगल साम्राज्यका दुम्नता हुआ चिराग टिमटिमा रहा था और उसकी धुन्धली रोशनीमें मुसलमानोंको अपने उस विशाल साम्राज्यके भव्य-भवनकी खिसकती हुई ईंटें दिखायी पड़ रही थीं जिसे औरङ्गजेबने बिल्कुल कमजोर बना दिया था । और दूसरी तरफ मराठोंका यह विश्वास था कि वे हिन्दू और हिन्दुत्वके नामपर फिरसे हिन्दू साम्राज्य कायम करेंगे और पतनोन्मुख मुसलमानोंको खैबर-दर्रेके उस पार खदेड़ कर ही दम लेंगे । लेकिन उनका ख्याव ख्याव ही रहा । मुगल साम्राज्यकी कमर टूट चुकी थी और शिवाजीके मरते ही मराठोंका स्वप्न आपसी कलहके कारण काफूर हो गया । इसी बीच सौदागरके रूपमें अंग्रेजोंने भारतमें प्रवेश किया और उन्हें अपना राज्य कायम करनेका मुभाफिक मौका मिला । अंग्रेज विजेताओंने एक नये सिरेसे भारतीयोंमें राष्ट्रीयताका प्रचार करनेकी चेष्टा शुरू की ।

यहा यह बात याद रखने की है कि हिन्दुस्तानसे साम्राज्यकी भावना कभी लुप्त नहीं हुई । प्राचीन कालके साम्राज्यवादी विजेता सबसे अपनी सत्ता मनवानेकी गरजसे वे सिर्फ दूसरे धर्मोंके ही लोगोंपर आक्रमण करते थे बल्कि स्वधर्मियोंसे भी युद्ध करनेमें उन्हें कोई सकोच नहीं होता था । हिन्दू राजे हिन्दू राजाओंसे लोहा किया करते थे और मुसलमान बादशाह या सिप-हसालार, गैर मुसलमानोंकी ही तरह मुसलमानोंपर भी आक्रमण किया करते थे । मुगल साम्राज्यका आखिरी बादशाह औरङ्गजेबने बीजापुर और गोलकुण्डा जैसी उस समयकी मुस्लिम रियासतोंपर आक्रमण किया और जीत कर अपने

साम्राज्यमें मिला लिया। औरङ्गजेबकी तलवार जिस तरह राजपूतों और मराठों के खिलाफ उठती थी उसी तरह हम-मजहब मुसलमानोंपर भी अपनी तलवार खींचनेसे वह कभी बाज नहीं आया। अपने सहोदर भाइयोंका खून करनेमें जिसे रहम न आया तो वह और क्या नहीं कर सकता ? कहनेका मतलब यह कि एक साम्राज्यवादीके लिये स्वधर्म और स्वजातिकी कोई वकत नहीं होती। वह अपने धर्म और अपने मजहबके लोगोंका खून बहाकर भी अपना साम्राज्य कायम करता है। इसलिये भारतके कुछ मजहब परस्त नेताओंका जो यह ख्याल है कि देशमें एक धर्म, एक जाति और एक मजहबके लोगोंका क्षेत्र कायम हो जानेसे आपसी मारकाट और आपसी कलहका अन्त हो जायेगा वे जवर्दस्त भूल करते हैं। इस ऋगढ़ेका अन्त तो धार्मिक एकतासे हो ही नहीं सकता, इसके अन्त होनेका सिर्फ एक ही मार्ग है और वह है—सामाजिक एवं आर्थिक समानता !

५

‘विभाजन और शासन !’



फूट डालकर शासन करनेकी नीति शायद राजनीति-शास्त्रका एक बहुत बड़ा अङ्ग है। किसी भी विजेताके लिये विजितोंमें फूट डालना और फिर उनका मनचाहा शोषण करते रहना एक अतीत कालीन नियम है। यह एक ब्रह्मास्त्र है जिसे प्रत्येक शासक अपने पास रखता है। साम्राज्यवादके अनेक उसूलोंमें एक बड़ा पुर-असर उसूल है। तवारीखके पन्ने इसकी शहादत करते हैं—दुनियाके लोग इसके कायल हैं। अगर भारतवर्षमें अंग्रेज शासकोंने इस नीतिको, अपनी हुकूमतकी जड़ मजबूत करनेके लिये, अख्तियार किया है तो इसके लिये वे दोषी नहीं हैं। दोषी तो दरअसल हम हैं जो इस विकराल नीतिके शिकार होकर गुलामीकी चोलीको दामनसे लगाये फिर रहे हैं। कुछ प्रलोभन देकर, लालच दिखाकर, चन्द टुकड़े फेंककर शासितोंको परस्पर विभाजित कर देना और फिर पूरे इतमीनानके साथ अपना बने रहना, उनकी शक्तिको छिन्न-भिन्न रखना ताकि सङ्घर्ष होकर पराधीनताके खिलाफसे कोई प्रभावशाली आवाज न उठा सकें, उन्हें फिरकों, दलों और वर्गोंमें बाट देना और फिर यह कहकर उनपर कयामत तब हुकूमत करते रहना कि अगर एक

जोरदार श्वाभन नही रहेगा जो इन परस्पर विभाजित एव छिन्न-भिन्न दलोंके हितोंपर नजर रखे तो ये अलग-अलग लड़ाकू फिरके आपसमें मारकाट और रक्तपात क्रिया करेंगे जिससे देशकी शान्ति एवं व्यवस्था खतरेमें पड़ जायगी, साम्राज्यवादका बड़ा तीखा और जवर्दस्त शत्रु है। अंग्रेजोंने यह सबक रोमन-साम्राज्यवादियोंसे ली है और बदनसीध हिन्दुस्तानकी जरखेज जमीनपर चारों ओर इस विपैले घेजकी घे दिया जो आज लहलहाता हुआ हरा-भरा पौदा बनकर तैयार है। भारत अपनी ऐतिहासिक फूटके लिये काफी मशहूर है। यहाँ विभिन्न जातियों, धर्मों एव सम्प्रदायोंके लोग रहते हैं। ऐसे लोगोंको थोड़ेसे भड़का देना आसान काम है। अब मैं ‘विभाजन एव शासन’ की ब्रिटिश नीतिके बारेमें चन्द मिसालें देकर यह साबित करनेकी कोशिश करूँगा कि भारतमें इस जहरीले तुस्मको किस तरह बोया, पनपाया और हरा भरा क्रिया गया। १४ अगस्त १९४० को पार्लियामेण्टके हाउस आफ कामन्समें भारत सचिव मि० एल० एस० एमरीने अपने भाषणके दौरानमें कहा था कि—‘भारतको ब्रिटिश शासनकी देनेके लिये हम अंग्रेजोंको अभिमान है।’ अगर फूट और बँटकी ही मि० एमरी भारतको ब्रिटिश शासनकी अभूत पूर्व देन (Gift) समझते हैं और इसके लिये उन्हें तथा उन सरीखे अंग्रेज राजनीतिज्ञोंको गर्व है तो हम उनके इस गर्वको वाजिब और ठीक समझते हैं। सन् १८२१ ई० में मई महीनेके ‘एशियाटिकजर्नल’ के अकमें एक अंग्रेज राजनीतिज्ञने लिखा था कि—“*Divide et impera* should be the motto of our Indian administration whether political Civil or Military.” यानी—“हमारी राजनीतिक मुल्की और फौजी तीनों किस्मकी भारतीय शासन-नीतिका उसूल ‘फूट डालो और शासन करो’ होना चाहिये।”

स्वर्गीय पंजाबकेसरी लाला लाजपतरायने ठीक ही कहा था कि—
 “प्रत्येक साम्राज्यवादी शासनका आधार फूट डालकर शासन करना होता है ।
 ब्रिटिश शासन भी भारतवर्षमें सदैव इसी नीतिसे काम लेता रहा है ।” भारत-
 में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी व्यवस्था करनेवाले विधायकोंमें मि० माले
 (बादमें लार्ड माले) एक प्रमुख व्यक्ति समझे जाते हैं । इन्हीं माले साहबने
 कामन्स सभामें भाषण देते हुए एक बार कहा था—“हिन्दुओं और मुसलमानों-
 का भेद प्राकृतिक (Natural) है । उनके जीवनमें, उनके लिबासमें, उनके
 इतिहासमें, उनके सामाजिक व्यवहारमें तथा उनके धार्मिक विचारोंमें गहरा भेद
 है । इस भिन्नताका लाभ ब्रिटिश शासनको अवश्य उठाना चाहिये ।” साम्रा-
 ज्यवादी अग्नेज राजनीतिज्ञोंका सदासे ही यह ख्याल रहा है कि—‘हिन्दुस्तान
 में विरोधी धर्मोंका होना विदेशी आधिपत्यके लिये बड़ा सुविधाजनक है ।’

ब्रिटेनके प्रधानमंत्रीकी हैसियतसे ‘साम्प्रदायिक निर्णय’ का ऐलान करने
 वाले मि० रैमजे मेकडानेल्ड, ब्रिटिश कट्टरपथियोंके चगुलमें पड़कर प्रतिक्रिया-
 गामी होनेके पहले साम्यवादी खयालतोंके एक मशहूर राजनीतिज्ञ थे । अपने
 उन्हीं विकासके दिनोंमें वे भारत-भ्रमण करने आये हुए थे । उनका उद्देश्य
 भारतकी समस्याओंका निकटसे अध्ययन करना था । इ गलैण्ड वापस जाने पर
 ‘भारतका जागरण’ (Awakening of India) नामक उन्होंने एक प्रसिद्ध
 पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने भारतको स्वभाग्य-निर्णयका अधिकार पानेका
 जोरदार शब्दोंमें समर्थन किया । इसी पुस्तकमें ब्रिटिश कूटनीतिज्ञोंकी खोटी
 नीतिसे मुझलाकर उन्होंने लिखा है कि:—“ : .. सरकारकी ओरसे
 भारतके लोगोंमें कटुता एव वैमनस्य पैदा किया जाता है । कतिपय ब्रिटिश
 अधिकारी मुस्लिम नेताओंको भड़काते हैं और स्वयं शिमला अथवा लद्दनमें
 बैठकर परदेके पीछेसे डोरी खींचा करते हैं और मुसलमानोंका पक्ष ग्रहणकर

उन्हें कुछ खास रियायतें देकर हिन्दुओं तथा मुसलमानोंमें फूटके बीज बोते हैं—उनमें ईर्ष्या और डाह पैदा करते हैं।” ये शब्द एक ऐसे प्रसिद्ध अंग्रेज-के दिलसे निकले थे जो अपनी जिन्दगीके अन्तिम दिनोंमें स्वयं धृणित नीति-का शिकार होगया था और साम्प्रदायिक निर्णयकी घोषणा की थी।

‘विभाजन एवं शासन’ अथवा ‘डिवाइड एण्ड रूल’ की ब्रिटिश नीतिके सम्बन्धमें अनेक नजीरें और सबूत दिये जा सकते हैं—अलगसे एक ग्रन्थकी रचना की जा सकती है। लेकिन मैं उतने विस्तारमें नहीं जाना चाहता। इस सिलसिलेमें माले-मिण्टो पत्र व्यवहार काफ़ी दिलचस्प होगा। ब्रिटिश सरकारकी इस विघातक भारतीय नीति पर लेडी मिण्टोकी डायरीके कुछ पृष्ठोंसे काफ़ी रोशनी पड़ती है। १९०५-०६ ई० के जाड़ेके दिनोंमें जार्ज पञ्चमने प्रिंस आफ वेल्सकी हैसियतसे भारतकी यात्रा की थी। १९०६ ई० के वसतमें हिन्दुस्तानसे धूम-फिर कर वे इंग्लैण्ड वापस चले गये और हिन्दुस्तानकी कतिपय समस्याका कुछ अनुभव भी साथ लेते गये। १९०६ ई० की ११ मईको तत्कालीन भारत सचिव लार्ड मालेने लार्ड मिण्टोके पास, जो उस समय भारतके वायसराय थे, एक पत्र भेजा। उक्त पत्रमें लार्ड मालेने लिखा था कि:—..... कल प्रिंस आफ वेल्ससे मैंने काफ़ी असें तक बातचीत की थी। इस वार्तालापके दौरानमें उन्होंने उन बातोंका बड़ा दिलचस्प वर्णन किया जो भारत-भ्रमणसे उन्हें मालूम हुई हैं और जिन बातोंका उन पर बड़ा असर पड़ा है। भारतीय परिस्थितिका जो अध्ययन उन्होंने किया है उसकी कुजी यही है कि अगर हमारे शासक जरा विस्तृत सहानुभूति प्रदर्शित करते तो भारतीयोंके साथ हमारा रिश्ता बड़ा अच्छा हुआ होता। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका भी जिक्र किया है जो कि बड़ी तेजीके साथ एक शक्तिशाली सस्था होती जा रही है। बहुत दिनोंसे मेरा अपना निजी ख्याल भी यही है

और इस पदपर आनेसे तो मेरे उस ख्यालकी और भी तसदीक होती है कि कांग्रेसकी बढ़ती हुई ताकत हमारे भलेके लिये है या बुरेके लिये, इसका फैसला करना हम लोगों पर ही निर्भर है। कांग्रेसकी ताकत बढ़ रही है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। फिर इसे चाहे हम पसन्द करें या नापसन्द!" स्पष्ट है कि कांग्रेसकी बढ़ती हुई ताकतको ब्रिटिश साम्राज्यवादी शुरुसे अपने शासनके लिये खतरनाक समझते आ रहे हैं। अन्ततोगत्वा कांग्रेसके मार्गमें रोड़े अटकाना वे अपना फर्ज समझते हैं।

लार्ड मालेके उपर्युक्त पत्रका उत्तर लार्ड मिण्टोने २८ मई १९०६ ई० को दिया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि:—“X X X जहातक कांग्रेसका प्रश्न है, उसका आन्दोलन विलकुल राजद्रोहपूर्ण है और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि भविष्यके लिये वह घातक है। आप देशी भाषाके अटवाराँके अवतरणोंको देखें तो उनका स्वर और उनकी आवाज अधिकतर राजद्रोह पूर्ण है। इधर कुछ दिनोंसे कांग्रेसका प्रतिद्वन्दी खड़ा करनेके प्रयत्नपर मैं बहुत अधिक सोचा करता हूँ।” इसी समय लार्ड कर्जनके प्राइवेट सेक्रेटरी सर वाल्टर लॉरेस, ‘टाइम्स’ के सम्वाददाता सर वाल्लेनटाइन शिरोल, सर सिडनी ला तथा कई अन्य प्रतिष्ठित एंग्लो-इण्डियनोंने भी ब्रिटिश साम्राज्यके वफादार और स्वयंभू रक्षक बनकर लार्ड माले और लार्ड मिण्टोके विचारोंका जोरदार समर्थन किया तथा कांग्रेसके विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया गया और हिन्दू-मुस्लिम विद्वेषकी आग प्रज्ज्वलित की जाने लगी।

१९०६ ई० की १९ जूनको लार्ड मालेने लार्ड मिण्टोको फिर एक खत लिखा। इस खतमें आपने लिखा था कि—“X X X हरेक आदमी हमें यही चेतावनी दे रहा है कि हिन्दुस्तानमें एक नयी भावनाका जागरण एव विस्तार हो रहा है। लॉरेस, शीरोल, सिडनी ला आदि सब एक यही गीत

गाते हैं कि—'एक ही नीति और जोषमें तुम अपना हुक्मत जारी नहीं रख सकते । आपको अब कांग्रेससे पाला पड़ा है । याद रखिये, अधिक वक्त गुजरनेके पहले ही सारे मुसलमान आपके खिलाफ कांग्रेसमें शामिल हो जायेंगे ।' मैं नहीं समझता कि यह वाक्या कहांतक सच होगा ।' लार्ड मिण्टोने २७ जूनको लार्ड माल्लेके पत्रका जो उत्तर दिया था उससे जाहिर होता है कि— कांग्रेसके 'उतरे' को वे समझते हैं और उससे सचेत हैं । वे कांग्रेसकी बढती हुई ताकतको मजूर और मददसूस करते हैं जिससे उन्हें पाला पड़ा है और जिम्मे नेताओंका उन्हें मुकाबला करना होगा ।

इसके पश्चात् जो घटनाएँ घटीं और जो कूटनीतिक चालें चली गयीं वे उल्लेखनीय हैं । चन्द्र महीनोंके भीतर ही सर आगा खाके नेतृत्वमें मुसलमानोंका एक डेपूटेशन लार्ड मिण्टोसे मिला और १ अक्टूबर १९०६ ई० को शिमलामें लार्ड मिण्टोको एक मान पत्र भेंट किया गया । उस मानपत्रमें लिखा गया था कि—'मुस्लिम सम्प्रदायका प्रतिनिधित्व ब्रह्मसियत एक सम्प्रदायके होना चाहिये । मुसलमानोंकी हैसियतका अन्दाज महज उनके सख्य बलपर नहीं लगाना चाहिये बल्कि उनके राजनीतिक महत्वपर और साम्राज्यके प्रति की गयी उनकी सेवाओं और वफादारियोंपर ध्यान देना चाहिये ।' इस मानपत्रका जो उत्तर लार्ड मिण्टोने उस समय दिया था उसे प्रत्येक अंग्रेज साम्राज्यवादी आजतक दुहराया करता है । लार्ड मिण्टोने अपने जवाबमें कहा था कि—'मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ । मैं इस बातका कायल हूँ और मुझे यकीन है कि आप भी मेरी इस बातके कायल होंगे कि इस महाद्वीप जैसे देशकी आबादीमें शामिल विभिन्न जातियोंके विश्वासों एव परम्पराओंकी अपेक्षा करके हिन्दुस्तानमें यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधित्वकी प्रणाली प्रचलित की जायगी और लोगोंको मताधिकार प्रदान किया जायगा तो वह बड़ा नुक-

सान पहुचानेवाला होगा और उसकी नाकामयाबी निश्चित है। विशाल भारतीय जन समूहको प्रतिनिधि मूलक सस्थाके निर्माणका कोई इल्म नहीं है। मुसलमानोंको मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हू कि जिस किसी भी शासन-व्यवस्थाके निर्माण अथवा पुनःसङ्गठनसे मेरा ताल्लुक होगा उसमें मुसलमानोंके राजनीतिक अधिकार और स्वार्थ, एक सम्प्रदायके नाते, सुरक्षित रखा जायगा।” माले-मिष्टो शासन-सुधारकी योजना आयी और साथमें साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वका जहरील उसूल अमलमें लाया गया।

सर आगाखा कौन हैं और ब्रिटिश साम्राज्यवादके वे कितने बड़े वफादार तथा हिमायती हैं इसको जानकारो भारतकी राजनीतिक हलचलोंसे जरा भी सन्बन्ध रखनेवालोंको जरूर होगी। मिश्रके एक प्रभावशाली अरबी अखबारने एक बार सर आगाखाको हिन्दुस्तानकी एक सबसे बड़ी धीमारी, लिखा था। वर्तमान टर्कीके जनक स्वर्गीय मुस्तफा कमाल पाशाकी भी कुछ ऐसी ही राय थी। १९२३ ई० के अन्तमें भारत सचिवकी कौंसिलके सदस्य अमीर अली खा और सर आगाखाने टर्कीके वजीर आजमके पास अग्नेजीमें एक खत भेजा था। टर्कीके खलीफाके ये अन्तिम दिन थे। उक्त पत्रमें इन लोगोंने टर्कीकी सरकारको यह सलाह दी थी कि—“निर्वाचित प्रतिनिधियोंकी शक्ति कम करनेको हम नहीं कहते मगर खलीफाकी शक्ति मुसलमानोंके मजहबी मुखियाके रूपमें शरियतके मुताबिक अक्षुण्य रखी जाय।” इस धर्मान्धतापूर्ण सलाहपर रायजनी करते हुए मुस्तफा कमाल पाशाने कहा था—“आगा खा अग्नेजोंका खास करिन्दा है और उसके जरिये अग्नेजोंने टर्कीको कमजोर बनाने की यह एक नयी चाल चली है।” टर्कीमें सर आगाखाकी दाल नहीं गली। टर्कीके प्रजातन्त्रने खिलाफतको—मजहबी गद्दीको उठा देनेका निश्चय किया। ४ मार्च १९२४ को खलीफाको गद्दीसे उतार कर निर्वासित कर दिया गया।

उसी दिन टर्कीके मन्त्रिमण्डलसे धर्माधिकारपद, तमाम मजहबी मकतब और काजियोंकी कचहरियां हमेशाके लिये उध दी गयीं ।

लेडी मिण्टोकी डायरीके पन्नोंको उलटनेसे ब्रिटिश कूटनीतिकी और भी अनेक बातोंका पता चलता है । शिमलामें मुस्लिम नेता नवाब मोहसिन-उल-मुल्ककी वफातपर अपनी समवेदना प्रकट करते हुए वे लिखती हैं कि—हालके मुस्लिम डेपुटेशनकी बात उन्होंने ही सुनायी थी । लेडी मिण्टोने लिखा है कि १ अक्टूबर १९०६ ई० की शामको लार्ड मिण्टोको एक अंग्रेज अफसरका पत्र मिला था जिसमें उक्त अफसरने लिखा था कि—“मैं आपको बड़ी खुशी के साथ बताना चाहता हू कि आज एक बहुत बड़ी घटना घटी है । यह एक ऐसा राजनीतिज्ञतापूर्ण कार्य हुआ है जिसका असर भारत और भारतके इतिहासपर अनेक लम्बे वर्षोंतक पड़ेगा । यह ६ करोड़ २० लाखकी आबादीके लोगोंको (मुसलमानोंको) राजद्रोहियोंके गुटके अलग रखनेका कार्य है ।” भारतके विधानमें मुसलमानोंका साम्प्रदायिक दर्जा स्वीकार किये जानेसे प्रत्येक अंग्रेज साम्राज्यवादीको खुशी हुई है क्योंकि इससे साम्राज्यवादकी जड़ मजबूत होती है । लार्ड-मिण्टोने मुसलमानोंको खुश रखनेकी अपनी चालमें कोई कसर उठा नहीं रखी । लार्ड मालेने अपने एक पत्रमें बड़े प्राकृतिक ढगसे मुसलमानोंको—‘दुइजके चांदनी सन्तान’ (Sons of the crescent) लिखा था और उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी । लेकिन यह सब महज चापलूसी थी ताकि मुसलमान अपने देशकी आजादीके लिये काग्रेसमें न मिलें और सदा अपना अलग दावा पेश करते रहें ताकि भारतकी एकतामें व्याघात पड़ता रहे । लेकिन समझदार और बतन परस्त मुसलमानोंपर ब्रिटिश कूटनीतिज्ञोंकी इस चापलूसीका कुछ भी असर नहीं पड़ा । मुसलमान हमेशासे ही आजादीकी लड़ाईमें साथ रहे हैं और आज भी हैं । कुछ मजहब परस्त और तंगदिल

व दिमागके मुसलमानोंको गुमराह करनेमें अग्रेज कूटनीतिज्ञोंको सफलता मिली है। लेकिन जब मुसलमानोंकी मागें बढ़ने लगीं तो ब्रिटिश राज-नीतिज्ञ भी परेशान हो गये और आगे चलकर स्वयं लार्ड मिण्टोने यह महसूस किया था कि साम्प्रदायिक मुसलमानोंको खुश करनेकी दिशामें हम बहुत आगे बढ़ गये हैं और समझदारीका तकाजा है कि इस नीतिको—मुसलमानोंको खुश करनेकी नीतिको यहीं त्याग देना ही उचित होगा। आज तो साम्प्रदायिक मुस्लिम-नेता भी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी माले-मिण्टो योजनाकी आलोचना करते देखे जा रहे हैं और मुसलमानोंके लिये उसे हानिकारक बताते हैं। २६ जुलाई १९४० को ष्वेटामे ब्रिचिस्तान प्रान्तीय मुस्लिम लीगके अधिवेशनमें अध्यक्षकी हैसियतसे बोलते हुए अ० भा० मुस्लिम लीगके मंत्री नवाबजादा लियाकत अली खाने कहा था कि—‘माले-मिण्टो योजनाके व्यवस्थापिका सभाओंमें साम्प्रदायिक बहुमत एव अल्पमतका स्थायी तौर पर निर्माण कर दिया है। इस सिद्धान्तके अनुसार मुसलमान हमेशा अल्पमतमें और हिन्दू हमेशा बहुमतमें बने रहेंगे। मुसलमानोंको यह सिद्धान्त पसन्द नहीं है। हिन्दुस्तानमें हिन्दुओंका अन्ध राष्ट्र है और मुसलमानोंका राष्ट्र हिन्दुओंसे विलकुल अलग है। हिन्दू और मुसलमान सम्मिलित रूपसे एक राष्ट्रका निर्माण नहीं करते। अतएव, मुसलमान अपना पृथक राष्ट्र—पाकिस्तानकी स्थापना करेंगे और अपने राष्ट्रमें बहुमतमें रहेंगे।’ लार्ड माले और लार्ड मिण्टोने जिस राष्ट्रीयता विरोधी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वका सूत्रपात्र किया था उससे हमारी राष्ट्रीय उलम्हनोंके साथ ही साथ अग्रेजोंकी उलम्हने भी बढ़ी हैं और समझदार ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इस स्थितिको अब महसूस करते हैं।

हिन्दुओं और मुसलमानोंको सदा दो दलोंमें विभक्त रखनेके लिये ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंने उन चंष्टाओं पर भी हड़ताल फेरी है जो एकताकी दिशामें समय-समय पर की गयी है। ३० दिसम्बर १९३५ ई० को पूनामें अ० भा० हिन्दू महासभाके अध्यक्ष पदसे भाषण देते हुए महामना प० भदन मोहनजी मालवीयने बड़े खेदके साथ कहा था कि—“इलाहाबादमें ‘मौलाना शौकतअलीसे मिलकर मैंने जो ‘एकता सम्मेलन’ किया था उसके विफल हो जानेका मुझे बड़ा दुःख है। हमारी इस एकता सम्बन्धी चंष्टाओंको अंग्रेज राजनीतिज्ञोंने अपनी भलाईके लिये विफल किया है। हम मुसलमानों को ३२ फी सदी प्रतिनिधित्व देनेको तैयार हो गये थे। मगर भारत सचिव मर सेमुएल हीरने मुसलमानोंको ३३। फी सदी प्रतिनिधित्व देनेका वादा किया और इस तरह हमारी एकताकी चंष्टाको उन्होंने अपनी विघातक कूटनीति के द्वारा नष्ट कर दिया। यह बड़े आश्चर्यकी बात मालूम होती है कि एक ओर तो अंग्रेज राजनीतिज्ञ यह शिकायत करते हैं कि चूंकि भारतीयोंमें साम्प्रदायिक एकता एव सहिष्णुता नहीं है इसलिये वे आजादी पानेके काबिल नहीं हैं और दूसरी ओर जब हम अपनी साम्प्रदायिक समस्याओंको हल करनेकी कोशिशें करते हैं तो ये ही ब्रिटिश राजनीतिज्ञ बीचमें दखल देकर हमारी सारी कोशिशोंको बेकार कर देते हैं।” मालवीयजीकी यह उक्ति अक्षरशः सत्य है। आज भी ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हमारी एकताके मार्गमें सबसे बड़े बाधक हो रहे हैं। वे साम्प्रदायिक नेताओंको अनुचित प्रोत्साहन देकर हमारी समस्याओंको जटिलतर बनाया करते हैं। हमारे शासकोंकी यह हरकतें किमीसे छिपी नहीं हैं।

जिस प्रकार दिन और रात दुनियाको अलग-अलग रंगोंसे चित्रित कर देते हैं उसी प्रकार कुछ दुस्साहसी व्यक्ति रात्रिके अन्धकारका रूप वारण कर

मानवके कर्तव्य और सदबुद्धिके प्रकाशको ढक देना चाहते हैं। मानवी दुष्ट-वृत्तियोंको जहा जोर मारनेका अवसर मिलता है वहा वे मर्यादाके समस्त शाश्वत बबनोंको तोड़कर ससार पर खम्रासकी सृष्टि करना चाहती हैं और एक क्षणके लिये यह आभास पैदा कर देती हैं मानों दुनियामें सत्य एव शिवका कोई ज्ञाता ही न रहा। ससारका इतिहास ऐसे उदाहरणोंके काले पन्नोंसे भरा हुआ है और हमारा आजका इतिहास फिर उसी असत् चित्रणमें लीन हो रहा है। हमारे देशके कुछ साम्प्रदायिक नेता अपनी कारगुजारियोंसे उस सुनहले भविष्य पर परदा डालनेकी चेष्टामें लीन हैं जिसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। इनके कार्यों से ब्रिटिश अधिकारियोंको यह कहनेका बहाना मिल रहा है कि ब्रिटिश सरकार अगर भारतको स्वाधीन कर देती है तो भारतमें अराजकता फैल जायगी और यहाके लोगोंका जान व माल खतरेमें पड़ जायगा। ७ अगस्त १९४० को भारतकी राजनीतिक परिस्थितिके सम्बन्धमें ब्रिटिश सरकारकी ओरसे वायसराय लार्ड लिनलिथगोने जो घोषणा की थी उसमें भी उन्होंने देशकी साम्प्रदायिक उलमलोंका जिक्र करते हुए कहा था कि—*It goes without saying that they (British government) could not contemplate the transfer of their responsibility for the peace and welfare of India to any system of government whose authority is directly denied by large and powerful elements of India's national life Nor could they be parties to the coercion of such elements into submission to such a government*” यानी—“कहनेकी जरूरत नहीं कि ब्रिटिश सरकार भारतकी शांति एव कल्याणके लिये अपनी जिम्मेदारियोंको किसी ऐसी हुकूमतके हाथोंमें सौंपनेका विचार भी नहीं कर सकती, जिसके अधिकारको भारतके राष्ट्रीय जीवनके महान् और शक्तिशाली वर्ग प्रत्यक्षरूपमें अस्वीकार करते हों, और न

तो वह ऐसे बगौं पर इस प्रकारकी सरकारकी सत्ता स्वीकार कर लेनेके लिये दबाव डालनेको ही तैयार हो सकती है।” यह कहकर वायसरायने अल्प-संख्यकोंके नाम पर स्वराज्यके मार्गमें रोड़े अटकानेवालों और साम्राज्यवादियोंके इशारे पर नाचनेवाले प्रतिक्रियावादी नेताओंको प्रोत्साहित किया है। वायसरायकी इस घोषणासे साम्प्रदायिक नेता और भी ऊधम मचायेंगे और कांग्रेसके खिलाफ तरह-तरहकी बेबुनियादी शिकायतें करेंगे।

वायसरायके इस ऐलान पर हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्ड्समें जो वाद-विवाद हुए उन वाद-विवादोंमें भी मुसलमानोंको काफी भड़काया गया और मुसलिमलीगको बड़ा गौरमुनासिब महत्व दिया गया। भारत सचिव मि० एमरीने अपने वक्तव्यमें कहा कि—कांग्रेसका भारतकी ओरसे बोलनेका दावा भारतके पेचीले राष्ट्रीय जीवनके बहुत महत्वपूर्ण तत्वों द्वारा एकदम अस्वीकार किया गया है। इन तत्वोंमें सबसे मुख्य वह महान मुस्लिम सम्प्रदाय है जिसके भीतर नौ करोड़ आदमी हैं और जिसका उत्तर-पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी भारतमें बहुमत है, किन्तु समस्त देशमें अल्पमतके रूपमें फैला हुआ है।” मि० एमरीकी इन्हीं बातोंसे मिलती-जुलती बात उप भारत सचिव लार्ड डेवोनशायरने हाउस आफ लार्ड्समें कही थी। उन्होंने कहा था कि—“कांग्रेसका दावा है कि वह भारतके विचारों एवं उसकी आकांक्षाओंका प्रतिनिधित्व करती है। मगर उसके इस दावेका मुस्लिमलीग धराबर ही पग-पगपर खण्डन करती आई है। मुस्लिमलीग कांग्रेसके समस्त भारतकी ओरसे बोलनेके दावेको पूर्णतया अस्वीकार करती है।” इन अवतरणोंसे स्पष्ट है कि ब्रिटिश अधिकारी यह कभी नहीं चाहते कि भारतमें एकता कायम हो और भारतकी समस्त जातिया एकस्वरसे स्वराज्यका नारा बुलन्द करें। वे हमेशा ही हिन्दुओंके खिलाफ मुसलमानोंको और मुसलमानोंके खिलाफ हिन्दुओं और सिखोंको

उभाड़ा करते हैं—उन्हें बेजा बढ़ावा देकर साम्प्रदायिक कटुताका विस्तार करते हैं। अपनी इन हरकतोंके बावजूद भी अंग्रेज राजनीतिज्ञ यह कहनेसे वाज नहीं आते कि भारतवासी अपने आपसी झगड़ेके कारण ही स्वभागत्य निर्णयके अधिकार पानेसे वंचित हैं। ब्रिटिश सरकार तो इन झगड़ोंको मिटाकर भारत-वर्षको स्वराज्य पानेकी ओर अग्रसर करनेमें प्रयत्नशील है। लेकिन यह सब घड़ियालके आसू हैं। अगर ब्रिटिश अधिकारी साम्प्रदायिक सस्थाओंको और साम्प्रदायिक नेताओंको बेजा बढ़ावा न देते रहते तो भारतवर्षसे ये साम्प्रदायिक झगड़े कभीको मिट गये होते। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ फूट डालकर शासन करनेकी नीति पर हमेशा चलते रहे हैं और भारतके सम्बन्धमें 'विभाजन एव शासन' उनका मोटो रहा है।

६

अल्पमत बनाम बहुमत



अल्पमत और बहुमतकी समस्या दुनियाके लिये नयी नहीं है। यह एक प्राचीन एव सर्वदेशीय समस्या है। हां, अर्वाचीन अल्पसंख्यक समस्या, संसारकी परिवर्तनशील परिस्थियोंके कारण कुछ अधिक दुरुह तथा जटिल जरूर हो गयी है। आधुनिक राजनीतिक परिभाषाके अनुसार उस जाति विशेष अथवा समुदाय विशेषके लिये व्यवहृत होता है जो एक विचार पूर्ण संख्यामें किसी राष्ट्रकी जन संख्याका एक अंग हो। इस विशिष्ट अल्पसंख्यक जातिके लोग प्रायः धार्मिक अथवा सांस्कृतिक विवेकके लिहाजसे एक सूत्रमें आवद्ध होते हैं, उनकी सम्यता, सामाजिकता रहन-सहन तथा आचार-विचार अक्सर एक सा होते हैं। किसी देशकी अल्पसंख्यक जाति पर उस देशकी बहुसंख्यक जातिका प्रभाव रहता है और यह स्वाभाविक भी है। अल्पसंख्यक जातियों की तरह बहुसंख्यक जातिके लोग भी धार्मिक, सांस्कृतिक एव सामाजिक एकताके सूत्रमें बँधे रहते हैं। ये अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक जातियां अपनी संस्कृति, परम्परा, धर्म एवं सामाजिक संगठनको गैरजातिके प्रभावसे अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये निरन्तर सचेष्ट रहती हैं और इसके लिये वे बड़ासे बड़ा

बड़ा बलिदान करनेसे भी नहीं हिचकतीं । किसी भी देशमें बसनेवाली विभिन्न जातियोंके भीतर जब तक राष्ट्रीय भावनाका पूर्ण विकास नहीं हो पाता और वे व्यक्तिगत अथवा जातिगत स्वार्थों को राष्ट्रीय स्वार्थमें भी लीन नहीं कर देतीं तबतक उन जातियोंमें परस्पर सघर्षका होना अनिवार्य-सा होता है । चूकि अल्पमतको बहुमतसे भय घना रहता है इस लिये उसे अपने जातिगत स्वार्थोंकी रक्षाके लिये शासन एवं व्यवस्थाकी शरण लेनी पड़ती है । इसी तरह बहुमतमें भी यह चेतना जागृत होती है कि उसके स्वाभाविक अधिकारोंमें—उन अधिकारों एवं सुविधाओंमें जो बहुमतके नाते उसे प्राप्त हैं कोई हस्तक्षेप न होने पाये और अवाधगतिसे वह अपने अधिकारोंका उपभोग करता रहे । अल्पमतके लिये बहुमतको किंचित् त्याग करना ही पड़ता है । और अगर वह त्याग नहीं करता तो उसके रुख एवं बर्तावसे अल्पमतका चौकन्ना होना अस्वाभाविक बात नहीं है । यहीसे अल्पमत एवं बहुमतका झगड़ा खड़ा होता है ।

शासन-विधानके उत्तरोत्तर विकास और राजनीतिक जागरणके समृद्ध इतिहासमें ससारके राजनीतिज्ञ इस मसले पर हमेशा ही माथापट्टी करते रहे हैं । गणतंत्र मूलक सिद्धान्तके प्रचलित होनेके पहले, जब बहुमतका निर्णय माननेकी प्रथा नहीं थी, अल्पमतकी समस्या इतनी जटिल नहीं समझी जाती थी । गणतंत्रके पूर्वका युग एकाधिकार सम्पन्न राजसत्ता, सामतशाही कुलीन-तन्त्र एवं मनसबदारी हुकूमतोंका युग था । इस युगमें अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यक पर शासन किया करता था । यह अल्प संख्यक वर्ग कुलीनता, सम्पत्ति, पौरुष, सभ्यता, जीवन एवं जातिकी तथाकथित उच्चता तथा समझदार होनेके नाम पर शासनकर्ता होनेका दावा किया करता था । उस समय राजाओंका दैवी अधिकार (Divine rights of Kings) माना जाता था

और राजे जनसाधारणपर स्वेच्छाचारितापूर्ण मनमाना शासन किया करते थे। शासन कार्यमें जनताकी आवाजका कोई मूल्य नहीं होता था ; वह राजाका अन्वभक्त होती थी। लेकिन इंग्लैंडके राजा प्रथम चार्ल्सको मारकर सर्वप्रथम ब्रिटेनने 'राजाके देवी अधिकार' का अन्त किया। इसके बाद १७८९ ई० में फ्रेंच राजक्रान्ति हुई और मतगणनाके आधारपर फ्रांसके सोलहवें लूईको फांसी देनेके पक्षमें ३६१ धौर विपक्षमें ३६० वोट पड़े थे। फलतः १ वोटके बहुमतसे उसे फांसी दे दी गई। आगे चलकर सप्सारेके अनेक विचारकोंने इस बहुमतके नाम और अधिकारको कलकित करना भी बताया है। इसके बाद जनताके नागरिक अधिकार एव धार्मिक सहिष्णुताके आधारपर गणतन्त्रका विकास आरम्भ हुआ। फ्रेंच राज्यक्रान्तिने सदियोंसे शोषित एव उत्पीड़ित जनसमूहको 'स्वतन्त्रता, समानता एव बंधुत्व' (Liberty, Equality and Fraternity) का अमर पाठ पढ़ाया। लेकिन गणतन्त्रमूलक सिद्धान्तके आधार पर शासनका सचालन आरम्भ होते ही अल्पमत एव बहुमतकी समस्या विशेष दुरुहताके साथ आ उपस्थित हुई। यूरोपमें यहूदियोंके साथ अन्याय होने लगा। कला, व्यापार एव भौतिक विज्ञानमें यहूदियोंको असाधारण उन्नति करते देखकर यूरोपके लोगोंमें जातीय घृणा एव धार्मिक असहिष्णुताके भाव जागृत हुए। यहूदी अल्पमतमें थे। इस लिये बहुसंख्यक ईसाइयोंके सन्निहित स्वार्थों की रक्षा करनेके नाम पर यहूदियोंको उनके स्वाभाविक अधिकारोंसे वंचित किया गया। लेकिन आगे चलकर यूरोपमें 'भनुष्य के अधिकार' (Right of Man) का ऐलान किया गया और यहूदियोंके साथ भी समानताका व्यवहार होने लगा। इधर रक्त एव रग भेदके नामपर नाजीवाद और फासिस्टवादका जो घूमकेतु उदय हुआ है उसके कारण यहूदियोंपर फिर जुलम होने लगे हैं। जर्मनी तथा इटलीमें यहूदियोंके

परहेज किया जाता है और उनके नागरिक अधिकार छीन लिये गये हैं ।

अटलांटिक महासागरके उस पार अमेरिकामें भी जातिगत घृणाका प्रचण्ड रूप देखनेमें आया है । वहा जाकर बसनेवाली यूरोपकी ईसाई जातियोंने अमेरिकाके मूल निवासियों तथा ह्विशियोंको अपना गुलाम बनाया और वहा भी अल्पमतके जातिगत एव मनुष्यगत अधिकारोंको बड़ी बेरहमीसे कुचला गया । यद्यपि गुलामीकी प्रथा अब मिटा दी गई है और मूल निवासियों तथा ह्विशियोंको भी नागरिक अधिकार मिल गया है तो भी अमेरिकामें ह्विशियोंके साथ होनेवाले घृणित व्यवहारोंके सनसनीखेज समाचार आज दिन भी मिला ही करते हैं । यूरोपसे अमेरिका जाकर बसनेवालोंमें पुर्तगीज, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेज और डच थे । लगभग तीन सौ वर्षतक अमेरिका महाद्वीपमें इन यूरोपीय जातियोंकी औपनिवेशिक शक्तिया प्रभुता कायम करनेके लिये आपसमें लड़ती रहीं लेकिन अन्तमें उनके झगड़े मिट गये और वे सबकी सब एकमें मिलकर अमेरिकन हो गई । आज सारा ससार उन लोगोंको पुर्तगीज, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेज या डचके नामसे नहीं बल्कि अमेरिकनके नामसे जानता और मानता है । वे पहले अमेरिकन हैं, उसके बाद और कुछ । वे अब अमेरिकाको अपना वतन और अपनेको अमेरिकाकी वफादार औलाद मानते हैं । अब वे उन देशोंको अपनी पितृभूमि एव पवित्र भूमि नहीं मानते जहासे सदियों पहले उनके पूर्वज अमेरिकामें आकर बस गये थे ।

सन् १९१८ ई० में यूरोपीय महायुद्धका अंत होने पर मध्य यूरोपमें अल्प सख्यक जातियोंका एक नया नमूना देखनेको मिला । मध्य यूरोपके दो महान साम्राज्योंका—जर्मनी और अस्ट्रिया-हंगरीका—अगच्छेद करके पोलैंड, जेकोस्लोवेकिया, जुगोस्लाविया तथा हंगरी जैसे नये राष्ट्रोंका सृजन हुआ ।

दुनियाके नक्शेपर कई नये राष्ट्रोंकी नयी सरहदें नजर आयीं। साथ ही अल्पमतका सवाल खड़ा हुआ। इन नये देशोंमें पोल, जर्मन, मगामट, जेक, स्लोवक, क्रोट, रुमानियन तथा यहूदी आदि जातियोंको एक भौगोलिक सीमाके अन्दर आबाद होना पड़ा। इन जातियोंमें काफी भिन्नतायें थीं। अतएव राष्ट्रसंघने अल्पसंख्यक जातियोंके अधिकारों एव हितोंकी रक्षाके लिये कुछ विशिष्ट नियम बना दिये और उन्हीं नियमोंके आधार पर ये अल्पमत अपने तथा पड़ोसके देशोंसे मिलकर सहयोगिताके साथ रहने लगे। आज सारे ससारमें अल्पमतकी समस्या उपस्थित है और इसे हम सिर्फ बनावटी, स्वेच्छाचारितापूर्ण एव अस्थिर समस्या कहते हैं। मानवके अधिकार एव नागरिकताके मौलिक अधिकारोंकी रक्षा करते हुए राजनीतिक एव आर्थिक समानताके आधारपर आजकी अल्पसंख्यक समस्याको सरलतासे सुलझाया जा सकता है बशर्ते कि कुछ सन्निहित स्वार्थके लोग फिजूलकी अड़चनें न पैदा करें।

यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति तथा समूह समानताके आधारपर राज्यसे संरक्षण एव सहायता पानेका अधिकारी होता है और राज्यका यह फर्ज है कि समी व्यक्तियों एव समुदायोंके साथ समानताका बर्ताव करे तो भी अल्पमतके लिये विशेष संरक्षण की भावना और भाग उस अल्पमतके लिये ही खतरेसे खाली नहीं है। जो समुदाय इस तरहका संरक्षण चाहता है उसका जोश मर जाता है, आत्म निर्भरता और आत्म विश्वासकी वह शक्ति क्षीण हो जाती है और उसे दूसरेकी दयाका सुहताज होना पड़ता है। जो अल्पमत आत्मरक्षाके लिये विशेष सुविधाएं चाहता है उसे ऐसी सुविधाओंसे लाभ तो बहुत कम होता है मगर उसके और अन्य समुदायोंके बीच एक ऐसी खाई पड़ जाती है कि संरक्षण एवं विशेष सुविधा चाहनेवाले वर्गकी प्रगतिशीलता मन्द

पड़ जाती है—उन्नति करनेका उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। उसके रास्तेमें अनेक बाधाएँ खड़ी हो जाती हैं। इसके सिवा इन सरक्षणों एव सुविधाओंका नतीजा यह होता है कि अल्पसंख्यक जातिका दृष्टिकोण सकीर्ण हो जाता है और राष्ट्रीय गतिविधियोंसे वह अपनेको अलग समझने लगती है। जनसमूहको आलोड़ित करनेवाली जीवनकी विद्युत् शक्ति उस जातिमें नहीं रह जाती। हर हालतमें सरक्षण और विशेष सुविधायें मागना और पाना, दोनों खतरनाक होता है। आजकी दुनियामें, जब कि हमारी नजरोंके सामने अनेक क्रान्तिकारी तबदीलियाँ हो रही हैं, यह ख्याल करना बहुत बड़ी भूल है कि कोई सरक्षण या विशेषाधिकार किसी जातिकी रक्षा कर सकेगा। सिर्फ समझदारी, दिमागी कूबत, सगठित कार्य, एकता और मिल्लत से ही कुछ रक्षा हो सकती है। किसी जाति विशेषके लिये सरक्षण और विशेषाधिकार मागना उस कौमकी बुजिदलीका इजहार देना है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ रायें हो सकती हैं लेकिन इस रायसे तो सभी सहमत होंगे कि सरक्षण और विशेषाधिकार वही कौम चाहेगी जो कमजोर होगी, जिसमें जिन्दगी और जोश न होगा।

भारतकी अल्पसंख्यक समस्या पर हमें ससारके अन्य देशोंके अल्पमतकी स्थितिको मद्देनजर रखकर ही तुलनात्मक दृष्टिसे विचार करना होगा। भारत की अल्पसंख्यक समस्याके सम्बन्धमें कुछ दिनों पूर्व संयुक्त प्रान्तकी कांग्रेसी सरकारके भूतपूर्व पार्लियामेण्टरी सेक्रेटरी पं० वेङ्कटेशनारायण तिवारीने 'सरस्वती' में एक विचारपूर्ण लेख लिखा था जिसका एक अक्ष मैं यहाँ उद्धृत करता हूँ। आप लिखते हैं—“ × × × × अल्पमतका सवाल है क्यों ? अंग्रेजीमें इसे 'माइनारिटी' का प्रश्न कहते हैं। उर्दूवाले 'अकिल्यत' का मसला कहते हैं। अकिल्यत, माइनारिटी और अल्पमत तीनों एक ही बातके

द्योतक हैं। हिन्दुस्तानकी अल्पताका अर्थ आजकल राजनीतिक क्षेत्रोंमें जो लगाया जाता है उसका वह अर्थ वास्तवमें है नहीं। हिन्दुस्तानमें अल्पताका निर्णय साम्प्रदायिक विभेदोंके आधार पर किया जाता है। योरपमें जाति विभेदके आधारपर किसी समुदाय विशेषको किसी दूसरे समुदाय विशेषकी तुलनामें अल्पसंख्यक समुदाय मानते हैं। जेकोस्तोवेकियामें जर्मन, पोल और हगेरियन अल्पसंख्यक थे, लेकिन उनके अल्पताकी कसौटी जातिभेद थी न कि धार्मिक भेद। जर्मनीमें अनेक सम्प्रदाय हैं। रोमन कैथलिक वहापर अल्पमतमें हैं। लेकिन जर्मनीके अन्दर रोमन कैथोलिकोंको कोई अल्पसंख्यक समुदाय विशेष नहीं मानेगा। जर्मनीके सब जर्मन जर्मन हैं, चाहे इस सम्प्रदायके माननेवाले हों, चाहे उस सम्प्रदायके। साम्प्रदायिक भेद पर नहीं बल्कि जातिभेदपर योरपमें अल्पता मानी जाती है। दुर्भाग्यवश हिन्दुस्तान में अंग्रेज शासकोंने अल्पताका अर्थ ही दूसरा लगाया है। उन्होंने जातिभेद नहीं किन्तु सम्प्रदाय भेदके आधार पर हिन्दुस्तानके निवासियोंको बहुमत और अल्पमतकी पदवी दे डाली है। यही कारण है कि आज हिन्दुस्तानके मुसलमान अपनेको हिन्दुस्तानके हिन्दुओंसे एक भिन्न जातिका कहते हैं। वास्तवमें यह बात ठीक नहीं है। बंगालके हिन्दू और मुसलमान जातिकी दृष्टिसे एक हैं, यद्यपि दोनों भिन्न-भिन्न मजहबके मानने वाले हैं। दोनोंके रहन-सहन, बोलचाल और मानसिक तथा नैतिक प्रतिक्रियाओंके व्यापार एवं सांस्कृतिक बुनियादोंमें समानता है। सिधके मुसलमानों और बंगालके मुसलमानोंमें कोई समानता (मजहबके सिवा) नहीं है।..... यदि युक्त प्रान्तके मुसलमान युक्त प्रान्तके हिन्दुओंसे, केवल इस लिये भिन्न हैं कि दोनोंके मजहब भिन्न-भिन्न हैं, तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि युक्त प्रान्त के मुसलमानोंमें—शियों और बुन्नियोंमें—भी जाति भेद है। अहमदिया

और वहाबी मुसलमानोंकी भी जाति शियों और मुन्नियोंकी जातियोंसे भिन्न माननी पड़ेगी ।”

हिन्दुस्तानकी अल्पमत समस्याका समाधान, अगर तीसरा दल हस्तक्षेप न करे तो, बड़ी सरलतासे हल हो सकता है । अल्पमतके समस्याको सबसे अधिक तूल तो गोलमेज परिषद्में दिया गया । गोलमेज परिषद् भारतके भावी शासन विधानका ढांचा तैयार करनेके लिये बुलाई गयी थी । इसी लिये अंग्रेज कूटनीतिज्ञोंने साम्प्रदायिक नेताओंको उभाड़ा और अल्पमतके समस्याको ज्यादासे ज्यादा पेचीदा बनाया । इस मसलेको हल करनेके लिये एक अल्पसंख्यक कमेटी बनाई गई । उक्त कमेटीकी एक बैठकमें भाषण देते हुए गांधीजीने कई खरी बातें पेश कीं । उन्होंने असदिग्ध भाषामें यह कहते हुए स्थितिको बिलकुल साफ कर दिया कि विभिन्न जातियोंको अपने पूरे बलके साथ अपनी अपनी माग पर जोर देनेके लिये उत्साहित किया गया है । उन्होंने पूछा कि क्या भारतीय प्रतिनिधियोंको अपने देशके ६००० मील केवल साम्प्रदायिक प्रश्न हल करनेके लिये बुलाया गया है ? गांधीजीने सर ह्यू बर्टकारकी अल्पसंख्यक जातियोंकी चुटकी लेते हुए कहा कि—सर ह्यू बर्टकार तथा उनके साथियोंको इससे जो सतोष हुआ है वह मैं उनसे न छीनूंगा लेकिन मेरे विचारमें उन्होंने जो कुछ किया है वह मुर्देका आपरेशन करनेके समान है । सरकारकी यह अल्पसंख्यक योजना उत्तरदायित्वपूर्ण शासन अथवा स्वराज्य प्राप्तिके लिये नहीं बल्कि नौकरशाहीकी सत्तामें माग लेनेके लिये ही बनाई गई है । किसी ऐसे प्रस्ताव या योजनापर, जिससे कि खुली हवामें पैदा होनेवाला आजादी और उत्तरदायी शासनका वृक्ष कभी पनप न सकेगा, अपनी स्वीकृति देनेकी अपेक्षा कांग्रेस चाहे कितने ही वर्ष जगलमें भटकना स्वीकार कर लेगी । अछूतोंको अल्पसंख्यक जाति मानने और विशेष

प्रतिनिधित्वके साथ उन्हें पृथक् निर्वाचनका अधिकार देनेके डा० अम्बेडकरके दावेका विरोध करते हुए गांधीजीने कहा था कि—“अन्य अल्पसंख्यक जातियोंके भावोंको तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अछूतोंकी ओरसे पेश किया गया दावा तो मेरे लिये सबसे अधिक निर्दय घाव है। इसका अर्थ यह हुआ कि अस्पृश्यताका कलक निरन्तर रहेगा। हम नहीं चाहते कि अछूतोंका एक पृथक् जातिके रूपमें वर्गीकरण किया जाय। सिख सदैवके लिये सिख, मुसलमान हमेशाके लिये मुसलमान और ईसाई हमेशाके लिये ईसाई रह सकते हैं, लेकिन क्या अछूत भी हमेशाके लिये अछूत रहेंगे? अस्पृश्यता जीवित रहेगी, इसकी अपेक्षा मैं यह अधिक पसन्द करूँगा कि हिन्दू धर्म ही डूब जाय। जो लोग अछूतोंके राजनीतिक अधिकारोंकी बात करते हैं वे भारतको नहीं जानते और हिन्दू जातिका निर्माण किस प्रकार हुआ है यह भी नहीं जानते। इस लिये मैं अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर भी इसका विरोध करूँगा।”

गोलमेज परिषदमें गांधीजीने अल्पसंख्यक जातियोंके समक्ष बोरा चेक तक पेश किया और साफ शब्दोंमें यह ऐलान किया कि साम्प्रदायिक नेता जो चाहें लिख दें, कांग्रेस उसे मजूर कर लेगी बशर्ते कि भारतको आजाद करनेमें वे सहायक हों। लेकिन किसी साम्प्रदायिक प्रतिनिधिने इस शर्तके साथ गांधीजीके चेकका स्वीकार नहीं किया और गांधीजीने महज एक शर्त रखकर साम्प्रदायिक प्रतिनिधियों तथा उनकी पीठ पर हाथ रखनेवाले ब्रिटिश कूटनीतिज्ञोंकी सारी पोल खोल दुनियाके पेशे नजर कर दी।

गोलमेज परिषदमें साम्प्रदायिक समस्या हल नहीं हो सकी। अल्पसंख्यक समितिका सारा परिश्रम बेकार गया। अंग्रेज राजनीतिक यही चाहते भी थे। अन्तमें प्रधानमन्त्री मि० रैमजे मैकडानल्डने इस विषयपर एक सादा सवाल किया। उन्होंने कहा कि—“क्या आप, आपसमें प्रत्येक सदस्य साम्प्रदायिक समस्याका

हल निकालने और उससे अपनेको बाधित माननेके लिये मेरे पास प्रार्थना-पत्र भेजेंगे ? हालांकि कमेटीके प्रत्येक सदस्य प्रधान मन्त्रीको पद्य माननेके लिये तैयार नहीं थे, फिर भी अगस्त १९३२ में प्रधान मन्त्रीने सम्राट्की सरकार की ओरसे 'साम्प्रदायिक निर्णय' का ऐलान किया । उस समय यह सवाल उठा था कि क्या श्वेत पत्र (White paper) में सन्निहित अन्य प्रस्तावोंके साथ यह भी सरकारका प्रस्ताव है या यह प्रधान मन्त्रीका निर्णय ? गोलमेज परिषद् के सब सदस्योंने इस किस्मके प्रार्थना-पत्रपर हस्ताक्षर नहीं किये थे इसलिये पचकी हैसियतसे निर्णय दिया ही नहीं जा सकता था और इसलिये यह फैसला भी एक प्रस्ताव पत्र था । मगर ब्रिटिश सरकारने इस फैसलेको ब्रह्म धाव्य माननेके लिये बाध्य किया—भारतीयोंके गले इसे जवरन मढ़ा गया ।

साम्प्रदायिक निर्णयके ऐलानमें कहा गया था कि—सम्राट्की सरकारकी ओरसे, गोलमेज परिषद्के दूसरे अधिवेशनके अन्तमें १ दिसम्बरको प्रधानमन्त्री ने जो घोषणा की थी और जिसकी ताईद उसके बाद ही पार्लमेण्टके दोनों हाउसोंने भी कर दी थी, उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि भारतवर्षमें रहनेवाली विविध जातिया साम्प्रदायिक प्रश्नोंपर किसी ऐसे समझौते पर नहीं पहुच सकीं जो सब दलोंको मान्य हो, जिसे कि हल करनेमें परिषद् असफल रही है, तो सम्राट्की सरकारका यह दृढ निश्चय है कि इस वजहसे भारतकी वैधानिक प्रगति नहीं रुकनी चाहिये और इस बाधाको दूर करनेके लिये वह स्वयं एक भारतीय योजना तैयार करके उसे लागू करेगी ।..... इसलिये सम्राट्की सरकारने यह निश्चय किया है कि भारतीय शासन विधान सम्बन्धी प्रस्तावोंमें, जो कि यथासमय पार्लमेण्टके सामने पेश किये जायंग वह ऐसी धाराए रखेगी जिससे साम्प्रदायिक योजनापर अमल हो सके ।

गोलमेजके अल्पसंख्यक समझौते और प्रधान मन्त्रीके साम्प्रदायिक निर्णयको विभाजित करके व्यवस्थापिका सभाओंमें दी गई सीटोंका अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि सरकारने कितनी जबरदस्त कूटनीति एव पक्षपातसे काम लिया है तथा साम्प्रदायिक समस्याको सुलझानेके नामपर उसे कितना पेचीदा और उलझनपूर्ण बना दिया है। अल्पसंख्यक समझौतेमें विभिन्न वर्गोंको प्राप्त होनेवाली सीटोंको मद्देनजर रखते हुए हरेक जातिके कुल सदस्योंकी संख्यायें निर्दिष्ट कर दी गयी थीं। किन्तु सरकारी निर्णयमें विशेष वर्गोंको अलग किया गया है जिससे विशेष वर्गोंके द्वारा विभिन्न जातियोंकी तुलनात्मक रूपमें मिली हुई संख्यामें और वृद्धि भी हो सकती है।

तथाकथित साम्प्रदायिक निर्णयके प्रकाशित होनेपर उसका प्रबन्ध विरोध किया गया और सम्पूर्ण भारतने एक स्वरसे कुछ सकीर्ण मुसलिम साम्प्रदायिक नेताओंके सिवा, उसके खिलाफ आवाज बुलन्द की। मुसलमानोंको खुश रखने के स्यालसे कांग्रेसने 'न स्वीकार, न अस्वीकार' (Neither Acceptation Nor Rejection) की नीति अख्तियार की। इसके सिवा कांग्रेसके सामने दूसरा मार्ग भी उस समय नहीं था। दूसरी बात यह थी कि कांग्रेस तो भारतीय शासन विधानकी समूची योजना का ही विरोध कर रही थी जिसका कि साम्प्रदायिक निर्णय एक अङ्ग था। इसलिये कांग्रेसने केवल साम्प्रदायिक निर्णय का विरोध करनेके लिये आन्दोलनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। इस मसलेको लेकर प० मदन मोहन मालवीय, श्री अणे और कुछ हिन्दू नेताओंके सहयोगसे, कांग्रेस राष्ट्रीय दलके नामसे एक अलग संस्था खड़ी की गई जिसे बंगाल और पंजाबमें बड़ी सफलता मिली। साम्प्रदायिक निर्णयमें बंगाल और पंजाबके हिन्दुओंके साथ चेहद बेइन्साफी भी की गयी थी। सिखोंके

साथ भी घोर अन्याय हुआ है। २६ दिसम्बर १९३५ ई० को मोगामें खालसा दरबारके अध्यक्षकी हैसियतसे भाषण करते हुये सरदार मगलसिंहने साम्प्रदायिक निर्णयका घोर विरोध किया था और सिखोंसे उसके खिलाफ सगठित आवाज बुलन्द करनेकी अपील की थी। उन्होंने कहा था कि "ससारके वैधानिक इतिहासमें बहुमतके लिये सीटोंका सरक्षण तो कहीं नहीं देखा गया। इस विचित्र थ्योरीका समर्थन किसी भी तरह नहीं किया जा सकता। सिखोंके साथ घोर अन्याय किया गया है। युक्त प्रान्तमें मुसलमानोंकी आबादी १४ फी सदी है लेकिन उन्हें ३० फी सदी सीटें दी गयी हैं। पंजाबमें सिखोंकी आबादी १३ फी सदी है मगर उन्हें १९ फी सदी से भी कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। बिहारमें मुसलमान १० फी सदी हैं मगर सीटें २५ फी सदी दी गयी हैं। मद्रासमें मुसलमानोंकी सख्या ६ फी सदी है किन्तु प्रतिनिधित्व १८ फी सदी दिया गया है। यह सौतेली माका-सा वर्ताव सिखोंको उत्तेजित करनेवाला है।"

नरमदलके नेताओं और राष्ट्रीय विचारके प्रमुख मुसलमानोंने भी साम्प्रदायिक निर्णय और पृथक निर्वाचनका घोर विरोध किया। 'लीडर' के यशस्वी सम्पादक श्री (अब सर) सी० वाई० चिन्तामणि साम्प्रदायिक निर्णय के प्रमुख विरोधियोंमें थे। सर अली इमाम, डा० एम० ए० अन्सारी, मि० टी० के० शेरवानी, डा० महमूद, मौलाना अबुलकलाम आजाद, मि० मलिक घरकत अली, यि० तामिजुद्दीन खा, और मि० आसफ अली आदि राष्ट्रीय विचार रखनेवाले मुस्लिम नेताओंने भी साम्प्रदायिक निर्णय और पृथक निर्वाचनको अराष्ट्रीय तथा गणतन्त्र विरोधी बताया। मगर सरकारने भारतकी आवाजपर कोई ध्यान नहीं दिया और फूट डाल कर शासन करनेके सिद्धान्तपर चलकर उसने साम्प्रदायिक फैसलेको हमपर, हमारी दिली मसालेके खिलाफ.

जबरन लाद ही तो दिया। भारतवर्षमें ब्रिटिश साम्राज्यवादकी जड़ मजबूत बनाये रखनेमें यह एक बड़ा शक्तिशाली साधन साबित हो रहा है।

साम्प्रदायिक निर्वाचनका आश्वासन सर्व प्रथम लार्ड मिण्टोने हिज हाइनेस 'सर आगा खाको १९०६ ई० में दिया था। १९१६ में लखनऊ पैक्ट किया गया और भारतकी दोनों बड़ी जातियोंने आपसमें मिलकर साम्प्रदायिक निर्वाचनके सिद्धान्तपर सीटोंका बटवारा कर लिया और उस समय यह समस्या एक तरहसे हल हो गई। लेकिन मॉटेग्यू चेम्स फोर्ड शासन सुधारकी रिपोर्टमें पृथक् निर्वाचनकी निन्दा की गई। उक्त रिपोर्टके पैरा २३१ में पृथक् निर्वाचन को *A very Serious hindrance to the development of the self governing principle* 'स्वायत्त-शासनके सिद्धान्तके विकासमें जवर्दस्त बाधक' करार दिया गया। उक्त रिपोर्टमें यह भी कहा गया कि जिन प्रान्तोंमें मुसलमान बहुमतमें हैं वहा पृथक् प्रतिनिधित्वके सिद्धान्तानुसार कार्य करनेका कोई वाजिब कारण नहीं हो सकता। मताधिकार समितिने भी इस विचारका समर्थन किया और केन्द्रीय असेम्बलीकी निर्वाचित सीटोंमें मुसलमानोंको २६ फी सदी सीटें दी गईं जबकि भारतकी कुल आवादीमें उनकी सवया २४ फी सदी है। १९३४ ई० की १३ मार्च को डा० एम० ए० अन्सारीने अपने एक वक्तव्यमें कहा था कि—“साम्प्रदायिक निर्णय तो जान बूझकर रचे गये कुचक्रका नतीजा है। एक खास किस्म की गोलमेज परिषदमें ऐसे ही प्रतिनिधियोंको धुलाया गया था जो कि समझौता कमी होने न दें और फिर सरकारको अपनी योजना लादनेका का मौका मिले। मौलाना अबुल कलाम आजादने साम्प्रदायिक निर्णयपर रायजनी करते हुये कहा था कि—भारतकी राष्ट्रीयताके लिये प्रधानमन्त्रीका साम्प्रदायिक निर्णय बड़ा खतरनाक है। इसके जरिये एक जातिको दूसरी जातिके खिलाफ खड़ा किया गया है। यूरोपियनोंके

सिवा इससे और किसी दूसरी जातिको कुछ फायदा नहीं पहुच सकता । गोलमेज परिषद्में शामिल होनेके लिये सरकारने ऐसे ही दर्जेके साम्प्रदायिक नेताओंको चुना है जो समझौतेको नामुमकिन बनानेपर तुले हुए थे ताकि सरकारको दुनियाके सामने यह ऐलान करनेका मौका मिले कि हिन्दुस्तानी अपने छोटे-मोटे ऋगड़ोंको भी तय नहीं कर सकते लिहाजा वे आजादी पानेके मुस्तहक नहीं हैं—आजाद होनेके काबिल नहीं ।”

हिन्दुस्तानके अल्पमत और बहुमतका सवाल सिर्फ हिन्दुओं और मुसलमानोंतक ही सीमित नहीं है । सरकारने और भी कई अल्पमतोंका सृजन किया है । सिख, पारसी, दलित वर्ग, यूरोपियन, भारतीय ईसाई और एंग्लो-इण्डियन भी अल्पमतमें हैं और सरकारको इनके भी हितों तथा स्वार्थोंकी रक्षा करनेकी फिक्र है । सरकारने दलित जातियोंको हिन्दुओंसे अलग करनेका कुचक्र रचा था और गोलमेज-परिषद्में डा० अम्बेदकरको अछूतोंका नेता माना था । लेकिन महात्मा गाधीने गोलमेज परिषद्की अल्पसंख्यक समितिकी अंतिम बैठकमें, १३ नवम्बर १९३१ ई०को साफ शब्दोंमें कहा था कि,— ‘सारे सप्तरके राज्यके बदले भी मैं उनके (अछूतोंके) अधिकारोंको तो न छोड़ूंगा । मैं अपने उत्तरदायित्वका पूरा ध्यान रखता हूँ, अब मैं यह कहता हूँ कि डा० अम्बेदकर जब सारे भारतके अछूतोंके नामपर धोल्ना चाहते हैं । तब उनका यह दावा उचित नहीं है । इससे हिन्दू धर्ममें जो विभाग हो जायेंगे वह मैं जरा भी सतोपके साथ देख नहीं सकता ।” सरकारने दलित जातियों या अल्पसंख्यकोंके लिये साम्प्रदायिक निर्णयमें पृथक् निर्वाचनका सिद्धान्त रचा था । गाधीजी यरवदा जेलमें कैद थे । जेलमें ही उन्होंने दलित जातियोंके पृथक् निर्वाचनके खिलाफ आमरण उपवास आरम्भ किया जो भारतके राष्ट्रीय आन्दोलनमें ‘एपिक फास्ट’ के नामसे मशहूर रहेगा । सारा

देश भयभीत, अवसन्न और रतन्ध हो गया। उनके प्राण घबानेके लिये देश चिन्तित था। गांधीजीका अनशन भंग करानेके लिये पूना पैक्ट किया गया। देशके नेताओंने भयक परिश्रम करके एक योजना तैयार की जो अछूत नेताओंको मान्य हो गई और गांधीजीने अनशन भंग कर दिया। दलित जातियोंने पृथक् निर्वाचनका अधिकार त्याग दिया और आम हिन्दू निर्वाचनोंसे ही संतोष कर लिया। उच्च जातियोंके हिन्दुओंने यह महत्वपूर्ण सरक्षण प्रदान किये। उनमें एक सरक्षण यह है कि सरकारी निर्णयके अनुसार आम निर्वाचनमें जितनी जगहें दी गयी हैं उनमेंसे १४८ जगहें दलित जातियोंको दी जाय। दूसरा यह है कि हरेक सुरक्षित जगहके लिये दलित जातियां चार उम्मेदवार चुनें और आम निर्वाचनमें उनमेंसे एकको चुन लिया जाय। पूरा समझौता उस समय तक कायम रहे जबतक सयफी सलाहसे उसमें परिवर्तन न किया जाय। ब्रिटिश सरकारने पूना पैक्टको उस अंश तक स्वीकार कर लिया जिस अंशतक उसका प्रधान मन्त्रीके निश्चयसे सम्बन्ध था। १९५५

इन सारी घटनाओंके बावजूद भी अछूतोंके अल्पमतकी समस्या आज भी मौजूद है। डा० अम्बेदकर अब भी गला फाड़-फाड़कर चिलाया करते हैं कि हिन्दुओंसे अछूतोंको भयङ्कर खतरा है। जिस तरह मि० जिन्ना मुसलमानोंके अल्पमतकी समस्या पेश करते हैं उसी तरह डा० अम्बेदकर अछूतोंकी अल्पसंख्याका मवाल उठाते रहते हैं। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोंके इस्तीफे दे देनेपर मि० जिन्नाने मुसलमानोंको जब 'मुक्ति दिवस' (Deliverence Day) मनानेको कहा और मनाया तो डा० अम्बेदकर भी इस 'मुक्ति दिवस'में शामिल थे और अछूतोंसे अपील की थी कि वे भी यह दिवस मनायें। 'मुक्ति दिवस' इस नींवपर मनाया गया था कि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोंके इस्तीफेसे उस जुल्मका अन्त हो गया जो अल्पसंख्यक मुसलमानोंपर हो रहा था। इससे साम्प्रदायिक भावनाको

काफ़ी उत्तेजना मिली । डा० अम्बेदकर मि० जिन्नाको भारतकी अल्पसख्यक जातियोंका रहस्यमा कहते हैं और उनके पीछे-पीछे चलना पसन्द करते हैं । इन्हीं डा० अम्बेदकरने १३ अक्टूबर १९३५ ई० को नासिक जिलेके ईओला नामक स्थानपर 'बम्बई प्रान्तीय दलितवर्ग सम्मेलन' के अध्यक्षकी हैसियतसे भाषण देते हुए अछूतोंको हिन्दू धर्मसे निकलकर दूसरा धर्म स्वीकार कर लेनेकी सलाह दी थी । उन्होंने कहा था कि—'हमें कोई ऐसा धर्म ग्रहण करना चाहिये जो हमारे साथ समानताका बर्ताव करे । अब हमें अपनी भूल सुधारनी चाहिये । यह हमारा दुर्भाग्य था कि हम अस्पृश्यताका कलङ्क लेकर पैदा हुए हैं । लेकिन हम हिन्दू रहकर नहीं मरेंगे क्योंकि यह हमारे अधिकारमें है ।' सम्मेलनमें लगभग दस हजार अछूत उपस्थित थे । डा० अम्बेदकरकी इस आत्मघातक सलाहसे सारा हिन्दू समाज थरा उठा था । अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोशियेशनके प्रेसीडेंट राय बहादुर एम० सी० राजा एम० एल० ए० ने १२ नवम्बर १९३५ ई० को एक वक्तव्य निकालकर डा० अम्बेदकरके इस सुप्तावका विरोध किया था । अन्य अछूत नेताओंने भी डा० अम्बेदकरका विरोध किया और सौभाग्यवश उनका सुप्ताव अमली जामा न पहन सका ।

ब्रिटिश सरकार इन्हीं अल्पसख्यक जातियोंका सवाल सामने खड़ा करके भारतको स्वाधीनताके अयोग्य बताती है । भारत सचिव मि० एमरीने भारतके राजनीतिक लक्ष्यकी पूर्तिमें जिन बाधाओंका उल्लेख किया है वे ये हैं—
 "सर्व प्रथम विशाल मुस्लिम जाति आती है—नौ करोड़, उस छोटे महाद्वीपके उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्वमें बहुमतके रूपमें और समस्त भारतके कोने-कोनेमें फैली हुई । फिर आते हैं अछूत, जो ऐसा समझते हैं कि वे प्रधान हिन्दू जातिसे अलग हैं जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है । देशी नरेशोंका

एक दूसरा ही दल है जो कांग्रेसको अपने अस्तित्वके लिये खतरनाक समझते हैं।” जहातक अछूतोंका सम्बन्ध है ‘अ० भा० दलित वर्ग सङ्घ’ के सेक्रेटरी श्री रामप्रसाद जयसवारने भारतसचिवको बड़ा करारा उत्तर दिया है। उन्होंने अपने एक वक्तव्यमें मि० एमरीके कथनका जिक्र करते हुए कहा है कि— “यह याद रखना चाहिये कि दलितवर्गका धर्म, उसकी संस्कृति और भाषा वही है जो उच्चवर्ग की है। उससे भिन्न कुछ भी नहीं। यद्यपि दलित जातियोंके प्रति अन्याय हुए हैं किन्तु दलितवर्ग विशाल हिन्दू जातिसे कभी अलग नहीं रहा है। ब्रिटिश सरकार गत शताब्दियोंमें जो नहीं कर सकी उसे कांग्रेसने सिर्फ थोड़े समयके भीतर, केवल २॥ वर्षमें कर दिखाया है। अतएव, मौजूदा परिस्थितिमें सम्राट्की सरकारने अछूतोंके प्रति अचानक प्रेम दिखानेका जो दावा किया है वह दरअसल बड़ा कौतूहलपूर्ण है। मि० एमरी को हमारी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। हम दो मोर्चोंपर लड़ेंगे। एक तरफ हम ब्रिटिश साम्राज्यवादका मुकाबला करेंगे और दूसरी तरफ हिन्दुओंकी कट्टरतासे लोहा लेंगे। हम अपने पैरोंपर खड़ा होना सीख गये हैं। मि० एमरीको समझ रखना चाहिये कि वे अछूतोंको मुस्लिम लीगियों, नरेशों तथा ऐसे प्रतिक्रियागामी दलोंमें शामिल न करें जो देशकी स्वाधीनताके मार्गमें बाधा डाल रहे हैं।” लेकिन अफसोस तो यह है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इन चेतावनियोंके बावजूद भी अल्पसंख्यक जातियोंके अधिकारोंकी रक्षा करनेके लिये अपनेको ईश्वरका भेजा हुआ देवदूत समझते हैं।

भारतीय ईसाई भी साम्प्रदायिक भेदके कारण अपनेको एक अलग जमात समझते हैं। ईसाई जनतामें इस भावको भड़कानेकी कोशिश जारी है। ईसाई मजहबका इतिहास इस बातका सघूत है कि ईसाइयोंने सदासे ही अपने मुल्ककी आजादीकी लड़ाईमें सबसे आगे कदम बढ़ाया है। चीनके ईसाइयोंने

कोई जिद नहीं की और न उन्होंने यह कहा कि जबतक उनकी ये-ये मांगें पूरी न की जायेंगी तबतक जापानके खिलाफ वे शस्त्र न उठावेंगे। इसी तरह जापानके ईसाइयोंने भी अपनी देशभक्तिका सौदा करना अपने सिद्धान्तके खिलाफ समझा। मित्रके काप्टोंका भी यही दृष्टिकोण है। फिर इसकी क्या वजह है कि भारतके ईसाई अपनेको एक अलग जातिका समझें और धर्मके नामपर बगावतके नेता बने रहें जब अन्य देशोंमें उन्हींके भाई और हम-मजहब अपने देशके लिये हर तरहसे कुर्बानी करनेको तैयार रहते हों। लेकिन इस अन्धकारमें भी प्रकाशकी एक क्षीण रेखा है। अखिल भारतीय ईसाई कानफ्रेंसके अध्यक्ष डा० एच० सी० मुखर्जी एम० ए०, पी० एच० डी०, एम० एल० ए० (बंगाल) साम्प्रदायिकता और पृथक् निर्वाचनके सख्त विरोधी हैं। वे अल्पमतके नामपर भारतीय ईसाइयोंको देशकी आजादीके मार्गमें बाधक नहीं होने देना चाहते। यही वजह है कि वे अपने सङ्गठनकी ओरसे हमेशा काफ़ी समर्थक रहे हैं और स्वाधीनताके सङ्घर्षमें भारतीय ईसाइयोंको सहयोग देनेकी सलाह देते रहे हैं।

एंग्लो-इण्डियन अल्पमतके नामपर अपना राग अलग ही अलापा करते हैं। व्यवस्थापिका सभाओंमें एंग्लो-इण्डियन सदस्योंका निर्वाचन पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रोंके द्वारा होता है। भारतकी एंग्लो-इण्डियन जाति धर्म जाति अथवा सस्कृतिके विचारसे अल्पमतमें नहीं है। एंग्लो-इण्डियन तो शेष भारतसे ही अपनेको अलग समझते हैं और अपना अलग राष्ट्र मानते हैं। भारतीय अल्पमतोंकी अपेक्षा यह जाति गत यूरोपीय महायुद्धके पूर्वकालीन यूरोपियन अल्पमतोंसे मिलती-जुलती है। सरकारकी ओरसे एंग्लो-इण्डियनों को सरकारी नौकरियोंमें तरजीह भी मिलती है और रेलवे, पोस्ट आफिस तथा अन्य सरकारी एवं अर्द्धसरकारी मुहकमोंमें वे काफी संख्यामें नौकरी पाते

हैं। प्रस्तावित संधी-असेम्बलीमें ब्रिटिश भारतकी कुल २५० सीटोंमेंसे एंग्लो-इण्डियनोंको ४ सीटें मिली हुई हैं जो कि १३ प्रतिशत है। प्रान्तीय असेम्बलियोंमें उन्हें ३ सीटें प्राप्त हैं और कुल भारतकी आबादीमें एंग्लो-इण्डियन १ फी सदी हैं।

भारतके यूरोपियन धर्म, जाति तथा सम्प्रदायके लिहाजसे ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टिसे भी अल्पमत हैं। इसलिये यूरोपियनोंके आर्थिक हितोंकी रक्षाके लिये उन्हें बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व और सरक्षण प्राप्त है। प्रतिशत आबादीके हिसाबसे यदि विचार किया जाय तो यूरोपियनोंको कई गुना अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। यूरोपियन तो हिन्दुस्तानमें एक प्रतिशतसे भी बहुत कम हैं मगर संधी असेम्बलीमें उन्हें ५३ प्रतिशत तथा प्रान्तीय असेम्बलियोंमें ३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह एक बड़ा अन्यायपूर्ण और गैरवाजिव बटवारा है।

सिख पञ्जाबमें प्रबल अल्पमतमें और अन्य प्रान्तोंमें मामूली अल्पमतमें हैं। सिखोंको काफी सरक्षणके साथ पृथक् प्रतिनिधित्व दिया गया है। संधी असेम्बलीमें ब्रिटिश भारतकी कुल २५० सीटोंमें सिखोंको ६ सीटें मिली हैं या २३ प्रतिशत। पञ्जाब प्रान्तीय असेम्बलीकी कुल १७५ सीटोंमें सिखोंको ३१ सीटें दी गयी हैं। पञ्जाबकी आबादीमें सिखोंकी संख्या १३ फी सदी हैं मगर सीटें १८ फी सदी मिली हैं। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तमें सिख आबादीके हिसाबसे २ फी सदी हैं किन्तु प्रतिनिधित्व ६ फी सदी मिला है।

भारतमें पारसी ही ऐसी एक जाति है जो पृथक् प्रतिनिधित्वके लिये कभी लड़ी-भगड़ी नहीं। यह जाति काफी उन्नतिशील और धनी है। भारतके राष्ट्रीय आन्दोलनमें इस जातिने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। कोई यह नहीं बता सकता कि इस जातिको बहुमतसे कभी कोई खतरा रहा

है। भारतको केवल साम्प्रदायिक हिस्सोंमें बाटकर ही चैन नहीं लिया गया है। यहा विभिन्न 'स्वार्थों' (interests) को भी पृथक् प्रतिनिधित्व दिया गया है जैसे कि जमींदार, व्यापारी, कारखानेदार, खानोंके मालिक, मजदूर और विश्वविद्यालय आदि। इन वर्गोंके प्रतिनिधिमैं अपने-अपने वर्गके स्वार्थोंकी रक्षाके लिये लड़ा करते हैं। भारतमें प्रतिनिधित्वका बटवारा इस ढङ्गसे किया गया है कि अगर अल्पमत जातियोंके एव वर्गोंके सभी प्रतिनिधि आपस में किसी प्रश्नपर मिल जाय तो बहुमतके प्रतिनिधियोंको अल्पमतमें परिणत होते देर न लगे।

अल्पसख्यकोंके सवालने आजकल मध्ययुगके धार्मिक भगदोंका—सा भयकर रूप धारण कर लिया है। हर देशमें कई तरहकी जातिया होती हैं और उनमें भाषा, धर्म तथा सस्कृति सम्बन्धी भेद भी होते हैं। पर वे सभी एक राष्ट्रीयताके सूत्रमें बधी रह सकती हैं। लेकिन जहा एक प्रबल राष्ट्रको अपना स्वार्थ सिद्ध करना हो वहा वह राष्ट्रीय बन्धनके धागोंको तोड़ देता है और फूटका जहरीला बीज बो देता है। भारत आज अल्पताके सकीर्ण एव सक्रामक रोगसे—माइनारिटी कम्प्लेक्ससे बुरी तरह पीड़ित है और हमारे शासक इसका लाभ उठा रहे हैं। आयरलैंडका आल्स्टर प्रान्त, शेष आयरलैण्डसे इसी तरह अलग हुआ। आस्ट्रिया और जेकोस्लोवेकियाके जर्मन अल्पसख्यकोंके सवाल पर नाजी नेता हर हिटलरने इन देशोंकी स्वतन्त्रता नष्ट कर दी। यूक्रेन, श्वेत रशिया, कारमेथियन आदिके भगड़े और बालकन राज्योंकी कलहका कारण भी यही अल्पसख्यकोंका भगड़ा है। मि० जिन्ना भारतमें मुसलमानोंका आल्स्टर प्रान्त बनाना चाहते हैं। दलितों और शेष हिन्दुओंमें मनमाने तौर पर भेद पैदा कर दिया गया है उनमें धार्मिक और सास्कृतिक भेद तो है ही नहीं। फिर भी सरकार उन्हें अल्पसख्यकोंमें मानती है और शेष

हिन्दुओंको बहुमत वाली कौम कहा जाता है। बहुसंख्यकोंकी उदारता धमकीसे नहीं पाई जा सकती। यह तो पारस्परिक ड्रैन और मद्भाषका मौदा है। एक तीसरी पार्टीके भङ्गने या बहकावेमें आकर अल्पमत अगर बहुमत पर सामंजस्य शक न करने लग जाय और उसपर झूठे दोषारोपण न करे तो कोई बजह नहीं है कि बहुमत उदारताके साथ अल्पमतमें पेश न आये। वायसरय अपनी घोषणामें कहते हैं कि अंग्रेज भारतकी सुख-शांतिकी जिम्मेदारीको धारणकी किसी ऐसी प्रणालीको देनेका विचार नहीं कर सकने जिसकी सत्ता और अधिकार भारतीय राष्ट्रीय जीवनके बड़े और शक्तिशाली तत्व द्वारा इन्कार किये जाते हों। यानी अंग्रेज भारतमें उस दलको धारणका अधिकार सौंपना नहीं चाहते जिसमें देशकी बहुसंख्यक जनताका विश्वास है और जिसे वह बहुमतसे धारणकी बागडोर सौंपती है। अंग्रेजोंकी इस अजीब गरीब गणतन्त्रमूलकता पर आश्चर्य होता है। दुर्भाग्यसे ये तत्व, जिनकी रक्षा करनेका ठेका अंग्रेजी हुकूमतने ले रखा है, इस देशमें हमेशा मौजूद रहेंगे और हर देशमें हर समय मौजूद रहते हैं। तब तो भारतमें पूर्ण उत्तरदायी और स्वतन्त्र सरकारकी स्थापना कभी हो ही नहीं सकती। न नौ मन तैल होगा, न राधा नाचेंगी। यह कहना देशकी प्रगतिमें बाधक होना है, रोड़े अटकाना है कि पहले साम्प्रदायिक समस्याको हल कर लो, तब आजादीकी ओर बडो। इसके जवाबमें मौलाना अबुल कलाम आजादने बिलकुल ठीक कहा है कि—“आजादी हासिल करनेके लिये पहले साम्प्रदायिक समस्याका हल होना ही जरूरी नहीं है। देशके आजाद होते ही साम्प्रदायिक समस्या खुदबखुद हल हो जायगी। यह समस्या आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नोंपर निर्भर है।”

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व

भारतवर्षमें ब्रिटिश शासनको अपनी अमूल्य देनोंके लिये अन्य अनेक बातोंके सिवा इस बातका भी घमण्ड है कि उसने हिन्दुस्तानमें गणतन्त्रके सिद्धान्तोंका बीजारोपण किया है। अंग्रेज राजनीतिज्ञोंका कहना है कि ब्रिटिश शासनके पहले हिन्दुस्तानमें गणतन्त्र नहीं था ; हालांकि उनका कथन बिल्कुल गलत है। अशोक और चन्द्रगुप्त कालीन भारतवर्षमें गणतन्त्रका काफी विकास इस देशमें हो चुका था। बौद्धकालीन इतिहास और कौटिल्यका अर्थशास्त्र इसके प्रमाण स्वरूप पेश किये जा सकते हैं। वैशालीकी गणतन्त्रमूलक शासन पद्धतिको कोई इतिहासकार भूल नहीं सकता। इसके सिवा और भी अनेक अवसरों पर, प्राचीन भारतवर्षमें गणतन्त्रके चिन्ह पाये जाते हैं। अंग्रेजोंके इस दावेको हम नहीं मानते कि भारतवर्षमें गणतन्त्रके जनक वे ही हैं। सच तो यह है कि अंग्रेजी शासनकालमें गणतन्त्रके नाम पर उसकी जड़को हिलाया गया है। भारतकी प्रतिनिधिमूलक संस्थाओंमें साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वका सिद्धान्त कायम करके गणतन्त्रके मौलिक सिद्धान्त पर कुठाराघात किया गया

है। अग्रेज कूटनीतिज्ञोंने, अग्रेजोंके निहित स्वार्थ (Vested interest) को मद्देनजर रखकर यह महसूस किया कि पृथक् निर्वाचनकी जगह हिन्दुस्तानमें अगर सयुक्त निर्वाचनकी प्रणाली लागू होगी तो कुछ दिनोंके भीतर ही भारत-वर्षमें राष्ट्रीयताकी ऐसी पुख्ता इमारत खड़ी हो जायगी कि उसमें अग्रेजोंका गुजर हो सकना असंभव हो जायगा। यही वजह है कि इस देशमें आरंभसे ही साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी घातक प्रथा जारी की गयी जो हमारे राष्ट्रीय विकास एवं स्वाधीनताके मार्गमें जवर्दस्त रोड़ा साबित हो रही है।

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वका प्रश्न बिलकुल नया नहीं है। १८८८ में सर आकलैण्ड कालविन जब युक्तप्रान्तके लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर थे तबसे ही इसकी बुनियाद पड़ चुकी है। उस समय यह दिखानेकी कोशिश की गयी थी कि मुसलमान कांग्रेसके विरोधी हैं। कांग्रेसके अधिवेशनोंकी सफलताने नौकर-शाहीके मनमें हलचल मचा दी थी। १८८८ में कांग्रेसका जो अधिवेशन इलाहाबादमें मि० जार्ज यूल्के सभापतित्वमें हुआ उसमें लखनऊके सुन्नियोंके शम्सुलउल्मासे एक फतवा हासिल करके शेख रजा हुसेनखाने यह ऐलान किया था कि—“मुसलमान नहीं, बल्कि उनके मालिक—सरकारी हुकाम— हैं जो कांग्रेसके मुखालिफ हैं। मुसलमान कांग्रेसके विरोधी नहीं हैं। वे कांग्रेसके साथ हैं।” लार्ड कर्जनके उत्तराधिकारी लार्ड मिण्टो इस बातको भली भांति समझते थे कि हिन्दू और मुसलमान अगर कांग्रेसमें मिल जायेंगे तो हिन्दु-स्तानमें अग्रेजोंकी हुकूमत ज्यादा दिन नहीं टिक सकेगी। इन्हीं दिनों भारतमें मामूली तौर पर शासन सुधार करनेके लिये सरकारने अपना इरादा जाहिर किया। इस सम्बन्धमें एक सर्कूलर निकाला गया था जिसमें कहा गया था कि सरकार ऐसे वर्गोंको विशेषाधिकार एवं संरक्षण देकर राजनीतिमें लाना चाहती है जो हर प्रकारके परिवर्तनसे घबड़ाते हैं और जिनकी यह कोशिश रहती है

कि वर्तमान परिस्थिति सदाके लिये अपरिवर्तित रूपसे कायम रहे । मुसलमान प्रायः कांग्रेससे अलग रखे गये और वे राजमक समझे जाते थे । मुसलमानोंमें यह प्रचार किया गया कि वे इस मुल्कके रहनेवाले नहीं हैं । वे विदेशोंसे आये हुए विजेता मुसलमानोंकी औलाद हैं । सर सैयद अहमदखा और उनके साथियोंने मुसलमानोंकी एक अलग जमात बनाने और अंग्रेजोंके साथ दोस्तीका रिश्ता कायम करनेके लिये मजहबका इस्तेमाल पूरी तरहसे किया । सर सैयद अहमदने 'दीन' की दुहाई दी और वे सफल रहे । इसी 'दीन' के नाम पर मि० मुहम्मदअली जिन्ना मुसलमानोंके कायदेआजम धन बैठे हैं और मुस्लिम लीग भारतकी एकता और आजादीका वलिदान करनेपर निश्चक उतारू है । सर सैयद अहमद अंग्रेजी शासनके वफादार एक प्रभावशाली और धनी मुसलमान थे । उन्हें मुसलमानोंकी आर्थिक एव सामाजिक स्थितिकी कोई परवाह नहीं थी । उन्होंने मजहबके नाम पर, हिन्दुओंसे भयभीत होकर और अंग्रेज कूटनीतिज्ञोंके मायाजालमें फँसकर मुसलमानोंको अंग्रेजोंकी अधीनता स्वीकार करनेकी नसीहत दी । अंग्रेजोंके सम्बन्धमें सर सैयद अहमदने एक जगह फरमाया था:—

“इंग्लिश नेशन हमारे भक्तूह (पराजित) मुल्कमें आई, मगर मिस्ल एक दोस्तके, न कि वतौर एक दुश्मनके । हमारी मनोकामना है कि हिन्दुस्तानमें इंग्लिश हुकूमत सिर्फ एक जमान-ए-दराज तक ही नहीं, बल्कि इर्तनल (अनन्तकालीन) होना चाहिये । हमारी यह चाह केवल इंग्लिश कौमके लिये नहीं बल्कि अपने मुल्कके लिये है । हमारी यह आरजू अंग्रेजों की भलाई या उनकी खुशामदकी वजहसे नहीं है बल्कि अपने मुल्ककी भलाई व बेहतरीके लिये है । पर, कोई वजह नहीं कि हममें और उनमें सिपेथी (हमददी) न हो । सिपेथीसे मेरी मुराद पोलिटिकल सिपेथी (राजनीतिक

सहानुभूति) नहीं है। पोलिटिकल सिपेथी ताबेके वर्तनपर चांदीके मुल्मसे ज्यादा कुछ बकत नहीं रखती। उसका असर फरीकके दिलोंमें कुछ नहीं होता। एक फरीक जानता है कि वह ताबिका वर्तन है और दूसरा फरीक समझता है कि वह झूठे मुल्मसेकी कलई है। सिपेथीसे मेरी मुराद विराद-राना या दोस्ताना सिपेथी है।” सर सैयद अहमदका उद्देश्य यह था कि मुसलमान अगर अंग्रेजी सल्तनतके वफादार बनें रहेंगे तो आगे चलकर मुसलमानोंको काफी फायदा होगा और सरकारी महकमोंमें उन्हें काफी जगहें मिलेंगी। लेकिन मुसलमानोंमें शिक्षाकी कमी थी। इस बातको सर सैयद अहमद तथा अन्य मुस्लिम नेताओंने महसूस किया और मुसलमानोंमें शिक्षाका प्रचार आरम्भ किया गया। १८८६ ई० में ‘मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन’ का जन्म हुआ, जिसका अधिवेशन वर्षमें एक बार हुआ करता था। उनकी कोई राजनीतिक सस्था न थी। लार्ड मिण्टो मुसलमानोंको विशेष प्रतिनिधित्व देना चाहते थे। उन्होंने मुसलमानोंको आश्वासन दिलाया था कि नये शासन विधानमें मुसलमानोंके स्वत्वोंकी रक्षाका पूरा-पूरा ध्यान रखा जायगा और पृथक्-निर्वाचन द्वारा अपनी संख्याके अनुपातसे अधिक प्रतिनिधि चुननेका अधिकार दिया जायगा। १९०६ में ही लार्ड मिण्टोके प्रोत्साहनसे मुस्लिम-लीगकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारतमें बसनेवाली अन्य जातियोंके साथ स्नेहभाव रखते हुए अपनी जातिके स्वत्वोंकी रक्षा करना था। लीगके उद्देश्यमें मुसलमानोंकी राजभक्तिका ऐलान किया गया था। इस प्रकार पृथक्-निर्वाचनकी नींव डाली गयी और इस प्रथाका आरम्भ हुआ। इससे साम्प्रदायिक भावोंको उत्तेजना मिली और मुसलमानोंकी देखादेखी १९०९ ई० में पंजाबमें प्रान्तीय हिन्दूसभाकी स्थापना की गई और वहीं यह निश्चय हुआ कि अगले वर्ष अ० भा० हिन्दूसभाकी स्थापनाका आयोजन किया जाय। मुस्लिम लीगके

अधिवेशनोंकी कार्रवाइयोंको देखनेसे यह स्पष्ट है कि मुसलमानोंमें साम्प्रदायिक भावकी वृद्धि होती चली गई और वे हिन्दुओंकी शक्ति एवं प्रभावको कम करनेके उपाय सोचने लगे। उदाहरणके लिये १९१० ई० में मुस्लिम-लीगके मन्त्रसे यह सुझाव पेश किया गया कि अगली मर्दुमशुमारीमें अछूतोंको हिन्दू न लिखा जाय। उनका तर्क यह था कि अछूतोंको हिन्दुओंमें शुमार करनेसे अछूतोंका काफी नुकसान होता है। उनकी शिक्षा-दीक्षाकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती और हिन्दू निर्वाचन क्षेत्रोंसे उनके सच्चे प्रतिनिधि भी नहीं चुने जा सकते। इसके सिवा मुसलमानोंका भी काफी नुकसान होता है, क्योंकि अछूतोंको हिन्दुओंमें सम्मिलित करनेसे उन्हें अपनी सख्यासे अधिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। मुस्लिम लीगकी ओरसे इस आशयका एक प्रार्थना-पत्र भी सरकारके पास भेजा गया मगर हिन्दुओंके प्रचण्ड विरोधके कारण उनका उद्देश्य पूरा न हो सका। यह भी एक आश्चर्यकी बात है कि १९२३ ई० में कोकोनाड कांग्रेसके अवसर पर अध्यक्षकी हैसियतसे मौ० मुहम्मद अलीने जो भाषण दिया था उसमें भी उन्होंने यह सुझाव रखा था कि हिन्दुओं और मुसलमानोंको चाहिये कि वे अछूतोंको एक लावारिसमाल (Unclaimed property) की तरह आपसमें आधेआध बांट लें। प्रायः सभी विचारके हिंदू नेताओंने उनके इस सुझावको नापसंद किया था। इससे यह सकेत मिलता है कि मौ० मुहम्मद अली जैसे एक प्रभावशाली राष्ट्रीय नेतामें भी जो राष्ट्र-पतिव्री हैसियतसे बोल रहे थे, साम्प्रदायिक भावना कितनी अधिक थी। बादमें चलकर अलीबधु कितने कट्टर साम्प्रदायिक व्यक्ति साबित हुए यह कौन नहीं जानता !

वक्र-भङ्गके समय मुसलमानोंसे कहा गया था कि तुम्हारे लाभके लिये ही वक्रालके दो टुकड़े किये जाते हैं। पूरबी वक्राल और आसाममें मुसलमानोंकी

अपेक्षा हिन्दुओंकी कबूट्टी बिक्री थी। अब कबूट्टी खरीदनी थी। वह-
 भावसे मुसलमानोंकी सुन्नत संहिता बरतते हैं नही की और उन्हें यह
 कसबा बन गया। कि कबूट्टी बिक्रीके विषयमें उन्हें कबूट्टी खरीदने देना
 मिल गया है। परन्तु कबूट्टीके हिन्दुओंके बसन्तोंकी दूर बरजके विषय
 १९११ में जब वह-का कबूट्टी विद्वांसोंके आग्रहपर पनी
 फिर गया। कि अब और बड़े कबूट्टी लगे कि केवल हिन्दुओंको दुर्बल करने
 की मशय ही संघारने मुसलमानोंके दोस्तों बड़ाई थी। मुसलमान सरकारसे
 असन्तुष्ट हो गये। लेकिन बन्दने बलकर पृथक् निर्वाचन, साम्प्रदायिक प्रति-
 निधित्व एवं संरक्षणके मुसलमानोंके नेता सरकारके समर्थक बन गये। १९१२-
 १३ में यूरोपके राष्ट्रोंके आक्रमणसे इस्लामकी रक्षा करनेके लिये 'पान-इस्लामिज्म'
 आन्दोलनका जन्म हुआ। इस आन्दोलनके जन्मदाता सैयद जमालुद्दीन
 अफगानी समझे जाते हैं। भारतके मुसलमानोंपर भी इस 'पान इस्लामिज्म'
 ने अपना असर डाला और सर मुहम्मद इकबाल जैसे राष्ट्रीय कवि और
 फ़िलसफ़ी भी इस आन्दोलनके शिकार बन गये। इस आन्दोलनका उद्देश्य
 बिनास्टरे लेकर सहारनपुरतक एक विशाल मुस्लिम राज्यकी स्थापना करना
 था। लेकिन मुस्लिम नेताओंकी यह योजना अमली जामा न पहन सकी।

१९१६ ई० में कांग्रेस और मुस्लिम लीगकी ओरसे घासन 'सुधारोंके
 सम्बन्धमें एक संयुक्त माग पेश की गई। इसी अवसरपर 'हिन्दुओं और'
 मुसलमानोंके प्रतिनिधित्वके सम्बन्धमें एक समझौता कर लिया जिसके अनु-
 सार हिन्दुओंने कई प्रान्तोंमें मुसलमानोंको उनकी संख्यासे कहीं अधिक प्रति-
 निधित्व देना स्वीकार किया था। यह समझौता 'कमन्स पैक्ट' के नामसे
 मशहूर हुआ। हिन्दु 'कमन्स पैक्ट' का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला
 कारणसे देहलीके लिये तो साम्प्रदायिक समस्या एक तरह हल हो गई-

जान पड़ती थी मगर भीतर-ही-भीतर ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ हिन्दुओं और मुसलमानोंको भड़कानेमें व्यस्त थे। गोरे अखबारोंने हिन्दू-मुस्लिम एकताके खिलाफ प्रचार करना आरम्भ किया और एकता करानेकी चेष्टा करनेवालोंके बारेमें यह लिखा जाने लगा कि—‘ये लोग इन दोनों जातियोंको क्यों मिलाना चाहते हैं सिवा इसके कि दोनों जातियोंको मिलाकर सरकारी मुखालिफतकी जाय। ऊचे दर्जेके सरकारी ओहदेदार एक ओर तो दिखानेके लिये यह कहा करते थे कि—‘भारतकी साम्प्रदायिक समस्याका हल शिक्षितवर्गके हाथोंमें है और दूसरी ओर शिक्षितवर्गके लोगोंको ही, सरकार नौकरियों एवं प्रतिनिधिमूलक सस्थाओंमें सीटोंकी लालच दिखाकर साम्प्रदायिक झगड़ोंके लिये उभाड़ा जाता था। इस द्वैध नीति (Dual Policy) से देशका बहुत बड़ा अपकार किया गया। १९२० के बाद देशमें जगह-जगह हिन्दू-मुस्लिम दगे शुरु हो गये। १९२१ के असहयोग-आन्दोलनके समय मालावारमें जो मोपला-विद्रोह हुआ और कुछ हिन्दुओंको जबरन मुसलमान बनाया गया उससे हिन्दू बहुत क्षुब्ध हो गये। हिन्दुओंने आत्म रक्षाके लिये शुद्धि सङ्गठनका आदोलन आरम्भ किया और स्वामी श्रद्धानन्दने बड़ी धूमधामसे हजारों मलकानोंकी शुद्धि की। हिन्दू महासभाके नेताओंने एक नारा बुलन्द किया कि—‘The claim of the race is the claim of religion’ यानी—नस्लकी रक्षाका हक धर्मकी सबसे बड़ी आज्ञा है। इस आन्दोलनके कारण हिन्दू-मुसलमानका झगड़ा और भी बड़ गया। एक बहुत बड़ी सरल्याम मलकानोंको हिन्दू बनते देखकर मुसलमानोंका उत्तेजित हो जाना स्वाभाविक था। लेकिन मुसलमान सिद्धान्त रूपसे शुद्धिका विरोध नहीं कर सकते थे क्योंकि वे खुद तज्जीम व तयलीगका काम पहलेसे ही करते थे। सारांश यह कि इन्हीं विविध कारणोंसे हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य बढ़ता ही गया। १९२४ में कोहाट

गुलबर्गामें भीषण दंगे हुए। १९२६ में कलकत्ता भी भीषण दंगेका अखाड़ा हो गया। २९ अगस्त १९२७ को केन्द्रीय असेम्बलीमें भाषण देते हुए तत्कालीन वायसराय लार्ड हर्विनने देशके साम्प्रदायिक झगड़ोंका जिक्र करते हुए कहा था कि—“भारतमें मुझे १७ महीने आये हो गये और इस अवधि-के भीतर मैं समूचे देशमें साम्प्रदायिक दंगोंके कारण होनेवाले भयङ्कर रक्त-पातको देखकर परेशान हो गया हू। सारे देशमें साम्प्रदायिकताकी आग लगी हुई है और उसकी प्रचण्ड लपटोंसे भारतवर्ष जल रहा है। गत १८ महीनोंके भीतर, उपलब्ध सख्याके अनुसार इस मारकाटके कारण ३०० आदमी मारे गये और २५०० के लगभग जख्मी हुए हैं।” उन्होंने देशकी व्यवस्थापर दुःख प्रकट किया और दोनों जातियोंके जिम्मेदार साम्प्रदायिक नेताओंसे एकता एव शान्ति स्थापित करनेकी अपीलकी और इस दिशामें स्वयं भी कोशिश करनेका आश्वासन दिया।

देशमें मजहबी झगड़ोंको घटते देखकर महात्मा गान्धीने बेहद वेदना महसूस की। इन दंगोंके कारण स्वाधीनताकी लड़ाईके मार्गमें बड़ी जवर्दस्त बाधाएँ आ खड़ी हुईं। राष्ट्रीय एकताके बिना स्वाधीनता प्राप्त करना असम्भव है। भारतकी इस भयङ्कर मजहबी फूट और धार्मिक उन्मादसे विदेशी सरकारने काफी फायदा उठाया। भारतीय मांगके जवाबमें यह कहा जाने लगा कि चूँकि हिन्दुस्तानमें मजहबी झगड़ोंके धवण्डर उठा करते हैं और मजहबके नामपर अराजकता पैदा करनेकी चेष्टा होती रहती है इसलिये वह आजादीका सुस्तहक नहीं है। सरकारको यह एक अच्छा बहाना मिल गया। मजहबी जोशके उबालमें आजादीका जोश ठण्डा पड़ने लगा। राष्ट्रीय नेताओंकी चिन्ता बढ़ी। इस समस्याको हल करनेके लिये महात्मा गान्धीने चेष्टा आरम्भ की। दोनों जातियोंके पापका प्रायश्चित्त करनेके लिये उन्होंने २१ दिनका उपवास किया।

साम्प्रदायिक समझौता करानेके लिये दिल्लीमें एकता-सम्मेलन बुलाया गया । मगर इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला । अपना उत्सू सीधा करनेकी गरजसे दोनों कौमोंमें मारकाट कराते रहनेके लिये तुळे हुए लोग भला इन समझौतों और शर्तोंके कायल कब हो सकते थे । मजहबी जोशको मिटानेके लिये कांग्रेसने दोनों जातियोंके जन-समूहमें प्रवेश करनेकी चेष्टा पहले पहल नहीं की । कांग्रेसकी यह एक भयङ्कर भूल थी । साधारण जनतामें साम्प्रदायिक जोश नहीं है । वह तो कुछ स्वार्थी नेताओंके भड़कानेसे सिर फुडौल करनेको आमादा हो जाती है । हिन्दू-मुस्लिम नेताओंसे परामर्श करके कांग्रेस वर्किंग कमेटीने एक रिपोर्ट तैयार की और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने १९२७ के मई महीनेमें इस रिपोर्टको स्वीकार किया । इस रिपोर्टमें नवीन शासन विधानके अन्तर्गत मुसलमानोंका क्या स्थान होगा उसका निश्चय किया गया था । गोवध और मस्जिदके सामने बाजेके प्रश्नपर विचार करनेके लिये १९२७ के अक्टूबर महीनेमें कलकत्तेमें फिर एकता सम्मेलन हुआ । गरज यह कि हिन्दू-मुस्लिम ऋगड़ेकी जटिल समस्याको मिटानेकी बड़ी कोशिशें हुईं लेकिन "मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की ।"

कांग्रेस, लिबरल फेडरेशन, मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभाके वार्षिक अधिवेशनोंमें साम्प्रदायिक मसलेपर काफी वाद-विवाद होते रहे । भारतकी साम्प्रदायिक समस्याको सुलझानेके लिये प्रायः सभी तवकोंके नेता चिन्तित थे । देशम चारों ओर साम्प्रदायिक दगे हो रहे थे और सभी जातियोंके लोगोंका जानमाल खतरेमें था । अतएव, फरवरी सन् १९२८ ई०में दिल्लीमें एक सर्वदल सम्मेलन हुआ । सभी विचारोंके भारतीय राजनीतिज्ञ इनमें शामिल थे । हिन्दुओं और मुसलमानोंको दो लड़ाकू शिविरोंमें रखनेवाले राजनीतिक मतभेदोंपर इस सम्मेलनमें काफी विचार-विनिमय हुआ और मलाये-

को सदाके लिये मिटा देनेकी चेष्टा की गई। लेकिन भारतीय प्रतिनिधि किसी खास फ़ैसलेपर नहीं पहुँच पाये और यह निश्चय किया गया कि सम्मेलनका दूसरा अधिवेशन मई महीनेमें बम्बईमें हो। मई महीनेकी कानफ़ेंसने भारतके शासन विधानका एक मसविदा तैयार करनेके लिये एक कमेटी नियुक्त कर दी। कमेटीको यह अधिकार दिया गया कि वह 'उन समस्त प्रस्तावोंपर पूरे तौरसे विचार करे जो समय-समयपर भारतके अनेक महत्त्वपूर्ण साम्प्रदायिक, राजनीतिक तथा इसी तरहके अन्य सगठनोंमें पास होते रहे हैं।' इस कमेटीने भारतकी प्रायः सभी समस्याओंकी छानबीन करके बड़े परिश्रमके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जो 'नेहरू रिपोर्ट' के नामसे मशहूर हुई। अगस्त १९२८ में सर्वदल सम्मेलनकी एक विशेष बैठक लखनऊमें बुलाई गयी और उसीके सामने नेहरू रिपोर्ट उपस्थित की गयी। रिपोर्टमें यह सिफ़ारिश की गयी थी कि सिन्धको एक अलग प्रान्त बना दिया जाय और शासन-सुधारोंका विस्तार पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त तथा ब्ळ्चिस्तान तक किया जाय। साथ ही वालिंग मताधिकारकी बुनियादपर निर्वाचन-प्रणाली जारी की जाय और दस वर्ष पश्चात् साम्प्रदायिक निर्वाचनके प्रश्नपर फिरसे विचार किया जाय। सर्वदल सम्मेलनने इन सुझावोंको प्रस्तावके रूपमें स्वीकार कर लिया। लेकिन हिन्दू-महासभाने सिन्धके अलग किये जाने तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त और ब्ळ्चिस्तान तक शासन-सुधारके विस्तार करनेका जोरदार विरोध किया। हिन्दू-महासभाकी ओरसे यह दलील दी गयी कि यदि सिन्ध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तको अलग प्रान्त बनाकर वहा शासन-सुधार लागू किया जायगा तो पंजाब और बगालको लेकर, जहा पहलेसे ही मुसलमान बहुसख्या (Majority) में हैं, बहुसख्यक मुस्लिम प्रान्तोंकी तादाद इसमें चार हो जायगी और इससे भारतकी भावी राजनितिक स्थितिमें मुसलमानोंकी प्रभुता बहुत ज्यादा बढ़

जायगी। नेहरू रिपोर्टकी सिफारिशोंसे मुसलमान भी राजी नहीं हुए और हिन्दुओं तथा मुसलमानोंके बीचकी खाई पटनेके बजाय चौड़ी होती गई।

इसी बीच एक सयुक्त मुस्लिम नीति स्थिर करनेके उद्देश्यसे सर्वदल मुस्लिम सम्मेलन करनेकी तैयारिया की जाने लगीं। इस मुस्लिम सम्मेलनका अधिवेशन ३१ दिसम्बर १९२८ ई०को दिल्लीमें हुआ जिसमें एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया। मुसलमानोंकी शिकायतों और मागोंसे सम्बन्ध रखनेवाला यह एक अधिकृत प्रस्ताव समझा जाता है।

हिन्दुस्तानके विशाल आकार और इसके मानव जातितत्व, भाषातत्व, शासन परिचालन तथा भौगोलिक एवं प्रादेशिक पार्थक्यको मद्देनजर रखते हुए भारतीय अवस्थाओंमें जो सरकार उपयुक्त हो सकती है वह उपादानभूत राज्योंको पूर्ण स्वाधीनता एवं अवशेषात्मक अधिकार प्राप्त एक सघ-शासन प्रणाली है। केन्द्रीय सरकारका निमग्नण शामिल स्वार्थोंके सिर्फ ऐसे ही विषयों पर होना चाहिये जो विधान द्वारा निश्चित रूपसे विश्वासपूर्वक उसे अर्पित किये जाय।

“यह अपरिहार्य है कि अन्तःसम्प्रदायिक विषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई मसविदा, प्रस्ताव अथवा सशोधन केन्द्रीय एवं प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओंमें पेश न किया जाय, उसपर वादविवाद न हो और वह पास न किया जाय यदि उस व्यवस्थापिका सभाके बहुसंख्यक तीन-चौथाई सदस्य, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, उक्त मसविदा, प्रस्ताव या सशोधनके विरोधी हों।

“विभिन्न भारतीय व्यवस्थापिका सभाओंके लिये पृथक् निर्वाचन द्वारा मुसलमानोंको अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करनेका अधिकार माना जा चुका है। अतएव, मुसलमानोंको उनके इस अधिकारसे, उनकी राय लिये बिना, महरम नहीं किया जा सकता।

“भारतकी मौजूदा परिस्थिति जबतक कायम रहेगी तब तक विभिन्न व्यवस्थापिका सभाओं एव अन्य वैध स्वायत्त-शासनाधिकार प्राप्त सस्थाओंमें वास्तविक गणतन्त्रमूलक सरकारकी सत्ता कायम करनेके लिये मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व पृथक् निर्वाचन पद्धतिके द्वारा होना अपरिहार्य है।”

“जब तक मुसलमानोंको यह सन्तोष न हो जायगा कि विधानमें उनके अधिकार एव स्वार्थ भलीभाँति सुरक्षित हैं तब तक किसी भी तरह वे संयुक्त निर्वाचन प्रणाली स्वीकार नहीं करेंगे। उपर्युक्त उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये यह परमावश्यक है कि केन्द्रीय एव प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलोंमें मुसलमानोंको उनका वाजिब हिस्सा दिया जाय।

“यह अति आवश्यक है कि विभिन्न व्यवस्थापिका सभाओं एव स्वायत्त शासनाधिकार प्राप्त सस्थाओंमें मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व ऐसी बुनियाद पर संयोजित किया जाय जिससे उन प्रान्तोंमें जहां मुसलमान बहुमतमें हैं, उनका हक न मारा जाय जिन सूबोंमें मुसलमान अल्पमतमें हैं वहा उनका प्रतिनिधित्व प्रचलित विधानसे किसी भी कदर कम न हो। चूकि हिन्दुस्तानके समस्त प्रान्तोंमें प्रतिनिधि मुस्लिम सभाओं द्वारा सर्वसम्मतिसे यह निश्चय किया गया है कि समूचे हिन्दुस्तानमें मुसलमानोंके हितोंकी रक्षाके लिये उन्हें पर्याप्त सरक्षण दिये जाय, इस लिये यह सम्मेलन मुसलमानोंकी इन सारी मांगोंको तसदीक करते हुए उसे मजूर करता है।

“चूकि मानव जातितत्व, भाषातत्व, भौगोलिक एवं शासन परिचालनके आधारोंपर सिन्धका शेष बम्बई प्रेसीडेंसीसे कोई मेल नहीं खाता है इसलिये उसे एक अलग प्रान्त बना दिया जाय और उसकी आबादीके हितमें उन्हीं आधारों पर वहां पर भी व्यवस्थापिका सभा तथा शासन सभाकी स्थापना की जाय जिन आधारों पर भारतके अन्य प्रान्तोंमें यह अपरिहार्य है। सिन्धके

अल्पसंख्यक हिन्दुओंको उनकी जनसंख्याके अनुपातसे उसी ढंगका पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाय जिस तरह उन प्रान्तोंमें मुसलमानोंको प्राप्त है जहाँ वे अल्पमतमें हैं। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त व बलूचिस्तानमें भी भारतके अन्य सूबोंकी ही तरह—न सिर्फ वहाँके लोगोंके ही हितमें बल्कि भारतकी वैधानिक उन्नतिके हितमें भी, शासन सुधारोंका विस्तार किया जाय और अल्पमत प्राप्त हिन्दुओंको उनकी संख्याके अनुपातसे वैसा ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय जैसा इन प्रान्तोंमें मुसलमानोंको प्राप्त है, जहाँ वे अल्पमत—माइनरिटीमें हैं।

“भारतीय शासन परिचालनके हितमें यह अपरिहार्य है कि विधानमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि समस्त सरकारी नौकरियोंमें, आवश्यक योग्यताका विचार रख कर, मुसलमानोंको भी अन्य भारतीयोंकी ही तरह पर्याप्त हिस्सा मिले। भारतकी राजनीतिक-परिस्थितिको देखते हुए यह आवश्यक है कि मुसलमानोंमें शिक्षा प्रचार, उनकी भाषा, धर्म, जातीय कानून एवं दातव्य संस्थाओंको विधानानुसार सरकारकी ओरसे वाजिब आर्थिक मदद मिलनेकी व्यवस्था होनी चाहिये। विधानमें यह निश्चित शर्त होनी चाहिये। हिन्दुस्तानमें शासन विधानके लागू हो जानेके बाद केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा द्वारा उसमें भारतीय सभके उपादान भूत अर्थोंके संयोग एवं मेलके बिना कोई रद्दोबदल नहीं होगा।

“अतएव, यह सम्मेलन बड़े जोरदार शब्दोंमें ऐलान करता है कि कोई भी विधान, चाहे जो भी उसे बनाये या पेश करे, भारतीय मुसलमानोंको तब तक मजूर न होगा जबतक वह इस प्रस्तावमें सन्निहित सिद्धान्तोंके अनुरूप न हो।”

नेहरू रिपोर्टकी सिफारिशोंका विरोध करनेके बावजूद भी हिन्दू-महा-सभा कतिपय मामूली संशोधनोंके साथ रिपोर्टसे सहमत हो जानेको तैयार

थी। मगर मुसलमानोंकी ओरसे नेहरू रिपोर्टके मुकाबले जब दूसरा प्रस्ताव रखा गया तो हिन्दुओंपर इसकी प्रचण्ड प्रतिक्रियाका होना बिल्कुल स्वाभाविक था। लिहाजा मार्च १९२९ ई०में हिन्दू महासभाका जो अधिवेशन सूरतमें हुआ। उसमें यह ऐलान किया गया कि चू कि मुस्लिम नेताओंने नेहरू रिपोर्टकी सिफारिशोंको मजूर करनेसे इनकार कर दिया है इसलिये महासभा भी किसी सम्प्रदायको विशेष सुविधा देनेके सिद्धान्तका विरोध करती है। इस तरह ओछे शासन-सुधारोंके नामपर जातिगत सुविधायें पानेकी घातक मनोवृत्ति ने जोर मारा- और समूचे भारतको राष्ट्रीयताके मजबूत बंधनमें आवद्ध करनेकी स्तुत्य चेष्टायें विफल हो गईं। साइमन कमीशनने मजहबी भ्रमोंका विश्लेषण करते हुए अपनी रिपोर्टमें लिखा है कि:—“X X X दोनों जातियोंके बीच पारस्परिक व्यग्रता एव लिप्साकी जो भावना आज देखी जा रही है यह भारतके उज्वल राजनीतिक भविष्यका परिणाम है। जबतक शासनसत्ता ब्रिटिश सरकारके हाथमें रही है और स्वायत्त-शासनकी कल्पना नहीं की गई थी तबतक तो हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्यका दायरा सकीर्ण रहा है और दोनों कौमोमें कोई खास दुश्मनी नहीं रही है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि वर्तमान तटस्थ नौकरशाहीने साम्प्रदायिक भ्रमोंको अवसन्न किया है। इसका एक कारण यह भी रहा है अभीतक एक सम्प्रदायके लोगोंको दूसरे सम्प्रदायके लोगोंकी प्रधानतासे भय खानेकी वजह महज मामूली रही है। आज भारतीय रियासतोंमें ब्रिटिश भारतकी अपेक्षा साम्प्रदायिक लोकतन्त्रका जो तुलनात्मक अभाव देखा जा रहा है उसकी भी यही वजह है। ब्रिटिश भारतकी एक पीढी आगेकी अवस्थाओंसे जो लोग परिचित हैं वे यह सबूत दे सकते हैं कि उस समय दोनों कौमोंके दमियान मेल-जोलकी भावना ज्यादा थी और दोनों पक्षसे साम्प्रदायिक भ्रमोंके कारण नागरिक शांतिका बहुत

कम खतरा था। लेकिन शासन-सुधारोंके प्रतिष्ठापन और उसके कारण भविष्यमें मिलनेवाली शासन मूलक सुविधाओंके लालचने हिन्दुओं एव मुसलमानोंकी प्रतिद्वन्दिताको एक नया रूप दे दिया है।” इसी साइमन कमीशनने अपनी रिपोर्टमें यह सिफारिश की थी कि नये शासन-सुधारके अनुसार बनने वाली प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओंमें मुसलमानों, यूरोपियनों तथा एंग्लो-इण्डियनोंको साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाय।

गोलमेज कानफ़ूँसके अधिवेशनोंमें साम्प्रदायिक समस्याने बड़ा जोर पकड़ा एक ओर मुसलमान थे जो अपने दिल्ली वाले प्रस्ताव पर अड़कर अल्पसंख्यकके अधिकारोंकी रक्षाके लिये सरक्षणकी माग कर रहे थे। मुस्लिम प्रतिनिधियोंकी जवानसे, जिनमें मि० जिन्ना और सर आगाखाके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, सिर्फ सेफगार्ड, रिजरवेशन, (सरक्षण) और माइनारिटीराइटके (अल्पमतके अधिकार) शब्द सुने जाते थे। इस अल्पमतके अधिकारकी आवाजसे सेंट जेम्स पैलेस, जहा गोलमेज बैठी थी, गूज रहा था। मुसलमान प्रतिनिधि इस बातके लिये लड़ रहे थे कि बंगाल और पंजाबमें मुसलमानोंको बहुसंख्यक जाति घोषित किया जाय और तदनुसार उन्हें शासनमूलक अधिकार दिये जायँ, प्रान्तीय और केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलोंका निर्माण साम्प्रदायिकताके आधार पर किया जाय, मुसलमानोंके धार्मिक एव सामाजिक हितोंके विरोधी कानूनोंको साम्प्रदायिक प्रत्यादेश (Communal veto) से रक्षा करनेकी व्यवस्था की जाय और केन्द्रमें मुसलमानोंका ३३ फीसदी प्रतिनिधित्व स्वीकार किया जाय। दूसरी ओर हिन्दू-महासभावादी प्रतिनिधियोंका दल था। यह दल मुसलमानोंकी साम्प्रदायिक मागोंका सख्त विरोधी था और समझौता करनेको तैयार नहीं होता था। सिखों और अछूतोंकी मागोंका सवाल भी कम पेचीदा न था। फलतः पंजाबमें प्रतिनिधित्वके बटवारेके प्रश्नको लेकर गोलमेजकी पहली बैठकमें फूट पड़

गई। ब्रिटिश सरकार और कुछ उदारवादी भारतीय डेलीगेटोंकी चेष्टाओंके बावजूद भी साम्प्रदायिक क्लिब (Communal deadlock) दूर न हुआ।

पृथक् प्रतिनिधित्वकी समस्याको हल करके एक निश्चित नतीजे पर पहुचनेके लिये गोलमेज परिषद्की ओरसे सभी दलोंके प्रतिनिधियोंको लेकर एक अल्पसंख्यक उपसमिति (Minorities Sub-Committee) बनायी गयी। इस जटिल प्रश्न पर मैं एक अलग अध्यायमें किञ्चित् विस्तारके साथ प्रकाश डालनेकी चेष्टा करूंगा। यहा पर इतना ही कह देना उचित होगा कि अल्पसंख्यक उपसमिति भी इस प्रश्नको हल नहीं कर सकी और उसकी सारी चेष्टाएँ—सारे प्रयास विफल गये। प्रायः सभी जातियों एवं दलोंके डेलीगेटोंने शुरूसे ही इस सत्यको स्वीकार किया है कि भारतमें उत्तरदायी स्वायत्त शासनकी सफलता सभी दलों एवं जातियोंके पारास्परिक सहयोग पर निर्भर है। साथ ही इस तरहके सहयोग पर जो नया शासन-विधान तैयार किया जाय उसमें विभिन्न जातियोंके हितों एवं हकोंको सुरक्षित रखनेके लिये एक निश्चित व्यवस्था भी होनी चाहिये। इसलिये गोलमेज परिषद्में यह निश्चय किया गया था—सभी फिर्कों एवं दलोंके प्रतिनिधि अपने-अपने दावों तथा अधिकारोंके सम्बन्धमें एक अधिकृत वक्तव्य तैयार करें और उसे परिषद्के सामने पेश करें ताकि उन दावों एवं अधिकारोंको ध्यानमें रखकर भावी विधानका मसविदा बनाया जाय। किन्तु दुर्भाग्यवश सभी जातियों एवं दलोंके प्रतिनिधियोंने इस मसले पर सकीर्ण दृष्टिकोणसे विचार किया। यह एक बड़े खेदका विषय है कि बहुसंख्यक दल अथवा हिन्दू जातिके डेलीगेटोंने भी इस दिशाने कम सकीर्णताका परिचय नहीं दिया। शक और खौफकी बिना पर कदम आगे बढ़ानेमें कामयाबी नहीं हासिल होती। सफलता प्राप्त करनेके लिये बड़े साहस और निभीकताकी आवश्यकता हुआ करती है। लिहाजा चींटोंके

सरक्षण, पृथक् निर्वाचन एवं प्रत्येक जातिके प्रतिनिधियोंकी संख्याको लेकर सभी दलोंके जुमाइ दे परस्पर सशक्ति बने रहेंगे। संयुक्त निर्वाचनके प्रश्न पर महज मौखिक भक्ति प्रकट की गई। नतीजा यह हुआ कि सारी कोशिशें बेकार गई। चूकि डेलीगेटोंमें कोई समझौता नहीं हो सका और समझौता न होने देनेके लिये कुछ ब्रिटिश कूटनीतिक, जिनमें तत्कालीन भारत सचिव सर सेमुयल होरने विशेष हिस्सा लिया, भीतर ही भीतर साजिशें करते रहे इसलिये अगस्त १९३२ ई० में सम्राट्की सरकारने साम्प्रदायिक निर्णयका निर्माण किया और उसके आधार पर विधान बनानेका काम जारी रखा गया। इस निर्णयने साम्प्रदायिकताकी जड़को और भी मजबूत करनेमें बहुत बड़ा काम किया। सर होर एण्ड कम्पनीको साजिश करनेमें सफलता मिली और भारतीय प्रतिनिधि एक भयकर मायाजालमें पड़कर देशके भविष्यपर कुठाराघात करनेके कारण बने।

गोलमेज परिषद्को देशके सच्चे शुभचिन्तकोंने बच्चोंके खेलसे अधिक कभी महत्व नहीं दिया। इस परिषद्से असफलताके अतिरिक्त किसी बातकी आशा नहीं की जा सकती थी। दूसरी गोलमेज परिषद्में कांग्रेसके एकमात्र प्रतिनिधि होकर यद्यपि महात्मा गांधीने भी भाग लिया था मगर उन्हें भी असफल होकर ही वापस लौटना पड़ा था और भारतके तटपर कदम रखते ही इस महापुरुषको, जो पैंतीस करोड़ भारतीयोंका प्रतिनिधि बनकर स्वाधीनताका सार लाने लन्दन गया था, लार्ड वेल्लिङ्गटनकी सरकारने यरवदा जेलकी भीमकाय काली दीवारोंके भीतर कैद कर दिया था। गोलमेज कानफ़ेंसके आरम्भिक दिनोंमें कतिपय तथाकथित भारतीय प्रतिनिधियोंकी मोहनिद्राको भग करनेके अभिप्रायसे लन्दनके सुप्रसिद्ध पत्र 'डेली टेलीग्राफ' में मि० ऐशमीड चार्टलर नामक एक अंग्रेज लेखकने बड़े पतेकी

बात लिखी थी और उक्त लेखककी वह भविष्यवाणी आगे चलकर अक्षरशः सिद्ध हुई। उन्होंने लिखा था कि,—“देशी राज्योंके प्रतिनिधि वास्तविकतासे बहुत परे हैं—वे परवाह हैं। मुसलमानों और अन्य फिरकेबन्द प्रतिनिधियोंका भी अजीब रख है। दुनिया बड़ी दिलचस्पीके साथ इन ‘भारतीय प्रतिनिधियों’ के आपसके सिरफुड़ौलका तमाशा देखेगी कि किस तरह वे आपसकी ‘तू-तू, मैं-मैं’ में अपना मजाक उड़वाते हैं। इस बीचमें भारत सरकारको देशके राजनीतिक आन्दोलनको कुचलनेके लिये काफी मौका मिल जायगा। और नरम दलके लीडरोंको, जो इस कान्फ्रेंसरूपी जेलमें बन्द होंगे, भारत सरकारपर अपना भौतिक प्रभाव डालनेका मौका ही न मिलेगा।’ हुआ भी दरअसल यही। भारतीय प्रतिनिधियोंने अपनी हँसी कराई और नौकरशाहीके हार्थों कठपुतलीकी तरह नाचनेके बाद असफलताका भार लेकर वापस चले आये।



पाकिस्तानका मसला

मुस्लिम-लीगके जीवनकालमें उसके लाहौरके उस अधिवेशनको सबसे महत्वपूर्ण समझना चाहिये, जिसमें भारतको मुस्लिम-भारत एवं हिन्दू-भारतमें विभक्त करनेके लिये पाकिस्तानकी खतरनाक योजना स्वीकार की गई। भारतके अङ्गच्छेदका ख्याल नया नहीं है। यह प्रचार काफी समयसे होता रहा है। लेकिन राजनीतिक भारतने आमतौरपर इस विचारको कभी मजूर नहीं किया, इसे असम्भव-सा समझा जाता रहा है। किन्तु मि० जिन्नाकी रहनुमाईमें मुस्लिम लीगने पाकिस्तानको अपना उद्देश्य बना ही लिया। लाहौरकी बैठकमें लीगी मुसलमानोंने इस तजवीजको मजूर कर लिया और आज इसे अमली जामा पहनानेके लिये मुस्लिम-लीगके नेता जमीन आसमानके कुलबने एक कर रहे हैं। मि० जिन्ना और उनकी जमातके चन्द फिरकापरस्त नेता सोते-जागते, उठते-बैठते जिब्राल्टरसे लेकर आसामतक इस्लामी राज्यकी सन्ज-रेखा खींचनेका ख्वाब देखा करते हैं। आप इसे पागल्पन कहें या राजनीतिक चालबाजी कहें, आप इसे आठ करोड़ मुसलमानोंका रहनुमा बने रहनेका ढकोसछा कहें या आसमानमें

हीरोके टुकड़ोंकी तरह चमकनेवाले सितारोंको पकड़ लेनेकी हसरत कहें, आप इसपर हँसे या इसका मजाक उड़ायें; आप इसे अथेज शासकोंकी वृत्तीति कहें, या इसे मि० जिन्नाका कठमुद्दापन कहें, लेकिन आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते—हँसकर टाल नहीं सकते। घुरा हो या भला, पाकिस्तानकी योजना आज हमारे सामने है। हिन्दुस्तानमें इस्लामकी एक रूहानी-इमारत तैयार करनेके लिये पाकिस्तानके समर्थक आवाज उठा रहे हैं। यह सच है कि हिन्दुस्तानके सारे मुसलमान पाकिस्तानके समर्थक नहीं हैं। लेकिन इसके समर्थकोंकी सख्या भी कम नहीं है; इस सच्चाईसे हम इन्कार नहीं कर सकते। मि० जिन्नाके १४ मन्त्रोंका उद्देश्य एक साथ हुआ था, पर तबसे न जाने कितने १४ उसमें जुड़ते गये और अन्तमें 'पाकिस्तान' की विभीषिका सामने आई। इसके शौलोंसे, इसकी लपटोंसे निकलनेवाली चिनगारियोंसे भारतीय राष्ट्रीयताका भव्य-भवन जलकर राख हो जायगा। यह एक ऐसा खजर है, जो हमारे राष्ट्रीय जिगरको चाक कर देगा और आजादी हासिल करनेकी हमारी तमन्ना मासूमीकी हालतमें ही मर जायगी।

अब हमें इस मसलेपर विचार करना होगा कि आखिर यह पाकिस्तान है क्या बला ? पाकिस्तानका शाब्दिक अर्थ है पाकोंका—साफ-सुथरोंका देश। पान-इस्लाम या दुनियाके इस्लामी देशोंको सगठित करनेका आन्दोलन बहुत पहलेसे उठ चुका था, और 'चीनो अरब हमारा, सारा जहा हमारा' के नारे लगाये जा रहे थे। मगर पाकिस्तानकी पहली योजना मि० रहमत अलीने १९३३ ई० में देशके सामने पेश की थी। मौजूदा पाकिस्तान-योजना भारतकी प्रस्तावित सघ-योजना (Federal Scheme) के खिलाफ तैयार की गई है। मुसलमानोंके साम्प्रदायिक नेता हिन्दुस्तानको सङ्घबद्ध राष्ट्र नहीं देखना चाहते। हिन्दू बहुमतके साथ मिलनेमें उन्हें खतरा नजर आता है। पाकिस्तानके समर्थकोंका दावा है कि भारत-

की हिन्दू-मुस्लिम समस्या अन्तर्जातीय (Inter-communal) नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय है। मि० जौन कोटमैनने अपनी 'भेगना कोटेनिया' नामक पुस्तकमें पाकिस्तानसे मिलती-जुलती एक स्कीमका खाका खींचा है। उन्होंने यह आशङ्का प्रकट की है कि फारससे लेकर कलकत्ता तक एक इस्लामी राज्यकी स्थापना करनेकी कल्पना मुसलमानोंके मजहबी जोशको उभाड़नेवाली सिद्ध हो सकती है। समूचे एशियाके मुसलमानोंपर इस योजनाका गहरा असर डाला जा सकता है। भारतके विभाजनका लक्ष्य बताते हुए एक पंजाबी लेखकने "The Confederacy of India" नामक किताबमें लिखा है कि—“भारतकी स्वाधीनताका जो अर्थ मुसलमानोंके लिये है, ठीक वही अर्थ कांग्रेसके लिये देशकी स्वाधीनताका नहीं है। कांग्रेसके लिये भारतकी स्वाधीनता एक राष्ट्रीय, आवश्यकताके रूपमें है; यह उसे राष्ट्रीय आत्मसम्मानके पुनरुत्थान तथा अन्य राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक लक्ष्योंके लिये चाहती है। मुसलमानोंके लिये आजादी एक मजहबी जरूरत है, उसके जरिये रूहानी और दुनियाके फायदे हासिल करनेमें आसानी हो सकती है। मुसलमान अपने धार्मिक और सांस्कृतिक आदर्शोंके निमित्त स्वाधीनता चाहते हैं, क्योंकि विदेशी हुकूमतमें उनका पोषण नहीं हो सकता। विदेशी राज्य या ऐसे राज्यमें, जिनमें गैर मुसलमानोंके साथ सयुक्त शासन हो, इन्सानका इस्लामी व्यक्तित्व जिसपर स्वर्गकी प्राप्ति निर्भर है, विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें आत्मअभिव्यक्तिके लिये सुयोगका अभाव होता है। सिर्फ इस्लामी राज्य ही ऐसा राज्य हो सकता है, जिसमें मुसलमानोंकी आत्म-अभिव्यक्तिके सुअवसरोंका अभाव न होगा।”

मुसलमानोंको आम तौरपर यह समझानेकी कोशिश की गई है कि हिन्दुस्तानकी राजनीतिक स्वाधीनतासे मुसलमानोंको कुछ भी फायदा नहीं

पहुच सकता। आत्म-विकासका अवसर तो उन्हें तभी मिलेगा,, जब हिन्दु-स्तानमें उनका अपना राज्य हो, जो हिन्दू-बहुमतके प्रभुत्वसे सर्वथा मुक्त रहे। एक तरहसे पाकिस्तानकी कल्पना करके मुसलमानोंके मजहबी जोशको उभाड़ा गया है। हिन्दू-भारतसे मुस्लिम भारतको पृथक् करके आदर्श इस्लामी राज्य की प्राप्तिके लिये उसे साधन बताया गया है। साथ ही, यह समझानेकी भी चेष्टा की गई है कि पृथक् मुस्लिम राष्ट्रकी स्थापनामें पूर्ण स्वाधीनताके सिद्धान्त भी सन्निहित हैं। मि० मोहम्मदअली जिन्नाने गत २३ मार्च १९४० को लाहोरके मुस्लिम लीगके अधिवेशनमें अध्यक्षकी हैसियतसे बोलते हुए कहा था कि—“राष्ट्रकी किसी भी परिभाषाके अनुसार मुसलमान पृथक् राष्ट्र हैं। अतएव उनका अपना देश, अपना प्रदेश और अपना राज्य होना ही चाहिये X X X !” मि० जिन्नाका यह दावा विल्कुल गलत और प्रमादपूर्ण है। इस सम्बन्धमें सर सैयद अहमद खा के विचार उल्लेखनीय हैं। ध्यान रहे, सर अहमद मि० जिन्नासे कहीं अधिक प्रभावशाली साम्प्रदायिक नेता थे, और मुसलमान जिस इज्जतके साथ उनका नाम लेते हैं वह इज्जत और सम्मान मि० जिन्नाको शायद अभी नहीं हासिल हो सका है। सर सैयद अहमद खा ने एक बार कहा था—“ . . Remember that Hindu or Muslim is a religious word Otherwise the Hindus, Muslims and Christians who live in the country belong to one nation, and when we are of the same nation it is incumbent on us to work together for the welfare of our common motherland The time has passed when simply on account of different religions the two communities of the same country were regarded as two different nations.” यानी—“याद रहे ‘हिन्दू’ और ‘मुसलमान’ धार्मिक शब्द हैं, वरना हिन्दू, मुसलमान और ईसाई, जो इस देशमें रहते हैं, एक हैं।”

राष्ट्र हैं और जब हम सब एक राष्ट्रके वाशिन्दे हैं तो यह हमारा फर्ज है कि हम अपने शामिल वतनकी भलाईके लिये मिल-जुलकर काम करें। वह वक्त गुजर गया जब सिर्फ इस बिनापर यह कहा जाता था कि एक ही देशकी दो जातियोंके मजहब चूकि जुदा-जुदा हैं इस लिये वे दो पृथक् राष्ट्र समझे जायँ।”

हमारा दावा है कि सर सैयद अहमदके उपयुक्त शब्दोंमें काफी वजन है और मि० जिन्नाकी गलत रहनुमाईमें हमारे जो मुसलमान भाई गुमराह हो गये हैं वे सर सैयदकी नसीहतों पर गौर फरमायेंगे। पाकिस्तानकी इस देश-घातक योजनाको आरम्भमें मुसलमानोंने 'पागलपन'का नाम दिया था। पहले तो मुस्लिम लीगने इस पर विचार तक करना उचित न समझा, लेकिन धीरे-धीरे इसके प्रचारने रग दिखाया और इसका जहर अहिस्ता-अहिस्ता असर करने लगा। इस मुस्लिम-लीगी पाकिस्तानका रूप क्या होगा, इसकी फलक पजाब मुस्लिम छात्र सघ द्वारा प्रकाशित 'खिलाफत-पाकिस्तान स्कीम' नामक पुस्तकसे मिलती है। इसमें जो विष-वमन किया गया है उसका एक नमूना इस प्रकार है—“X X चूकि सिर्फ मुसलमान ही मुकम्मल इन्सान (पूर्ण मनुष्य) हैं इस लिये दस्तूरे-हुकूमत (राज्य संचालन) में रायें (वोट) देनेका हक सिर्फ मुसलमानोंको ही हासिल होगा। हमारा दस्तूरे-हुकूमत इज्तमाहे-उम्मत (दलबन्दी) और अतायते-अमीर (तानाशाही) का इम्तजाज (मिश्रण) होगा, जिसका नाम खिलाफत है।” इन अवतरणोंसे साफ जाहिर है कि पाकिस्तानमे हिन्दुओं और सिखोंसे कैसा खौफनाक सलूक किया जायगा। मुसलमानोंके सिवा बाकी सभी मनुष्योंको पशु-सा समझ जायगा।

खाकसारोंके नेता अल्लामा इनायत उल्लाह मशरिकीने 'अक्सरीयत या खून' नामक एक ट्रैक्ट लिखा है। इस ट्रैक्टमें आप फरमाते हैं—“जिस तरह

अशरफ-उल-मखलूकत (परम जीव) की खिदमत और नशबोनुमा (पालन-पोषण) के लिये हैवानान (पशुओं) और नवजात (बनस्पति) को कुर्बान करना जायज है उसी तरह इस्लामी मफाद (लाभ) के लिये गैर मुसलमानों को हर तरह इस्तेमाल करना ऐन इन्साफ है । हा, जिस तरह जानवरोंको इस्तेमाल करनेमें बेरहमी ममनूह (निषिद्ध) है उसी तरह गैर-मुसलमानोंको भी खामखाह अजीयत (कष्ट) पहुंचाना हरगिज मुस्ताहसन (प्रशसनीय) नहीं । अलवत्ता, जहा मुस्लिम मफाद (हितों) और गैर-मुस्लिम मफादमें टक्कर हो वहाँ इस्लामी मफादके नशबोनुमाकी खातिर गैरमुस्लिम मफादको कुचलना और पामाल करना किसी तरह इन्साफके खिलाफ नहीं । मुर्गीका गला घोटकर मार डालना ममनूह (निषिद्ध) है लेकिन इन्सानको अगर भूख लगी हो तो मुर्गीकी जिन्दगीका खयाल, उसके जिवह (वध) करनेमें रुकावट नहीं हो सकता ।' यह है खाक्सारोके नेता अल्लामा मशरिकीकी नसीहत जो वे अपने मुरीदोंको हिन्दुस्तानमें और सारी दुनियामें इस्लामी मफादा उद्धानेके लिए दिया करते हैं । अगर पाकिस्तानका मतलब यही है, तब तो हिन्दू और सिख तो दूर रहे खुद मुसलमानोंके ही कई फिरके इस पाकिस्तानको कभी पसन्द नहीं कर सकने । आगे चल कर इस नसीहतको और भी सकुचित रूप दिया जा सकता है और मुसलमानोंके एक दलके हितोंके लिये दूसरे दलको भी इसी उसूलपर पामाल किया जा सकता है ।

मि० जिन्ना कहते हैं कि हिन्दुस्तानके मुसलमान एक अलग राष्ट्र हैं । लेकिन उनके पास इसे पुष्ट करनेकी कोई वाजिब दलील नहीं है । दो राष्ट्रोंका मिद्वान्त बिलकुल गलत और झूठ है । हिन्दुस्तानके बहुसंख्यक मुसलमान हिन्दू से मुसलमान हुए हैं । पहले पहल जिन हिन्दुओंने लोभ, भय, या प्रेमसे इस्लाम धर्म ग्रहण किया, आजके अधिकांश मुसलमान उन्हींकी वौलादें हैं ।

महज धर्म तबादिल कर देनेसे ही तो वे पृथक राष्ट्र नहीं हो गये। बंगाली मुसलमान वही जवान बोलता है, जो बंगाली हिन्दू बोलता है। उनका खान-पान, रहन-सहन, बोल-चाल, आमोद-प्रमोद सब एक ही तरहका होता है। एक बंगाली हिन्दू या बंगाली मुसलमानको, एक पंजाबी हिन्दू या पंजाबी मुसलमानको सिर्फ चेहरा देख लेनेसे ही यह भेद नहीं जाना जा सकता कि कौन हिन्दू है और कौन मुसलमान। अन्य प्रान्तोंके सम्बन्धमें भी यही बात लागू है। ब्रिटेनके विधानाचार्य प्रोफेसर कीथके कथनानुसार भारतके ३ मुसलमान हिन्दूकी औलादें हैं। हिन्दू-मुसलमानोंकी एक राष्ट्रीयताकी छाप उनके चेहरेपर अव्यक्त है जिसे कोई भी देख और समझ सकता है। हिन्दू और मुसलमान दो राष्ट्र नहीं हैं। वे एक हैं—अविभाज्य हैं। जिन्हें ईश्वरने एक बनाया है उन्हें दो बना देनेकी ताकत मनुष्यमें नहीं है। मि० जिन्ना यह नहीं कहते कि कुछ हिन्दू बुरे हैं। उनका कहना तो यह है कि हिन्दुओं और मुसलमानोंमें कोई एक रूपता है ही नहीं। मैं कहता हू कि मि० जिन्ना जैसे स्थालके लोग इस्लामकी कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं। वे इस्लामके संदेश और उसकी शिक्षाका गलत अर्थ निकाल रहे हैं। इस्लामके वफादार बन्दोंको मि० जिन्ना जैसे नेताकी गलत रहनुमाईसे बंधत रहते सावधान हो जाना चाहिये।

सर शफ़ात अहमदने श्री अतुलानन्द चक्रवर्तीकी 'भारतके हिन्दू और मुसलमान' नामक पुस्तककी भूमिका लिखी है। उसमें सर शफ़ातने लिखा है—'भारतीय सभ्यताका इतिहास इन बातोंमें प्रमाण है कि इन देशके साधारण जन-समूहकी भावनाओं और कल्पनाओंमें सदासे ही जो एकरूपता रही है, और दो कौनोंकी भावनाओं जो तारन्य एव एकरूपता देगी नहीं है यह इन देशकी एक-राष्ट्रीय भावनाका जीता-जगता प्रतीक तथा सजीव चित्र है।

इस देशकी जैसी राष्ट्रीयता एव एकता एशियाके दूसरे किसी देशमें नहीं पाई जाती। हमारे राजनीतिक मतमेद चाहे जो भी हों, लेकिन इस अस-
 ल्मियतको कोई मिटा नहीं सकता कि हमारे ख्यालात, हमारे जजबात, हमारे
 जीवनकी परम्परा, हमारी आदतें और हमारे विचारोंका घेरा एक है। यह
 हमारी एकताकी शक्तिशाली पौराणिकता है। लगभग एक हजार वर्षसे यह
 एकरूपता हमारी नस-नस, रोम-रोम और खूनके जर्रे-जर्रेमें परिव्याप्त है। इसे
 कभी मिटाया नहीं जा सकता। यह अमर है, सत्य है।' सर शफात अहमदके
 ऐतिहासिक ज्ञानमें किसीको सन्देह नहीं हो सकता। वे एक अधिकारसम्पन्न
 इतिहासकार हैं। साथ ही, उनके कथनका प्रमाण भी प्रत्यक्ष है। फिर भी
 मि० जिन्ना जैसे मुस्लिम नेता मुसलमानोंको अलग राष्ट्र मानते हैं और इस
 विनापर भारतका अग-छेद करके पाकिस्तानकी स्थापना करना चाहते हैं तो,
 यह उनकी नासमझी और भूल नहीं, बल्कि शरारत और देश-द्रोह है। मि०
 जिन्नाके सम्बन्धमें स्वर्गीय मि० एडविन माटेगूने ठीक ही लिखा था कि—
 "Jinnah is a very clever man ...at the root of Jinnah's-
 activities is ambition." याने—जिन्ना बड़े चालाक आदमी हैं
 उनकी कारगुजारियोंकी जड़में महत्वाकांक्षा छिपी है।' हमें इसकी शिकायत
 या मलाल नहीं है कि मि० जिन्ना ऐश्वर्य चाहते हैं और वे बहुत बड़े
 महत्वाकांक्षी हैं। हमें खेद तो इस बातका है कि वे भारतका अगच्छेद करके
 अपनी अप्राप्य ऐश्वर्यलिप्साकी पूर्ति करना चाहते हैं। भारतके आठ करोड़
 मुसलमानोंको अल्पसंख्यक बताना, और फिर यह कहना कि हिन्दू उन्हें निगल
 जायेंगे, सरासर अन्याय और नासमझी है। बड़े-बड़े तूफानों और बवण्डरोंसे
 टकर लेनेवाले इस्लामके मुरीदोंको, जिनके अन्दर जोश और जिन्दगी है,
 बहुसंख्यक जाति कैसे पामाल कर सकती है ? मुसलमानोंको हिन्दुओंकी अजय'

दिखाना और यह फहना कि इस्लामका अस्तित्व खतरेमें है, इस्लामकी तौहीन करना है तथा मुसलमानोंको कमजोर और गुजदिल बनाना है। मुसलमान एक अलग राष्ट्र तो होही नहीं सकते। मजहब और अल्पताके सिद्धान्तपर राष्ट्रका निर्माण नहीं हुआ करता। राष्ट्रीयताके निर्माणका आधार कुछ और ही है और वह भारतके हिन्दुओं तथा मुसलमानोंमें सम्मिलित रूपसे मौजूद है।

सन् १९१९ ई०में माटेगू-चेम्सफोर्ड शासन-सुधारके समय प्रोफेसर कीथने भारतकी राजनीतिक स्थितिका जिक्र करते हुए लिखा था—“मुसलमानोंमें भी मुस्लिम-राज्य कायम करनेका इच्छुक प्रचार किया गया है और मुस्लिम राज्यकी एक योजना बनाई गई है जिसमें अफगानिस्तानसे लेकर उत्तर-पश्चिम भारतके वे प्रदेश शामिल हैं जहा इस्लामका जोर है, और मुसलमानोंकी आबादी ज्यादा है। यह योजना अपेक्षणीय नहीं है।” प्रोफेसर कीथके उपर्युक्त अवतरणसे स्पष्ट है, कि पाकिस्तानकी योजना काफी पुरानी है। समय-समयपर इस योजनामें तबदीलिया होती गई हैं।

पाकिस्तानके समर्थक भारतको तीन टुकड़ोंमें घाटना चाहते हैं। पहले टुकड़ेमें सीमाप्रान्त, पंजाब, काश्मीर, सिन्ध, बिलोचिस्तान और युक्तप्रान्तका एक भाग; दूसरेमें बङ्गाल और आसाम तथा तीसरेमें रियासत हैदराबाद। जरा मुस्लिम लीगका अनोखा मन्तव्य तो देखिये, एक ओर वह काश्मीर, पंजाब, सिन्ध और सीमाप्रान्त आदिको तो इसलिये पाकिस्तानमें शामिल करती है कि वहा मुसलमानोंकी आबादी अधिक है, और दूसरी ओर वह रियासत हैदराबादको, जहा ९० फी सदीसे भी अधिक हिन्दू रहते हैं, इसलिये लेना चाहती है कि वह मुस्लिम रियासत और नवाबी है।

पाकिस्तान योजना अर्थात् इस्लामी राज्यकी योजना कई ऐसे दिमागोंकी उपज है, जिनके दिलोंमें उलझे हुए मजहबी जजवातोंका तूफान भरा हुआ

था या भरा है। इस्लामी राज्यकी कई योजनायें अबतक प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें एक पजाबी लेखककी योजना है, जिसने भारतको कई सघोंमें टुकड़े-टुकड़े कर लेनेकी तजवीज पेशकी है। पजाबी लेखककी योजनामें हिन्दुस्तान सघ, हिन्दू-भारत सघ, राजस्थान सघ, दक्षिण राज्य सघ, और बङ्गाल सघकी कल्पनाए की गई हैं। (१) हिन्दुस्तान सघमें सारा पञ्जाब आजाता है। सिर्फ अम्बाला डिवीजन, जिला कागड़ा और होशियारपुर जिलेकी उन्नाव एव गढ़शङ्कर तहसीलोंको वाद दे दिया गया है; क्योंकि इन जगहोंमें मुसलमानोंकी अपेक्षा हिन्दुओंकी आबादी ज्यादा है। सिन्ध, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, विलोचिस्तान, काश्मीर, बहावलपुर, दीर, स्वात, चित्त-राल, खानपुर, कलात, लाकवेला, कपूरथला और मलेरकोटला आदि इस सघमें शामिल किये गये हैं। इसकी कुल आबादी लगभग ३ करोड़ ३० लाखके होगी, जिनमें मुसलमानोंकी आबादी ८२ फीसदी होगी।

(२) हिन्दू-भारत सघमें सयुक्त प्रान्त, मध्य भारत, विहार, बङ्गालके कुछ हिस्से, उड़ीसा, आसाम, मद्रास, बम्बई तथा कुछ भारतीय रियासतें होंगी। इस सघकी कुल आबादी २१ करोड़ ६० लाखके करीब होगी, जिसमें हिन्दुओंकी सख्या लगभग ८३ फीसदी होगी। (३) राजस्थान सघ, राज-पूताना और मध्यभारतकी अनेक रियासतोंको मिलाकर बनाया जायगा। इस सघकी जन सख्या १ करोड़ ७० लाखके करीब होगी। (४) दक्षिण भारत सघमें हैदराबाद, मैसूर, और वास्तर शामिल किये गये हैं, जिसकी कुल आबादी लगभग २ करोड़ १० लाख होगी। और हिन्दुओंकी सख्या फी सदी ८२ होगी। (५) बङ्गाल सघमें पूर्वी बङ्गाल, गोआलपाड़ा, आसामका सिलहट जिला, त्रिपुरा तथा अन्य रियासतें होंगी। इसकी कुल आबादी ३ करोड़ १० लाख समझी गयी है, जिसमें मुसलमान ६६ फी सदी होंगे। इस योजनाके

अनुसार ४ करोड़ ८० लाख मुसलमान तो मुस्लिम सद्धमें आ जायेंगे और शेष २ करोड़ ८० लाख मुसलमान तथाकथित हिन्दू सद्धोंमें अपने भाग्यपर छोड़ दिये जायेंगे ।

दूसरी योजना अलीगढ़-योजनाके नामसे मशहूर है । इस योजनाको अलीगढ़ विश्वविद्यालयके प्रोफेसर सैयद जफरुल हसन और मोहम्मद अफजल हुसेन कादरीने तैयार किया है । ये दोनों लेखक मुसलमानोंको पृथक् राष्ट्र मानते हैं और भारतका राजनीतिक विभाजन चाहते हैं । इनकी योजनाके मुताबिक पहला पाकिस्तान क्षेत्र होगा—जिसमें पञ्जाब, सीमाप्रान्त, सिन्ध, विलोचिस्तान, काश्मीर-जम्मू, मण्डी, फरीदकोट, पटियाला, जिंद, कपूरथला, बहालपुर और नाभाको शामिल किया जायगा । इस पाकिस्तानकी कुल आबादी ३ करोड़ ९० लाख होगी, जिसमें इस्लाम धर्म माननेवालोंकी सख्या ६० फीसदीसे थोड़ी ज्यादा होगी ; दूसरा बंगाल-क्षेत्र होगा । (ब्रह्म और मिदनापुरको छोड़कर) इस क्षेत्रमें बंगाल, बिहारका पूर्णिया जिला और आसामका सिलहट जिला शामिल किया गया है । इस क्षेत्रकी कुल आबादी ५ करोड़ २० लाख होगी, जिसमें मुसलमानोंकी सख्या ५७ प्रति शत होगी । तीसरा हिन्दुस्तान-क्षेत्र होगा । इस क्षेत्रमें हैदराबाद, पाकिस्तान और बंगालको बाद देकर शेष सारे हिन्दुस्तानको शामिल किया गया है, जिसमें भारतीय रियासतें भी हैं । इस हिन्दुस्तान-क्षेत्रकी कुल आबादी २१ करोड़ ६० लाख होगी और इसमें मुसलमान ९ फीसदीसे अधिक नहीं होंगे । इसके अलावा हैदराबाद क्षेत्र होगा, जिसमें हैदराबाद, वरार और करनाटक शामिल होंगे । इस क्षेत्रकी जनसख्या २ करोड़ ९० लाख होगी । इसमें मुसलमानोंकी आबादी ७ फीसदीसे कुछ अधिक है । दिल्ली एक अलग क्षेत्र होगा । इसमें मेरठ डिवीजन, रुहेलखंड डिवीजन और अलीगढ़ शामिल होंगे । इस क्षेत्रकी कुल

आबादी १ करोड़ २० लाख होगी। इसमें मुसलमान २८ फीसदी होंगे। दक्षिण-भारतमें एक मालाबार-क्षेत्र होगा, जिसमें मालाबार और दक्षिण कर्नाटके हल्के शामिल किये जायेंगे। मालाबार क्षेत्रकी आबादी ४० लाख होगी, जिसमें मुसलमान २७ फीसदी होंगे। अलीगढ़-योजनाकी एक सल्लेखनीय बात यह है कि उसकी नागरिक एवं राजनीतिक धारणा नानी विचारोंके आधारपर आयम है। उदाहरणके लिये इस योजनामें ५० हजारकी आबादीतक या इससे अधिककी आबादीवाले शहरोंको 'स्वतन्त्र नगर' घोषित किया है। इस योजनासे भारतमें अनेक डैजिंग बन जायेंगे और इस किस्मके डैजिंगनुमा 'स्वतन्त्र शहरों' में कुल मिलाकर १३,८८,६९८ मुसलमान आबाद होंगे।

इस्लामी राज्यकी तीसरी योजना हैदराबाद विश्वविद्यालयके प्रोफेसर डा० लतीफने बनाई है; और यह योजना मुस्लिम लीगको भी मजूर है। डा० लतीफने 'भारतकी मुस्लिम समस्या' (Muslim Problem in India) नामक एक पुस्तक लिखी है। इनकी योजना सांस्कृतिक विभाजन पर अवलम्बित है। मुस्लिम लीगने इसी योजनाके आधार पर पाकिस्तानकी माग पेश की है। डा० लतीफकी योजनाके अनुसार भारतका अङ्गच्छेद सांस्कृतिक क्षेत्रों (Cultural Zones) के आधार पर होगा। इसमें चार क्षेत्र मुसलमानोंके होंगे और ग्यारह क्षेत्र हिन्दुओंके लिये होंगे। भारतके देशी राज्योंको भी इनमें शामिल किया जायगा। हरेक क्षेत्र एक अलग राज्य होगा, और सबको मिलाकर एक अखिल भारतीय सभ होगा। डा० लतीफकी योजनामें मुस्लिम क्षेत्रोंको इस प्रकार बाटा गया है—(१) सिन्ध, बिलोचिस्तान पंजाब, सीमा-प्रान्त, काश्मीर और बहावलपुर (२) पूरबी बंगाल और आसाम (३) दिल्ली आगरा, कानपुर और लखनऊ (४) हैदराबाद, बरार, कुरनूल, कुदापा, चित्तूर उत्तरी अरकाट, चिन्नलेपूत तथा भद्रस शहर।

हिन्दू क्षेत्रको निम्नलिखित ११ हिस्सोंमें विभाजित किया गया है —
 (१) पश्चिमी बंगाल, (२) उड़ीसा (३) बिहार, संयुक्तप्रान्त, लखनऊ, दिल्ली, ब्लाकफी रेखा तक, । इसमें मध्यभारतके कुछ राज्य भी शामिल होंगे ।
 (४) राजपूताना और राजपूत रियासतें (५) गुजरात, काठियावाड़ (६) महा-
 राष्ट्र (७) कनारा (८) आन्ध्र (९) तामिल (१०) मालावार और (११) हिन्दू
 सिख क्षेत्र । उत्तर-पश्चिममें काश्मीरका कुछ भाग उसमें शामिल होगा ।
 डा० लतीफकी योजनामें यह भी कहा गया है कि हिन्दू और मुस्लिम क्षेत्रोंमें
 रहनेवाले मुसलमानों और हिन्दुओंको मुवावजा देकर अपने-अपने क्षेत्रोंमें
 स्थानान्तरित किया जायगा, जिसमें प्रत्येक क्षेत्रमें एक-सी सस्कृतिके
 लोग ही बसें । हरिजनोंको यह स्वतन्त्रता दी गई है कि वे चाहे
 जिस क्षेत्रमें बस जायें । इसका मतलब यह हुआ कि हरिजनोंकी कोई
 सांस्कृतिक स्थिति ही नहीं है । सर सिकन्दर हयातखाने भी एक योजना
 बनाई है । मगर इनकी योजनाको मुस्लिम क्षेत्रोंमें कोई खास महत्त्व नहीं
 दिया गया ।

भारतका अगच्छेद (Division) करनेके लिये मुस्लिम लीगने
 पाकिस्तानकी माग तो पेश की, लेकिन यह माग उसी तक सीमित न रही ।
 मि० जिन्नाकी मागका समर्थन करते हुए दक्षिण भारत लिबरल फेडरेशन
 (जस्टिस पार्टी) के अध्यक्ष श्री ई० वी० रामस्वामी नायकरने दक्षिण भारत-
 में द्रविड़ राज्यकी माग उपस्थित की है । इस सिलसिलेमें दिये गये अपने
 एक वक्तव्यमें श्री नायकरने कहा कि जिस प्रकार हिन्दुओं और मुसलमानोंकी
 सस्कृतिमें भेद है उसी तरह हिन्दुओं और द्राविड़ोंकी सस्कृति एव सभ्यतामें
 अन्तर है । द्रविड़ हिन्दू क्षेत्रोंमें रहकर सुख नहीं पा सकते । अतएव द्रविड़ों-
 का अलग राज्य होना चाहिये । ब्राह्मणोंके जुल्म और अत्याचारको द्रविड़

बर्दादत नहीं कर सकते। वे ब्राह्मणोंके साम्राज्यवादका मुकाबला करनेको कृत-सकल्प हैं। इसी तरह गत ३१ मार्च १९४० को सोनीपतमें श्री शिवधान सिंहकी अध्यक्षतामें अखिल भारतीय जाट महासभाका जो अधिवेशन हुआ था उसमें सिख मिशनरी कालेज, अमृतसरके प्रिंसिपल सर गङ्गासिंहने पाकिस्तान योजनाके मुकाबलेमें जाट-राज्यकी स्थापनाका प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने अपने भाषणमें कहा था—‘यदि जाट साहस और सकल्पका परिचय दें तो मुझे विश्वास है ये जाट लोग दक्षिण-पूर्वमें गङ्गा नदीसे लेकर उत्तरमें मेलम नदी तक एक स्वतन्त्र जाट-राज्यकी स्थापना कर सकते हैं।’ कहनेका मतलब यह कि पाकिस्तानकी देश-घातक योजनाके हिन्दुस्तानमें फूट और वैमनस्यका एक तूफान ला दिया है।

पाकिस्तानकी योजनाका प्रचण्ड विरोध भी किया गया और पाकिस्तान-विरोधी आन्दोलन धीरे-धीरे जोर भी पकड़ता जा रहा है। महात्मा गांधीजिं इसके विरोधमें १३ अप्रैल १९४० के ‘हरिजन’ में लिखा था कि—“अहिंसा-का पुजारी होनेके नाते मैं प्रस्तावित विभाजनका बलपूर्वक विरोध नहीं कर सकता, यदि भारतके मुसलमान वास्तवमें चाहें। परन्तु मैं भारतके विभाजन-के कार्यमें स्वेच्छासे भाग नहीं ले सकता। मैं उसका विरोध करनेमें अत्येक अहिंसात्मक उपायका इस्तेमाल करूंगा। विभाजन एक मिथ्यावाद है। शेरों आत्मा इसके खिलाफ बगावत करने लगती है कि हिन्दुत्व और इस्लाम दो विरोधी सस्कृति और सिद्धान्त हैं। मैं इस विचारके खिलाफ हूँ कि लाखों भारतीयोंने जो कल तक हिन्दू थे, आज सिर्फ इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेनेसे अपनी राष्ट्रीयताको भी बदल दिया है।” महात्मा गान्धीने पाकिस्तान योजना-के खिलाफ और भी कई लेख ‘हरिजन’ में लिखे और अकाशवाणी के द्वारा मुस्लिम लीग की इस खतरनाक मागको निस्सार बताया है।—हिन्दू और

मुस्लिम जनसमूहमें कोई फूट नहीं है, यह फूट तो सिर्फ ऊपरी सतह पर है और राजनीतिक नेता इससे फायदा उठाया करते हैं ।

पाकिस्तानकी योजनाके खिलाफ अपनी राय जाहिर करते हुए माननीय श्री वी० एस० श्री निवास शास्त्रीने कहा था कि—“हिन्दुस्तानको दो राजनीतिक भागोंमें विभक्त कर देनेकी माग, जिसके राष्ट्रीय हित पृथक् हों, बड़ी खतरनाक है । इसकी कल्पना मात्रसे हमारे सामने अधेरा छ जाता है और हम समझ नहीं सकते कि फिर हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनका अगला कदम क्या होगा ?”

मौलाना अबुल कलाम आजादने पाकिस्तान योजनाका विरोध करते हुए बड़े मार्केकी बात कही है । मौलाना साहबने कहा है कि—“ऐसी कार्रवाई करनेका अधिकार तो सिर्फ उन्हीं मुसलमानोंको मिल सकता है जो मुसलमानों द्वारा चुने गये हों । इस मकसदके लिये मुस्लिम लीग कोई भी योजना पेश कर सकती है, लेकिन वह यह दावा यहीं कर सकती कि उसकी स्कीमको समस्त मुसलमानोंने अथवा बहुसंख्यक मुसलमानोंने स्वीकार कर लिया है ।” मुस्लिम लीगकी पाकिस्तान योजनाका विरोध करनेके लिये अप्रैल १९४० के अन्तिम सप्ताहमें दिल्लीमें अखिल भारतीय आजाद मुस्लिम कान्फ्रेंस की गई थी । इस कान्फ्रेंसके अध्यक्ष सिंधके प्रधान मन्त्री खॉं बहादुर अल्लाहवख़्त थे । कान्फ्रेंसमें मजलिसे अहरार, जमायत उल-उलेमाए हिन्द विहार-मुस्लिम-स्वतन्त्र दल, अजुमने वतन, अखिल भारतीय सिया राजनीतिक सम्मेलन और राष्ट्रीय मुस्लिम आदि सगठनोंके प्रतिनिधियोंने काफी तादादमें भाग लिया था । इसमें विभिन्न प्रान्तोंके मुसलिम प्रतिनिधि इस प्रकार शामिल हुए थे.—सयुक्तप्रान्त—३५७, पंजाब—१५५, विहार—७५, बंगाल—४५, मध्यप्रान्त—१८, मद्रास—५, उड़ीसा—५, अजमेर—१२, सीमाप्रान्त—

३५, सिंध—४२, बिलोचिस्तान—२५, बम्बई—४०, आसाम ५, दिल्ली—११२ और देशी राज्योंके १२ । इस आजाद मुसलिम कान्फ्रेंसमें पाकिस्तान योजनाका विरोध किया गया । सम्मेलनने चार दिन तक अपना अधिवेशन करनेके बाद काररवाई समाप्त की । उपस्थित प्रतिनिधियोंने एक-एक प्रश्न पर उचित गम्भीरता एवं उत्तरदायित्वके साथ विचार किया था । सम्मेलनने अपने निर्णयमें मुसलमानोंके हितके साथ-साथ राष्ट्रीय हित पर भी पूरा ध्यान दिया । आजाद-मुसलिम कान्फ्रेंसने, भारतके मुसलमानोंके सुयशमें जो घच्चा लगाया जा रहा है उसे धो डालनेके लिये पूरी चेष्टा की । वहासे उठनेवाली आवाजमें बराबर यह बात सुनी गई कि भारतके मुसलमान इस देशको अपनी मातृभूमि मानते हैं और वे भारतीय होने तथा मुसलमान बने रहनेमें कोई भेद नहीं पाते । मि० जिन्नाके दो राष्ट्र वाले अभिनव सिद्धान्त और पाकिस्तान योजनाका प्रबल प्रतिवाद करते हुए आजाद-मुसलिम-कान्फ्रेंसने यह ऐलान किया कि भारत एक है और एक रहेगा । इसे विभक्त करनेकी योजना न केवल देश-हितके लिये, बल्कि स्वयं मुसलमानोंके लिये भी घातक है । हिन्दुस्तानके मुसलमान देशकी आजादीके जगमें देशके साथ रहेंगे और हिन्दुस्तानको अपना प्यारा बतन समझ कर इसे आजाद करनेकी पूरी कोशिश करेंगे ।

मुस्लिम लीगकी पाकिस्तान योजनाका विरोध न सिर्फ हिन्दुस्तानके, बल्कि हिन्दुस्तानके बाहरके मुस्लिम देशोंके मुसलमानोंने भी किया है । शिलागके एक प्रमुख मुसलमान अफगानिस्तान, फारस, ईरान, ईराक और टर्की आदि मुस्लिम देशोंका भ्रमण करने गये थे । इन मुस्लिम देशोंमें उनके अनेक मित्र हैं । हिन्दुस्तानके बारेमें इन देशोंके लोग बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और भारतीय स्वाधीनताके आन्दोलनसे उनकी पूरी सहानुभूति रहती है । इन

लोगोंने अपने शिलागके मित्रके पास प्राइवेट तौरपर खत लिखकर मुस्लिम लीगकी पाकिस्तान योजनाका सख्त विरोध किया है। टर्की तथा अन्य मुस्लिम राष्ट्रोंके स्वाधीन मुसलमानोंने मुस्लिम लीगकी मागपर बड़ा क्षोभ प्रकट किया है और मि० जिन्नाके नेतृत्वको भारतीय मुसलमानोंके लिये खतरनाक बताया है। लेकिन इन देशके मुसलमानोंको इस बातका सन्तोष है कि मुस्लिम लीग सारे भारतके मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व नहीं करती।

भारतको विभाजित करनेकी योजनाकी मध्य बिन्दु यही है कि बहुमतके प्रभुत्वसे अल्पमतकी रक्षा की जाय। मगर पाकिस्तान योजनासे यह सवाल हल होता नजर नहीं आता। विभाजित भारतकी प्रत्येक इकाईमें भी मजहबी जोश, कठमुल्लापन और धार्मिक वैमनस्य बना रहेगा। मुस्लिम लीगके मुताबिक ब्रिटिश भारतके आठ प्रान्तोंमें कांग्रेसी हुकूमतके अन्दर मुसलमानोंपर जुल्म टाये गये और उनके स्वाभाविक हकको कुचला गया। लेकिन इसका क्या सबूत है कि भविष्यके सांस्कृतिक क्षेत्रोंमें, जहा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक रहेंगे ही, इस तरहके जुल्म नहीं होंगे? क्या इन क्षेत्रोंमें, मुसलमान हिन्दुओंपर और हिन्दू मुसलमानोंपर, जहा जिनका बल होगा, मजहबी जोशके वेहूदे नशेमें आकर मनमानी नहीं करेंगे? जो बात हिन्दू राज्यमें सच है वही मुस्लिम राज्यमें भी सच है। हम तर्कका जवाब अगर यह दिया जाय कि अल्पमतके स्वार्थों ऐव अधिकारोंकी रक्षाके लिये विधानमें सरक्षणकी व्यवस्था रहेगी तो वह जवाब ही भारतके विभाजनकी मागको निरर्थक सिद्ध कर देता है, यदि अल्पसंख्यक जातियोंको सरक्षण ही देना है, तो भारतको विभाजित करनेके, वजाय, इसके भावी विधानमें ऐसी व्यवस्था क्यों न की जाय, कि अल्पमतको, बहुमतसे कोई भय न रहे और दो जातिया आपसमें मिलकर

अपनी मातृभूमिको आजाद करें—खुद आजाद हों और अपने इन्सानी अरमानोंको पूरा करें ।

सर वजीर हसनने 'दी ट्वीनटीयथ सेंचुरी' में दो राष्ट्रोंकी कल्पनाका विरोध करते हुए लिखा था कि—“हिन्दुस्तानको हिन्दू-भारत और मुस्लिम भारतमें घाटनेकी स्कीम नासमझी और बेअहलीका नमूना है । इसका कोई ठोस आधार नहीं है । आज यह कहना विलकुल पागलपन और हास्यास्पद है कि हिन्दू और मुसलमान राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्योंके लिये एक राष्ट्र नहीं हैं । अगर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकका सवाल लिया जाय, तो मैं यह कहूंगा कि विभाजित हिन्दू और मुस्लिम भारतमें भी अल्पसंख्यक एव बहुसंख्यक जातियां मौजूद रहेगी । लिहाजा हिन्दुस्तानको दो भगाड़ालू पड़ोसी राज्योंमें विभाजित करनेके बजाय भावी शानस विधानमें अल्पमतके हकोंकी हिफाजतके लिये वाजिव व्यवस्थायें की जा सकती हैं ।

अब इस मामलेपर एक मिश्री नेताकी राय देकर इम प्रसंगको यहीं खत्म कर दिया जाय । त्रिपुरी कांग्रेसमें मिश्रकी वपिदस्त पार्टीका जो डेपुटेशन आया हुआ था उसके नेता मोहम्मद बेने कांग्रेसके खुले अधिवेशनमें बोलते हुए कहा था—“जिस देशके लोग अपनी आजादीके लिये लड़ रहे हों वे अपनी फूट बर्दाश्त नहीं कर सकते । फूटसे उनका मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता । मिश्रमें मुस्लिम और ईसाई राष्ट्र थे । दोनों जातियोंमें काफी फूट थी । मगर जगलूल पाशाने हमें एकमें मिलाकर एक राष्ट्र बना दिया । हम वतनके लिये अपनी नजहबी घातोंको भूल गये और सब मिलकर मिश्री हो गये । मैं आशा करता हू कि जिस तरह मिश्रमें अरबों और ईसाइयोंने आपसमें मिलकर साम्राज्यवादका मुकाबला किया था, उसी तरह हिन्दुस्तानके

लोग भी अपने भेद-भावोंको भूलकर एकताकी डोरीमें बँध जायेंगे और अपने देशकी आजादीके लिये कन्धेसे कन्धा मिटाकर आगे बढ़ेंगे ।” काश, हमारे साम्प्रदायिक नेता इस नसीहतके महत्वको समझते ! आज हमारी घतनपरस्तीका गला मजहबपरस्तीका खौफनाक शैतान अपने फौलादी चगुलोंसे दबोच रहा है । अगर यही रवैया जारी रहा तो दुनियाकी दास्तानोंमें हमारी दास्ता तक भी न रहेगी । लिहाजा—

‘घतनकी फिक्र कर नादा, मुसीबत आनेवाली है ।
तेरी बरबादियोंके मझरे हैं आसमानों में ॥’



हिन्दुओंको उपेक्षा—नीति

भारतकी वर्तमान साम्प्रदायिक समस्या और मजहबी झगड़ोंकी जिम्मेदारी ज्यादातर मुसलमानोंपर मढी जाती है । हिन्दू सभा और आर्य समाजके प्रचारक तथा उपदेशक और हिन्दू एव आर्य नेता मुसलमानोंको ही साम्प्रदायिक विद्वेषका उत्तरदायी ठहराते हैं और खुद दूधके घोये बननेका दम भरते हैं । लेकिन हिन्दू जातिकी गठनमूलक व्यवस्था और उपेक्षा नीतिपर अगर हम विचार करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि साम्प्रदायिक विद्वेषकी ज्वालाको जागृत करनेमें हिन्दुओंका हाथ किसीसे कम नहीं है । हिन्दू धर्म जहा अपनी उदारताके लिये प्रसिद्ध है वहा उसमें कट्टरता भी कम नहीं है । आधुनिक ससारके चार महान् धर्म हैं—ईसाई, हिन्दू, बौद्ध और इस्लाम । ये चारों धर्म हिन्दुस्तानमें प्रधान रूपसे पौजूद हैं । ईसाई मतकी चमकीली भौतिक सभ्यताने दुनियाके 'धर्म' का नाम बदल दिया है और इसकी वजहसे ससारकी प्रगतिमें महान् बाधा और अन्तर आ गया है । बुद्धके अनुयायी अहिंसा तत्व को भूलकर छिपकलियों तकला मास खाने लगे हैं और ईश्वरवादी हिन्दुओंमें नास्तिकता जोर पकड़ने लगी है । इस्लामका भयकर शौर्य खतम हो गया

है। हम यह मानते हैं कि इस्लामके वच्चेकी घूटीमें आज भी 'मजहब पर कुर्बान हो जाने' का शुरूमत्र घोला जाता है और 'इस्लाम खतरेमें पड़ गया है' का नारा बुलद करके मुसलमानोंके मजहबी जोशको उभाड़ा जाता है। लेकिन हिन्दुओंकी भावना कुछ और तीखी है। हिन्दू अपनेको दुनियाकी सर्वश्रेष्ठ कौम समझते हैं और उनका विदवास है कि हिन्दू या आर्य ही ससारके गुरु हैं—सभ्यताके स्रष्टा और कर्णधार हैं। इसकी पुष्टिमें अल-बरूनी जैसे प्रसिद्ध इतिहासकारका कथन पेश करें। महमूदके आक्रमणके समय हिन्दुओंका मनोविज्ञान और उनकी अवस्था क्या थी इसके बारेमें अल-बरूनी लिखता है कि—“हिन्दुस्तान बहुत छोटे-छोटे राज्योंमें बँटा हुआ है। सब राज्य स्वतन्त्र हैं और आपसमें युद्ध किया करते हैं। ब्राह्मण अपने अधिकारोंकी रक्षाके लिये इतने व्याकुल हैं और जाति-भेदका ऐसा द्वेष भाव फैला हुआ है कि वैश्यों और शूद्रोंको वेद पाठ करते देखकर ब्राह्मण उनपर तलवार लेकर दूट पड़ते हैं और उन्हें राज्य-कचहरीमें उपस्थित करते हैं। यहाँ उनकी जवान काट ली जाती है। ब्राह्मण सब प्रकारके राज्य-कर एवं राज्य-दण्डसे मुक्त हैं। हिन्दू बालाएँ सती हो जाती हैं। हिन्दू किसी देशको नहीं जानते, किसी जातिकी श्रद्धा और इज्जत नहीं करते। वे अपनेको और अपनी जातिकी सर्वश्रेष्ठ समझते हैं।” अल-बरूनीके इस वर्णनमें हो सकता है कुछ अतिशयोक्तिसे काम लिया गया हो। लेकिन जिस समयका उल्बेन्ग अबल-बरूनीने किया है वह मेगास्थनीज और फाहियान या हुएनसागके समयका भारत न था। यह सच है कि हिन्दू सभ्यता एवं आर्य मरुति नमारफे कोने-कोनेतक पहुंच चुकी थी और नयी दुनियाके मेन्मिको एवं पीस्टक उनकी संस्कृतिना मिया जम चुका था। नगर वह तभीतक हुआ जयनर हिन्दुओंने कट्टरता एवं उपेक्षानीति नहीं अस्तिनार की थी। अल-बरूनीके समयका भारत

धार्मिक म्हाड़ों और आपसी कलहका भारत था। हिन्दुओं और बौद्धोंमें सिरफुकील हुआ करती थी। हिन्दू-धर्मकी अनेक शाखायें रक्तपात करने—परस्पर लड़ने-मरनेमें तल्लीन थीं। जिस समय मुहम्मद गोरीने भारतपर आक्रमण किया उस समय भारतमें चार प्रधान राजपूत वंश राज्य करते थे। (१)—दिल्ली और अजमेरमें चौहान (२)—कन्नौजमें गहरवार, (३)—गुजरातमें सोलकी और (४)—चित्तौड़में सीसोदिया। ये चारों राजवंश यद्यपि परस्पर सम्बन्धी थे मगर इनमें कट्टर शत्रुता थी और एक दूसरेका नाश देखना पसन्द करते थे। मुहम्मद गोरीने पृथ्वीराजपर जब अंतिम आक्रमण किया तो उस आक्रमणमें गुजरातके सोलकियों और कन्नौजके जयचन्दने अपनी सेनाओंसे गोरीकी सहायता की थी जिससे पृथ्वीराजको पराजित करने और बंदी बनानेमें वह कामयाब हो सका।

मुझे यहां भारत और हिन्दू इतिहासके पन्नोंका लौटफेर नहीं करना है। मेरे कहनेका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हिन्दुओंने मुसलमानोंको कभी अपनाके चेष्टा नहीं की। वे शुरूसे ही मुसलमानोंको विजातीय समझते रहे और उनसे नफरत करते रहे। मुसलमानोंको यवन और म्लेच्छ शब्दसे सम्बोधित किया जाता रहा। आज भी ऐसे कट्टरपथी हिन्दुओंकी संख्या ज्यादा है जो मुसलमानोंका छुआ पानी पीना तो दूर रहा मुसलमानोंकी परछाई से भी घृणा करते हैं। आम तौरपर हिन्दू इस बातकी शिकायत करते हैं कि मुसलमान बड़े कट्टर होते हैं। वे अपने मजहबो जोशमें नतवाले हैं। उनमें सहनशीलता और अन्य धर्मों के प्रति उदारता नहीं होती। उनका धर्म अन्य धर्मावलम्बियोंपर जुल्म करनेकी और उन्हें इस्लामी तलवारके घाट उतारनेकी शिक्षा देता है। मगर हिन्दुओंसे यदि पूछा जाय कि आप लोगोंमें धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक उदारता कहा है तो इसका जवाब या तो वे मूठ बोलके देंगे अथवा

कुछ समझदार हुए तो चुप रह जायेंगे। पहले-पहल भारतमें प्रवेश करनेवाले आर्यव्यक्रमण-कारियोंने इस देशके आदिम निवासियोंपर कम जुल्म नहीं ढाये। द्रविणोंके साथ उनका बर्ताव कम अत्याचारमूलक नहीं रहा। भारतमें आर्य जातिके प्रवेश और विकासका इतिहास इस देशके आदिम निवासियोंके खूनकी सुखीसे लिखा हुआ है। आज, इस युगमें भी—इस गाधी-युगमें अछूतोंके साथ हिन्दुओंका व्यवहार कम रोमांचकारी और लोमहर्षक नहीं है। जब हिन्दुओंके ही साथ हिन्दुओंका यह दुर्व्यवहार है तो गैर-हिन्दुओंके साथ उनका व्यवहार कैसा होगा इसका अनुमान सहजमें ही किया जा सकता है। एक मुसलमान जब यह सवाल करता है कि—हिन्दू कौन हैं? तो इसका जवाब साधारणतौरपर एक हिन्दू यही देता है कि—हम तू कि हिन्दूके घरमें पैदा हुए हैं इसलिए हम हिन्दू हैं और अपने वर्णके अनुसार हिन्दुओंमें हमारा यह, ऊँचा या नीचा, स्थान है। अगर एक मुसलमान मित्रताके नाते यह कह बैठे कि अच्छा, आप हिन्दू हैं तो बड़ी खुशीकी घात है। आइये, मेरे घरपर खाना तैयार है, हम आप मिलकर खाना खायें तो वह हिन्दू फौरन कह बैठेगा कि एक हिन्दू होकर मैं आपके यहा भोजन नहीं कर सकता। मुसलमानका छुआ मैं पानीतक नहीं पी सकता। हिन्दुओंका खान-पान, आचार-विचार, शादी-बिवाह और पेशातक वर्ण-व्यवस्थाके अनुसार निश्चित होता है। व्यक्तिगत रूपमें हिन्दूको अपने मन मुताबिक कार्य करनेकी आजादी नहीं है। उसका जीवन उसके वर्ण-धर्मकी व्यवस्थासे बंधा हुआ है। एक हिन्दू अपने वर्ण और अपनी जातिके व्यक्तिके साथ मिल जुलकर रह सकता है। यदि एक हिन्दूसे यह प्रश्न किया जाय कि वह किस धर्म या व्यवस्थामें विश्वास करता है तो इस प्रश्नका भी समाधानकारक उत्तर वह नहीं देता। हिन्दुओंके अनेक धर्म हैं और अनेक व्यवस्थायें। हिन्दुओंमें देवी-देवताओंको भस्मार है।

एक हिन्दू धर्मके किसी खास तत्वज्ञानके बधनमें नहीं रहता। किसी देवता या किसी पुस्तककी पूजा किये बिना भी एक हिन्दू, हिन्दू रह सकता है। एक हिन्दू आस्तिक भी हो सकता और नास्तिक भी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दुओंमें कोई ऐसी बाह्य-श्रृङ्खला नहीं है जिसमें वे परस्पर आवद्ध हों। कोई अदृश्य श्रृङ्खला भले ही हो सकती है जो समस्त हिन्दू जातिको एक सूत्रमें गूँथे हो। लेकिन हमें तो अदृश्यसे मतलब नहीं है। वर्तमान भौतिक ससारमें हमें प्रत्यक्ष दृश्यसे सम्पर्क रखना है।

हिन्दुओंकी उपेक्षानीतिसे मुसलमान अगर अपनेको अपमानित समझें और फिर अपमानके बाद उनमें घृणाकी भावना पैदा हो तो इसे हम अस्वीकार्य-भाविक नहीं कह सकते। और हिन्दुओं तथा मुसलमानोंमें वैर-भाव बढाकर, दो विरोधी जातियोंको आपसमें लडाकर अगर एक तीसरी ताकत शासन करे और फायदा उठाये तो कलुषित राजनीति या कूटनीतिके अनुसार हम इसे बुरा नहीं कह सकते। यह तो एक शासन नीति है। भारतमें आनेके साथ ही साथ अंग्रेजोंने इस नीतिसे काम लेना आरम्भ किया था और आजतक फूट डालकर शासन करनेका जो ब्रह्मास्त्र उनके तर्कसमें है उससे काम ले रहे हैं। मेजर जनरल सर लामनेल स्मिथने १८३१ ई० की एक जांच कमेटीके सामने गवाही देते हुए कहा था कि:—“The prejudices of sects and religions by which we have hitherto kept the country, the Musalmans against Hindus and so on .” याने— “अभीतक हमने साम्प्रदायिक और धार्मिक पक्षपातके द्वारा ही इस मुल्कको अपने कब्जेमें रखा है और हिन्दू-मुसलमानों तथा इसी प्रकार अन्य जातियोंको आपसमें लडा रखा है!” अंग्रेज शासक अपनी इस नीतिपर तबतक कायम रहेंगे और हमपर हुक्मत करते रहेंगे जबतक हिन्दुओं और मुसलमानोंमें घृणा एव

बैरकी भावना मौजूद रहेगी। यह सच है कि हिन्दू-मुसलमानोंको विजातीय विघर्षी, यवन और भ्लेच्छ समझकर उनसे घृणा करते हैं, उनके छू जानेपर अपनेको अपवित्र समझ बैठते हैं। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मुसलमान हिन्दुओंसे बैर रखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और अपने अस्तित्वके लिये हिन्दुओंको खतरनाक समझते हैं। आजकी परिस्थिति यह है कि हिन्दू नेता हिन्दुओंको मुसलमानोंसे अधिक घृणा करनेके लिये उमाड़ते हैं और मुस्लिम नेता मुसलमानोंको हिन्दुओंसे बैर करना और उन्हें एक बला समझनेका जोश पैदा करते हैं। हिन्दू भारतवर्षमें हिन्दू राज्य देखना चाहते हैं और मुसलमान हिन्दुस्तानका अगच्छेदकर अपना अलग राज्य—पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इसी कशमकशमें हिन्दुस्तानकी आजादीका गला घुट रहा है। हमारी इस मजहबी फूटका फायदा हमारे अग्रज शासक उठा रहे हैं ?

हिन्दू अगर यह चाहें कि भारतके ९ करोड़ मुसलमानोंको देशसे निकालकर अरबके रेगिस्तानमें भेज दिया जायगा तो यह उनकी बहुत बड़ी भूल है—भूल ही नहीं गुस्ताखी भी है। हिन्दुओंके चाहनेसे भी यह नहीं हो सकता। यह एक गैरमुमकिन बात है। हिन्दुओंको यह भूल जाना चाहिये कि उनकी संस्कृति, समाज और कलापर इस्लामका प्रभाव नहीं पड़ा। वे इस्लामसे घृणा करते रहे, मुसलमानोंको नफरतकी निगाहसे देखते रहे और अपनेको ससारकी सर्वश्रेष्ठ जाति समझकर दूसरोंका तिरस्कार करते रहे। लेकिन उनकी इस चिरनिद्रित उपेक्षा-नीतिके बावजूद भी भारतपर इस्लामी सत्ता कायम हुई, मुसलमान शासकोंने शताब्दियों तक शासन किया और इस मुल्कको अपना मुल्क समझकर वे यहाँ आबाद हो गये। हिंदू सन्नतकी आवाज उठानेवाले अगर यह स्वप्न देखते हों कि हिन्दुओंको संरक्षित करके वे फिर हिन्दू-राज्य स्थापित कर लेंगे तो यह उनकी भयङ्कर

भूल है—मृगमरीचिका है। हिन्दुस्तानमें हिन्दू-राज्यका भव्य भवन अथवा मुस्लिम सत्तनतकी आलीशान इमारत अब नहीं खड़ी हो सकती। हम हिन्दू सङ्गठन या मुस्लिम सङ्गठनके विरोधी नहीं हैं बशर्ते कि यह सङ्गठन आपसमें मार-काट करनेके लिये न हो। लेकिन आज कलके जातीय सङ्गठन कुछ इसी तरहके मकसदोंको लेकर हो रहे हैं। एक ओर मुसलमान खाकसारोंके लड़कर बना रहे हैं, तो दूसरी ओर हिन्दू राम-सेनाके सङ्गठनमें व्यस्त हैं। एकके हाथमें अगर बेलचा है तो दूसरेके हाथमें त्रिशूल नजर आ रहा है।

हिन्दू समाजपर मुस्लिम शासनका क्या प्रभाव पड़ा इसका उल्लेख सुप्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर यदुनाथ सरकारने निम्नलिखित शब्दोंमें किया है— X X अकबरके सिंहासनपर बैठनेके समयसे मुहम्मद शाहकी मृत्यु तक (१५५६—१७४९) मुगल शासनके दो सौ वर्षोंने समस्त उत्तरी भारत और अधिकांश दक्षिणी भारतको भी एक सरकारी भाषा, एक शासन पद्धति, एक समान सिक्के और हिन्दू पुरोहितों तथा प्रामीणोंको छोड़कर जन साधारणको एक भाषा प्रदान की। जिन सूबोंपर मुगल दरबारका दूरका प्रभाव था—याने जो मुगल दरबार द्वारा नियुक्त किये गये सूबेदारोंके आधीन थे, चाहे वह हिन्दू-राज्य रहे हों या मुस्लिम, न्यूनाधिक मुगलोंकी शासन प्रणालियों, सरकारी परिभाषाओं, दरवारी शिष्टाचार और उनके सिक्कोंका अनुकरण करते थे।” इसमें शक नहीं कि जिस तरह हिन्दू समाजपर मुस्लिम सस्कृति और मुस्लिम सम्पर्कका प्रभाव पड़ा उसी तरह मुसलमानोंपर भी हिन्दू सस्कृतिकी गहरी छाप लगी है। किसी भी जातिकी सभ्यता एव सस्कृतिकी मौलिकता एक होती है, लेकिन उसके बाह्य स्वरूपमें विभिन्न जातियोंके सम्पर्कसे परिवर्तन हुआ ही करते हैं। इसलिये जो लोग सभ्यता एवं सस्कृतिके मिट जाने या अशुद्ध होनेका खतरा देखा करते हैं वे दरअसल

सभ्यता और सस्कृतिके असली स्वरूप और उसके निरन्तर परिवर्तित होकर परिष्कृत होनेका अर्थ नहीं समझते । संसारकी सजीव जातियोंकी सास्कृतिक मौलिकताओंको कोई मिटा नहीं सकता और परिवर्तन एव सम्मिश्रणको कोई रोक नहीं सकता ।

हिन्दू जाति, हिन्दू धर्म और हिन्दू सङ्गठनके नामपर आसू बहानेवालोंका ध्यान हम हिन्दू जातिकी प्राचीन अवस्थाकी ओर खींचना चाहते हैं । सातवीं शताब्दीके मध्यमें अंतिम हिन्दू सम्राट हर्षवर्धनकी सत्ता समाप्त हुई और शीघ्र ही सारे भारतकी शक्ति छोटे-छोटे टुकड़ोंमें बिखर गयी । पश्चिमसे आगे बढ़कर राजपूतोंने उत्तर-पूर्व और मध्य-भारतमें छोटी छोटी अनेक रियासतें पैदा कर लीं । कुछ मिश्रित जातियोंने भी अपनेको राजसत्ता कायम करनेके लोभमें राजपूत कहना प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार भारतपर मुसलमानोंके आक्रमणसे पूर्व, पञ्जाबसे दक्षिण और बङ्गालसे अरब सागर तक लगभग समस्त प्रदेशोंपर प्रायः राजपूतोंका अधिकार था जो अनेक अवांछनीय भागोंमें विभक्त थे । ये तमाम छोटी-छोटी राजपूत रियासतें आपसमें अधिकार एव तथाकथित सम्मानके नामपर लड़ती-झगड़ती रहती थीं । परस्पर कोई मेल न था और न कोई ऐसी बलवती केन्द्रीय सत्ता ही थी जो इन लडाकू रियासतों पर नियंत्रण रखकर शासनकी एकरूपता कायम रखती । मगध पाटलीपुत्र आदिके साम्राज्य लुप्त हो गये थे । वैशाली, कुशीनगर, कपिलवस्तु और अवन्ती आदि प्रसिद्ध बौद्ध नगरोंके खँडहरोंपर कौवे और कबूतर बसेरा लिया करते थे । राजनीति और धार्मिक जीवनके साथ उस कालके हिन्दुओंका नैतिक जीवन भी नष्ट हो गया था । बौद्धों और हिन्दुओंमें कलह और द्वेषकी आग जल रही थी । बौद्ध धर्मने शुरु-शुरुमें सस्कृतका माध्यम छोड़ कर पाली भाषाको अपने धर्मका माध्यम बनाया । धीरे-धीरे वैष्णव, शैव और तन्त्र सम्प्रदायोंने सङ्गठन

क्रिया और बौद्ध मतको प्रगल्भ धक्का देकर भारतसे निकाल बाहर कर दिया। इस पटनाके बाद हिन्दू धर्म फिरसे भारतमें स्थापित हुआ, पर वह बहुत ही अपूर्ण और भ्रामक था। कुछ थोड़ेसे उच्च श्रेणीके लोग उपनिषद् और दर्शनशास्त्रके ज्ञाता बच रहे थे। जाति-भेद खूब जोरोंसे बढ़ रहा था। ब्राह्मण अत्यन्त प्रगल्भ हो गये थे। शूद्रोंपर जुल्म और अत्याचार हो रहे थे। इस प्रकार भारतके सामूहिक जीवनका विकास असम्भव हो गया था। पण्डों और पुरोहितोंने असाधारण अधिकार पा लिया था। असंख्य देवी, देवता, मूर्ति, शक्ति, काली, भैरव, रुद्र और भूत-प्रेतोंका पूजन तथा जप, तप, हवन, यज्ञ, पूजा, पाठ, ब्राह्मणोंको दान, तीर्थ, यात्रा, यत्र, तत्र और आडम्बरमय कर्म-काण्डको धर्म माना जा रहा था। जनतामें अशिक्षा और अन्ध-विश्वास फैला हुआ था। छुआ-छूतका भूत सबके सिरोंपर सवार था। बड़े-बड़े दर्शनशास्त्री और तत्त्वज्ञान जाननेवाले ब्राह्मणों तथा विद्वानोंकी कद्र कम हो गई थी। बौद्धोंको कत्ल कर दिया गया बौद्ध विहार उजाड़ दिये गये थे जैनियोंसे नफरत की जाती थी और कापालिक नर-मुण्डकी माला गलेमें लटकाये घूमा करते थे। अलवरुनीने लिखा है कि:—“× × शैव और वैष्णव-सम्प्रदायोंके सिवा शनि, सूर्य, चन्द्र, ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि, स्कन्द, गणेश, यम, कुबेर आदिकी मूर्तिया भी भारतमें पूजी जाती हैं। बौद्ध और जैनोंने मास मंदिरका प्रचार बन्द कर दिया है। परन्तु कापालिकों और शाक्तोंने इन चीजोंको बर्मका प्रधान अङ्ग बना दिया है।” ऐसा समय था जब भारतमें इस्लामका प्रवेश हुआ। उस समय हिन्दुस्तानकी सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति अत्यन्त छिन्न-भिन्न और कमजोर हो गई थी। समाजमें दलित वर्गके लोगोंके लिये कोई स्थान नहीं था। उस समय बिना किसी बल-प्रयोगके ही इस्लामके प्रचारकोंने हिन्दुओंको मुसलमान बना लिया। इस्लामके साधुओंके रहन-सहन और

विचारोंपर बौद्धों और हिन्दू दार्शनिकोंका प्रभाव पड़ा था। इसीलिये तत्कालीन हिन्दू-दलितोंके लिये वे अति अनुकूल और प्रिय सिद्ध हुए। यही कारण था कि समस्त भारतमें इस्लामका प्रचार वे रोक-टोकके फौल गया और लाखों मनुष्य मुसलमान हो गये, जिनमें अधिकांश सख्या उन छोटी कहींजानेवाली जातिवालोंकी थी जो वर्ण-व्यवस्था एव जात-पातके ढकोसलेके कारण अत्यन्त तिरस्कृत थे। ब्राह्मणोंके अविचार और उनकी शक्तिया असीम थीं। वे जिस भाति अछूतोंसे घृणा करते थे वसी प्रकार नव-मुसलमानोंसे भी। इन उच्च जातिके हिन्दुओंपर तब कहर पड़ा जब इस्लाम नगी तलवार लेकर तूफानकी तरह बल पूर्वक भारतमें घुसा। तेरहवीं शताब्दीके अन्तसे लेकर सोलहवीं शताब्दीके आरम्भ तक भारतमें तलवारकी हुकूमत रही—रक्तपातका तूफानी साम्राज्य रहा।

इस्लामी साम्राज्यकी नींव पुख्ता होते ही समाजमें एक भीतरी इन्किलाब पैदा हुआ। भारतके शिल्प, तिजारत, कला-कौशल, चित्रकला, विज्ञान-वस्तु और स्थापत्य कलापर इस्लामकी गहरी छाप पड़ी। लोगोंका साधारण जीवन भी इस्लामी सभ्यताकी छापसे अछूता न रहा। दो सभ्यताओंमें टकरा हुआ और परिणाम स्वरूप एक मिश्रित सभ्यताका विकास आरम्भ हुआ। हिन्दुओंकी उपेक्षा नीति तो बनी रही मगर उनका विरोध खतम हो गया। मुसलमान सारे भारतमें बस गये और एक ही पीढ़ीमें वे भारतीय बन गये—उनकी सस्कृतिका प्रभाव भारतीय सस्कृतिपर भी होने लगा। मुगल साम्राज्यमें भारतकी असाधारण उन्नति हुई। मुगलोंने भारतमें सच्चे सम्राटोंकी तरह शासन किया। भारतकी स्थापत्य कलापर बौद्धों और हिन्दू आदर्शोंकी प्रधानता रही। भारतमें मुसलमानोंके बसते ही इसपर इस्लामी आदर्शका प्रभाव पड़ा और तीनों आदर्श मिल गये और इस कलामें एक तीसरी नवीनता पैदा

हो गई। चित्रकला, वैद्यक, ज्योतिष और गणितने भी मुगल साम्राज्यमें खूब उन्नति की। महाराज जयसिंहने हिन्दू पञ्चाङ्गोंका सुधार करनेके लिये जयपुर, मथुरा, दिल्ली और काशीमें ज्योतिष यन्त्रालय बनवाये। कीर्मियागिरी के बहुतसे मूल्यवान नुसखे, तेजाब, रसायन, कागज बनाना, कलई करना और चीनी मिट्टीका उपयोग भारतमें मुसलमानोंसे प्रचलित हुए। कहनेका अभि-प्राय यह कि शताब्दियोंतक भारतमें अराजकता रहनेके बाद मुगलोंके कालमें शिल्प, वाणिज्य एवं तरह तरहके कला-कौशलका विस्तार हुआ और हिन्दु-ओंकी कट्टर धर्मान्धतामें भी भारी परिवर्तन हुए। सम्राट अकबरने बड़े विवेक और सहनशीलतासे भारतीय धर्मों का अध्ययन किया। अपने धार्मिक सकीर्णताको त्यागकर बड़ी उदारताके साथ शासन किया।

वेल्स नामक एक अंग्रेज ग्रन्थकारने लिखा है कि—“अकबर (अकबर) स्पष्ट ही एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने साम्राज्यके अन्तर्गत परस्पर विरोधी जातियों और श्रेणियोंको एक प्रबल एवं सयुक्त राष्ट्र बना देनेके लिये पैदा हुआ था।”

अकबर बड़ा दूरदर्शी शासक था। हिन्दू मुस्लिम धर्मनस्यकी जड़को ही वह मिटा देना चाहता था। इसी ख्यालसे उसने दीने-इलाही धर्मकी नींव रखी मगर इसमें वह कामयाब न हुआ। उसने लड़ाईमें गिरफ्तार किये गये कैदियोंको गुलाम बना लेनेकी पुरानी प्रथा बन्द कर दी। उसने हिन्दू-मुस्लिम विवाहोंकी मर्यादा डाली। अकबरके बाद जहांगीर और शाहजहाने भी इसी मार्गका अनुसरण किया किन्तु औरगजेबने इन सारे सुधारोंको अपनी कट्टरता और सदिग्ध स्वभावके कारण चौपट कर दिया और वही मुगल साम्राज्यकी जड़का दीमक बनकर उसे इतना कमजोर बना दिया कि बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहांगीर और शाहजहानका पाला-पोषा साम्राज्य औरगजेबके देखते ही देखते

नष्ट हो गया। मुगल सम्राटोंके समय हिन्दुस्तानमें ऐसे अनेक साधु-सत हुए जिन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकताको धार्मिक रूप दिया। लेकिन इसका जिक्र मैं आगे चलकर करूंगा। इस स्थानपर तो मुझे यह साबित करना है कि हिन्दुओंकी अपेक्षा जनित नीति, हिन्दू-मुस्लिम एकताके मार्गमें कितनी भय-कर साबित हुई।

यदि अल्पसंख्यक मुसलमान अपनी मजहबी कट्टरताके लिये दोषी हैं तो बहुसंख्यक हिन्दू अपनेको श्रेष्ठ समझनेकी घातक असहिष्णुताके लिये कम दोषी नहीं हैं। मुसलमान भारतमें बस गये और यहींके उपेक्षित एव तिरस्कृत हिन्दुओंको अपनेमें मिलाकर अपनी आबादी भी बढ़ा लिये। लेकिन हिन्दुओंमें चेतना नहीं आयी, वे अपने बढ़प्पनमें ही फूले रहे। मुसलमानोंसे वे सदैव नफरत करते रहे। आज इस बीसवीं शताब्दीमें भी इस—विश्व-बधुत्व (Universal Brotherhood) शाश्वत युगमें भी हम हिन्दू मुसलमानों से घृणा करते हैं। उनका छुआ पानी पीना भी धर्म-विरुद्ध समझा जाता है। अगर किसी हिन्दूके घरपर कोई मुसलमान मेहमान बनकर आ जाता है तो उसे खिलाने-पिलानेके लिये जो व्यर्तन इस्तेमाल किये जाते हैं उसे घरमें वापस नहीं लिया जाता और वह व्यर्तन महज इसलिये अपवित्र समझा जाता है कि उसे मुसलमानने इस्तेमाल कर लिया है। मुसलमानको हिन्दूके यहा खाने पीनेमें और रहनेमें कोई एतराज नहीं होता मगर हिन्दूको मुसलमानके यहा रहना दुश्वार हो जाता है—वह मुसलमानके घर रहकर अपने हलकके नीचे कुछ उतार नहीं सकता चट धर्म-भ्रष्ट हो जानेका खतरा मौजूद हो जाता है। अगर सच कहा जाय तो आचार-विचार और सामाजिक व्यवहारकी दृष्टिसे हिन्दुओंकी अपेक्षा मुसलमान कहीं ज्यादा उदार और मादरेट हैं। उनका धर्म छूई मुईकी तरह चट मुर्का जानेवाला नहीं है। वे दीनको एक पुस्ता

चीज समझते हैं जो दिल, दिमाग और ईमानसे ताल्लुक रखता है। लेकिन आजके हिन्दू धर्मके इस तात्विक आदर्शको भूल गये हैं। स्वामी विवेकानन्दके शब्दोंमें हिन्दुओंका धर्म चूल्हे-चक्की और 'मुझे छुओ नहीं' (Touch me not) तक ही सीमित हो गया है।

अब हम हिन्दू-मुस्लिम झगड़ेके राजनीतिक कारणोंपर विचार करेंगे। हिन्दू महासभाके नेताओं और कार्यकर्ताओंकी गतिविधि पर भी यदि गौर किया जाय तो मालूम हो जायगा कि हिन्दू-मुस्लिम एकताके रास्तेमें कितनी बड़ी बाधक हो रही है। मैं इसका जिक्र भारतमें राष्ट्रीय आन्दोलनके आरम्भकालसे करूंगा। गत यूरोपीय महायुद्धके पश्चात् गणतन्त्रमूलक आदर्शोंसे प्रभावित होकर सम्राटकी सरकारने यह ऐलान किया था कि—ब्रिटिश साम्राज्यके एक अभिन्न अंगके रूपमें, इस बातको मद्देनजर रखकर कि भारत धीरे-धीरे उत्तरदायी सरकार प्राप्त करे, भारतमें ब्रिटिश सरकारकी नीति स्वायत्त-शासनका क्रम-विकास करना है। तत्कालीन भारत सचिव मि० माटेगू और वाय-सराय लार्ड चेम्सफोर्डने, भारतकी राजनीतिक परिस्थितिका अध्ययन किया और ब्रिटिश साम्राज्यके हितको ध्यानमें रखकर १९१८ ई०में 'माटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट' तैयार की और तदनुसार १९१९ ई० में एक विधान बनाया गया। उक्त रिपोर्टके रचयिताओंने इस देशकी साम्प्रदायिक समस्याओंका जिक्र करते हुए स्पष्ट लिखा है— "X X स्वायत्त-शासनके सिद्धान्तका विकास करनेमें यह एक बड़ी भयकर बाधा है।" इस कानूनके अनुसार सीटोंका वटवारा साम्प्रदायिक सिद्धान्तके आधारपर किया गया। फलतः इस १९१९ के विधानने भारतीय मतदाताओंको मुस्लिम एव गैरमुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रोंसे विभाजित कर दिया और लखनऊ पैक्टका सहारा लिया गया। भारतमें जब राष्ट्रीय आन्दोलनका सूत्रपात हुआ तो प्रथम बीस-पचीस वर्षोंतक वह एकान्तरूपसे

हिन्दू-राष्ट्रीयताका आन्दोलन रहा। उस समय मुसलमान शिक्षाकी दृष्टिसे बहुत पीछे रहे। सर सैयद अहमद जैसे कुछ मुस्लिम नेताओंने यह सिद्धान्त कायम किया कि मुस्लिम नेताओंको अपनी सारी ताकत मुसलमानोंमें शिक्षा-प्रचार करनेमें लगानी चाहिये और उस राजनीतिक आन्दोलनसे अलग रहना चाहिये जिसपर हिन्दुओंका प्रभुत्व और नेतृत्व है।

आरम्भमें राष्ट्रीय आन्दोलनका नारा 'वेदोंकी ओर लौटो' (Back to the Vedas) था। इसका निहित अर्थ न केवल प्राचीन हिन्दू सस्कृतिको पुनर्जीवित करना था बल्कि ब्राह्मणोंकी आक्रमणमूलक सत्ताको फिरसे हासिल करना भी था। उस समयके हिन्दू नेता अपनी तकरीरोंमें जब यह इजहार करते थे कि भारतके धरातलको विदेशियोंसे मुक्त करना होगा और उन्हें इस देशसे निकाल बाहर करना होगा तो अंग्रेजोंके साथ-साथ इसका मतलब मुसलमानोंसे भी था। क्योंकि हिन्दू मुसलमानोंको हमेशा ही विदेशी, छुटेरा और अत्याचारी समझते रहे हैं। उस समयके हिन्दुओंने अपनी विपाक सकीर्ण नीतिके शिकार होकर मुसलमानोंको कभी अपना देशवासी और भाई नहीं समझा। ऐसी अवस्थामें मुसलमानोंके लिये यह स्वाभाविक था कि वे हिन्दुओंसे भयभीत होते और हिन्दुओंके आन्दोलनसे दूर रहकर अपने अस्तित्वकी रक्षा करते। मुसलमानोंके दिमागमें मुगल-कालीन भारतका नक्शा खिचा था। सुनहले वैदिक कालका जो महत्त्व हिन्दुओंके लिये है वही महत्त्व मुसलमानोंको मुगल कालका है। मुगलकालीन भारत मुसलमानोंका एक स्वर्ण-युग रहा है। उस समय वे हिन्दुस्तानके प्रधान शासक रहे हैं। उसे वे भूल नहीं सकते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि मुसलमानोंका झुकाव अंग्रेजोंकी ओर हुआ। समझदार मुसलमान इस बातको तब भी समझते थे और अब भी समझते हैं कि हिन्दुस्तानमें मुसलमानोंकी सत्तनतको अंग्रेजोंने नहीं

बल्कि हिन्दुओंने—मराठोंने मिटाया है। हिन्दुस्तानको अंग्रेजोंने हिन्दुओंके अधिकारसे छीना है, मुसलमानोंके अधिकारसे नहीं। क्लाइवके जमानेमें मुस्लिम सल्तनतका चिराग प्रायः गुल हो चुका था। मराठे शक्तिशाली बन बैठे थे। मराठा साम्राज्य कायम करनेकी विफल चेष्टायें हो रही थीं। अंग्रेजोंके आ जानेसे तो मुसलमानोंको एक राहत-सी मिली थी। मुसलमानोंका झुकाव अंग्रेजोंकी तरफ होनेकी वजह यह नहीं थी कि वे अंग्रेजोंसे प्रेम करते थे बल्कि असलियत यह थी कि हिन्दू-राज्यकी अपेक्षा अंग्रेजो राज्यसे उन्हें कम भय था। राष्ट्रीय आन्दोलनके आरम्भमें मुसलमानोंके अलग रहनेका यही प्रधान कारण था। यूरोपकी ताकतों टर्कीके साथ जो वैश्याफी कर रही थी और टर्की जिस तरह 'यूरोपका मरीज' (Sick man of Europe) बना हुआ था उसे भारतके मुसलमान महसूस करते थे। किन्तु उसकी प्रतिक्रिया यह नहीं हुई कि भारतीय मुसलमान राष्ट्रीय आन्दोलनमें शामिल होते बल्कि उसकी प्रतिक्रिया "पैन इस्लामिज्म" के रूपमें हुई। १९१२ ई० में ईसाई बालकन राष्ट्रोंने टर्कीके खिलाफ जो जहाद किया था उसमें भारतके मुसलमानोंकी सहाय्यभूति टर्कीके खलीफाकी ओर थी। उस समय ब्रिटेनकी तटस्थता और अप्रत्यक्ष रूपसे ब्रिटेनकी टर्की-विरोधी नीतिसे भी भारतके मुसलमान क्षुब्ध हो उठे थे। लेकिन १९१४ ई० के महायुद्धमें भारतके मुसलमान ब्रिटेनके वफादार रहे। भारतीय मुसलमानोंको उम्मीद थी कि लड़ाईके बाद टर्कीके साथ इसाफ किया जायगा। मगर उनकी यह उम्मीद जब पूरी न हुई तो ब्रिटेनसे वे और नाराज हो गये। फलतः भारतमें खिलाफत आन्दोलन शुरू हुआ और कांग्रेसके इतिहासमें पहली बार मुसलमानोंने क्रियात्मक रूपसे कांग्रेसका साथ दिया तथा १९२१-२२ में महात्मा गांधीके नेतृत्वमें क्रियात्मक रूपसे असहयोग आन्दोलनमें भाग लिया। लेकिन खिलाफत आन्दोलन-

से भी हिन्दू-मुस्लिम एकता नहीं हुई। १९२४ ई० में मुस्तफा कमालपाशाने जब खलीफाको टर्कीसे निकाल बाहर किया और टर्कीमें प्रजातन्त्र राज्य कायम किया तो भारतका खिलाफत आन्दोलन भी ठडा पड़ गया और अतमे इसी खिलाफतने साम्प्रदायिक आन्दोलनका रूप धारण कर लिया। खिलाफतके प्रभावशाली मुस्लिम नेता साम्प्रदायिक नेतृत्व करनेमें जुट गये और जिस प्रकार हिन्दू महासभा, मुसलमानोंके खिलाफ घृणाका प्रचार कर हिन्दू संगठन कर रही थी उसी प्रकार खिलाफत आन्दोलनके नेता भी हिन्दुओंके विरुद्ध मुसलमानोंका संगठन करनेमे लग गये। हिन्दू बहुसंख्यक होकर भी मुसलमानोंसे भय खाने लगे। सारे देशमें हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्यकी चिनगारियाँ छिटक गईं। १९२१ ई० के मोपला विद्रोहने इस आगको और भी भड़का दिया। हिन्दू और मुस्लिम नेता राजनीतिक हैसियतके लिये, कौंसिलोंमें सीटोंके लिये और सरकारी नौकरियोंके लिये लड़ने-भगड़ने लगे। इस साम्प्रदायिक वैमनस्यके कारण कांग्रेसकी धाक कुछ घीमी पड़ गई। इसी समय, १९२४ के लगभग कुछ महाराष्ट्री हिन्दू नेता कांग्रेससे फूट गये और 'प्रतिमहयोगी दल' (Responsivist Party) कायम किया। प्रतिमहयोगी दल कायम करनेवालोंमें 'तिलक राजनीतिक स्कूल' के नेता थे जो हिन्दू आदर्शके मुकाबले राष्ट्रीय आदर्शको तुच्छ समझते थे। इन लोगोंने हिन्दुओंमें साम्प्रदायिक भावनाका काफी जोश भरा और लोकमान्य तिलककी लोकप्रियताका खूब क्षोषण किया। मुसलमानोंको अंग्रेजोंकी तरफ झुका देखकर और इस झुकावसे मामूली फायदा उठाते देखकर इन तथाकथित राष्ट्रीयतावादी हिन्दू नेताओंने भी 'रेसपांसिव कोऑपरेशन' की घातक नीति अख्तियार की और इन लोगोंने समझा कि इससे वे सरकारका 'फेवर' भी पायेंगे और हिन्दू-राष्ट्रीयताका आदर्श भी पूरा कर सकेंगे। लेकिन उनकी

यह धारणा कतई गलत निकली। न वे सरकारकी दयाही पा सके और न हिन्दू-राष्ट्रीयताका आदर्श ही पूरा कर सके। हा, सिर्फ एक बातमें इन्हें सफलता जरूर मिली और वह यह कि हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्यकी खाई बहुत चौड़ी हो गई।

आज मि० जिन्नाको अपना तानाशाह मानकर मुस्लिम लीगके नेता हिन्दुस्तानको हिन्दू-भारत और मुस्लिम-भारतमें बाट देनेपर तुले नजर आरहे हैं। मि० जिन्ना फरमाते हैं कि:—“आज तो हम सिर्फ एक-चौथाई भारत लेनेको तैयार हैं। हिन्दुओंसे हम कोई सौदा नहीं कर रहे हैं। किन्तु हमारी मांग अगर पूरी न की गई तो आगे चलकर हिन्दुओंको तीन-चौथाई भी नहीं मिलेगा। आज ‘पाकिस्तान’ ही हमारा चरमलक्ष्य है। इसे हासिल करनेके लिये अगर जरूरत पड़ी तो हम अपना खून बहा देंगे।” यह बात मि० जिन्नाने २३ नवम्बर १९४० को दिल्लीमें मुस्लिम-छात्र-सम्मेलनका उद्घाटन करते हुए कही थी। लेकिन उपर्युक्त कथनके लिये मि० जिन्नाको दोषी करार देनेके पहले हमें उन हिन्दू नेताओंकी बातोंपर भी ध्यान देना होगा जो भारत के नौ-करोड़ मुसलमानोंको निकालकर हिन्दू-राज्य कायम करनेका सुनहला स्वप्न देख रहे हैं। १७ नवम्बर १९४० को कृष्णनगर (नदिया) में बंगाल प्रान्तीय हिन्दू सभाके अधिवेशनके अवसरपर, जलागी-नदीके तटपर हिन्दू-कण्डा फहराते हुये अ० भा० हिन्दू महासभाके स्थानापन्न अध्यक्षकी हैसियतसे डा० एस० वी० मुजेने कहा था कि.—

“Whatever constitution was to be established in this country, it should be a constitution of the Hindus. Hindus would not commit any grave error if they said that Hindusthan was for the Hindus, just as Afghanistan was for Afgans, Iraq for the Iraqis and Arabia for the Arabs.”

अर्थात् —“इस देशका जो भी विधान बनेगा वह हिन्दुओंका विधान होगा । जिस प्रकार अफगानिस्तान अफगानोंका है, ईराक ईराकियोंका है और अरब अरबोंका है उसी प्रकार हिन्दुस्तान हिन्दुओंका है । अगर हिन्दू यह दावा करते हैं तो कोई बहुत बड़ी भूल नहीं करते ।” हिन्दू नेताओंकी इन सड़ियल दलीलोंको छुनकर हमें हैरतमें पड़ जाना पड़ता है । ये अब भी दसवीं शताब्दीके दिमागसे बातें करते हैं । वर्तमान युगके अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों और उसके तात्विक अर्थोंपर ये जरा भी ध्यान नहीं देते । और इस पर तुरा यह कि ये साम्प्रदायिक नेता एकताका नारा भी खूब बुलन्द करते हैं । डा० मुञ्जे, श्री सावरकर, भाई परमानन्द तथा अन्य हिन्दू नेता यह कहते फिरते हैं कि हिन्दुस्तानमें मुसलमानोंकी हैसियत जर्मनीके यहूदियोंकी हैसियतसे मिलती-जुलती है । लिहाजा जर्मनीमें ‘शुद्ध आर्य रक्त’ का दावा करनेवाले नाजियोंने जो बर्बर बर्ताव यहूदियोंके साथ किया है वैसे ही बर्ताव हिन्दुस्तानमें मुसलमानोंके साथ भी होना उचित है । हिन्दू नेताओंकी इन बातोंसे अल्पसंख्यक मुसलमान अगर भयभीत होते हैं तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है । किसी भावी खतरेसे अपने अस्तित्वकी रक्षा करनेका अधिकार तो सभीको है । लेकिन इन साम्प्रदायिक नेताओंको, जो अवैज्ञानिक और विचारशून्य दावे करते फिरते हैं, याद रखना चाहिये कि हिन्दुस्तानमें न तो ‘हिन्दू-राज’ कायम होगा और न ‘पाकिस्तान’ की ही कोई संभावना है । हिन्दुस्तान अगर मौजूदा साहूकारी साम्राज्यवादके चंगुलसे छुटकारा पा सका तो इस देशमें हिन्दुस्तानियोंका विशुद्ध प्रजातन्त्रात्मक शासन स्थापित होगा, जिसमें अल्पसंख्यक जातियों और बहुसंख्यक जातियोंका समानताका अधिकार रहेगा और किसी एक जातिके प्रभुत्वसे दूसरी जातिको दतरा नहीं रहेगा ।

यह एक विचार करनेकी बात है कि भारतमें राष्ट्रीय आन्दोलनके धारम्भमें, जब कि महात्मा गांधीके अहिंसा और असहयोगका सिद्धान्त, राजनीतिक शक्तिके रूपमें यहा नहीं फैला था, अधिकांश हिन्दू नेता क्रान्तिकारी विचारोंके थे। इस सिलसिलेमें उन्हें सरकार द्वारा बड़ी-बड़ी यातनाएँ भी भुगतनी पड़ी थीं और हम आज भी उनके त्याग एवं बलिदानके सामने अपना मस्तक झुकाव और इज्जतके साथ झुका देते हैं। लेकिन कांग्रेसका आन्दोलन जब जोरोंपर शुरू हुआ तो पुराने क्रान्तिकारी नेता अब्बल दर्जेके प्रतिक्रियागामी हो गये और हमारी आजादीकी लड़ाईमें बाधाएँ पहुँचाने लगे। पुराने जमानेके क्रान्तिकारी नेता, चाहे वे हिन्दू रहे हों अथवा मुसलमान, प्रायः सरकारके साथी बन बैठे। कांग्रेसकी आलोचना करना ही उनका काम हो गया और इससे उन्हें कुछ व्यक्तिगत लाभ भी हुआ। लेकिन इस जगह मुझे इन बातोंका हवाला देना अभीष्ट नहीं है। सारके राजनीतिक आन्दोलन ऐसे नेताओंकी कारगुजारियोंसे भरे पड़े हैं। जो लोग यह समझते हैं और इस बातपर विश्वास करते हैं कि—राजनीतिमें एक बातपर अड़ा रहना मूर्खता है उन्हें सिद्धान्त और उद्देश्य बदलते देर नहीं लगती। मुझे तो यहा हिन्दुओंकी उपेक्षा नीति और उनकी साम्प्रदायिक कट्टरताका जिक्र करना है। मुसलमानोंको जबतक इस बातका भय बना रहेगा कि हिन्दुस्तानको स्वराज्य मिल जानेपर हिन्दू आदर्शके अनुसार बनाये गये शासन-विधानकी स्थापना होगी तबतक वे देशकी राजनीतिक आजादीकी लड़ाईमें तहेदिलसे शामिल नहीं होंगे। कांग्रेसने इस दिशामें अपनी स्थिति आइनेकी तरह साफ कर दी है। कांग्रेसका उद्देश्य हिन्दू-मुस्लिम एकता कायम करना और दोनोंकी शामिल कोशिशोंसे देशको स्वाधीन करना है। मुल्कके आजाद हो जानेपर, देशके सभी वर्गों और सभी जातियोंके निर्वाचित प्रतिनिधियोंकी सलाह और रायसे ऐसा विधान

बनाया जायगा जिसमें किसी जातिको कोई शिकायत करनेकी गुंजाइश यथा-सम्भव नहीं रहेगी। परन्तु मुसलमानोंको हिन्दू नेताओंकी गतिविधिसे भय है और यह भय अस्वाभाविक भी नहीं है। साथही मुस्लिम लीग जैसी मुस्लिम सस्थाओंके नेताओंसे हिन्दुओंको भी खतरा नजर आता है और उसे भी हम अस्वाभाविक नहीं कह सकते। हम यह नहीं कहते कि हिन्दू अपनी संस्कृति और सभ्यताको खोकर मुस्लिम संस्कृति और मुस्लिम सभ्यता स्वीकार कर लें। लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि बहुसंख्यक होनेके नाते हिन्दुओंको अधिक उदारतासे काम लेना होगा। अपने जातिगत स्वार्थोंपर चिपके रहकर वे मुसलमानोंको मिला नहीं सकेंगे, और खासकर ऐसे मौकेपर जब कि एक तीसरी ताकत मजहबपरस्त मुस्लिम नेताओंको उभाड़कर अपना स्वार्थसिद्ध करनेमें लगी हुई हो। अपने मुल्ककी बेहतरीके लिये हिन्दुओंको धामतौरपर मुसलमानोंसे अपेक्षाकृत अधिक त्याग दिखाना होगा।

मुसलमानोंको लक्ष करके हिन्दू महासभाके नेता अक्सर यह ऐलान किया करते हैं कि—‘अगर तुम आओगे तो तुम्हारे साथ मिलकर, अगर नहीं आओगे तो तुम्हारे विना और यदि तुम विरोध करोगे तो तुम्हारा मुकाबला करके भी हिन्दू, राष्ट्रीय-स्वाधीनताका युद्ध अपनी शक्तिभर जारी रखेंगे। हिन्दुओंको उत्तेजित करनेके लिये उनके सामने हिन्दुओंकी दयनीय दशाका चित्र खींचा जाता है और कहा जाता है कि हिन्दू तो एक ‘भरणासन्न जाति’ (A dying race) है। आर्यसमाजके नेता और उपदेशक तो और दो कदम आगे बढ़े हुए हैं। आर्यसमाजी उपदेशक सारे ससारमें ‘दयानन्दकी खेती ही लहराया’ करते हैं और हारमोनियमपर गा-गाकर यह प्रचार किया करते हैं कि—“आयेंगे खत अरबसे उनमें लिखा यह होगा, गुरुकुलके ब्रह्मचारी हलचल मचा रहे हैं।” अखिल भारतवर्षीय राजार्य काग्रेस’का द्वितीय अधिवेशन ‘पंजाब केसरी’

खाला खुशहालचदजीके समापतित्वमे ६, ७, और ८ अक्टूबर १९४० को लखनऊमे हुआ था। उन्होंने अपने विषैले भाषणमे आर्योंके सामने यह कार्यक्रम उपस्थित किया था कि—“आर्य विद्वान आदर्श वैदिक-राजपद्धति ससारके सामने रखें और इसे प्रचलित करनेके लिये विस्तृत आन्दोलन एवं प्रचार किया जाय। इस समय आदर्श और शुद्ध-शासन-पद्धतिके अभावसे ससार दुखी हो रहा है। यदि ससारको वेदमार्ग न दिखाया गया तो केवल विज्ञान और नित नये आविष्कारों तथा स्वार्थ और भोगवादके आधारपर बना यह ‘माडर्न ससार’ अपनी ही ज्वालामें जल भरेगा। × × × ×

क्षत्र धर्मको जीवित करने और रखनेके लिये विशेष योजनाए बनायी जाय। इस उद्देश्य-पूर्तिके लिये यदि किसी दल अथवा शक्ति विशेषके साथ मिलना पड़े तो भी सकोच न किया जाय ताकि आर्य-जातिमें सच्चे क्षत्रिय पैदा हो सकें और आर्य-संस्कृति एवं सभ्यताकी रक्षा हो सके। क्षत्र धर्मके बिना आर्य जाति तथा यह देश एक लाशकी भांति है जिसको गिद्ध, गीदड़ तथा कीट-पतंगे नोचते ही रहते हैं।” यह एक ऐसे आर्य-नेताके उद्गार हैं जो पञ्जाबमें अच्छा प्रभाव रखते हैं और राष्ट्रीयतावादी होनेका भी पूरा दावा करते हैं। इनसे अगर पूछा जाय कि आपके इस आदर्शके आधारपर यदि काम किया जाय तो भारतवर्षमें साम्प्रदायिक एकता कैसे प्राप्त होगी तो शायद उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। जिस तरह आर्योंको अपनी आर्य-राज्य-पद्धतिसे प्रेम है उसी तरह मुसलमानों, ईसाइयों, बहूदियों, सिखों और पारसियोंको भी तो अपनी राज्य-पद्धतियोंसे प्रेम हो सकता है। इस सिद्धान्तपर राष्ट्रीयताका पौदा लहलहानेके बजाय सूख जायगा और भारत कभी आजाद नहीं हो सकेगा। जातिगत धार्मिक सिद्धान्तोंको यदि राजनीतिक एवं आर्थिक उसूलोंपर जबरन लादा गया तो कोई देश और

यासतौरसे भारत जैसा देश, जिसमें अनेक जातियों और धर्मोंके लोग आबाद हैं, कभी सुशहाल नहीं हो सकता। यह तो गृह-कलह और धर्म-युद्धोंका मार्ग है।

मुस्लिम लीगके नेताओंकी कड़ीसे कड़ी आलोचना इसलिये की जाती है कि वे भारतवर्षको हिन्दू और मुस्लिम भारतमें विभक्त करना चाहते हैं। लेकिन हिन्दू सभावादी नेता भी अप्रत्यक्ष रूपसे यही चाहते हैं। वे हिन्दुस्तान में हिन्दू राज्यकी स्थापना करना चाहते हैं और उनकी मशा मुसलमानोंको या तो इस देशकी सीमासे निकाल बाहर करनेकी रहती है या वे मुसलमानोंको कीर्तदास—गुलाम बनाकर अपनी कृपा पर रहने देना चाहते हैं। डा० मुजेका कहना है कि हिन्दुस्तानको अगर स्वराज्य मिलेगा तो वह ईसाइयों और मुसलमानोंका स्वराज्य नहीं होगा बल्कि वह हिन्दुओंका स्वराज्य होगा। हिन्दुस्तान का शासन हिन्दू राष्ट्रीयताके आदर्शानुसार होगा। हिन्दू नेता यह भी कहते हैं कि अगर २८ करोड़ हिन्दू स्वराज्य नहीं ले सकेंगे तो ९ करोड़ मुसलमानोंके शामिल हो जानेसे भी स्वराज्य नहीं मिलेगा। इससे स्पष्ट है कि वे स्वराज्य भी मुसलमानोंको अलग रख कर लेना चाहते हैं। हिन्दू मुसलमानोंको ठीक उसी प्रकार परदेशी मानते हैं जिस प्रकार अंग्रेजों को। स्वराज्यका शुद्ध चित्र उन्हें तभी दिखाई देता है जब कि उसमें अंग्रेजोंकी ही तरह मुसलमानोंका भी चिन्ह न रहे। वे कहते हैं कि—'The nationalism of the predominantly religious nation inhabiting that country is the nationalism of that country.' यानी—'जिस देश में जिस धर्मके लोगोंकी प्रधानता हो उस देशकी वही राष्ट्रीयता है।' उनके कहनेका तात्पर्य यह है कि हिन्दुस्तानमें हिन्दुओंकी प्रधानता है इसलिये इस देशकी राष्ट्रीयता भी हिन्दू राष्ट्रीयता है। अगर सच कहा जाय तो राष्ट्रीय-

यताकी ऐसी लचर परिभाषा करनेवाले राष्ट्रीयताके तात्त्विक अर्थको—उसके बुनियादी उसूलको या तो समझते ही नहीं या समझ-बूझकर भी राष्ट्रीयताका गला घोटते हैं—न्याय और औचित्यकी हत्या करते हैं। राष्ट्रीयताकी उपर्युक्त परिभाषा तो मैंने सिर्फ़ डा० मुजे जैसे व्यक्तिके महसे ही सुनी है। उन्होंने यह भी कहा है कि सात सौ वर्ष पहले हिन्दुस्तान केवल हिन्दुओंका देश था, कोई दूसरी कौम यहा आबाद न थी। इसलिये इस देशकी राष्ट्रीयता हिन्दू राष्ट्रीयता है। मुसलमान अगर इस मुल्कमें आबाद रहना चाहें तो उन्हें हिन्दू राष्ट्रीयता को माननेके लिये मजबूर होना पड़ेगा, धरना वे इस देशमें रह नहीं सकते। ऐसी दशामें यदि मुसलमान हिन्दुस्तानमें मुस्लिम-राष्ट्र बनाना चाहें तो वह घातक एव असम्भव होते हुए भी स्वाभाविक है। हिन्दू महासभाके अध्यक्ष श्री विनायक दामोदर सावरकर भी डा० मुजेकी ही भाषामें राष्ट्रीयताका समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि हिन्दू तो हिन्दुस्तानके आदि निवासी हैं इसलिये यह हिन्दू राष्ट्र है। उनके विचारानुसार हिन्दुस्तानकी सीमामें प्रवेश करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति हिन्दू है और हिन्दुस्तानमें रहकर हिन्दू आदर्शका पालन करना उसका कर्तव्य है। हिन्दुओंको चाहिये कि वे पहले हिन्दू हितोंके लिये लडे, उसके बाद और किसी दूसरी बातकी परवाह करें। श्री सावरकरका ख्याल है कि इस समय साम्प्रदायिक एकताका सवाल ही नहीं उठाना चाहिये। साम्प्रदायिक हितोंके लिये लड़ना शुरा नहीं है। मुसलमान जब हिन्दुओंसे बिल्कुल अलग रहनेपर आमादा है तो उनसे समझौतेकी बातचीत तक शक नहीं करनी चाहिये। लेकिन श्री सावरकर और उनके साथियोंने मुसलमानोंको मिलानेकी चेष्टा ही कब की है। इस दिशामें चेष्टा करनेवालोंको तो वे देशका दुश्मन कहते फिरते हैं। हिन्दू नेताओंकी बातें सुन-सुन कर मुसलमान सशक्ति हो गये हैं। वे हिन्दुओंकी मशा पर भी सन्देह करते हैं। राष्ट्रीय पचायत

(Constituent Assembly) बुलाकर भारतका भावी विधान बनानेकी बात सिद्धान्त रूपसे स्वीकार करनेके लिये बंगाल असेम्बलीमें जब एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया तो कोलीशन-पार्टीके एक प्रमुख मुस्लिम सदस्यने उक्त प्रस्तावका विरोध करते हुए यहा तक कह डाला था कि—*The Hindus are enemies of the Muslims*” अर्थात्—‘हिन्दू मुसलमानोंके दुश्मन हैं ।’ मुसलमान हिन्दुओंपर यह इल्जाम लगाते हैं कि हिन्दू नेता हमेशा नयी-नयी समस्याएं पैदा किया करते हैं । ‘पूना-पैक्ट’ करके हिन्दुओंने दलित-वर्गकी एक और नयी अल्पसंख्यक जमात बना दी है । मुसलमान बहुसंख्यक जातिका जुल्म अब नहीं बर्दाश्त कर सकते । वे हिन्दुओंके टुकड़ोंपर जीकर अब यतीम-घरचे या ‘चेरिटी ब्वाइज’ नहीं बने रहेंगे । देहातोंमें मुसलमानोंको हिन्दू जनता दिकारतकी नजरसे देखती है । मुसलमान अगर कोई चीज भूलसे भी छू लेते हैं तो उसे नापाक समझा जाता है । इस तरहके अनेक अभियोग हिन्दुओं पर लगाये जाने हैं । हम यह नहीं कहते कि मुसलमानोंके ये सारे अभियोग सच्चे हैं । लेकिन हिन्दू नेताओंकी बातें सुनकर और मुसलमानोंके साथ अपढ़ हिन्दुओंका घर्ताव देखकर इन अभियोगोंको कतई निराधार भी नहीं कहा जा सकता । हिन्दुओं और मुसलमानोंके पारस्परिक आक्षेपोंके औचित्य और अनौचित्यपर हम आगे चलकर विचार करेंगे । इस स्थलपर मुझे साधारण हिन्दू कांग्रेस-कर्मियोंकी मनोवैज्ञानिक अवस्था एव उनकी विचारधारापर भी पक्षपात शून्य होकर जरा गौर करना है ।

यह सच है कि कांग्रेस हिन्दू-मुस्लिम एकताकी सबसे बड़ी हिमायती है । महात्मा गांधी इसके लिये प्राणोंकी बाजी लगा चुके हैं । कांग्रेसके राष्ट्रीय-कार्यक्रममें हिन्दू-मुस्लिम एकताका बहुत बड़ा स्थान है । कांग्रेसके बड़े नेता हमेशा इस एकताके लिये सचेष्ट रहते हैं । कुछ अंशोंमें हिन्दुओंके अप्रिय

होकर भी वे मुसलमानोंको मिलानेको तैयार हैं। कांग्रेसके नेता हिन्दुओंको सलाह देते हैं कि—“Since you are in the majority, you must satisfy the minority” यानी—‘चूँकि तुम [हिन्दू] बहुमतमें हो इसलिये तुम्हें अल्पमतवालोको सतुष्ट करना होगा।’ लेकिन कांग्रेसके ‘मम्लोले’ और साधारण श्रेणीके कार्यकर्ता, साम्प्रदायिकताकी भावनासे सर्वथा मुक्त नहीं हैं। उनका हिन्दू सत्कार अब भी उनपर प्रभुत्व बनाये हुआ है। ५० जवाहर-लाल नेहरूका ‘जन सम्पर्कवाला कार्यक्रम (Mass contact programme) इसी वजहसे विफल हुआ। साधारण जनतामें काम करनेवाले कांग्रेस कर्मी और कांग्रेसके ‘मम्लोले’ नेता अपना साम्प्रदायिक दृष्टिकोण अभी छोड़ नहीं सके। यह बात मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवपर लिख रहा हूँ। मुस्लिम मोहल्लोंमें जाकर मुसलमानोंको कांग्रेसका सदस्य बनाने और उनके कानों तक कांग्रेसका पैगाम पहुचानेमें हिन्दू कांग्रेस कर्मियोंने कभी दिलचस्पी नहीं ली। मुसलमानोंके प्रति उनमें अब भी घृणाके भाव जागृत हैं। अछूतोंसे वे अब भी नफरत करते हैं। वे संस्कृत मिश्रित हिन्दी बोलते हैं और हिन्दुस्तानी जवानको शुद्ध हिन्दी के लिये घातक समझते हैं। ‘हिन्दी बनाम हिन्दुस्तानीका’ मगड़ा इसका प्रमाण है। भूषण लिखित ‘शिवा वावनी को कोर्सकी किताबोंसे निकाल देनेका गाधीजी ने जब ऐलान किया तो हिन्दू कांग्रेस कर्मियों तकने गाधीजीकी कड़ीसे कड़ी आलोचना की थी और उन्हें ‘हिन्दी-हिन्दू’ का शत्रुतक कहा गया था। इन बातोंका लिखित प्रमाण तो मुश्किलसे मिल सकता है मगर असलियत यही है; हालांकि बहुतेरे लोग इस बातसे नाराज हो जायेंगे और तर्क करके इसे असत्य ठहरानेकी निष्फल चेष्टा भी करेंगे।

हम ऊपर कह चुके हैं कि हिन्दुओंने मुसलमानोंकी हमेशा अपेक्षा की है। मुसलमानोंको इस देशका धाशिनदा नहीं बल्कि ‘विदेशी लुटेरा’ समझ

गया है। हिन्दू अपनेको सदैव श्रेष्ठ और शुद्ध जातिका समझते हैं। हिन्दुओं के खूनकी वृद्ध-वृद्धमें यह भावना भर गई है और मुसलमानोंको विदेशी, छुटेरा, म्लेच्छ तथा यवन समझना उनका सस्कार-सा हो गया है। लेकिन पाश्चात्य सभ्यताके सम्पर्कमें आने तथा कांग्रेसके आन्दोलनसे यह सस्कार धीरे-धीरे मिट रहा है और इस सकीर्ण साम्प्रदायिक संस्कारके छुप्त हो जानेमें ही देशका साधारण कल्याण सन्निहित है। मुगल सम्राटोंके जमानेमें हिन्दू-मुस्लिम एकताकी चेष्टायें की गयी थीं और उस समय बहुतसे ऐसे साधु-सत भी हुए थे जिन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकताको आर्थिक रूप दिया था। कबीर, दादू, नानक, मल्लूदास, चैतन्य और रामदेव आदि सतोंने इस दिशामे बड़ी चेष्टा की थी। इन लोगोंने अपनी साखियोंके जरिये हिन्दू मुसलमान, दोनोंको समान धर्मोपदेश दिया और निर्भीकताके साथ दोनों मतोंकी रूढ़ियोंका खण्डन किया, प्राणिमात्रसे प्रेम और एक ईश्वरकी भक्तिका उपदेश दिया। नानक अपने एक पदमें कहते हैं—“दयाको मस्जिद बना, सचाईको मुल्ला मान, इसाफको कुर्आन समझ, इन्सानियतका रोजा रख तब तू सच्चा मुसलमान होगा।” स्वामी नारायणके मजहबको मुगल बादशाह मुहम्मद शाहने स्वीकार किया था। बादशाहका दस्तखती परवाना अभीतक, इस सम्प्रदायके मुख्य मठ (बलिया जिला) में मौजूद है।

बङ्गाल और महाराष्ट्रमें भी इस धार्मिक क्रान्तिका प्रभाव पाया जाता है। बङ्गालमें चैतन्य प्रभुका जन्म पन्द्रहवीं शताब्दीके अन्तमें हुआ था। उस समयकी बङ्गालकी सामाजिक दशाका वर्णन दिनेशचन्द्रसेनने इस प्रकार किया है.—“ब्राह्मणोंका प्रभुत्व अति कष्टकर हो गया था। कुलीनताके दृढ़ होनेके साथही जाति-भेद अविभाजिक बढ़ता गया। ब्राह्मण लोग कहनेके लिये अपने धर्मों में उच्चादशोंका प्रतिपालन करते थे, किन्तु जाति बन्धनके कारण

मनुष्यमें भेद बढ़ता जा रहा था। नीची जातिके लोग ऊंची जातिके लोगोंके स्वेच्छाचारसे दबकर धाहें भर रहे थे। इन ऊंची जातिके लोगोंने नीची जाति-वालोंके लिये विद्याका द्वार बन्द कर रखा था। उन्हें उच्च जीवनमें प्रवेश करनेकी मनाही थी और नये पौराणिक धर्मपर ब्राह्मणोंका ठेका हो गया था—मानों वह कोई बाजारु चीज हो।” चैतन्यने इसपर गम्भीर विचार किया। उन्होंने सूफी मुसलमान साधुओंसे एकेस्वरवादका तत्व समझा और हिन्दू-मुसलमान तथा नीच-ऊँचको समान रूपसे दीक्षित किया—प्रेमधर्म, मजहब-इस्कका प्रचार किया।

महाराष्ट्रकी तत्कालीन सामाजिक अवस्थापर प्रसिद्ध विद्वान महादेव गोविन्द रानाडेने इस भांति प्रकाश डाला है—“इस्लामका कठोर एकेस्वरवाद कबीर, नानक आदि साधुओंके दिलमें घर कर गया। हिन्दू त्रिमूर्ति दत्तात्रेयके उपासक उनकी मूर्तिको मुसलमान फकीरके-से कपड़े पहनाते थे। यही प्रभाव महाराष्ट्रकी जनताके दिलोंपर और भी अधिक जोरसे काम कर रहा था। ब्राह्मण और अब्राह्मण, दोनोंके प्रचारक लोगोंको उपदेश दे रहे थे कि—राम और रहीमको एक समझो। कर्म-काण्ड एव जाति-भेदके बन्धनोंको तोड़ दो। ईश्वरमें विश्वास रखो और मनुष्य मात्रसे प्रेम करो, सबसे मिलन रहो और अपना धर्म एक बनाओ।” इस प्रकारका उपदेश देनेवाले महाराष्ट्र के पहले साधु राम देव थे। सन्त तुकारामने भी लोगोंको ऐसा ही उपदेश दिया और एकता एव प्रेमका प्रचार किया। शेख मुहम्मदके अनुयायी मन्दिर और मस्जिद, दोनोंमें जाते थे, रोजा और एकादशी व्रत रखते थे। इन सन्तोंके नवीन विचारोंसे उदारता एव दयालुता फैली। इस्लामके साथ हिन्दू मतका मेल हुआ और सब भाँतिसे राष्ट्रीय क्षमताकी वृद्धि हुई। लेकिन इन साधु-संतोंको सार्वभौमिक एकता स्थापित करनेमें सफलता नहीं मिली। इनके

नामपर कुछ स्वार्थियोंने मजहबी जमात बना ली और धार्मिक गद्दियों तथा मठोंकी स्थापना करके अलग-अलग पथ चला दिया । आज कबीरपन्थी, दादू-पन्थी और नानक पन्थी आदि अनेक पथ भारतमें मौजूद हैं । थोड़ेसे फायदेके लिये, चन्द व्यक्तियों और छोटी जमातोंके क्षुद्र स्वार्थोंके लिये इस अभागे देशके लोगोंने मजहबको महद्दूद बना लिया । मुसलमानोंसे हिन्दू जितनी ही घृणा करते गये उतना ही मुसलमान हिन्दुओंसे भयभीत होते गये । पारस्परिक विश्वास जाता रहा । हिन्दू अपनेको श्रेष्ठ समझनेकी भावना (Superiority Complex) से वर्धा हुये और मुसलमान अपनेको हीन समझनेकी प्रवृत्ति (Inferiority Complex) के शिकार होकर हिन्दुओंसे डर खाने लगे । दोनों जातियोंकी ये दो भाव धाराएँ देशके लिये सबसे अधिक हानिकारक सिद्ध हुई हैं ।

कांग्रेस-विरोधी ताकते

भारतीय राष्ट्रीय महासभा या 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस' आज हिन्दुस्तान की आजादीके लिये ब्रिटिश साम्राज्यवादसे लड़ रही है। आजादीके इस जगमें, स्वाधीनताके सप्राप्तमें भारतवर्षका मध्यमवर्ग और साधारण जनसमूह कांग्रेसके साथ है। कांग्रेसका दरवाजा मुत्ककी सभी कौमोंके लिये समानरूपसे खुला हुआ है। कांग्रेस किसी जाति विशेष या वर्ग विशेषके लिये नहीं लड़ रही है। जो काम कांग्रेसके सामने है वह सचमुच बहुत बड़ा काम है। कांग्रेसके नेतृत्वमें हम स्वराज्य लेनेको निकले हैं। कांग्रेस श्रेणी-युद्ध नहीं चाहती। स्वराज्यकी लड़ाईमें वह देशकी सभी श्रेणियोंका, सभी वर्गोंका सहयोग चाहती है। इस सहयोगके लिये कांग्रेस देशके सामने हाथ फैलाये हुए है। लेकिन कांग्रेसको वह सहयोग नहीं मिल रहा है जो मिलना लाजिमी है। कांग्रेसके उद्देश्य और लक्ष्यमें बाधा डालनेके लिये देशके अन्दर अनेक ताकतें पैदा हो गयी हैं। कांग्रेस साम्राज्यवाद-विरोधी-मोर्चा तैयार करनेमें लगी हुई है।

किन्तु इस अभागे देशमें कांग्रेस-विरोधी-मोर्चा भी तैयार हो रहा है। इन कांग्रेस-विरोधी ताकतोंके खोरलेपन पर विचार करनेके पहले हमें यह जान लेना चाहिये कि कांग्रेस स्वराज्य क्यों चाहती है और देशको स्वाधीन करनेकी चेष्टा करनेवाली कांग्रेसके विरोधियोंकी मशा क्या है ? कांग्रेसने साफ शर्द्धोंमें अपने उद्देश्यका ऐलान किया है। स्वराज्य हमारे लिये अपनी खोई हुई रूहको फिरसे पाना है, न कि सिर्फ अपनी खोई हुई दौलतको वापस लाना। कांग्रेस स्वराज्य इसलिये चाहती है कि भारतके लोग अपने ही तरीके पर अपनी जिन्दगी बसर कर सकें। हम इस काबिल होना चाहते हैं कि दुनियाका इत्म व हुनर बढ़ाने और उसका काम चलानेमें हम भी अपना हिस्सा पूरा करें, हम 'हिन्दुस्तान' और 'हिन्दुस्तानी' को इज्जत और अजमतका लपज बनायें, जिसे हम खो चुके हैं और दुनियामें आत्मसम्मानी लोगोंकी तरह विचरते हुए यह महसूस करें कि हम भी ऐसी कौमके हैं जो दरअसल धाइज्जत और आजाद हैं। अगर हम आजाद होना चाहते हैं तो हम उन सब ताकतोंके असली रूपको भूल नहीं सकते जो हमारे—कांग्रेसके खिलाफ खड़ी हैं। मुत्ककी गवर्नमेंट एक बहुत जवर्दस्त और जुटे हुए सगठनकी शक्ति रखती है। इसके एक हिस्सेका दूसरे हिस्सेकी तरफ जो मदद और हमदर्दीका भाव है उसकी बराबरी करना मुश्किल है। इसका मुकाबला करनेके लिये हमें भी इसी प्रकार सगठित होना पड़ेगा और हमारे एक-एक जुज़को भी उसी तरीकेका होना पड़ेगा जैसा कि हमारे मुखालिफोंका एक-एक जुज है। जब तक हम ऐसा नहीं कर सकेंगे हमारी बड़ीसे बड़ी कोशिशें बेकार होंगी और हरएक तहरीकके बाद हम अपनेको वहीं पायेंगे जहासे हम चले थे। हिन्दुस्तानकी तबारीख शुरू जमानेसे यह दुःख भरी कहानी कहती चली आ रही है। हम अपनी मसली हुई हसरतोंका मुर्माया हुआ हार लेकर आगे बढ़ने हैं, आजादीकी देवी-

को भेद करनेके लिये । लेकिन हमारे पंर हमारे ही भाइयोंके द्वारा खींच लिये जाते हैं, हम गिर पड़ते हैं और आजादीकी देवी वरीष आकर भी हमसे बहुत दूर हो जाती है । हर मामलेमें हमें शुरूसे ही काम शुरू करना पड़ता है । इसलिये एन्नानी फ़ितरतकी कमजोरियोंको नजरमें रखते हुए हमें नियन्त्रित जीवनके कुछ सीधे-सादे कायदोंकी फेहरिस्त तैयार करनी होगी और उम्मीके मुताबिक चलनेके लिये नवको मजबूर करना होगा ।

एन अध्यायमें हमें कांग्रेस-विरोधी ताकतोंकी फारगुजारियों पर गौर करना है । सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वे कौन-कौन सी ताकतें हैं जो कांग्रेसके अस्तित्वसे घबड़ाती हैं, उसकी हस्तीसे नफरत करती हैं और उसकी जड़ खोदने पर तृप्ती हुई हैं । कांग्रेस जब देशसे विदेशी हुकूमतको हटाकर प्रजातन्त्रमूलक स्वतन्त्र मरफार कायम करना चाहती है तो यह साफ जाहिर है कि कांग्रेसका विरोध वे ही लोग करेंगे जो विदेशी हुकूमतको बरकरार देखना चाहते हैं और उसके साथमें रहकर निजी फायदा उठाना चाहते हैं; लेकिन लोगोंकी समझ पर धोखेका काला पर्दा डालकर झूठे आदर्शकी बातें बनावते हैं । इनमें ऐसे लोगोंकी संख्या ज्यादा होती है जो त्याग और कुर्बानीसे घबड़ाते हैं और जिनका पेट अक्लकी ज्यादातीसे फटा करता है । कांग्रेसको आज ब्रिटिश सरकार जैसी दुनियाकी एक ताकतवर सत्तनतका सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साम्प्रदायिक सगठनों तथा प्रतिक्रियागामी गुटोंसे भी, जो उसके मुकाबलेमें खड़े हैं उसकी राहके रोड़े होकर । पुराने दक्खिनानूसी जमानेकी स्वेच्छाचारिताके प्रतीक स्वरूप देशी रियासतोंकी मजबूत किलेजन्दी भी उसे तोड़नी पड़ रही है । कांग्रेसको एक कशमकशसे होकर अपना कटीला रास्ता तय करना है । अनेक विघ्न-धाघाएँ उसके मार्गमें हैं । उसे इन सारी दुस्ह मजिलोंको पार कर अपने मकसद पर पहुंचना है । वह अपने चरम-

लक्ष्य पर पहुचनेको कृतसकल्प है। सत्य उसका साधन और प्रेम उसकी प्रणाली है। वह इस पावन अनुष्ठान पर अविचलित होकर चलती जा रही है। उसे इसकी चिन्ता नहीं कि उसके विरोधियोंकी सस्या और शक्ति कितनी है।

कांग्रेस विरोधी ताकतोंमें मैं सरकारका जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि सरकारसे तो कांग्रेसकी सीधी लड़ाई है ही। कांग्रेस-विरोधी-ताकतोंमें सबसे पहले मैं साम्प्रदायिक सगठनोंको लूंगा, जो कि इस पुस्तकका प्रधान विषय है। साम्प्रदायिक जमातोंमें खास कर मुस्लिम लीग, हिन्दू सभा और सिखोंकी जमात है। हम यह शुरूमें ही साफ कर देना चाहते हैं कि इन मजहबी जमातोंके विरोधोंके बावजूद भी हिन्दू, मुसलमान और सिख काफी बड़ी तादादमें कांग्रेसके साथ हैं। लेकिन हमारा विषय यह है कि हिन्दुओं, मुसलमानों और सिखोंको कांग्रेससे अलग रखनेके लिये, जो पहलेसे कांग्रेसमें हैं उन्हें धरगला कर जुदा करनेके लिये कैसी-कैसी अजीबोगरीब चालें चली जा रही हैं। हमें अब यह समझने और तर्ककी कसौटी पर कमानेकी जरूरत है कि मुसलमानोंको कांग्रेससे क्या शिकायत है और मुस्लिम लीगके सर्वेसर्वा मि० जिन्ना कांग्रेसको आखिर क्यों कोसा करते हैं? वे कहते हैं कि कांग्रेस का उद्देश्य भारतमें हिन्दू राज्य स्थापित करना है और हिन्दुस्तानमें रहनेवाले प्रत्येक मुसलमान कांग्रेसके इस उद्देश्यको समझता है। उनके जीवनमें बड़े-बड़े कायापलट हुए हैं। सर्वप्रथम उन्होंने जब राजनीतिक जीवनमें प्रवेश किया तो वे कांग्रेसी बनकर देशकी नजरोंके सामने आये। इसके बाद उन्होंने देखा कि कांग्रेसकी नेतागिरी सस्ती नहीं है। कांग्रेसमें रह कर जिस त्याग और बलिदानकी जरूरत थी उसमें उन्होंने अपनेको कमजोर पाया। वे साम्प्रदायिक बन गये। मुस्लिम लीगी बनकर १४ शतें तैयार कीं और अपनी शक्तों ने

लिये वे काफी मशहूर हुए। अब उन्होंने उन १४ शतकों को भी त्याग दिया है और 'पाकिस्तान' की प्रतिक्रियागामी योजना पेश की है। हिन्दुस्तान को 'हिन्दू-भारत' और 'मुस्लिम-भारत' में बाट देनेके लिये वे बेहद परेशान हैं। आज कल वे अपनी सारी ताकत भारतको अग-भग करने, अविभाज्य भारत को विभाजित करनेमें लगा रहे हैं। मि० जिन्ना फरमाते हैं कि कांग्रेस देश की दूसरी अल्पसंख्यक जातियोंको दबाने और उनका टोहन करनेके लिये अधिकार चाहती है। वह ब्रिटिश सगीनके बल पर शक्ति-सम्पन्न होना चाहती है। आज वह ब्रिटिश सरकारपर शासनाधिकार समर्पित कर देनेका दबाव डाल रही है। कल, शासन प्राप्त करते ही वह दूसरी जातियों पर भी दबाव डालेगी। यह कांग्रेसका बड़ा गन्दा काम है, यह उसका कुकृत्य है।

गत २५ वर्षोंसे हिन्दू-मुस्लिम एकता कायम करनेकी चेष्टाएँ बराबर हो रही हैं। लेकिन अभी तक यह एकता नहीं हुई। हिन्दू-मुस्लिम एकता कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमका एक प्रधान अंग है। फिर भी, कांग्रेसके नेता, अपने कार्यक्रमके इस महत्वपूर्ण अंगको पूरा करना नहीं चाहते। वे इस विषयमें सच्चे नहीं हैं। इसका कारण स्पष्ट है। कांग्रेस और हिन्दू एक ऐसा सम-झौता चाहते हैं जिससे वे समूचे देश पर मनमाना शासन कर सकें। मुसलमानोंको कांग्रेसके शासनका घड़ा कटु अनुभव हुआ है। कांग्रेससे अब सम-झौतेकी कोई आशा नहीं है। भारतके मुसलमान कांग्रेसको, उसके कुकृत्योंके लिये क्षमा नहीं कर सकते। जो मुसलमान कांग्रेसमें शामिल होकर मादरे-हिन्दको आजाद करनेके लिये कुर्बानियाँ कर रहे हैं उन्हें मि० जिन्ना 'गद्दार' और मुसलमानोंका, इस्लामका दुश्मन कहते हैं। मौ० अबुल क्लाम आजाद जैसे प्रभावशाली और ह्रदिल अजीज पर भी कौचड़ टटालनेमें वे बाज नहीं आये। यह मि० जिन्नाकी कितनी बड़ी हिमाकत है कि मौलाना


आजाद जैसे इस्लामके एक विश्व-विख्यात विद्वान और फिलासफरको इस्लाम का दुश्मन कहते हैं और खुद, जो कुर्बानकी शायद एक आयत भी नहीं समझ सकते, इस्लामके रक्षक बननेका दम भरते हैं !

मि० जिन्ना आज घोर साम्प्रदायिकके रूपमें हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं । परन्तु यदि गोलमेज-कान्फ़ेन्समें दिये गये उनकी पुरानी तकरीरोंको देखा जाय तो मालूम होगा कि उस समय वे भारतकी स्वतन्त्रता और औप-निवेशिक स्वराज्यके समर्थक थे । गोलमेज सम्मेलनके एक अधिवेशनमें भाषण देते हुए उन्होंने कहा था—“X X X मैं आपको भारतकी स्थिति समझना देना चाहता हूँ । मैं स्पष्ट शब्दोंमें यह कह देना चाहता हूँ कि भारतमें हिन्दू या मुसलमान, पारसी या ईसाई, सिख या दलित वर्ग जैसा कोई वर्ग नहीं है, जो भारतके लिये आत्म-निर्णयके अधिकारको स्वीकार न करता हो ।” लेकिन अब मि० जिन्नाकी आवाज बदल गयी है । स्वार्थ मनुष्यको अन्धा बना देता है, व्यक्तिगत महात्वाकांक्षा इन्सानकी आखोंपर पर्दा डाल देती है । आज मि० जिन्नाका एक मात्र उद्देश्य सरकार और कांग्रेस, दोनोंको युत्ता देना और दोनोंके साथ दुराचार करना प्रकट होता है ताकि दोनों उनकी खुशामद करती रहें । यह उनकी ही चन्द घातोंसे स्पष्ट है । केन्द्रीय असेम्बलीके नवम्बर १९४० के अधिवेशनमें उन्होंने कहा था कि—चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारतमें राष्ट्रीय सरकारके भावी प्रधान मंत्रीके नामका सुलासा नहीं किया और मेरे सामने सीधा प्रस्ताव न रखकर भारत सचिवके सामने प्रस्ताव पेश किया था । ब्रिटिश सरकारसे उन्होंने कहा कि भारतके मुसलमान ब्रिटिश सरकारसे पूरा सहयोग करनेको तैयार हैं बशर्ते कि वह मुसलमानोंको असली और पुर असर अधिकार प्रदान करे । लेकिन कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, दोनोंको यह मालूम हो गया है कि मि० जिन्ना दोनोंसे किसी एकके साथभी

समझौता करनेको राजी नहीं हैं। वे दोनोंके साथ सौदेकी बातें करते रहना चाहते हैं। वे अपनेको राजनीतिक सौदे (Political bargaining) का आचार्य समझते हैं और यही करते रहना उन्हें पसन्द है। इस बात पर कायम रहनेसे, बिना मेहनतके उनकी सियासी जिन्दगी और मुसलमानोंकी जुमाइन्दगी भी बनी रहेगी और उन्हें खुश करनेकी कोशिशें भी जारी रहेगी। मि० जिन्ना चाहते हैं कि केन्द्रमें सारा अधिकार अल्पसंख्यक मुसलमानोंकी मिल जाय और बहुसंख्यक वर्गको उसके स्वाभाविक अधिकारोंसे वंचित कर दिया जाय। अगर उनकी मशा सौदा करते रहनेकी न होती तो वे ऐसी मांगें पेश ही क्यों करते जो किसी भी दृष्टिसे गैरवाजिब और गैर मुसकिन हैं। मि० जिन्नाकी ऊटपटांग बातोंमें अब लोग नहीं आ सकते। वे दिन हवा हो गये जब खलील मिया फाखते उड़ाया करते थे। भारतमें भी खुद जागरण और चेतना पैदा हो गयी है।

X

X



मुस्लिम लीगके बाद हिन्दू सभाका नम्बर आता है। हिन्दू समावादी भी कांग्रेससे उतनाही नाराज रहते हैं जितना मुस्लिम लीगी। मुस्लिम नेता कहते हैं कि कांग्रेस तो देशमें हिन्दू राज्य कायम करनेपर तुली हुई है। हिन्दू-सभाके नेता फरमाते हैं कि कांग्रेस हिन्दू-हितोंपर कुठाराघात कर रही है और देश मुसलमानोंको सौंप देनेपर आमादा है। दरअमल यह बड़ी अजीब सी हालत है। कमलिनसे रोगनी हासिल करनेवाले एक अति-उग्रवादी कम्यूनियिष्टके शब्दोंमें अगर मैं कहू तो कह सकता हू कि—इन दोनों साम्प्रदायिक सस्थाओंके नेताओंके विचार साफ नहीं हैं, इनकी Ideology clear नहीं है। हिन्दू नेताओंकी चद बेसिएरकी दलीलोकता भी नमूना देखिये। भाई परमानन्दने व्यंग करते हुए लिखा है—‘कांग्रेसने फैसला किया—

अहिंसाको अर्मके तौरपर ग्रहण करो ; इससे स्वराज्य मिलेगा । हिन्दुओंपर हमलेपर हमले हुए । उनके नेता कत्ल किये गये । लेकिन अगर किसीने हिन्दुओंको बचानेकी कोशिश की तो वह कम्यूनलिस्ट ठहराया गया और इसलिये घृणास्पद । कांग्रेसने कहा— हिन्दू-मुस्लिम ऐक्थसे स्वराज्य प्राप्त होगा । इसीलिये कांग्रेसने साम्प्रदायिक मुआहिये या पैक्ट किये, हिन्दू-अधिकारोंकी बलि दी, एकता सम्मेलन या यूनिटी कानफ्रेंस कीं, कोरे चेक पेश किये, मिलापके लिये मुस्लिम लीगको प्रार्थना-पत्र दिये, लेकिन यह ऐक्थ कोसों दूर चला गया । ज्यों-ज्यों दवाफी, मरज बढ़ता गया । फिर भी कांग्रेस कभी गलती नहीं कर सकती !” भाई परमानन्द अपनी आखपर ऐसा रङ्गीन चदमा लगाते हैं कि उससे उन्हे कांग्रेसका हर काम गलत नजर आता है । भाई परमानन्द उग्र क्रान्तिकारीसे कट्टर साम्प्रदायिक हुए हैं और फिर अब्बल दर्जेके प्रतिक्रियागामी ! ऐसी सूत्रमें वे जो कुछ भी कहें, वह उपेक्षणीय हैं क्योंकि उनकी बातोंका जवाब ठोस कामसे दिया जा सकता है, जवानसे नहीं । असलियतपर नजर डालने और वाजिव बातपर कान देनेसे तो वे साफ इन्कार करते हैं ।

डा० मुजे कहते हैं कि भारतकी राजनीतिक स्थिति बड़ी उलम्नपूर्ण है । वे इस उलम्नका प्रधान कारण महात्मा गांधीका आध्यात्मिक नेतृत्व और अहिंसा नीति बताते हैं । वे कहते हैं कि गांधीजी राजनीतिज्ञ नहीं हैं । वे आध्यात्मिक नेता हैं । उनके उपदेशसे, अहिंसा नीति और चर्खा शास्त्रसे इस देशकी समस्याएं नहीं सुल्फ सकतीं । हिन्दुओंके साथ गांधीजी भी अन्याय करते हैं और कांग्रेस तो हिन्दू-हितोंको कुछ समझती ही नहीं । कांग्रेस सिर्फ मुसलमानोंको सुश करनेमे लगी हुई है जो असम्भव है । हम हिन्दुस्तानमे हिन्दू राष्ट्रीयता, हिन्दू-विधान

और हिन्दू राज्य चाहते हैं। मुसलमान सीधेसे रहना चाहे तो रहें वरना जहां चाहें चले जाय। कांग्रेसको हिन्दुओंकी ओरसे बोलनेका कोई हक नहीं है। हिन्दू मतदाताओंसे वोट लेकर चुनावमें विजयी होकर हिन्दुओंके हितोंको ही उसने कुचला है। इसी किस्मके और भी न जाने कितने आक्षेप कांग्रेसके सिर मढ़े जाते हैं। उनके आक्षेपोंकी सूची काफी लम्बी है। वे कांग्रेसकी आलोचना तो करते हैं मगर बदलेमें कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं बताते। गांधीजीके आध्यात्मिक नेतृत्वकी निन्दा उन्हें तभी पबती जब वे चाणक्य जैसा कूटनीतिज्ञ बनकर राजनीतिके अखाड़ेमें उतरते। चुनावमें कांग्रेसके मुकाबले खड़े होकर लड़नेका उन्हें पूरा हक था। उनकी महासभाने चुनाव लड़ा भी लेकिन उसके नतीजेसे उसने सबक नहीं लिया। महासभाके उम्मेदवारोंको जिस तरह पराजित होना पड़ा वही इस घातका ज्वलत प्रमाण है कि उसकी रीति-नीतिसे हिन्दू मतदाता कहातक सहमत हैं। हम तो यह कहेंगे कि हिन्दू महासभाके बजाय मुस्लिम-लीग मुसलमानोंका कहीं ज्यादा नेतृत्व करती है, हालांकि यह सच है कि मुस्लिम लीगने किसी राजनीतिक असूलपर नहीं बल्कि मजहबी असूलपर चुनाव लड़ा था और 'इस्लामपर खतरा' उपस्थित होनेका झूठा नारा लगाया था। अगर मुस्लिम लीग भी राजनीतिक कार्यक्रम पर चुनाव लड़ती तो उसकी भी वही गति होती जो गति हिन्दू-महासभाकी हुई है।

भारतके आठ प्रान्तोंमें कांग्रेसने अब अपनी मिनिस्टरी कायम की तो उस समय भी श्री वी० डी० सावरकर कहा करते थे कि—कांग्रेसके हिन्दू मिनिस्टर अपने मतदाताओंके साथ विश्वासघात करते हैं। बंगाल और पंजाब में तो मुसलमान मिनिस्टर, हिन्दुओंके हितोंको कुचलकर, मुसलमानोंको काम पहुंचा रहे हैं और कांग्रेसके हिन्दू मिनिस्टर उनके ही स्वार्थों का सहार

करनेपर तुले हैं जिनके वोटसे उन्हें मिनिस्ट्री नसीब हुई है। कांग्रेस सच्चाई-को महसूस नहीं करती, वह अब भी मुसलमानोंसे समझौता करनेकी कुचेष्टा करती जा रही है। कांग्रेसका यह काम अन्धेकी आंखपर खुर्दवीन रखनेके समान है। अगर कांग्रेसको एकता कायम करनेमें सफलता मिल भी गयी तो वह 'बाघ और गाय' की एकता होगी। इसी किस्मके और भी न जाने कितने अभियोग उन्होंने कांग्रेसपर लगाये हैं। कांग्रेसकी अहिंसा-नीतिके भी वे कट्टु आलोचक हैं। यदि कोई निष्पक्ष आलोचक उनकी इन लचर दलीलोंपर गभीरताके साथ विचार करने बैठे तो उनकी एक भी दलील ठहर नहीं सकती। अगर हिन्दू हितोंको बलि देकर कांग्रेस मुसलमानोंसे समझौता करना चाहती तो वह फर सकती थी। मि० जिन्ना और चाहते ही क्या है। यदि उनकी शर्तोंको कांग्रेस मान ले तो वे बिना किसी चूँ-चपडके कांग्रेससे मिलनेको तैयार बैठे हैं। परन्तु कांग्रेस वेइन्साफी करना नहीं चाहती। हिन्दुस्तानमें हिन्दू या मुस्लिम राज्य कायम करना उसका उद्देश्य नहीं है। वह तो ऐसी सरकार कायम करना चाहती है जो भारतकी प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म और प्रत्येक वर्गका पूर्ण प्रतिनिधित्व करनेवाली हो।

×

×

×

कुछ सिख और कुछ दलितवर्गके लोग भी कांग्रेसके विरोधी हैं। कांग्रेसके विरोधी सिखोंका प्रतिनिधित्व करनेका दम मास्टर तारासिंह करते हैं और दलितवर्गकी ओरसे टा० अम्बेडकर कांग्रेस विरोधी आवाजें उठाते हैं। किन्तु यह प्रमन्नताफी बात है कि सारे सिख सम्प्रदाय और समस्त दलितवर्गपर मास्टर तारासिंह तथा टा० अम्बेडकरके गलत नेतृत्वका प्रभाव नहीं है। अधिकांश सिख, सिखोंका अकाली दल और दलितवर्गके अधिकांश लोग कांग्रेसके साथ हैं। फिर भी, ब्रिटिश सरकारको यहाना करने और दुनियाको

यह दिखानेके लिये कि भारतमें एकता नहीं है, सब जातियोंपर कांग्रेसका प्रभाव नहीं है, इतना काफी है ।

मद्रासकी जस्टिस पार्टी, महाराष्ट्रकी डिमोक्रेटिक स्वराज्य पार्टी, अखिल भारतीय नेशनल लिबरल फेडरेशन और इसी तरहके अन्य कई छोटे-छोटे दल भी कांग्रेसका समय असमय विरोध किया करते हैं । सब कहा जाय तो इनका काम ही कांग्रेसका विरोध करना है और इनकी सारी गतिविधि महज प्रस्ताव पास करने और सालाना जलसा करने तक ही सीमित है । कभी-कभी लम्बे-चौड़े नजमूनोंके वयान भी अखबारोंमें निकल जाते हैं । भारतके शोपित, पीड़ित और दलित जनसमूहसे इनका कोई सम्पर्क नहीं है । इनकी दौड़ वहीं तक है जहा तक टेलीफोन और तारके तार फँले हुए हैं, जहा तक मोटरों आसानीसे, बिना 'अग्नि' के जा सकती हैं । लेकिन सरकार तो इन्हींको महत्व भी देती है । कांग्रेसके राष्ट्रीय आन्दोलनको, जिसमें समूचे राष्ट्रके हृदयना स्पन्दन सन्निहित है, मि० एमरी 'बनावटी शोरगुल' (Artificial agitation) कहते हैं । भारतमें कांग्रेसके खिलाफ जो दलबन्दी दिखायी देती है इसका फायदा ब्रिटिश सरकार उठाती है ।

x

x

x

अब मैं एक और कांग्रेस विरोधी ताकतका जिक्र करूंगा । शायद यह एक बहुत बड़ी ताकत है । मेरा उद्देश्य भारतकी देशी रियासतोंमें है । ब्रिटिश हुकूमतने भारतवर्षको ब्रिटिश भारत और भारतीय भारतमें तकसीम कर दिया है । लेकिन कांग्रेस भारतको अविभाज्य मानती है । हिन्दुस्तानमें छोटी-बड़ी करीब ५६२ रियासतें हैं । १९३५ ई० के नये शासन विधानके अनुसार भारतके लिये ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंने संघ-योजनाकी तजवीज पेश की है । इसके अनुसार जागृत ब्रिटिश भारत और प्रतिक्रियागामी देशी

रियासतोंको मिलाकर सघी असेम्बली बनायी जायगी लेकिन देशी रियासतोंके मामलोंमें ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधि हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे । इसके अलावा सघा-असेम्बलीमें देशी रियासतोंसे जो प्रतिनिधि जायेंगे वे रियासतोंकी प्रजा द्वारा चुने नहीं जायगे बल्कि राजाओं द्वारा नामजद किये जायगे । यह सघात्मक योजना हमारे लिये विचारणीय है । हम सघ व्यवस्थाके उसूलन खिलाफ नहीं हैं । यह बहुत सम्भव है कि स्वतन्त्र भारत एक सघात्मक राष्ट्र हो । लेकिन मौजूदा सघ शासन (फिलहाल ब्रिटिश सरकारने सुदूर भविष्यके लिये इस योजनाको स्थगित कर दिया है) हमारी गुलामीका एक ऐसा सघ है जो हमारे राजनीतिक और सामाजिक अधिकारोंको देशमें सबसे पिछड़े हुए लोगोंके हाथमें सौंप देता है । मौजूदा भारतीय रियासतोंका जन्म उन्नीसवीं सदीके आरम्भमें उस समय हुआ जबकि भारतमें ब्रिटिश शासन का पैर भी ठीक-ठीक नहीं जम पाया था । इन रियासतोंके स्वेच्छाचारी शासकोंके साथ होनेवाली वे सन्धिया भी उसी समयसे आरम्भ होती हैं, जो आज हमारे सामने ऐसे पाक इकरारनामोंके रूपमें रखी जाती हैं, जिन्हें हम छू भी नहीं सकते । इन सन्धियोंको दीमक चाट चुके हैं और वे इस तरह सड़ गयी हैं कि इन्हें उठाकर अब रद्दीकी टोकरीमें नफरतके साथ फेंक देनेकी जरूरत है । यहापर हिन्दुस्तानकी उस समयकी अवस्थाका, उसी समयकी यूरोपीय अवस्थासे मुकाबला करना मुनासिब जान पड़ता है । उस समय यूरोपमें अनेक बड़ी और खुद-मुख्तार रियासतें थीं जिनके शासक बड़े स्वेच्छाचारी थे । शाही विशेषाधिकारों और पाक-मुलहनामोंकी बहुतायत थी । गुन्नामीकी प्रथा भी जारी थी । लेकिन पिछले सौ वर्षोंमें यूरोपका ऐसा काया-पलट हो गया है कि आज उसका पहचानना असम्भव-सा है । अनेक इन्किलाबों और तब्दीलियोंका यह नतीजा हुआ है कि तमाम छोटी-छोटी

रियासतें मिट गयी हैं और अब बिरले ही राजा रह गये हैं। गुलामीकी प्रथा भी जाती रही। वर्तमान उद्योग-वन्धोंकी बहुत बड़ी उन्नति हो गयी है। प्रजामत्तात्मक सस्थाओंकी तरफकी साथ-साथ वोट देनेके अधिकारका दायरा भी बराबर बढ़ाया गया है। कुछ देशोंमें तो फासिस्ट तानाशाहीने इनका स्थान ले लिया है। पिछड़ी हुई जागीरदारियोंका निदानतक मिट गया है। पिछड़े हुए मनने एक लम्बी छलाग ली है और वहा पचायती प्रजातन्त्रात्मक साम्यवादी राज्य कायम करके उसने ऐसा आर्थिक सगठन किया है जिससे उसे चारों दिशाओंमें आशातीत सफलता मिली है। दुनिया बराबर बदलती ही गयी और आज भी वह एक व्यापक परिवर्तनकी घाट चस्तुकतासे जोह रही है। लेकिन भारतीय रियासतोंमें कोई तब्दीली नहीं हुई। वे अबतक ज्योंकी स्यों अपनी जगह कायम हैं और इस नित्य परिवर्तनशील ससारमें वे आजकी भी दुनियाको उन्नीसवीं शताब्दीकी उनीदी आखोंसे देख रहे हैं। रियासतोंकी पुरानी शतें और मुलहनामें पवित्र जरूर हैं, जो जनता और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नहीं बल्कि उनके स्वेच्छाचारी शासकोंके साथ तय हुई हैं।

यह एक ऐसी घात है कि जिसे कोई जागृत राष्ट्र अथवा चेतनाशील जाति कभी बर्दास्त नहीं कर सकती। हम सौ वर्षोंसे भी पुराने उन समझौतों और मुलहनामोंको स्थायी नहीं मान सकते। भारतीय रियासतोंको स्वतन्त्र भारतकी शासन-योजनाके अनुकूल बनाना होगा और वहाके निवासियोंको भी वही व्यक्तिगत, नागरिक और प्रजातन्त्रमूलक अधिकार प्राप्त होंगे जो कि दूसरे भारतीयोंको प्राप्त हो रहे हैं। कांग्रेस इस तरहका ऐलान भी कर चुकी है और इस ऐलानको कांग्रेसके सालाना-जलसोंमें बराबर दुहराया जाता है। इधर कुछ दिनोंसे सधियों और रियासतोंके सर्वाधिकारोंकी चर्चा होने लगी है। इसके पहले इनके बारेमें शायद ही कभी कुछ सुनायी पड़ा हो। देशी

राज्योंके राजाओंको साम्राज्य-योजनामें अपना ठीक स्थान मालूम था और ब्रिटिश सरकारका उन पर जो अधिकार था प्रभुत्व था वह साफ दिखायी पड़ता था। लेकिन हिन्दुस्तानमें राष्ट्रीय आन्दोलनकी बढ़ती हुई लहरने इन शासकोंको एक नकली अहमियत दे दी। ब्रिटिश सरकार हमारे देशके राष्ट्रीय विचारोंको दबानेके लिये इनकी सहायता और सहारे पर अधिक भरोसा करने लगी। राजाओं और उनके वजीरोंने इस परिवर्तनको फौरन ही भाप लिया और उन्होंने इससे फायदा उठाना शुरू किया। वे ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनताको, एक दूसरेसे भिड़ाकर दोनोंसे लाभ उठानेकी कोशिशोंमें काफी कामयाब भी हुए। इसीलिये सघ-योजनामें उन्हें असाधारण अधिकार भी मिले हैं। अपने स्वेच्छाचारके अधिकारको पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए, जिस पर रियासतोंके अलावा देशके दूसरे हिस्सेका कोई अरिस्तयार नहीं है, उन्होंने उन हिस्से पर ये अधिकार प्राप्त किये हैं।

आज हम उन्हें ऐसी बातें करते सुनते हैं कि गोया वह आजाद हैं और सघ-योजनायें शरीर होनेके लिये अपनी शक्ति पेश करते हैं। वायसरायका उनपर जो अधिकार है, जिसे सर्वोच्च शक्ति (Paramount Power) के नामसे पुकारा जाता है, उसे भी खतम करनेकी चर्चा चल रही है ताकि ये रियासतें दुनियामें अपने इमीनम रूपमें अकेली ही कायम रहें और अपनी इच्छाके अनुसार जो काररवायें उचित समझें बिल्कुल स्वतन्त्र होकर करें। उनके बदलने का इच्छनेका कोई विरोधसमक तरीका न हो। हममें भी एक गतरनार नीज उठ रियासतोंमें सेनाका मुचान्त्रपमें गगटित होना है। इन भारतीय रियासतोंमें उन्तारी अन्वय केंडे मृचनहो है। इन रियासतोंमें काभ्रिके जाँर देशी राज्य प्रजानकालके आंदोलनोंकी सुरी तरह सुरक्षा जाना है, व देसतांशोंको कहीने रई मज्जा दे जनी है। नरेदारगं जितनेके प्रति अपनी यफ-

दारीका रेलान करनेमें कभी नहीं सकते। लेकिन सार्वभौम सत्ता द्वारा उनके सामने रखे गये आदेशों और नीतियोंको उन्होंने बफादारी और विश्वासके साथ कभी नहीं निमाया। चालीस सालसे ऊपर हो गये, ग्वालियरके अपने याद रखने व्ययफ भाषणमें तत्कालीन वायसराय लार्ड कर्जनने घोषित किया था—“X X X देशी नरेश साम्राज्यमें सम्राटके प्रति बफादार रहते हुए खुद अपनी प्रजाके प्रति मौज-शौकमें फसे रहकर गैरजिम्मेदार और निरकुश शासन नहीं कर सकते। उन्हें जो सत्ता प्राप्त है उसका बुरूपयोग नहीं, सदुपयोग करना चाहिये। अपनी प्रजाका उन्हें स्वामी ही नहीं, सेबक भी होना चाहिये। उनके लिये यह जान लेना आवश्यक है कि राजकी आमदनी उनके स्वार्थपूर्ण उपयोगके लिये नहीं बरिफ प्रजाकी भलाईके लिये है। उनके अन्दरनी शासनमें उसी हदतक देखलदराजी नहीं की जायगी जिस हदतक कि वह ईमानदार रहेंगे। उनकी राजगद्दी स्वच्छन्द भोग-विलासकी चीज नहीं बरिफ कर्तव्यपालनका भार है। पोलोके मैदान या घुबदौड़ अथवा यूरोपियन टोटलोंमें ही उनका काम नहीं है। उनका असली काम, राजाकी हैसियतसे उनका कर्तव्य तो, उनके अपने प्रजाजनोके बीच ही है। मैं तो हर हालतमें उन्हें इसी कसौटीपर कसूंगा। अन्तमें इसी कसौटीपर या तो राजाकी राजनीतिक सस्था मिटेगी या—बचेगी !!”

हार्डिंग, नार्थब्रुक, हैरिस, कैनिंग, मेयो तथा चैम्सफोर्डने भी अपनी घोषणाओंमें इसी नीति और सिद्धातकी ताईद की है। भारतीय राजाओंको लार्ड इर्विनका जो मशहूर गइतीपत्र (Irwin Memorandum) भेजा गया था उसमें भी राजाओंको मित्रतापूर्ण सलाह दी गई थी। उस मेमोरेण्डममें सलाह दी गई है—‘बहा कानून और व्यवस्थाका राज्य होना चाहिये जिसका आधार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमें जातिका व्यापक कल्याण हो। वैयक्तिक स्वतन्त्रता और अधि-

कारोंको सरक्षण मिलना चाहिये तथा कानूनके आगे राज्यके सब लोगोंको समान माना जाना चाहिये । न्याय विभागमें ऐसे दृढ और योग्य आदमियोंको रखना चाहिये जो शासन-विभागके मनमाने हस्तक्षेपसे सुरक्षित रहें और जबतक अपना कर्तव्य पालन करें तबतक हटाये न जा सकें । राजाका निजी खर्च इतना कम होना चाहिये जो उसकी हैसियत और प्रतिष्ठा कायम रखनेके लिये पर्याप्त हो, जिससे सरकारी आमदनीका यथासभव अधिकसे अधिक भाग लोगोंकी उन्नतिके लिये उपलब्ध हो सके ।” बटलर कमेटीकी रिपोर्टमें जो अंक दिये गये हैं उनके अनुसार राजाके निजी खर्चकी रकम निश्चित करनेका प्रयत्न भी सिर्फ ५६ राज्योंने ही किया है । बटलर कमेटीको पता लगा है कि अनेक राज्योंमें मुहाफिज खाने भी व्यवस्थित रूपमें नहीं हैं, विभिन्न राज्यों द्वारा आय-व्ययके जो तखमीने या अन्य आर्थिक वक्तव्य निकाले जाते हैं वे हिसाबकी छानबीन करनेवाली स्वतन्त्र-पद्धतिकी कसौटी पर टिक भी सकेंगे, इसमें शक है । फलतः राजघरानेकी शान-शौकतके लिये राज्योंकी प्रजाको अपना पेट काटकर जो रकम चुकानी पड़ती है वह दरअसल बहुत अधिक है और नरेशोंके लिये शर्मनाक है । स्वयं नरेन्द्र-मण्डल (Chamber of Princes) ने फरवरी १९२८ ई० में एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें राजाओंसे प्रार्थना की गयी थी कि—“राजाके खालिस निजी खर्चको उचित आधार पर बाध दिया जाय जो राज्यके सार्वजनिक खर्चसे सर्वथा अलग रहे ।” लेकिन अधिकांश नरेशोंने मण्डलके प्रस्तावको अमलीरूप देनेमें जो बिलकुल उपेक्षा दिखलाई है उसकी खुद उनके ही वर्गके एक सदस्यने कड़ी आलोचना की है और उसे ऐसी राजनीतिक भूल बतलाया है जिससे और नहीं तो ‘कमसे कम नैतिक दृष्टिकोणसे तो जरूर उनकी स्थिति कमजोर होगी ही ।’ राजाओंकी यह आलोचना सीतामऊके महाराज कुमार रघुवीर सिंहने ‘भारतीय रजवाड़े’ नामक अपनी

पुस्तकमें की है। नरेश वर्ग ब्रिटेनके प्रति अपनी वफादारी की घोषणा करनेमें कभी नहीं थकता। लेकिन वह वफादारी अगर राज्यके खजानेसे ब्रिटेनके युद्ध-कोषमें मदद देने और अपने गुलाम प्रजाजनोंको लामपर भेज देने तक ही सीमित रहे तो उसका कोई बहुत मूल्य न होगा। प्राचीन सामतशाहीके पोषक और तानाशाहीके जीते-जागते पुतले ये भारतीय रजवाड़े 'लोकतन्त्रवाद' के लड़नेमें बहुत कारगर नहीं हो सकते। ब्रिटेनके प्रति वफादारीका मतलब उसके द्वारा घोषित उद्देश्यों व आदर्शोंके प्रति वफादारी भी जरूर होनी चाहिये। लेकिन सार्वभौमसत्ता द्वारा हमारे राजन्य वर्गके सामने जो आदर्श रखे गये हैं उसकी पूर्ति उसने कभी नहीं की। दासता और गुलामीसे मिलती-जुलती हालतें अभी भी वहाँ प्रचलित हैं। वहाँ दारोगा, और चेला जैसे लोगोकी कानूनन जो स्थिति होनी चाहिये और वस्तुतः जो स्थिति है उसका पता लगानेके लिये अगर कोई जांच-कमाशन मुकर्रर किया जाय तो हम दावेके साथ कह सकते हैं कि वह वेकार साबित न होगा। प्रो० आर्थर कीयने बत-लाया है कि—“राजका विधान किसी भी हालतमें ऐसा नहीं है जिससे नरेश बचे हों। ब्रिटिश भारतकी तरह कानूनसे शासन होने जैसी कोई बात ही वहाँ नहीं है। भारतीय शासन विधानके मसविदेमें रियासतोकी प्रजाके मौलिक अधिकारोंका उल्लेख इस लिये नहीं किया जा सका, क्योंकि वे राज्योंको मजूर नहीं हो सकते थे।”

कांग्रेस समस्त भारतको स्वाधीन करनेका ऐलान कर चुकी है। वह यह नहीं देख सकती कि ब्रिटिश भारतमें तो उत्तरदायी सरकार कायम हो और देशी रियासतोंमें वही पुराना स्वेच्छाचारी शासन प्रचलित रहे। ब्रिटिश भारतकी देखा-देखी रियासतोंकी प्रजामें भी नया जागरण पैदा हुआ है। कांग्रेस रियासतोंकी प्रजाके साथ है और प्रजा कांग्रेसके साथ। यही कारण है

कि देशी राज्योंमें उत्तरदायी शासनकी प्राप्तिके लिये वहाके प्रजाजनों द्वारा उग्र आन्दोलन छिड़ा हुआ है। राज्योंकी सरकारें भी प्रजाके न्यायोचित आंदोलनको दबानेके लिये उग्र उपार्योंसे काम ले रही हैं। आज नवजागृत भारतमें इन नरेशोंका अगर कोई सच्चा शुभ चिन्तक है तो वह महात्मा गांधी हैं। मगर नरेश वर्गकी करतूतों और उनकी स्वेच्छान्चारिताको देखकर महात्मा गांधीको भी 'हरिजन' में लिखना पड़ा कि—'राजा लोगोंके लिये केवल दो मार्ग रह गये हैं। शासनकी जिम्मेदारी प्रजाको सौंप कर स्वयं उनके अभिभावक बने रहना तथा अपने परिश्रमके बदले कुछ मुभावजा लेते रहना या फिर राज्यके विनाशके लिये तैयार रहना। इन दो रास्तोंके सिवा और कोई बीचका रास्ता नहीं। मैं तो यहातक कहूंगा कि सार्वभौम सत्ताके नाते जिस तरह ब्रिटिश सरकारका यह फर्ज है कि वह भीतर या बाहरसे पहुचनेवाली क्षतिसे राजाओंकी रक्षा करे, उसी तरह या उससे भी ज्यादा यह देखना उसका फर्ज है कि राजा लोग अपनी प्रजा पर न्यायपूर्ण शासन करते हैं या नहीं।' महात्मा गांधीने जो वाजिब एव समयानुकूल सलाह राजाओंको दी है उसे उन्हें बक्त रहते मान लेना चाहिये, वरना उनका अस्तित्व खतरेमें है। जमानेकी रफ्तार और प्रगतिकी हाहाकारमें भी उत्ताल तरंगोंको रोक देना उनकी शक्तिके बाहरकी बात है।

×

×

×

भारतके धुधले राजनीतिक क्षितिज पर एक और धूमकेतु दिखायी दे रहा है। श्री एम० एन० राय भी कांग्रेसके खिलाफ बगावतका झण्डा लेकर धूमने लगे हैं और फासिस्ट विरोधी मोर्चा कायम करनेके बनावटी नाम पर वे अब देशकी प्रतिक्रिया गामी शक्तियोंका संगठन करनेमें लगे हैं। वे कांग्रेसको भारतीय स्वाधीनताका शत्रु और पाचवा दस्ता (Fifth column)

वताते हैं। भारतीयोंके लिये श्री राय एक पहेली हैं। वे सदा ही एक रहस्य पूर्ण व्यक्ति रहे हैं। भारतीय राजनीतिमें उनकी गतिविधि हमेशा सदेहकी दृष्टिसे देखी जाती रही है। कांग्रेसमें उनका शामिल होना, कांग्रेसके भीतर कोई पार्टी बनानेका उनका विरोध, फिर अपनी ही एक अलग पार्टी बनाना और अन्तमें कांग्रेस विरोधी दलोंसे सहयोग करनेके लिये पागलकी तरह दौड़ना आदि उनकी काररवाइया दरअसल उलझनोंमें डाल देनेवाली हैं। अब वे फ़ासिज्म और नाजिज्मका विरोध करनेके लिये ब्रिटिश सरकारसे बिना शर्त सहयोग करने पर उतर आये हैं। भारतकी आजादीका प्रश्न और साम्राज्यवाद के खिलाफ़ प्रचण्ड आन्दोलन करके मसारमें साम्यवादका प्रचार करनेकी उनकी फ़िलासफी खतम हो गयी है। वे अपना मार्क्सवाद और द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद (Dialectical Materialism) भूल बैठे हैं। अब वे ब्रिटिश साम्राज्यवादका सबसे बड़ा समर्थक होनेका दावा करते दिखलायी ठे रहे हैं। वे कांग्रेसको, कांग्रेसके आन्दोलनको देशके लिये घातक बताते हैं और उनका कहना है कि कांग्रेसका नाम-निशान मिटा देनेमें ही भारतकी भलाई है। चीनमें असफल होकर, कम्यूनिस्ट पार्टीसे निकाले जानेपर और शूद्रलावद्ध असफलताओंका लज्जाजनक सेहरा बांधकर अब वे भारतमें अपनी मजलूम और मसली हुई हसरतोंको पूरा करनेका ख्वाब देख रहे हैं। वे कांग्रेस द्वारा नफ़ारतसे ठुकराई गयी मिनिस्टेरियों पर चिपकनेकी कोशिशमें हैं। इसीलिये वे मुस्लिम लीगवालोंसे, माडरेटो, लिबरलों और सरकार-परस्तोंसे मिलकर प्रान्तोंमें खिचड़ी मन्त्रिमंडल बनानेके लिये दौड़धूप कर रहे हैं। वे पक्के क्रांतिकारी थे और ब्रिटिश साम्राज्यवादके सबसे बड़े शत्रु बनते थे। लेकिन आज उनकी करतूतोंको देखकर उनके समर्थक तक परेशान हैं। १ दिसम्बर १९४० को पटनामें डा० सच्चिदानन्द सिनहाकी अध्यक्षतामें

हुई एक सभामें उन्होंने एक जहरीला भाषण दिया था जिसमें काग्रेसको निशाना बनाकर उन्होंने फरमाया था कि—“हमें अपने देशके मोतर भी फासिस्टवादसे लड़ना है। ‘पांचवे दस्ते’ का नाम-निशान मिटा देना है। ‘पांचवें दस्ते’ वाले फ्रान्स्के पतनके कारण हुए थे। भारतमे भी यह ‘पांचवा दस्ता’ मौजूद है। काग्रेसकी राजनीतिज्ञताका दिवाला निकल गया है।” आज श्री एम० एन० रायकी इन बातोंको सुनकर ब्रिटिश कूटनीतिज्ञोंको जो खुशी होती होगी वह बयानके बाहर है। श्री राय भारतके प्रतिक्रियागामियोंसे, साम्प्रदायिकोंसे, साम्राज्यवादियोंसे, माडरेटों और जी-हुजूरोंसे मिलकर भारत को फासिस्टवादके खतरेसे बचानेका प्रबल प्रयास कर रहे हैं। उनकी इन हरकतोंको देखकर और ‘देशकी भलाई’ के लिये उनके गिरोहकी करतूतोंका ख्याल करके हमें तो कहना पड़ता है:—

“पढ़े हैं सूरते नक्शे कदम, न छेड़ो हमें,
हम और खाक्रमे मिल जायेंगे उठाने से।”

हमारी उलभन



भारतवर्षकी मौजूदा स्थिति बड़ी उलभनपूर्ण है। हम बड़ी विकट परि-
 स्थितियोंसे होकर गुजर रहे हैं। हमारी समस्याएं महान हैं, हमारी पहाड़-जैसे
 दिक्कतों और परेशानियोंकी चोटिया गौरीशंकरसे भी ज्यादा ऊंची और गहरा-
 नाक हैं। लेकिन परेशानियोंपर विजय पाना भी पहाड़ुरोंका काम है। हम प्रयत्न-
 शील हैं। हो सकता है, थोड़े समयके लिये हताशा होकर हम अपनी पराजय
 मजूर कर लें लेकिन पगलदकी विजयमें बदल देनेकी ताकत और दृढ़ता भी
 हममें है। प० जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं पर कफय, जो सजीव पिपल्लोंके
 तारों तरह हमें जोषा, सन्देश और उत्साह प्रदान करण हैं, प्रत्येक भारतीय
 को हृदयगत कर लेना चाहिये कि—“Success often comes to those
 who dare and not, it seldom goes to timid.” जर्म—‘समयदायी
 अस्मर उठे ही समीप होते हैं जो हिम्मतके साथ कर गुजरता है, वह सुखदलों
 को बहुत कम समीप होते हैं।’ अन्तर्गत माधु अन्तर्गत अन्तर्गत और अन्तर्गत

अग्रसर होते रहना ही तो मनुष्यका धर्म है। सफलता और असफलताका विचार छोड़ कर हमे कर्मवीर बनना है। 'कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन।' फिर हमारी उलम्हनें खुदबखुद सुलभ जायगी।

वर्तमान भारतवर्ष प्रसव वेदनाके सक्रान्त कालसे होकर अपने उस सुनहले भविष्यकी ओर बढ़ रहा है जो कालीरजनीके पदमें ऊषाकालीन रविकी लालिमा लिये छिपा है। अगर कमलिनीके लिये निशा है तो कमलके लिये दिवस है। ससार आशापर जीता है और आशाकी प्रबल धुरी पर ही वह टिका है। हम आशावादी हैं। हम अपनी राष्ट्रीय उलम्हनोंको अवश्य सुलभायेगे, अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेंगे। हमारी राष्ट्रीय उलम्हनोंकी फेहरिस्त काफी लम्बी है। स्वराज्यकी समस्या आज सबसे बड़ी समस्या है। इसीमें अन्य सारी छोटी-बड़ी समस्याएँ सन्निहित हैं। किन्तु उन सन्निहित समस्याओंपर भी हमे विचार करना लाजिमी है। कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनताके लिये लड़ रही है। हिन्दू सभावादी और माडरेट औपनिवेशिक स्वराज्य पर ही रजामद हैं। मुस्लिम लीग हिन्दुस्तानमें पृथक मुसलमानी सल्तनत कायम करनेके लिये पाकिस्तानकी माग पेशकर रही है। हिन्दू नेता हिन्दू राज्यका काल्पनिक नक्शा खींच रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीयताकी इमारत खड़ी की जा रही है तो दूसरी तरफ साम्प्रदायिकताका विष-बृक्ष सींचा जा रहा है। कांग्रेस केन्द्रमे राष्ट्रीय सरकार कायम करनेकी माग रखती है तो कांग्रेसके विरोधी वायसरायकी शासन सभा—एक्जिक्यूटिवमें ही सीट पानेका सौदा करने हैं। कांग्रेस जब यह कहती है कि भारतका भावी विधान बनानेके लिये राष्ट्रीय-पचायत (Constituent Assembly) बुलानेका अधिकार दिया जाय तो मि० जिन्ना कहने हैं कि हिन्दुस्तानकी जनता इस कदर अशिक्षित और मूर्ख है कि वह राष्ट्रीय पचायत का अर्थ ही नहीं समझ सकती। मि० जिन्नाको अग्लका ऐसा अजीर्ण हो

गया है कि वे अपने सिवा और सबको बेअक्ल तथा नासमझ समझते हैं। एक तरफ भारतके करोड़ों किसान और मजदूर खेतों और कारखानोंमें पशुवत जीवन बिता रहे हैं तो दूसरी तरफ जमींदारों और पूँजीपतियोंके शोषणका फौलादी पत्र और जोरसे चुमता जा रहा है। एक तरफ अट्टालिकाएँ अट्टहास कर रही हैं तो दूसरी तरफ मोपड़ोंके कण्ठ क्रन्दन सुनायी दे रहे हैं। हमारी देशी रियासतोंकी बात ही निराली है। वे दुनियांमें रहकर भी अपनेको दुनियां का बाशिन्दा नहीं समझतीं। प्रजाकी चीत्कार सुनकर उन्हें नर्तकीके नूपुरोंकी मन्झार याद आती है। बेहिसाब खर्च करने, साक्री और शराबमें मस्त रहने, बेहोशीका मजा लेने और पोलोके घोड़ों तथा शिकारके कुत्तोंका शौक करनेमें ही वे अपने कर्तव्यकी इतिथ्री समझ बैठे हैं ! और हम सबपर शासन करने वाली सरकार ? वह हमारी फूट, हमारा वेसुरा राग, हमारी बेहोशी और निराशा तथा निरुत्साह देखकर खुश है। उसे हमारी परवाह नहीं है। वह हमारी विखरी ताकत और बेतुकी आवाजसे फायदा उठा रही है। हमें 'फूट' और 'बैर' ज्यादा मीठे लगते हैं न। हमें भीठा जहर पिलाया जाता है और हम बड़े चावसे पी लेते हैं। कुनैनकी गोली मलाईमें लपेटकर हमें निगलनेको दी जाती है और हम उसे फौरन अपने हलकके नीचे उतार देते हैं। अब देखना तो यह है कि हमारी इस नासमझी और फूटसे हमारे शासक कब तक, किस हद तक फायदा उठाते हैं! लेकिन अमेरिकाके महापुरुष अब्राहम लिंकनके इस चिर सत्य वाक्यकी ओर हम अपना और उनका सबका ध्यान आकृष्ट करेंगे कि—

'You can fool some of the people all the time and all the people some of the time but you cannot fool all the people all the time' यानी—“तुम थोड़े आदमियोंको हमेशाके लिये और सब आदमियोंको थोड़े समयके लिये बेवकूफ बना सकते हो। मगर सब लोगोंको

हमेशा बेवकूफ बनाकर नहीं रख सकते ।” अगर इश सच्चाईको हम और वह दोनों समझ जाय तो हमारी सारी उलझनें बातकी बातमें सुलझ जाय और यदि बक् रहते नहीं समझेंगे तो भविष्य समझायेगा—जल्द समझायेगा !

मि० जिन्नाके कल्पित-बहिस्त पाकिस्तान पर भी जरा विचार कर लें । वे यदि उनके चन्द सरमायादार साथी भारतके उन नौ करोड़ मुसलमानोंको गुम-राह करने पर तुले हुए हैं जिनके पूर्वजोंकी लाशें हिन्दुस्तानकी जमीनके पदोंमें सो रही हैं, जो हिन्दुस्तानकी आबोहवामें पले हैं और जिनके घच्चे यहींकी धूलमें खेल-खेलकर बड़े हुए हैं । मि० जिन्ना कहते हैं कि हिन्दुस्तानकी समस्याओं को हल करनेका सिर्फ एक ही रास्ता अब रह गया है और वह है पाकिस्तान । इस देशको दो हिस्सोंमें, हिन्दू-भारत और मुस्लिम भारतमें बाट दिया जाय यत्न—सारी उलझने आपसे आप सुलझ जायगी । कांग्रेसकी आलोचना करते हुए वे कहते हैं कि—कांग्रेसकी मांगोंमें कुछ भी दम नहीं है । वह बिल्कुल वाइहात है । कांग्रेस चाहती है कि ब्रिटिश सरकार भारतको उसके कहनेसे आजाद कर दे । ऐसा कहीं हुआ है ? तयारीयके पन्नोंमें ऐसी एरु भी मिसाल नहीं है कि किसी देशको भीरा मांगनेसे आजादी मिली हो । आजादी कोई देता नहीं । वह तो घूते पर ली जाती है । मि० जिन्नाको यह बात दरअमल काबिले तारीफ है ; हम उनकी दलीलके कायल हैं । हमें खुशी है कि मि० जिन्ना जैसा विधानवादी भी यह महसूस करने लगा है कि आजादी मांगसे नहीं मिलनी यन्त्रि प्राप्त की जाती है । मि० जिन्ना अस्तित्वको समझनेसे लगे हैं । प्रायद मि० जिन्नाको यह सुनकर अचरज होगा कि उनकी इस रायसे कांग्रेस मोलद आने महमत है । कांग्रेस आजादी मांगती नहीं यन्त्रि उसे हासिल करनेके लिये कुरानीके रास्ते पर चल रही है । मन्ने देशकी रसायनके लिये कांग्रेसने देशव्यापी सघर्ष छेद रखा है । मगर मि० जिन्ना

और उनके जैसे चन्द लोग आजादीकी राहके रोड़े हो रहे हैं। जनाब जिन्ना साहब एक तरफ तो यह कहते हैं कि आजादी हासिल की जाती है, मागी नहीं जाती; किन्तु दूसरी तरफ वे ब्रिटिश सरकारसे 'देशकी हुकूमतमें पुर-असर और वास्तविक हिस्सा' भी मांगते हैं—और वतौर 'बखशीश' के यह हिस्सा मांगते हैं। उन्हें भालूम होना चाहिये कि जब आजादी मागनेसे नहीं मिल सकती तो 'पुरअसर और वास्तविक अधिकार' भी मागसे नहीं मिल सकता। मि० जिन्ना परस्पर विरोधी बातें करनेमें सिद्धहस्त हैं। उनकी दलीलोंका कोई तारतम्य नहीं होता। उन्हें भारतके करोड़ों बहादुर मुसलमानों की ताकतमें सन्देह है और अपनी लचर दलीलोंके वजनमें भी उन्हें काफी शक है। मुसलमानोंके 'कायदे आजम' बने रहनेके लिये पाकिस्तान तो महज एक बहाना है—एक धोखा है। भारतके नौजवान मुसलमान मि० जिन्नाकी इस बहानेबाजीको समझ गये हैं। अब उन्हें अधिक दिन तक अघेरेमें नहीं रखा जा सकता। वतनपरस्त और इस्लामपरस्त सच्चे मुसलमानोंको अब यह ऐलान कर देना चाहिये और जिन्ना साहबसे साफ अलफ़जोंमें कह देना चाहिये कि—“Thus further for and no further” बस, यहीं तक; अब और आगे नहीं !

कांग्रेसकी स्थिति बिल्कुल साफ है। कांग्रेस हिन्दुस्तानमें हिन्दुओं या मुसलमानोंकी हुकूमत कायम करना नहीं चाहती। कांग्रेस तो हिन्दुस्तानकी हुकूमत के लिये हिन्दुस्तानियों द्वारा बनाया गया एक ऐसा विधान चाहती है जो न सिर्फ मुसलमानोंके लिये, न सिर्फ बहुमतके लिये बल्कि तमाम फिरकों, तमाम मजहबों, तमाम अकसरियतों और तमाम अकल्पितोंके लिये कबिले इत्मीनान हो और इसमें उनको किसी किस्मका खतरा अपने लिये नजर न आता हो। कांग्रेस हिन्दुस्तानकी मुकम्मिल आजादी चाहती है, हिन्दुस्तानमें हिन्दुस्तानका

बना हुआ विधान जारी करना चाहती । कांग्रेस किसी खास फिरका या किसी खास जमातकी हुकूमत कायम करना नहीं चाहती । कांग्रेस सिर्फ यह चाहती है कि हिन्दुस्तानमें वह हुकूमत कायम हो और हुकूमतका वह विधान हो जो हिन्दुस्तानके अन्दर रहनेवाले हरेकके लिये काबिले इत्मीनान हो और उसके दिलको यह तसल्ली दे कि वह अपने मुल्कके अन्दर निहायत आजादी और अमनकी जिन्दगी बसर कर सकेगा । कांग्रेसका यही मकसद है और इसे किसी तरह भी झुठलाया नहीं जा सकता । लेकिन हमारे शासक अंग्रेज राजनीतिज्ञ हमेशा यह फरमाया करते हैं कि हिन्दुस्तानमें अनेक जातिया हैं और उन जातियोंमें परस्पर बेहद फूट और अविश्वास है इसलिये उसे आजादी नहीं मिल सकती । सिर्फ फूट और इख्तिलाफतकी बुनियाद पर, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हिन्दुस्तानमें हिन्दू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, अछूत, ईसाई और पासी रहते हैं और उनके अन्दर धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मतभेद हैं इसलिये वह आजादी हासिल करनेके काबिल नहीं है ! लेकिन इस किस्मके रूग्ने कहा नहीं थे । वह कौनसा मुल्क है जहां मजहब, जवान या कल्चरके मतभेद न रहे हों । लेकिन दुनियाके किसी भी देशकी फूट तब तक दूर नहीं हुई जब तक उस देशकी अपनी हुकूमत नहीं कायम हुई, अपना बनाया हुआ विधान नहीं लागू हुआ । आज हिन्दुस्तानमें हमसे यह कहा जाता है कि पहले अपने इख्तिलाफत दूर करो और जब तुम्हारे आपसी रूग्ने दूर हो जायें तो हमारे सामने अपना मुतालवा पेश करो । कौन मुल्क ऐसा है जहा पहले इत्तहाद हो गया हो, पहले फूट मिट गयी हो और बादको आजादी हासिल हुई हो ? इतिहास यह बतलाता है कि अपना शासन पहले कायम हुआ, अपना विधान पहले बना और उसके साथ-साथ फूट मिट गयी, इख्तिलाफत दूर हो गये । आज हमारे यहा जो फूट पैदा है यह तो हुकूमतकी

पैदा की हुई है। वह कैसे दूर हो सकती है जबतक ब्रिटिश पार्लमेंटका बनाया हुआ विधान तबदील न किया जाय। क्या आजके कास्टिट्यूशनमें, क्या आजके गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्टमें और क्या इसके पहलेके निजाम हुकूमत में साम्प्रदायिक निर्वाचनकी प्रणाली मौजूद न थी? क्या स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ही फिरकोंको तकसीम नहीं किया है? क्या आज हमारे मुल्क और हमारे सूबोंके अन्दर फिरकेवाराना चुनाव मौजूद नहीं हैं? क्या स्पेशल कास्टिट्यूशन नहीं हैं और वे सारी चीजें नहीं हैं जो फूट और मनमुटावकी बुनियाद हैं? यह सब रहते हुए हमसे कहा जाता है कि तुम पहले इनको दूर करो, पीछे आजादीका सवाल उठओ। जबतक मौजूदा विधान दूर नहीं किया जायगा और जबतक विधानकी उन बुराइयोंको मिटाया नहीं जायगा जिनके मातहत हिन्दुस्तानियोंको लड़ाया जाता है तबतक हम अपनी आपसी फूट और अपने आपसी झगड़ोंको कैसे दूर कर सकते हैं? इन फूटोंकी आड़में भारतवासियोंसे कहा जाता है कि इनके रहते हुए तुम्हारी मांग पूरी नहीं की जायगी। लेकिन हमारी फूट तो खुद हुकूमतकी पैदा की हुई है। वह बगैर उसके तबदील किये हुए नहीं जा सकती। हमारे वायसराय और भारत-सचिव ताशके पत्तोंको उलटते हैं तो देखते हैं कि कोई सुर्ख है, कोई सियाह है, कोई ईंट है और कोई पान है, कोई हुकम है, कोई चिड़िया है और इसके अन्दर कोई बादशाह, कोई गुलाम है। इन बावन पत्तोंको देखकर उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं और वे कहते हैं कि कितनी बड़ी फूट है हिन्दुस्तानमें। मगर उन्हें यह नजर नहीं आता कि वे बावन पत्ते एक ही हैं। वह एक ताश है, दो या तीन या चार ताश नहीं। बुनियाने उसे हमेशा ही एक ताश कहा है और आइन्दा उसे एक ही कहेगी। लिहाजा वह एक चीज है जिसमें मेल भी नजर आता है और फूट भी। लेकिन हमारे शासकोंको उसमें

फूट ही दिखायी देती है, मेल नहीं। इन्सान एक होता है परन्तु उसके जिस्म के हर हिस्सेकी शकल अलग होती है। वह कौन जगह है, वह कौन-सी चीज दुनियाकी है, जिसके अन्दर फूट नहीं है। अगर इन भेदों और फूटोंका इस्तेमाल नेकनियतीसे किया जाय तो बहुत फायदा हो सकता है। दुनियाके इस भेद और त्रैमेलको महाकवि जौकने षडे दार्शनिक ढङ्गसे अपने एक शेरमें बयान किया है। शायर कहता है.—

“गुलहाय रग रगसे है जीनते चमन,

ऐ जौक इस जहाको है जेब इख्तिलाफसे !”

हमारी फूटको लेकर उसे इस कदर उभारा गया है और मौजूदा हालतमें उसको इस दर्जेपर उभारा जा रहा है कि वह हिन्दुस्तानकी चल्ती हुई गाड़ीमें रोड़े अटकता है। मुस्लिम लीगके नेता कहते हैं कि हिन्दुस्तानके मुसलमानोंको हिन्दुओंसे बड़ा खतरा है। उनका यह कहना किस हदतक सच है या किस हदतक कतई गलत है यह एक मुसलमान और पक्के मुसलमानकी जबानी सुनिये। ३० अक्टूबर १९३९ ई० को युक्त प्रान्तीय असेम्बलीमें भाषण देते हुए तत्कालीन यातायात सचिव मि० हाफिज मुहम्मद इब्राहीमने कहा था :—

“ X X X काप्रेस इसके लिये बिलकुल आमदा है कि जिस किस्मकी तकलीफ और मुसीबतका इलाज हिन्दुस्तानके मुसलमान अपने लिये चाहते हैं उसको सुनकर, उसका इलाज तजवीज करके और उनके इत्मीनानके बाद उसे कास्टिट्यूशनमें रखा जाय। लेकिन मैं एक मुसलमान होनेकी हैसियतसे यह कहनेका हक रखता हू कि मेरे नजदीक इन तहफफुजात (सरक्षणों) की कोई कीमत नहीं है। उनका कोई एतबार नहीं है और इसके (सरक्षण) जरिये हिन्दुस्तानके अन्दर जिन्दगी बसर करनेका इरादा करना तमाम मुसलमानोंको

बदनाम करना है। यह मुसलमान कौमको बुजदिल बतलाना है। मैं दरियापत करना चाहता हू कि मुसलमानोंका नबी जब इस जहामें आया तो उसके कितने साथी थे ? आज हिन्दुस्तानमें ९ करोड़ मुसलमान हैं। उस वक्त चारों तरफ 'काफिर' ही 'काफिर' थे और उसका कोई मददगार न था। उसने उनके दर्मियान अपनी सदा बुलन्द की और अपने वन्द साथियोंकी मददसे दुनियाकी बड़ी-बड़ी अक्सरियतोंको मगदूब कर दिया और इसकी बदौलत आज हिन्दुस्तानमें ९ करोड़ मुसलमान हैं। मेरे दोस्तोंका तहफफुज का ख्याल इस गलत उसलीपर कायम है कि अक्सरियत (बहुमत) अक्लियत (अल्पमत) को तबाह कर देती है और थोड़ी तायदादको बड़ी तायदाद फना कर देती है। मैं अर्ज करूंगा कि यह ख्याल बिलकुल गलत है और उसूल बिलकुल गलत है। दुनियाकी तवारीखके लिहाजसे गलत है और इस्लामकी तवारीखके लिहाजसे भी गलत है। आज दुनियाकी तवारीखसे एक नहीं सैकड़ों मिसालें इस बातकी पेश की जा सकती हैं कि छोटी-छोटी कौममें उठी हैं और उन्होंने बड़ी-बड़ी कौमोंको तबाह कर दिया है। उनकी तमाम तहजीब और तमद्द (सभ्यता एव सस्कृति) को बदल दिया है। तवारीखमें इसकी मिसालें मौजूद हैं कि अक्सरियतपर किस तरह छोटी-छोटी अक्लियतें गालिब हो जाया करती हैं। मैं पूछता हू कि मुसलमान जब हिन्दुस्तानमें आये थे तो वह कितने थे ? जब वह सिधमें आकर बसे थे उस वक्त वह कितने थे ? और उस वक्तसे उन्हें हिन्दुस्तानमें रहते कितना जमाना हो गया ? उनकी नस्लोंको यहा रहते आज ९ सदियोंसे ज्यादा जमाना हो चुका है। यूरोपकी तवारीखसे भी और दीगर मुमालिककी तवारीखसे भी इसका कोई पता नहीं चलता है कि यह ख्याल कायम किया जाय कि हिन्दुस्तानकी ३५ करोड़ आबादीमेंसे २५ या २६ करोड़ हिन्दु मुसलमानोंको तबाह कर देंगे। जिस कौममें असलू

औहर है उसको कोई तबाह नहीं कर सकता । लेकिन जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, अगर आप तहफफुज चाहते हैं तो कांग्रेस तहफफुजात देनेके लिये और उनको कास्टिट्यूशनमें शामिल करनेके लिये तैयार है ! किन्तु बावजूद इस बातके अगर आज उनका (मुस्लिम लीग वालोंका) खैया यह हो कि वह आजादीके लफजसे भी कतराते हैं और अगर कोई रेज्यूलेशन पास करते हैं तो इस तरहसे कि वह आजादीसे पाच सौ कोस दूर हो और आजादीका ख्याल उसतक न पहुंच पाये तो मैं अर्ज करूंगा कि यह खैया किसी कौमके लिये अपने मुल्कके साथ मुनासिब नहीं है । उन्हें तो यह कहना चाहिये कि आप तो क्या, अगर हिन्दुस्तानके दरिन्दे और परिन्दे भी हिन्दुस्तानकी आजादीकी तहरीक करें तो हम उनके साथ शरीक होनेको तैयार हैं, आप तो हमारे भाई हैं ।” मि० हाफिज मुहम्मद इब्राहीमके अवतरणपर कोई टिप्पणी व्यर्थ होगी । वह एक सच्चे, मुसलमानके नेक दिलसे निकला हुआ उद्गार है । उसमे उन वतनपरस्त मुसलमानोंकी रुहानी आवाज शामिल हैं जो देशको आजाद देखनेके लिये तिलमिल रहे हैं । उसमें उन मुसलमानोंकी आत्मा बोल रही है जो तबाही और फकमेस्तीको जिन्दगी काट रहे हैं, जो सदियोंसे बेतरह सताये और शोपित किये गये हैं, जो मजलूम किसान और बेकस मजदूर हैं ।

हमारी राष्ट्रीय उलम्नोंकी दरअसल कोई सीमा नहीं है । ऊपर जिन उलम्नोंपर मैंने प्रकाश डाला है उसके अलावा भी अनेक जटिल समस्याएँ हमारे मार्गमें सिर उठाये खड़ी हैं । इनमें जवान और लिपि का भी एक बड़ा पेचीदा प्रश्न है । कांग्रेसने हिन्दुस्तानी ज्ञानको भाग्यशुकी राष्ट्रभाषा करार दिया है जो हिन्दी और उर्दू, दोनों लिपियोंमें लिखी जा सकती है । इसमें साथ ही साथ प्रान्तीय भाषाओंके विकसक मार्ग भी अमरुद्ध नहीं किया गया

है। हिन्दुस्तान बहुत बड़ा देश है। यहाँ अनेक खालिस और मिश्रित जातियोंके लोग बसते हैं। इसलिये यहाँ भाषाएँ भी अनेक हैं और लिपियाँ भी। कांग्रेसने हिन्दुस्तानी जवानको, जिसमें न तो निखालिस संस्कृतके शब्द हों और न निखालिस फारसीके, राष्ट्रभाषा तो करार दे दिया मगर सब हिन्दू और सब मुसलमान कांग्रेसके इस फैसलेको नहीं मानते। हिन्दीवाले हिन्दीकी प्रधानता कायम रखनेपर आमादा हैं और उर्दूवाले उर्दूकी सरबुल्न्दीपर जुले हुए हैं। एक फ्रेंच लेखकका कहना है कि—“हिन्दू अपने विद्वेषके कारण ऐसे हरेक मामलेका विरोध करते हैं, जो उन्हें मुसलमानोंकी हुकूमतके जमानेकी याद दिलाये।” उधर मुसलमानोंको, जवानके प्रश्नको लेकर भी इस्लामपर खतरा नजर आता दिखायी दे रहा है। इसलिये वे भी हिन्दीका विरोध कर रहे हैं। १८५७ में, दिल्लीकी भग्नावशिष्ट बादशाहतके लोप हो जानेके बाद, जबसे अंग्रेजी अमलदारी कायम हुई तबसे वे यह अनुभव करने लगे कि गुलाम मुल्कमें वे भी गैरोंके गुलाम हो गये। शहरी मुसलमानोंमें असतोष, निराशा, अज्ञाति, क्षोभ और रोषने घर कर लिया। सर सैयद अहमदखाके साथियोंमेंसे एक सज्जनने यह स्वीकार किया है कि—“इन्सान जब हर तरफसे निराश हो जाता है, तब मजहबकी शरण ढूँढता है। मुसलमान धन और मान, सम्पत्ति और विभव, सब कुछ खो चुके थे। एक धर्म बच गया था, इसलिये यह उन्हें और प्यारा हो गया था। जरासी बदगुमानीपर उनके मजहबी भाव और भावनाएँ उत्तेजित हो जाती थीं। उस समयका शायद ही कोई ऐसा मुसलमान लेखक या साहित्यिक रहा हो जिसने मजहबपर कलम न रगड़ी हो।” वृत्तपरस्त हिन्दुओंके धार्मिक विद्वेषके प्रति असतोष और इस्लामी किताबों (कुरान और बाइबिल) पर समान विश्वास होनेके कारण मुसलमानोंकी अंग्रेजोंके साथ बेहतरीन दोस्ती—इन दो बातोंको लेकर

सर सैयद अहमद और उनके समर्थक मैदानमें उतरे थे। मुस्लिम लीगके नेता आज दिन भी सर सैयद अहमदकी नीतिका अनुसरण कर रहे हैं। सर सैयद अहमदने 'दीन' की दुहाई दी और कुछ दूरतक वे सफल भी हुए। इसी 'दीन' के नामपर मुस्लिम लीग आज भी भारतकी एकता और देशकी आजादीको बलिदान करनेपर बेधड़क उतारू हैं। सर सैयद अहमदखाकी कोशिशोंका यही लक्ष्य था कि मुसलमानोंमें भेद-सूचक विलक्षणताएँ उत्पन्न की जायँ ताकि उनकी कौमी खुसूसियत लोगोंपर आसानीसे जाहिर होती रहे। हिन्दुस्तानके मुसलमानोंका लिवास भी सर सैयद अहमदकी मेहरबानीसे भिन्न हो गया। इसी नीयतसे मुसलमानोंकी जवानको भी हिन्दुओंकी भाषासे भिन्न रखनेकी धुनमें वे पागल रहा करते थे। सर सैयद अहमद खाकी जीवनीके लेखक मौलाना हालीने लिखा है :—

“उनको यकीन हो गया था कि हिन्दुओंका काम दर हकीकत महज कौमी तास्सुब (विद्वेष) पर मबनी (आवलवित) है। उन्होंने उर्दू जवानकी सुखालफत (विरोध) पर कभी सकूत (मौन) अख्तियार नहीं किया। यह तर्क कि मरते-मरते भी वह इस फर्ज को अदा किये बगैर नहीं रहे।” आज उर्दूवाले अपनी जवानको हिन्दुस्तानी नहीं बल्कि उर्दू ही कहना पसन्द करते हैं। महात्मा गांधीने काफ़ी सोच-समझ और सलाह-मशविरा करनेके बाद हिन्दुस्तानी जवानका आदोलन उठाया है। राष्ट्रीय एकताके लिये जवानकी एकता भी आवश्यक है। हम सरल भाषाके पक्षपाती हैं। भाषा लोगोंके सुभीते के लिये होती है। उसे सरल बोध-गम्य और आमफहम होनी चाहिये। हिन्दुस्तानमें हिन्दी बोलनेवालोंका बहुमत है। इसलिये जो जवान ज्यादा लोगोंमें बोली और समझी जाय, जो सरल और बोधगम्य हो उसे ही राष्ट्र-भाषा होनेका गौरव हासिल हो सकता है। हिन्दीमें यह सरलता अपेक्षाकृत

अन्य भाषाओंके ज्यादा मौजूद है वशतें कि संस्कृतके शब्दोंका प्रयोग ज्यादा न हो। सन् १८७३ में पादरी एथरिंगटनने The Students Grammar of the Hindi Language की भूमिकामें लिखा था:—“चाहे हम उस देशके विस्तारका विचार करें, जहां वह बोली जाती है अथवा जातियोंकी संख्या और महत्त्वका विचार करें जो उसे बोलती हैं, हिन्दी यदि कुछ है तो वह उत्तरी भारतकी भाषा मानी जा सकती है। मुसलमानोंकी भाषा उर्दूके लिये ऐसा ही दावा बहुधा किया जाता है। मुसलमान अपेक्षाकृत थोड़े लोग हैं। यद्यपि उत्तरी भारतके बहुतसे शहरों और बड़े कस्बोंमें शिक्षित हिन्दू भी दूसरी भाषाकी भांति उर्दू बोलते हैं तथापि उसका (उर्दूका) प्राधान्य भारत के किसी भी प्रदेशमें नहीं है, न कमी रहा है और अवस्थाको देखते हुये वह मुसलमानोंके सिवा भारतके किसी समाजकी भाषा नहीं बन सकती।”

भारतकी भाषा सम्बन्धी समस्याको सुलझाना बड़ा कठिन है। बंगलावालोंका यह दावा है कि भारतकी राष्ट्रभाषा बंगला ही हो सकती है। उर्दूवाले उर्दू और हिन्दीवाले हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनानेपर तुले हैं। लिपिका सवाल भी बड़ा टेढ़ा है। हिन्दुस्तानी भाषा रोमन लिपिमें लिखी जाय, यह सुझाव भी लोगोंको पसन्द नहीं। फिर यह सवाल हल हो तो कैसे? हमारी तो राय है कि स्वाभाविक रीतिसे हिन्दी और उर्दूको आगे बढ़ने दिया जाय। काल आप ही निर्णय कर देगा कि देशकी भाषा क्या है? जिस भाषाको देशके अधिकाधिक लोग आसानीसे बोल, पढ़, लिख और समझ सकेंगे वही राष्ट्रभाषा होगी। उसे कोई रोक नहीं सकेगा। अपनी हुकूमत कायम होनेपर भाषाकी उलम्हान भी दूर हो जायगी। हां, अल्पसंख्यक जातियोंके कौमी हकोंको सुरक्षित रखनेके साथ-साथ प्रान्तीय और मजहबी भाषाओंको भी संरक्षण मिलना चाहिये। राष्ट्रभाषाके नामपर किसी दूसरी भाषाका गला नहीं

घोंटा जा सकता। किन्तु राष्ट्र भाषा तो वही होगी जिसमें राष्ट्र भाषा होनेका स्वामाविक गुण मौजूद होगा। भाषाका क्षेत्र सस्कृतिके क्षेत्रसे विशाल होता है। हिन्दुस्तानकी भाषाओंमें उर्दूका भी स्थान है। वह रहेगा और रहना चाहिये। पर उसे राष्ट्रभाषा बनानेका आन्दोलन और प्रचार करनेसे विशेष लाभ न होगा। भाषा स्वयं अपने गुणोंके कारण अपना स्थान प्राप्त कर लेती है। इसलिये हिन्दीमें जो गुण हैं उससे वह राष्ट्रभाषाका स्थान ग्रहण कर चुकी है। उर्दू भी उसी हिन्दीका एक अंग है। भाषाकी कठिनाइयोंको दूर करनेके लिये मुसलमानोंको हिन्दी और हिन्दुओंको उर्दू सीखनी चाहिये। इससे हम एक दूसरेके ज्यादा करीब आ सकेंगे। दिल्लीमें 'अंजुमनए-तरक्की-ए-उर्दू', की तरफसे जो उर्दू-सम्मेलन हुआ था उसके लिये अपना सन्देश देते हुए प० जवाहरलाल नेहरूने लिखा था.—“भेरी रायमें उर्दू और हिन्दी, दोनोंको एक दूसरेके निकट आनेकी कोशिश करनी चाहिये, ताकि उनसे वह जबर्दस्त अज्ञान तैयार हो सके, जिसकी लिपिया दो हों।” सर तेजबहादुर सप्रूने भी इस सम्मेलनको अपना एक सन्देश भेजा था जिसमें आपने कहा था—“एक तरफ हिन्दू लोग उर्दूमें आये फारसी और अरबीके शब्दोंको निकालनेकी कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मुसलमान लोग आसानसे आसान हिन्दीके लफ्जोंको निकालकर मुद्रिकलसे मुद्रिकल फारसी ओर अरबीके लफ्ज घुसेड़ रहे हैं। किसीके मजहबी ख्यालोंका साहित्यसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिये।” हिन्दुओंमें उर्दू जाननेवालों और भली भाँति उर्दू पढ़ने-लिखनेवालोंको जितनी तादाद निकलेगी उतनी मुसलमानोंमें हिन्दी जाननेवालोंकी नहीं। आवश्यकता तो यह है कि भाषाका सवाल साम्प्रदायिक मतभेदका रूप धारण न करे।

एक और उलझन हमारी परेशानियोंका कारण हो रही है। वह सभ्यता और सस्कृतिकी उलझन है। 'कल्चर' और 'सिविलीजेशन' के नामपर दीन

और धर्मके जीने तथा मरनेकी दुहाइया दी जा रही हैं। हिन्दुओंको इस्लामी सस्कृतिये और मुसलमानोंको हिन्दुओंको वैदिक सस्कृतिये खतरा नजर आ रहा है। लेकिन इन दोनों सस्कृतियोंपर यूरोपीय संस्कृतिका जो खतरा मौजूद है उस ओर किसीकी निगाह नहीं जाती। महात्मा गांधीके शब्दोंमें—

‘भारतके इतिहासमें अंग्रेजी शासनको जैसी सांस्कृतिक एव आध्यात्मिक विजय प्राप्त हुई है ऐसी और किसी कालमें किसी दूसरी सत्ताको नहीं प्राप्त हुई।’

भारतवर्षमें सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा-दीक्षाका प्रचार करनेवाले लार्ड मेकालेने जो स्वप्न देखा था वह सत्य निकला। लार्ड मेकालेने इस बुनियादपर अंग्रेजी शिक्षाकी नींव डाली थी ताकि इस देशमें अंग्रेजी पढ-लिखकर ऐसे लोग तैयार हों जो रफ और रंगसे तो भारतीय जान पढ़ें लेकिन उनका स्वभाव, उनकी रुचि, उनका लिबास, उनका दिल, उनका दिमाग और उनकी चाल-ढाल विलकुल अंग्रेजी जैसी हो। आज हिन्दुओं और मुसलमानोंपर, सिखों और पासियोंपर अंग्रेजी तालीम और ईसाई सस्कृतिका समान प्रभाव दिखायी दे रहा है। हम अक्वल दर्जेके नकलची और फिरगी हो गये हैं। इससे मुक्ति पानेका उपाय न तो हिन्दू नेता कर रहे हैं और न मुसलमान नेता। हम अपनी भारतीयता, अपना हिन्दुस्तानीपन खोते जा रहे हैं—बहुत दूरतक खो चुके हैं। लेकिन भारतीय सस्कृति कभी मर नहीं सकती। उसे अमरत्वका वरदान हासिल है। थोड़े समयकेलिये वह भले ही दब जाय, अन्धकारमें पड़कर आँखोंसे ओझल हो जाय। मगर जड़मूलसे उसका नाश नहीं हो सकता। यूनान, रोम, सीरिया, फारस, बेबीलोन और मेक्सिकोकी सभ्यताएं उठीं और मिट गयीं। मगर हिन्दुस्तानकी सभ्यता अभी बनी हुई है। भारतीय सभ्यताके चिरजीवी बने रहनेका गुप्त रहस्य यही है कि इसके सम्पर्कमें आनेवाली दूसरी सभ्यताके अच्छे गुणोंको ग्रहण इसमें करनेकी महान् क्षमता विद्यमान है।

साथ ही इसमें सार्वभौमिकता भी है और जज्व करनेकी ताकत भी। यह अपने मूलपर कायम रहकर दूसरोंकी अच्छाइयोंको हजम करती रहती हैं। इसमें उदारता और कट्टरता, दोनोंका समन्वय है। इसीलिये तो महाकवि इकबालने बड़ी मस्तीके साथ झूम-झूमकर गाया है :—

“यूनान, मिस्र, रोमा, सब मिट गये जहासे ;
लेकिन अभी है चाकी नामोनिशा हमारा ।
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ,
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहा हमारा ।”

× × ×

जो मुसलमान नेता यह कहते फिरते हैं कि हिन्दुओंसे मुसलमानोंकी सभ्यता और सस्कृतिपर खतरा उपस्थित है उनसे मैं पूछता हू कि अगर अभीतक मुस्लिम सभ्यताका बाल-धाका नहीं हुआ तो अब उसपर खतरा उपस्थित होना कैसे संभव हुआ ? हिन्दुस्तानमें मुसलमानोंको आये नौ सौ वर्षके करीब हो गये। आज उनकी सख्या भी नौ करोड़ है। जब यहा सुदृढीभर मुसलमान थे तब उनकी सभ्यता एव सस्कृति नष्ट नहीं हुई तो आज नौ करोड़ मुसलमानोंके रहते वह कैसे नष्ट हो जायगो ? सभ्यता और सस्कृतिअ यह पचज्ञ भी पूजीपतियोंके एजेण्ट इन साम्प्रदायिक नेताओंकी एक बहानेबाजी है।

इसी किसके और भी अनेक सवाल हैं जो हमारी प्रगतिमें बाधक हा रहे हैं। हमारे देशका ग्राम्य-उद्योग रातम षोता जा रहा है। उसे हमें जिन्दा रखना है। कारखानों और मिलोंकी दैत्याकार मशीनें हमारे देशकी छोटी-छोटी देहाती दम्नघरियोंको सगम करती जा रही हैं। हमकी गद्गी चाँद हिन्दुओं और मुसलमानोंपर समानरूपसे पड़ रही है। अपने देशके

ग्रामोद्योगको पुनर्जीवित करनेके साथ ही वैज्ञानिक आविष्कारोंके इस मशीन-युगकी औद्योगिक प्रतिद्वन्दितासे भी हम भाग नहीं सकते। हमें अपनी भौतिक आवश्यकताओंकी पूर्ति भी करनी होगी और यह पूर्ति स्वावलम्बी बनके करनी होगी। हम परावलम्बी बने रहकर अपनी जखूरतोंके लिये दूसरे देशोंका मुंह नहीं ताक सकते। हमें अपने उस देशका औद्योगिक विकास अवश्य करना है, जिस देशकी बाबत इंग्लैण्डके एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ पिटने कहा था कि—“Not a nail should be manufactured there (India)” यानी—‘हिन्दुस्तानमें एक कील भी नहीं बनानी चाहिये।’ भारतके कच्चे मालका शोषण करना ही ब्रिटेनकी परम्परागत उपनिवेशिक नीति रही है। इस देशके औद्योगीकरणकी चेष्टा ब्रिटेनने कभी भी नहीं की। जो थोड़ी बहुत चेष्टा इस दिशामें हुई भी है उसमें ब्रिटेनकी ओरसे सदैव कठिनाइया पेश की गयी हैं। इस काममें हमें कभी कोई सरकारी तरजीह नहीं मिली। ब्रिटिश टापूके भीमकाय कारखानोंका पेट सदा भारतसे भरा गया है और ब्रिटिश पूंजीकी रक्षाके लिये हमारे राष्ट्रीय उद्योगका गला दबोचा गया है। हमेशा ब्रिटिश सरमायादारोंके स्वार्थोंकी रक्षा हुई है और भारतीय हितोंकी उपेक्षा की गयी है। ओटावा-पैक्ट इसका एक जीता-जागता उदाहरण है। आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था मानव समाजके लिये सुख और शांति नहीं ला सकती। आजकी पूंजीवादी व्यवस्था और पुराने जमानेकी सामंतशाही व्यवस्थामें थोड़ा ही अन्तर है। ये दोनों व्यवस्थाएँ मानवताके लिये अभिशापस्वरूप रही हैं और रहेंगी। मानव-जीवनके आर्थिक विकासके लिये पूंजीवाद असफल सिद्ध हुआ है। हमें समाजवादी व्यवस्था ज्यादा प्यन्ड है जा पूंजीवादी व्यवस्थाकी प्रतिक्रियास्वरूप पैदा हुई हैं। इसमें अधिक आदमियोंका अधिक सुख सन्निहित है। अगर हम महात्मा गांधीके अहिंसा

और चर्खेके प्रयोग और उसके आर्थिक पहलूको ठीक-ठीक समझने लगे तो इसमें मानवताके सुखमय भविष्यका बीज मौजूद है ।*

✽ करांची कांग्रेसमें, जो १९३१ ई० के मार्च महीनेमें हुई थी, साम्य-वादी आदर्शको मद्देनजर रखकर आर्थिक परिवर्तन और मौलिक अधिकारों, के सम्बन्धमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया था जिसका मौलिक अधिकार और 'कर्तव्य' विषयक अथ निम्नलिखित है:—

(१) भारतके प्रत्येक नागरिकको प्रत्येक विषयमें, जो कि कानून और सदाचारके खिलाफ न हो, अपनी स्वतन्त्र राय प्रकट करने, स्वतन्त्र सस्थायें और सब बनाने और बिना हथियारके शान्तिपूर्वक एकत्र होनेका अधिकार है ।

(२) भारतके प्रत्येक नागरिकको अन्तरात्माका अनुसरण करने और सार्वजनिक शान्ति एवं सदाचारोंमें बाधक न होनेवाले धार्मिक विश्वास और आचरणकी स्वतन्त्रता है ।

(३) अल्पसंख्यक जातियों और भिन्न भाषा-भाषी वर्गकी संस्कृति, भाषा एवं लिपि की रक्षा की जायगी ।

(४) भारतके सब नागरिक कानूनको दृष्टिमें बिना किसी धर्म, जाति विश्वास अथवा लिंग-भेदके समान है ।

(५) सरकारी नौकरियोंके, अधिकार तथा सम्मानके ओहदोंमें और किसी भी व्यापार या धन्धेके करनेमें किसी भी नागरिक नर-नारीको धम, जाति, विश्वास अथवा लिंग-भेदके कारण अयोग्य नहीं ठहराया जावगा ।

(६) सरकारी अथवा सार्वजनिक खर्चसे बने अथवा नागरिकों-द्वारा सार्वजनिक उपयोगके लिये समर्पित कुम्भों, सड़कों, पाठशालाओं और सार्वजनिक आवागमनके स्थानोंमें सब नागरिकोंके समान अधिकार और कर्तव्य हैं ।

(७) हथियार रखनेके सम्बन्धमें बनाये गये नियम और मर्यादाके अनुसार प्रत्येक नागरिकको हथियार रखने और धारण करनेका अधिकार है ।

१२

आजादीकी राह पर

"Freedom is in Peril,
Defend it with all your Might "

—Jawaharlal Nehru

[आजादी खतरेमें है, अपनी पूरी ताकतसे इसकी रक्षा करो ।]

—जवाहरलाल नेहरू

(८) कानूनी आधारके बिना किसी तरह किसी भी मनुष्यकी स्वतन्त्रता न छीनी जायगी और न किसीके घर और जायदादमें प्रवेश और हुकूमती या जब्ती की जायगी ।

(९) सरकार सब घर्मीके प्रति तटस्थ रहेगी ।

(१०) बालिग उम्रके समान मनुष्योंको मताधिकार रहेगा ।

(११) राज्य सबके लिये सुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाकी व्यवस्था करेगा ।

जिम देशकी आत्मा जीवित रहती है वह देश गुलाम नहीं होता । शामक जब तक गामिनकी आत्माको —उसकी रूहानी ताकतको न कुचल डाले तबतक उसे मन चाहा शामन करनेकी स्वच्छन्दता नहीं मिल सकती । राजनीतिक और आर्थिक पराधीनतामे देशकी आत्मा सो जाती है किन्तु आत्म बोध होते ही उसमें जागरण पैदा हो जाता है और एक ठोकर लगते ही उसकी सुमारी दूर हो जाती है । रोमनोंने यूनानियोंको तलवारके बल पर जीत अवश्य लिया था । मगर यूनानकी आत्मा मरी नहीं । यही वजह थी कि शामित होकर भी यूनानियोंने अपने रोमन-शासको पर शासन किया था । तभी तो इतिहासकार को लिखना पड़ा कि. — 'विजितोंने विजेताओं पर विजय पाई' (Conquered the Conqueror) यही हालत हिन्दुस्तानकी है । जितने बाहरी

(१०) सरकार किसीको खिताब न देगी ।

(११) मौतकी सजा उठा दी जायगी ।

(१४) भारतका प्रत्येक नागरिक भारत भरमे भ्रमण करने, उसके किसी भागमें ठहरने या बसने, जायदाद खरीदने और कोई भी व्यापार या घन्धा करनेमे स्वतन्त्र होगा और कानूनी कार्रवाई तथा रक्षाके विषयमें, उसके साथ समानताका व्यवहार होगा ।

इस प्रस्तावको पास करते समय यह ऐलान पहले ही किया गया है कि कांग्रेस जिस प्रकारके स्वराज्यकी कल्पना करती है उसका जनताके लिये क्या अर्थ होगा—इसे वह ठोक-ठोक जान जाय इसलिये यह आवश्यक है कि कांग्रेस अपनी स्थिति इस प्रकारसे प्रकट करदे जिसे जनता आसानीसे सम्पन्न कर सके । कांग्रेसने देशके सभी मजहबों, फिरकों और वर्गके सम्बन्धमें अपनी स्थिति बिलकुल साफ कर दी है फिर भी कांग्रेसपर अगर हिन्दू राज्य कायम या मुसलमानोंसे मिलकर हिन्दुओंके हितोंका घात करनेका झूठा अभियोग लगाया जाय तो यह दुराग्रहके सिवा और कुछ नहीं है ।

हमले हिन्दुस्तान पर हुए इतने हमले शायद दुनियाके और किसी दूसरे देशपर न हुए होंगे। किन्तु विजित हिन्दुस्तान हमेशा अपने विजेताओं पर विजय पाता रहा। इसकी आत्मा कभी मरी नहीं, इसपर कोई रूहानी हुकूमत नहीं कर सका। जो भी बाहरी आक्रमणकारी इस देगम आये, वे या तो इस देशके दौड़ रहे या लूट-पाट कर चले गये। हिन्दुस्तान वह मुन्क है जो मौतके मायेमे रहकर भी मौत पर छाया रहता है। भारत हमेशा चिरजागृत रहा है। और शाश्वत जागरण ही तो स्वाधीनताका प्रधानतम मूल्य है! जर्मनीका हिटलर भले ही सारे यूरोप पर अपने आतंक और फौजी बलके जरिये विजय पाले, किन्तु वह इन देशोंके लोगोंकी आत्मा पर विजय नहीं पा सकता। उसकी विजय शीघ्र ही पराजयमें बदल जायगी।

भारत जब बेखबर सो रहा था तो उसपर अचानक हमला हुआ। थकावट से चूर और थुढापेसे लाल होकर हिन्दुस्तान अलसाया हुआ था। वह सब कुछ का चुका था, सब कुछ पा चुका था। उसकी कोई तमन्ना अधूरी नहीं रह गई थी, कोई साधना बाकी न थी। तवारीखके हजारों लाखों पन्नों पर उसके हाथकी मुहर थे। दुनियाकी दूसरी जातिया उसे पढ और समझ रही थीं। वीरता और विद्या, व्यापार और वैराग्य, इन्ध व हुनरके बागमें उसके हाथका जो कुछ बचा था और उसमेंसे जागती जातियोंको जो कुछ मिल जाता था उससे वे निहाल हो जाती थीं, मालमाल हो जाती थीं। घरमें वैभव, सुख और शान्तिका मेह बरस रहा था। अभ्युदय और निश्रेयस इकट्ठे होकर घरको रखा रहे थे। रत्न-दीप जगमगा रहे थे। बूढा भारत थकावटकी नींदमें बेहोश पड़ा था। सुनहला सवेरा आया और गया। जातिया जागीं और उठीं। दुर्धर्ष, क्षोभ हुआ। हाहाकारों मच्चों। तोपोंके भैरवनाद हुए। तूफान और बवडर आया। मगर बूढे भारतकी नींद न टूटी। मनुष्ये घोड़ोंकी तरह दौड़े, भेड़ोंकी

तरह कटे और गधोंकी तरह पिसे । चारों ओर काम, क्रोध, होड़, बर्बादी, ईर्ष्या, कलह, स्वार्थ और पाखण्ड भर गया । सारी सम्पदा छुट गयी । असूर्य-पश्या महिलाओंकी असमत पर डाके पड़े । वे सार्वजनिक हो गयीं । अवोध बालिकाओंने वैधव्यका वेश धारण किया और समाजके अग्निकुण्डमें जल-जल कर उस वेशको निभाया । और जब बूढे भारतकी नौद खुली तो उसने देखा दुनिया बहुत बदल गयी है । पड़े ही पड़े नजरके कोरसे नजरके छोर तक उसने देखा, सब कुछ नष्ट हो चुका है । वह अपने घरमें ही अपने घरका मालिक न था । उसका सब कुछ छुट चुका था । उसकी सारी आजादी छीन ली गयी थी और उसका दुबला-पतला बदन फौलादी जजीरोंमें कसा पड़ा था । वह यह सह न सका । उसकी आत्मा जीवित थी । उसने अपने पुराने अभ्यास की एक गर्जना की । उसने जोश और तैशमें आकर एक मटका दिया, बल लगाया, क्रोध किया । परन्तु पुराना पुरुषार्थ न था । वह दिल मसोसकर रह गया । उसकी सुखे आखोंसे चिनगारिया निकल रही थीं । उसने जागरणकी करबट ली और कर्तव्य पथ पर अग्रसर हुआ । आज गाधीके नेतृत्वमे वह आगे बढ रहा है । जवाहरका जौहर उसके साथ है । आज गाधी आध्यात्मिक भारतका आध्यात्मिक सिपहसालार है । गाधी ! वह सीधा-सादा मुट्ठीभर हठियों का आदमी धधकता हुआ ज्वालामुखी है । वह शान्तिका पुजारी और क्रान्तिका कर्णधार है । वह धर्म गुरु भी है और राजनीतिका निपुण पण्डित भी । वह सेवक है, सैनिक है और सेनानी भी है । उसने मुल्ककी सोई हुई हड्डीको इन्किलाबके जरिये जगाकर ताजिन्दगी फिर न सोनेका अक्षय अमरत्व भर दिया है । आज हजारों लाखों हिन्दुस्तानी, जिनमें बतनपरस्ती और आजादी के जजबात हैं, उसके इशारे पर नाच रहे हैं । हिन्दू, मुसलमान , सिख और पारसी उसकी आवाज़को अपने दिलकी आवाज़ समझते हैं । मुल्ककी बेहद

बर्बादी, बेकसी, बेवसी और गरीबी देखकर उसकी आत्मामे जो धड़कन पैदा होती है वह करोड़ों भारतीयोंके कानोंमें सुनाई पड़ती है—करोड़ों भारतीयोंके दिलोंमें धड़कन पैदा कर देती है। वह एक आश्चर्यजनक सत्य है। वह मुश्किल और आसान दोनों है। वह सरल और सत्य होते हुए भी कठोर और रहस्यपूर्ण है। उसे समझना कठिन है। लेकिन एक बार समझ जाने पर उसके खिलाफ जाना और भी कठिन है। वह इन्सानियतकी जीती जागती तस्वीर है। मानवता उसमें केन्द्रित है। वह दुनियाके लिये एक पहेली है मगर सिर्फ हिन्दुस्तानका ही नहीं बल्कि सारी दुनियाका वह रहस्युमा है। काश, दुनिया उसे समझ पाती ! भूख-प्यासकी वेदना तथा रक्त-शोषणकी पीड़ाओंसे आज हमारी आवाज कमजोर पड़ गयी है। हम अपने जन्म सिद्ध अधिकारको खो चुके हैं। आज इस घोर अन्धकारमें हम अपनी मन्द आंखोंसे उसके दिव्य तेजको देख रहे हैं और उसकी रोशनीमें अपना रास्ता तै कर रहे हैं। वह चालीस करोड़ मूक आत्माओंकी सुखरित वाणी है। भारतकी अन्धकारमयी काली कसौटीपर वह विजलीकी प्रखर धाराकी तरह दिव्य और साफ दिखायी पड़ रहा है। हमारी इस तारीकीमें वह हमे रोशनीकी तरफ खींच, बुला, बढा रहा है। वह हमारा दीपक, मशाल या कन्डील ही नहीं बल्कि हमारा चांद और सूर्य भी है। उसके विकट-विद्रोहमें हमारी आत्मा खेल रही है।

×

×

×

मौजूदा हिन्दुस्तान अपनी मासूम हसरतों और मसली तमन्नाओंको लेकर आजादीकी राहका राही है। हम आजाद होनेके लिये तिलमिला रहे हैं। हम मनुके इस वाक्यको समझ गये हैं कि—'सर्व परब्रह्म दुःख सर्वमात्मगतं सुखम्।' पराधीनता अब हमें असह्य हो गयी है। यह गुलामी नाकाबिले-यर्दात्त हो गयी है और एक गुलाम मुल्कको इतना समझ लेना ही काफी है।

फिर तो वह आजाद होकर रहेगा। आजादी कौन नहीं चाहता। इसे कौन नापसन्द करता है। यह हो सकता है कि कुछ लोग किसी तरहकी गलतफहमीमें पड़कर और गुमराह होकर आजादीकी मुखालफियत करें। मगर गलतफहमीके दूर होते ही वे अपनी गलतियोंको समझ जायगे। हिन्दुस्तान जैसे बड़े मुल्कमें, जो अपनी विभिन्नताओंके लिये मशहूर हो, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो हुकूमतकी बफादारी और किसी किस्मकी खुदगर्जीके फन्देमें पड़कर आजादीकी राहमें रोडे अटकते हैं तो कोई अचरजकी बात नहीं है। दुनियाका वह कौन ऐसा मुल्क है जहा इम तरहके लोग न रहे हों। ऐसी हस्तिया हर जगह पायी गयी हैं, जो अपने बतनकी बेहतरी अपनी निजी बेहतरीके लिये कुर्बान करती रही हैं। इन्सान अपनी कमजोरीको छिपानेके लिये कोई न कोई बहाना ढूँढता ही है। यह उसका स्वभाव है। आज भी ऐसे इन्सानोंकी और ऐसे बहानोंकी कमी नहीं है। हम सच्चे दिल और सच्ची नीयतसे मुल्ककी आजादीके लिये, कांग्रेसके नीचे इकट्ठे होकर, कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हमारी इस कोशिशपर शक करते हैं। हमारी आजादी हासिल करनेकी चेष्टाओंमें किसीको 'इस्लाम पर खतरा' आया दिखायी दे रहा है तो कोई यह कह रहा है कि कांग्रेस 'हिन्दू हितोंका सहार' कर रही हैं। जनाब जिन्ना साहब पाकिस्तानके पीछे पागल-हो रहे हैं तो वीर सावरकर साहब 'हिन्दू-राज्य' की नींव डालनेपर तुले हुए हैं। गरज यह कि हमपर तरह तरहके निराधार आक्षेप किये जा रहे हैं, झूठे इल्जाम लगाये जा रहे हैं। लेकिन हम इन सारे अभियोगों और आक्षेपोंको मन्टेही दिमागकी सूझ समझते हैं। अविश्वासके वातावरणमें सच्चाईका गला घुटता है। हमारी नेकनीयतीके बावजूद भी अगर हम पर शक किया जाता है तो हमें उसकी परवाह नहीं। चमकदार आफताबको आसमानके काले बादल जोड़े समयके लिये आखोंसे ओझल कर

सकते हैं, दुनियामें रोशनीकी जगह अन्धेरा पैदा कर सकते हैं, मगर आफताव बादलोंके काले पर्देको चीरकर अपना जलवा दिखाये बिना नहीं रहता। लेकिन चमगादड़ोंको सूर्य कभी दिखायो ही न दे तो इसका क्या इलाज है।

हिन्दुस्तानकी फूट और यहाके साम्प्रदायिक वैमनस्यको देखकर इंग्लैण्ड-के राजनीतिज्ञ फरमाते हैं कि हिन्दुस्तान अभी आजादी पाने योग्य नहीं है। वे अपने आपको हिन्दुस्तानका ठेकेदार समझते हैं। उनका दावा है कि यदि हिन्दुस्तानमें अंग्रेजी सरतनत नहीं रहेगी तो हिन्दुस्तानवाले आपसमें लड़कर मर जायगे और पीछेसे कोई दूसरी ताकत इस देशको भेड़ियेकी तरह हड़प लेगी। किन्तु, यह तो एक वहाना है—बड़ी हल्की और ओछी दलील है। जिस-देशके लोग अपनी आजादीके लिये ब्रिटेन जैसी प्रबल ताकतसे लड़-झगड़ सकते हैं उस देशके लोग दूसरोसे भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। हमारे आपसी झगड़े तो ब्रिटेनकी देन हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवादने हमें अपनी मौजूदगीका यह 'बरदान' दिया है। आजाद होते ही ये सारे झगड़े भी दूर हो जायगे। सी० ई० एम० जोड़ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय-ख्यातिके विद्वानका कथन है कि—“यह कह कर आजादी देनेसे इन्कार करना कि उसका दुरुपयोग किया जायगा दरअसल आजादीके खिलाफ बड़ी लचर दलील है।” ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंका काम भारतवासियोंको आपसमें बुलबुलकी तरह लड़ाकर दूरसे तमाशा देखना रहा है। हमारी फूटसे हमारे आकाओंने हमेशा फायदा उठाया है और अब भी उठा रहे हैं। हमे एकताका उपदेश भी देते हैं और एकताके, दुनियादी उसूलोंपर कुठाराघात भी करते हैं। वे हमें, 'दुआ जीनेकी देते हैं, दवा मरनेकी करते हैं।' १२ दिसम्बर १९४० को लन्दनकी एक दावतमें तफरीर करते हुए भारत मन्त्री मि० एमरीने हिन्दुस्तानके लिये एक 'नया नारा' ईजाद किया है। उनका यह नया नारा है—'पहले भारत।'

उन्होंने फरमाया है कि—“भारतसे मेरा अभिप्राय है समग्र भारत, भारत जैसा प्रकृति और इतिहासने उसे बनाया है, भारत अपनी अनन्त विचित्रताओं और प्रच्छन्न एकताके साथ, भारत जैसा आज है और जैसा हम उसे आनेवाले वर्षोंमें देखना चाहते हैं।” मि० एमरोके नारेमें हम हिन्दुस्तानियोंके लिये कोई नवीनता नहीं है। कांग्रेसने अखण्ड हिन्दुस्तानका नारा बहुत पहले बुलन्द किया है। भारत वासियोंके लिये, भारतके देश-भक्तोंके लिये तो भारत ही पहले, भारत ही मध्यमे और भारत ही अन्त मे अर्थात् सदा, सब समय और सब अवस्थाओंमें भारत ही भारत नजर आता है। लेकिन असलियत तो यह है कि हमारे शासक ही हमारी अखण्डता बरदाश्त नहीं कर सकते। हमारी एकताके मार्गमें बाधाएं उपस्थित करते हैं। वे हिन्दू मुसलमानोंकी फूट का, देशी नरेशोंके सन्देहका और अल्पसंख्यक जातियोंके अविश्वासका जिक्र करते हैं और फिर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भारत स्वतन्त्रता पानेके योग्य नहीं है। हिन्दुस्तानके जर्न-जर्नकी जानकारी रखनेवाले लाला लाजपतराय ने लार्ड बर्केंनहेड को जोशीला जवाब देते हुए कहा था कि—“हिन्दुस्तानमें हमारे साम्प्रदायिक विभेदोंकी जिम्मेदारी ब्रिटिश हुकूमत पर है।” स्वर्गीय सी० एफ० एण्डरुजने भी ‘दी ट्रू इण्डिया’ नामक अपनी पुस्तकमे यही राय जोहिर की है। भारतके मजहब, भारतकी जवान और भारतके जजबातोंकी उन्हें जो जानकारी थी वह शायद ही किसी अंग्रेजको हासिल हो। भारतको उन्होंने अपना घर-सा बना लिया था और भारतमे ही पुनर्जन्म लेनेकी आकांक्षा प्रकट की थी। उनकी यह दृढ राय थी कि हिन्दुस्तानके सारे म्गड़ोंकी जड़ ब्रिटिश सरकार है। महात्मा गांधीकी ईमानदारी पर शक करना सच्चाईको ओर साथ ही अपनी आत्माको भी धोखा देना है। गांधीजी हर बातको और हर बातके हर पहलूको बड़े साफ दिमागसे सोचते और साफ नजरसे देखते हैं।

वे अपनी निजी कमजोरियोंका भी सरेआम ऐलान करनेसे नहीं हिचकते । गांधीजीने 'यंग इण्डिया' में लिखा था कि — "It is the certain belief of almost every Indian that they, the British Government, are principally responsible for most of our quarrels" यानी—'प्रायः प्रत्येक भारतीयका यह दृढ विश्वास है कि हमारे अधिकांश झगड़ोंके लिये मुख्यतः ब्रिटिश सरकार ही जिम्मेदार है।' इस तरहके और भी अनेक देशी एव विदेशी नेताओं एव विचारकोंकी रायोंका सवूत पेश किया जा सकता है । इस सच्ची कैफियतको ब्रिटेनके राजनीतिज्ञ चाहे मजूर करें, चाहे न करें । लेकिन अब ज्यादा दिनों तक वे हमें मुगालतेमें नहीं रख सकते । हिन्दुस्तानियोंको आश्वासन देना, वादा करना, वादेको पूरा करनेमें विलम्ब करना, स्कीम बनाना, स्कीमको मुलतवी रखना और फिर अन्तमें पहुचकर अपनी जिद्द पर ही अड़े रहना ब्रिटिश राजनेताओंका काम रहा है । अब उनके वादो, प्रस्तावों और प्रतिज्ञाओंमें हयारा कतई विश्वास नहीं रह गया है । जवानसे कहिये तो हम लाख बार उन्हें भला कह दें, लेकिन अपने दिलको क्या करें जिसे करार नहीं होता ।

हमें सच्चाइयोंसे भी मुह मोड़ना नहीं है । अपने वर्तमानपर विचार करके ही हम भविष्यका निर्माण करनेके लिये कदम आगे बढ़ा सकते हैं । आज हिन्दुस्तान मजहबी फूट और फिरकेबन्दियोंका शिकार हो रहा है । अवस्था रोजमर्रा बढसे बढतर होती जा रही है । हमें जो तालीम मिलती है, वह गन्दी, बेअसर, बेअमल और बेकार है । पढ-लिखकर हमें बेकारी और फाकेमस्तीकी जिन्दगी बितानी पड़ती है । हम छोटी-छोटी नौकरियोंपर जान देते हैं, योड़े से फायदेके लिये अपने दिल और दिमागको बेच देते हैं । हमें अपनी इज्जत और हैसियतका हल्म नहीं रहता । चादीके चन्द टुकड़ोंपर हम अपनी इन्सा-

आज़ादीके रोड़े

नियत कुर्बान कर देते हैं। देशका कोई फिरका, कोई वर्ग खुदाहाल नजर नहीं आता। जिन्दगीका स्टैण्डर्ड जुरी तरह गिर चुका है। हमारा इल्म व हुनर, रोजगार और सौदागरी, पूंजी और मेहनत सब कुछ बर्बाद हो गयी है। देहातकी दस्तकारियाँ खतम हो गयी हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हम जिन्दगी और मौतके जहोजहदसे होकर गुजर रहे हैं। प्रतिक्रियागामी ताकतें हमारा गला घोट रही हैं। लेकिन हम बेखबर होकर आपसमें ही लफ्जों और स्कीमों पर लड़ रहे हैं। देश रोटियोंके लिये, कपड़ेके लिये, रोजी और मजदूरीके लिये, रहनेके लिये, शिक्षा और तन्दुरुस्तीके लिये चीख रहा है। मुल्क नाउम्मीदियोंके अंधेरेमें भटक रहा है और हम फार्सूलों पर बहस कर रहे हैं। दुनियाकी हालत तूफानी रफ्तारके साथ बदल रही है। इस बदलती हुई हालतमें एक नये राजनीतिक और आर्थिक ढांचेकी जरूरत महसूस हो रही है। समाजमें जो साम्य और समता होनी चाहिये वह इस समय नहीं है और उसके अभावमें यह स्वाभाविक है कि चारों तरफ तन-ज्जुली और तबाही नजर आये। जिस तेजी और मुस्तीदीके साथ हम अपनी समस्याओं पर विचार करना चाहिये वह हम नहीं कर रहे हैं। भारतकी जनता कष्ट और पीड़ासे बेचैन है। वह अपनी तकलीफोंके बोझसे किसी तरह छुटकारा पाना चाहती है। यही हमारी मुख्य समस्या है। बड़े सवाल इसके बाद आते हैं। इस बड़ी समस्याको हल करनेके लिये हमें हिन्दुस्तानको साम्राज्यवादके कठोर बन्धनसे छुटकारा दिलाना होगा। साम्राज्यवादकी जड़ बहुत गहराई तक जमी हुई है। वर्तमान साम्राज्यवाद, पूंजीवादका एक स्वाभाविक परिणाम है। एकको दूसरेसे अलग नहीं किया जा सकता। बीमारी अपना स्थायी घर कर चुकी है। हमारे लिये आज सबसे जरूरी और अहम मसला पूर्ण राजनीतिक स्वाधीनता और लोकतन्त्रात्मक राज्य

कायम करना है। क्योंकि अपनी तमाम बीमारियोंका हमें एक यही इलाज जान पड़ता है; अब हम अपने प्रश्नों और समस्याओंको नजर-अन्दाज नहीं कर सकते। हमारे मुल्ककी घोर गरीबी और करोड़ों आदमियोंकी बेकारी बढ़ते हुए लकड़के मर्जकी तरह हमारे राष्ट्रीय जीवन पर बराबर चोट कर रही है। आज दुनिया दर्दनाक विरोधोंसे भरी हुई है। लेकिन कहीं भी यह विरोध इतनी तीव्र मात्रामें नहीं है जितनी तीव्र मात्रामें हमारे देशमें हैं। एक तरफ हर तरहकी शान और शौकतें, सजावटें और फिजूलखर्चिया पायी जाती हैं। दूसरी तरफ भूखे किसानोंके फूसके मोपड़े खड़े हैं जिनके बच्चे चुल्हा भर दूधके लिये तड़पा करते हैं और जिनकी महिलाएँ बीते भर बस्त्रके लिये शर्मसे गर्दन नीचे किये चलती हैं। हमें अपनी लम्बी यात्रामें खतरे और तकलीफको अपना साथी बनाकर आगे बढ़ना है। हम अन्नके मानिन्द गरजते और गाते हुए अपने मकसदकी ओर चल पड़े हैं। अब अपनी इस विकट यात्रामें स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व ही हमारा नारा होना चाहिये। अगर हम अपने उद्देश्यकी ओर एकता और जोशके साथ कृन्तवातकी तरह अग्रसर होंगे तो बाधाएँ हमसे पनाह मागेंगी, राहके रोड़े हमारी एक ठोकरसे जाकर दूर गिरेंगे, स्वतन्त्रता हमारी चेरी होगी और हिमालयकी बुलंद चोटियों पर पहुँच कर हम अपनी विजय पताका फहरा देंगे। हम दुनियाको और दुनिया हमें सिर ऊँचा करके देखेगी।

शुद्धि-पत्र

[प्रूफ सशोधनमें कतिपय भूलें रह जानेके कारण हमारे पाठकोंको कहीं-कहीं कुछ अवाञ्छनीय अशुद्धिया मिलेंगी । पाठकोंकी सुविधाके लिये प्रस्तुत-पुस्तकके विभिन्न पृष्ठोंकी अशुद्धियोंका शुद्ध रूप दिया जा रहा है । पाठक कृपया इन्हें सुधार कर पढ़ें । —सम्पादक]

पृष्ठ	अशुद्ध	शुद्ध
५	कहा	कह
२१	१९०	१९
२२	वे	न
२४	धने	काम बनाते
"	खिलाफसे	खिलाफ
२७	स्वयं+	स्वय इस
२९	अपेक्षा	उपेक्षा
३७	अनुसार+	अनुसार यह शब्द
३८	बड़ा	०
४०	आकर	जाकर
४४	अल्पमतके	अल्पमतकी
"	देशके	देशसे
४६	घोपणा	घोपणा
५१	यह	कई
५६	प्रतिनिधिमे	प्रतिनिधि
७६	कारमेथियन	कारपेथियन
५७	अजीब गरीब	अजीब-व-गरीब
६४	सरकार	सरकारी

अभिनव भारती मन्थमाला—६

आजादीके राई

श्री राम मजुंदर सिंह

समादर
इनादीमजाह दिवेदी